



उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2031 (प्रारूप)



विषय सूची

1.	भूमिका	1
1.1	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....	1
1.2	उन्नाव महायोजना—विकास क्षेत्र.....	1
1.3	उद्देश्य	6
1.4	महायोजना में संशोधन की आवश्यकता	6
2.	जनसंख्या.....	7
2.1	जनसांख्यिकीय स्वरूप.....	7
2.1.1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति	7
2.1.2	वर्तमान जनसंख्या का विवरण.....	7
2.1.3	आयु—लिंग संघटक	8
2.1.4	साक्षरता दर.....	8
2.1.5	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	8
2.2	जनसंख्या प्रक्षेपण	8
2.3	चयनित विधि के पीछे तर्कसंगता	10
2.4	उन्नाव विकास क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 1991–2031	10
2.5	अस्थायी जनसंख्या.....	11
3.	आर्थिक आधार.....	12
3.1	कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूएफपीआर)	12
3.1.1	व्यावसायिक संरचना.....	13
3.2	उन्नाव की अर्धव्यवस्था.....	14
3.3	समस्याएं एवं उद्देश्य	14
3.4	कार्यबल सहभागिता का प्रक्षेपण.....	14
3.5	आर्थिक विकास के लिए कार्यनीतियां एवं प्रस्ताव.....	15
4.	उद्योग.....	16
4.1	अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र	16
4.2	टीकर गढ़ी झांझरी औद्योगिक क्षेत्र	16
5.	आवास.....	17
5.1	आवास	17
5.2	आवास का स्वामित्व	17
5.3	आवास की स्थिति.....	17
5.4	आवास और आपूर्ति	18
5.5	आवास आकार का अनुमान.....	18
5.6	शुद्ध आवासीय प्रक्षेपण.....	18
5.7	आवास की कमी और मांग के लिए रिक्त भूमि की आवश्यकता.....	19
5.8	नगरीय गरीब एवं मलिन बस्तियों की रूपरेखा.....	19
5.9	आवासीय नीतियाँ	21
5.9.1	आवासीय विकास	21
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं.....	22
6.1	राजकीय / अर्द्ध-राजकीय कार्यालयं	22
6.2	शैक्षिक सुविधाएं	22
6.3	स्वास्थ्य सुविधाएं	24
6.4	सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं, सेवाएं एवं उपयोगिताएं.....	25
6.5	अग्निशमन.....	27

6.5.1	वर्तमान परिदृश्य	27
6.6	प्रक्षेपण	27
6.7	उद्देश्य	30
6.7.1	शिक्षा	30
6.7.2	स्वास्थ्य.....	30
6.8	प्रस्ताव	30
6.8.1	शिक्षा	30
6.8.2	स्वास्थ्य.....	30
6.9	उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ	31
6.10	जल आपूर्ति	31
6.10.1	जल के स्रोत	31
6.10.2	उपलब्धता.....	32
6.10.3	जल आपूर्ति कनेक्शनों का विवरण	32
6.10.4	जल की गुणवत्ता	32
6.10.5	उद्देश्य.....	32
6.10.6	सेवा स्तर के बेंचमार्क	33
6.10.7	सरकार द्वारा जलापूर्ति के लिए प्रयास.....	33
6.10.8	अमृत योजना के तहत उन्नाव शुक्लागंज जलापूर्ति योजना	33
6.10.9	अमृत योजना अंतर्गत उन्नाव शुक्लागंज में जलापूर्ति (द्वितीय चरण).....	38
6.10.10	अमृत मिशन	38
6.10.11	जल आपूर्ति की मांग और अंतर.....	39
6.11	मल निर्यास (सीवरेज)	39
6.11.1	संग्रहण	40
6.11.2	प्रशोधन एवं निस्तारण	40
6.11.3	उद्देश्य	40
6.11.4	सेवा स्तर बेंचमार्किंग	40
6.11.5	मांग और अंतर का मूल्यांकन	41
6.11.6	नगर में प्रदूषण स्तर को नियन्त्रित करने के लिए किए गए उपाय.....	41
6.11.7	राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश (13 जुलाई 2017 का निर्णय)	41
6.11.8	शौचालय	42
6.11.9	सामुदायिक शौचालय.....	42
6.11.10	उद्देश्य	42
6.11.11	सेवा स्तर बेंचमार्क	42
6.12	वर्षा जल निकास.....	42
6.12.1	जल निकास प्रणाली के लिए चल रहे हस्तक्षेप	43
6.13	ठोस कचरा प्रबंधन.....	43
6.13.1	ठोस कचरे का उत्पादन	43
6.13.2	उपकरण का विवरण	44
6.13.3	नगर ठोस कचरा प्रबंधन, संग्रहण और डुलाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर).....	44
6.13.4	मांग और अंतर का मूल्यांकन	45
6.14	बिजली.....	45
6.14.1	अभिप्राय	45
6.14.2	आवश्यकता	46
7.	यातायात एवं परिवहन	47
7.1	यातायात एवं परिवहन का अध्ययन और विश्लेषण	47
7.1.1	वर्तमान परिदृश्य	49

7.1.2	मुख्य मार्ग.....	49
7.1.3	स्थानीय मार्ग	50
7.1.4	रेलवे	50
7.1.5	ट्रक टर्मिनल.....	50
7.1.6	पार्किंग	50
7.1.7	उन्नाव में परिवहन की स्थिति में सुधार के प्रस्ताव	51
7.1.8	सार्वजनिक परिवहन	51
7.1.9	उन्नाव में पंजीकृत वाहन	52
7.1.10	अत्यधिक दुर्घटनापूर्ण स्थल एवं दुर्घटना संबंधी आंकड़े	52
7.1.11	पार्किंग की मांग.....	52
7.1.12	जंकशनों का उन्नयन संबंधी सर्वेक्षण	52
7.2	यातायात एवं परिवहन से संबंधित उद्देश्य/समस्याएं	53
7.3	पिछले अध्ययनों के पिछले प्रस्ताव.....	53
7.3.1	उन्नाव महायोजना – 2001	53
7.4	संबंधित विभाग के प्रस्ताव	53
7.4.1	प्रस्तावित मार्ग	54
7.4.2	यातायात प्रबंधन तकनीक.....	54
8.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	57
8.1	भूमिका	57
8.2	प्राकृतिक आधारभूत पर्यावरण	57
8.3	नगरीय पर्यावरण की गुणवत्ता	63
8.4	वर्तमान पर्यावरण विनियमन	69
8.5	प्रस्तावित पर्यावरण और आपदा प्रबंधन योजना	70
9.	पार्क एवं खुले स्थल, कीड़ा स्थल	71
9.1	मनोरंजन सुविधाएँ: पार्क एवं खुले स्थल, थीम आधारित पार्क	71
10.	वर्तमान भू—उपयोग.....	76
10.1	भूमिका	76
10.2	वर्तमान विकास की प्रवृत्ति	76
10.3	उन्नाव विकास क्षेत्र का वर्तमान भू—उपयोग.....	77
10.4	वर्तमान महायोजना – 2001 का मूल्यांकन	79
10.5	उन्नाव महायोजना 2001 में प्रस्तावित जनसंख्या प्रक्षेपण	79
10.5.1	वर्तमान स्थिति.....	79
10.6	आवास	80
10.6.1	वर्तमान स्थिति.....	80
10.7	महायोजना 2001 में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन.....	80
10.7.1	वर्तमान स्थिति.....	80
10.8	महायोजना 2001 में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल.....	80
10.8.1	वर्तमान स्थिति.....	80
10.9	उन्नाव महायोजना—2001 प्रस्तावित नियोजन खण्ड.....	80
10.10	प्रस्तावित महायोजना 2001 में विचलन.....	81
11.	कृषि.....	91
12.	प्रस्तावित भू उपयोग – 2031	92
12.1	प्रस्तावित भू उपयोग –2031	92
12.1.1	भूमि की आवश्यकता	92
12.1.2	कार्यनीतियाँ/ नीतियाँ.....	93
12.1.3	आवासीय उपयोग:	94

12.1.4 व्यावसायिक उपयोग:	94
12.1.4.1 बाजार स्ट्रीट	94
12.1.5 कार्यालय	97
12.1.6 सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं	97
12.1.7 पार्क एवं खुले स्थल	97
12.1.8 हरित पट्टी	100
12.1.9 औद्योगिक	100
12.1.10 यातायात एवं परिवहन	100
12.1.11 अन्य	100
12.1.12 कृषि क्षेत्र	104
12.2 जोन निर्धारण	104
13. महायोजना प्रस्तावों हेतु नीति निर्धारण	106
13.1 नियोजन संबंधी प्रमुख समस्याएँ	106
13.2 विकास के अवरोध	106
13.3 प्रस्तावित विकास के प्रतिकूल विकास एवं नीति निर्धारण	107
13.4 महायोजना भू-उपयोग हेतु नीति निर्धारण	107
13.4.1 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973।	107
13.4.2 आवास नीति— 2014	108
13.4.3 हाई-टेक टाउनशिप और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी	108
13.4.4 वर्षा जल संचयन नीति	108
13.4.5 ऊर्जा नीति	108
13.4.6 आपदा प्रबंधन नीति	108
13.4.7 औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति	109
13.4.8 सूचना प्रौद्योगिकी नीति	109
13.4.9 पर्यटन नीति	109
13.4.10 फिल्म नीति उत्तर प्रदेश—2015	110
13.4.11 राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति	110
14. जोनिंग रेगुलेशन्स	111
14.1 जोनिंग के उददेश्य	111
14.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ	111
14.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ	111
14.4 फ्लोटिंग उपयोग	112
14.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन	112
14.6 रेन वाटर हारवेस्टिंग	112
14.7 प्रभाव शुल्क	112
14.8 अनुज्ञा की प्रक्रिया	113
14.9 अन्य अपेक्षाएँ :	113
14.10 परिभाषाएँ :	114
14.11 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	121
14.12 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (<i>Activities</i>) हेतु अपेक्षाएँ	122
14.13 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (<i>Activities</i>) की अनुमन्यता	123

तालिका सूची

तालिका 1.1: अभिरुचि के क्षेत्र (एओआई) में सम्मिलित शहरी क्षेत्र.....	3
तालिका 1.2: अभिरुचि के क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र.....	3
तालिका 2.1: उन्नाव विकास क्षेत्र में जनसंख्या और परिवार:	7
तालिका 2.2: उन्नाव विकास क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि (1991–2011).....	7
तालिका 2.3: उन्नाव विकास क्षेत्र में लिंग संघटक और लिंगानुपात, 2011	8
तालिका 2.4: उन्नाव विकास क्षेत्र में साक्षरता दर, 2011	8
तालिका 2.5: उन्नाव विकास क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	8
तालिका 2.6: नगरीय क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031	9
तालिका 2.7: ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031	9
तालिका 2.8: प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031	10
तालिका 2.9: उन्नाव विकास क्षेत्र प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031	11
तालिका 3.1: उन्नाव विकास क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यबल सहभागिता दर	12
तालिका 3.2: विकास क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण	12
तालिका 3.3: शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण	13
तालिका 3.4: ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का विवरण.....	13
तालिका 3.5: विकास क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण	14
तालिका 3.6: क्षेत्र—वार कार्यबल प्रक्षेपण.....	14
तालिका 4.1: औद्योगिक इकाइयां विकास दर — उन्नाव एवं संबंधित क्षेत्र—1980	16
तालिका 4.2: औद्योगिक इकाइयों में श्रम शक्ति — 1980.....	16
तालिका 5.1: उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011 में स्वामित्व की स्थिति	17
तालिका 5.2: उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2011 में आवास की स्थिति के आधार पर परिवार	18
तालिका 5.3: उन्नाव नगर पालिका परिषद.....	18
तालिका 5.4: उन्नाव विकास क्षेत्र के लिए भूमि की मांग	19
तालिका 5.5: आवासीय इकाई का आकार	19
तालिका 5.6: उन्नाव में मलिन बरस्ती की जनसंख्या एवं उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	19
तालिका 5.7: वार्ड —वार मलिन बरस्ती की जनसंख्या.....	20
तालिका 6.1: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में शिक्षण सुविधाएं	22
तालिका 6.2: ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण सुविधाएं.....	23
तालिका 6.3: चिकित्सा सुविधाएं 2019–20	24
तालिका 6.4: नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ	24
तालिका 6.5: ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का आधारभूत ढांचा.....	25
तालिका 6.6: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं	25
तालिका 6.7: नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधाएं.....	26

तालिका 6.8: ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं.....	26
तालिका 6.9: अग्निशमन केन्द्र, पूर्व	27
तालिका 6.10: अग्निशमन केन्द्रों का विवरण	27
तालिका 6.11: प्रक्षेपित सामुदायिक सुविधाएं—2031	27
तालिका 6.12: उन्नाव नगर में जलापूर्ति	31
तालिका 6.13 विभिन्न स्रोतों से जल की मात्रा.....	32
तालिका 6.14: परिवारों का जोन—वार विवरण.....	32
तालिका 6.15: सेवा स्तर बैंचमार्किंग, जलापूर्ति.....	33
तालिका 6.16: जलापूर्ति की पहल	33
तालिका 6.17: उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में जोन वार जलापूर्ति की मांग (चरण 1)	33
तालिका 6.18: अमृत अंतर्गत उन्नाव शुक्रलागंज में जलापूर्ति योजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण).....	34
तालिका 6.19: अमृत योजना अंतर्गत उन्नाव शुक्रलागंज में जलापूर्ति (द्वितीय चरण).....	38
तालिका 6.20: उन्नाव विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की मांग और अंतर	39
तालिका 6.21: नगर में मल निर्यास आधारभूत ढांचा	39
तालिका 6.22: मल निर्यास प्रणाली के लिए सेवा स्तर बैंचमार्क	40
तालिका 6.23: मांग और अंतर का मूल्यांकन, 2031	41
तालिका 6.24: उन्नाव नगर में वर्षा जल निकासी की स्थिति.....	42
तालिका 6.25: उन्नाव नगर में ठोस कचरे का उत्पादन	43
तालिका 6.26: कचरा संग्रहण के लिए वाहन	44
तालिका 6.27: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सेवा बैंचमार्क.....	44
तालिका 6.28: उन्नाव विकास क्षेत्र में ठोस कचरा की मांग अंतर का मूल्यांकन	45
तालिका 6.29: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युतीकरण की स्थिति	45
तालिका 6.30: उन्नाव विकास क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग का वितरण	46
तालिका 7.1 उन्नाव में मार्गों की लंबाई	49
तालिका 7.2: उन्नाव में मार्ग दुर्घटनाएं, 2017– 2019	52
तालिका 8.1 विकास क्षेत्र में सम्मिलित 04 ग्रामों का वन क्षेत्र	60
तालिका 8.2: भूजल स्तर	63
तालिका 8.3: उन्नाव में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की विश्लेषण रिपोर्ट का सारांश चार्ट, 2015–2019.....	66
तालिका 8.4: भूजल की गुणवत्ता	66
तालिका 8.5: विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर भू जल डेटा (2017 से 2019)	67
तालिका 8.6: ध्वनि प्रदूषण का स्तर डीबी (ए).....	69
तालिका 9.1: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में सुव्यवस्थित खुले स्थान	72
तालिका 9.2: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में खेलकूद की सुविधाएं.....	72
तालिका 9.3: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में बहुउद्देशीय स्थल	72

तालिका 10.1: वर्तमान भू उपयोग—2020.....	77
तालिका 10.2: उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2001 की वर्तमान और प्रक्षेपित जनसंख्या (1981—2001)	79
तालिका 10.3: महायोजना 2001 प्रस्तावित विकास क्षेत्र.....	81
तालिका 10.4: महायोजना 2001 प्रस्तावित भू उपयोग	81
तालिका 10.5: विचलन तालिका	84
तालिका 11.1 जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें	91
तालिका 12.1: प्रस्तावित भू—उपयोग—2031	92
तालिका 12.2: वाणिज्यिक केंद्रों का क्षेत्रफल	94
तालिका 12.3: उन्नाव के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र की आवश्यकता	94
तालिका 12.4: औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण के लिए मापदंड	100
तालिका 14.1: भू—उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ	114
तालिका 14.2: भू—उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च कम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण	131

चित्र सूची

चित्र 1.1: एनआरएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रिड पर सुपर इम्पोज उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण क्षेत्र	3
चित्र 1.2: विकास क्षेत्र की सीमा.....	5
चित्र 2.1: नगरीय क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031	9
चित्र 2.2: ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031	10
चित्र 2.3: प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031	11
चित्र 5.1: स्वामित्व की स्थिति के आधार पर उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों का प्रतिशत	17
चित्र 5.2: आवास की स्थिति के आधार पर उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों का प्रतिशत	18
चित्र 6.1: निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट— उन्नाव.....	35
चित्र 6.2: वार्ड 23 में स्थित मल निर्यास प्रणाली.....	39
चित्र 6.3: प्रस्तावित भू—भराव स्थल	45
चित्र 7.1: उन्नाव रेलवे स्टेशन.....	50
चित्र 7.2: उन्नाव में मार्ग एवं मार्गेत्तर पार्किंग	51
चित्र 8.1: उन्नाव जिले का भूविज्ञान	57
चित्र 8.2: उन्नाव जिले की स्थलाकृति	58
चित्र 8.3: उन्नाव जिले का मृदा मानचित्र	59
चित्र 8.4: पक्षी अभयारण्य	59
चित्र 8.5: उत्तर प्रदेश में जल निकाय और नदी घाटी	60
चित्र 8.6: जल स्तर की गहराई (मानसून पूर्व)	61
चित्र 8.7: उन्नाव के जल स्तर की गहराई (मानसून के उपरांत)	62
चित्र 8.8: भूजल स्तर	62
चित्र 8.9: उन्नाव में पी10 मान	63
चित्र 8.10: उन्नाव में SO ₂ का मान.....	64
चित्र 8.11: उन्नाव में NO ₂ का मान.....	64
चित्र 8.12: उन्नाव में एक्यूआई का मान	65
चित्र 8.13: उन्नाव में सतही जल की गुणवत्ता	65
चित्र 9.1: उन्नाव में पार्क एवं हरित क्षेत्र	71

मानचित्र सूची

मानचित्र 1.1: उन्नाव विकास प्राधिकरण का वर्तमान मानचित्र	2
मानचित्र 6.1: नगर पालिका परिषद जलापूर्ति योजना फेस-2	36
मानचित्र 6.2: उन्नाव के विभिन्न जोन्स में जलापूर्ति नेटवर्क कवरेज	37
मानचित्र 7.1: यातायात मानचित्र, उन्नाव 2031	56
मानचित्र 10.1: विकास क्षेत्र में शहरी विकास	76
मानचित्र 10.2: वर्तमान भू उपयोग –2020	78
मानचित्र 10.3: प्रस्तावित महायोजना 2001	82
मानचित्र 10.4: उन्नाव का वर्तमान भू उपयोग—2020	83
मानचित्र 10.5: योजना सीमा के अंतर्गत यूपीएसआईडीसी के अंतर्गत क्षेत्र	85
मानचित्र 10.6: योजना सीमा के बाहर यूपीएसआईडीसी के अंतर्गत क्षेत्र	85
मानचित्र 10.7: मार्गों में प्रस्तावित परिवर्तन	86
मानचित्र 12.1: प्रस्तावित आवासीय भू—उपयोग	96
मानचित्र 12.2: प्रस्तावित व्यावसायिक भू—उपयोग	98
मानचित्र 12.3: प्रस्तावित सार्वजनिक/सामुदायिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	99
मानचित्र 12.4: प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल भू—उपयोग	101
मानचित्र 12.5: प्रस्तावित औद्योगिक भू—उपयोग	102
मानचित्र 12.6: प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भू—उपयोग	103
मानचित्र 12.7: उन्नाव महायोजना क्षेत्र में जोन का निर्धारण	105

1. भूमिका

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र दो नगरीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, उन्नाव नगरीय क्षेत्र तथा दूसरा शुक्लागंज नगरीय क्षेत्र है। यह विकास क्षेत्र 80°23'पूर्वी देशांतर से 80°35'पूर्वी देशांतर एवं 26°28'उत्तरी अक्षांश से 26°35'उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उन्नाव नगर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (कानपुर—लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग) और प्रांतीय मार्ग-58 (उन्नाव कानपुर मार्ग) पर स्थित है। लखनऊ कानपुर रेल मार्ग भी इन दोनों नगरों से होकर जाता है। उन्नाव नगर से कानपुर 18 किमी लखनऊ 59 किमी की दूरी पर स्थित है, निकटवर्ती अन्य जिला मुख्यालयों हरदोई तथा रायबरेली से उन्नाव की दूरी 120 तथा 97 किमी है इस प्रकार उन्नाव नगर रेल तथा रोड द्वारा उत्तरी भारत के प्रमुख केन्द्रों से सुसम्बद्ध है।

प्राचीन काल में, उन्नाव के वर्तमान जिले के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र कोशल के नाम से जाना जाता था जो बाद में अवध में सम्मिलित हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही सभ्य एवं सुव्यवस्थित जीवन शैली विद्यमान थी। हालांकि, जिले के कई स्थानों पर प्राचीन अवशेषों के निशान काफी दिलचस्प हैं जो उन स्थलों की प्राचीनकाल के होने के प्रमाण देते हैं।

प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 636 ई. में 3 महीने कन्नौज में रहे। यहां से उन्होंने लगभग 26 किलोमीटर की दूरी तय की और गंगा के पूर्वी तट पर स्थित ना—फो—ती—पो—कू—लो (नवदेवकुल) नगर पहुंचे। यह नगर लगभग 5 किमी में फैला हुआ था एवं इसके अंतर्गत या इसके आसपास भव्य देव मंदिर, कई बौद्ध मठ और स्तूप थे। यह स्थान, जो तहसील सफीपुर में बांगरमऊ से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर—पश्चिम में स्थित है, उसे कुछ विद्वान नवल नामक जगह मानते हैं और माना जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर का स्थल होने का प्रमाण देता है, माना जाता है कि 13 वीं शताब्दी में किसी फकीर के श्राप से यह नगर उजड़ गया था एवं अभी भी इसे आँधा खेड़ा या लुटा हुआ नगर कहा जाता है, दोनों का अर्थ एक प्रकार से उजड़ा ही है। मुस्लिम फकीर की दरगाह, जिसके विषय में कहा जाता है कि उनके श्राप के कारण नगर उजड़ गया था।

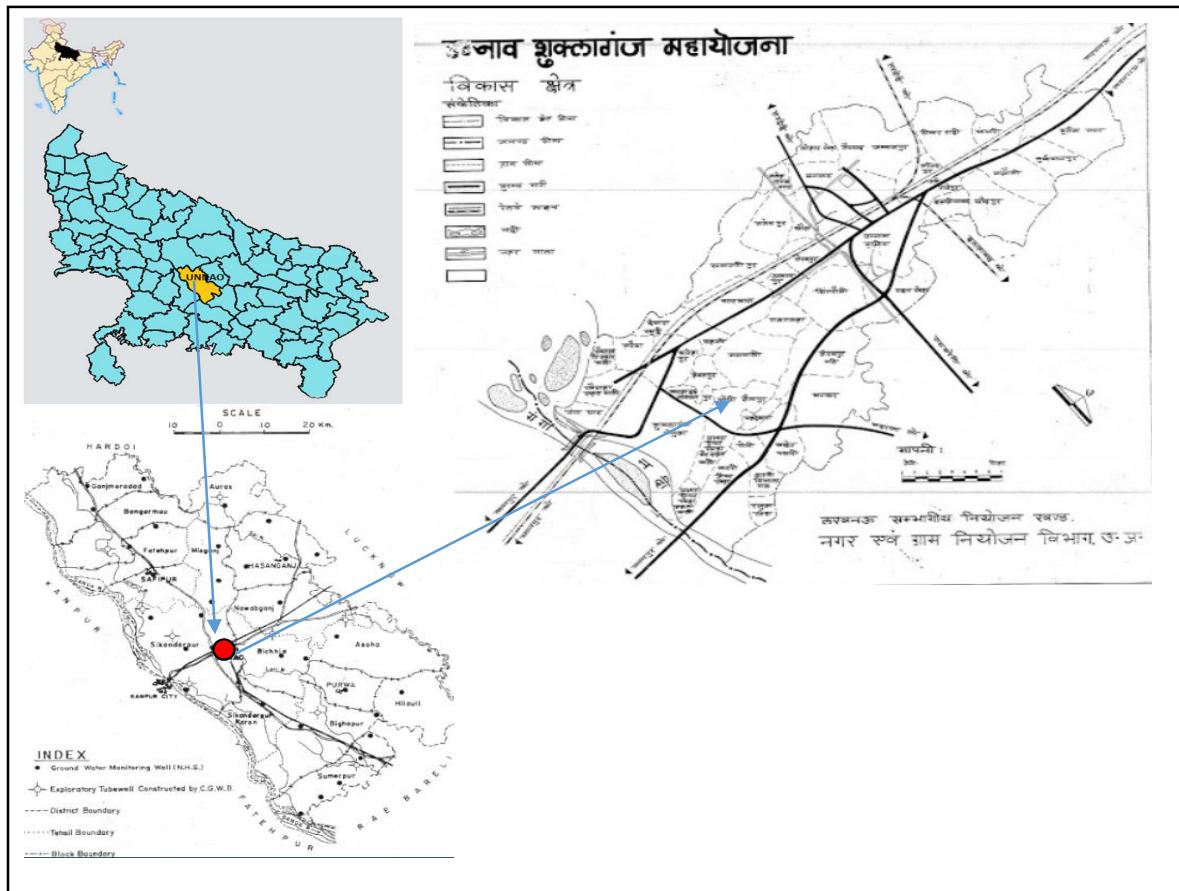
उत्तर प्रदेश के कई नगरों की तरह, उन्नाव पर भिन्न—भिन्न शासकों का शासन रहा जिसने नगर के पूरे इतिहास को व्यापक आकार दिया। ऐसा माना जाता है कि यह नगर लगभग 900 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, जब चौहान राजपूत भगवान सिंह ने विशाल क्षेत्र में फैले जंगल को साफ किया और सवाई गोड़ो नामक नगर की स्थापना की। इसके उपरांत, कन्नौज के शासकों ने इस नगर पर कब्जा कर लिया और अनवंत राय सिंह को कब्जे वाले क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह अनवंत राय सिंह वही था जिसने सवाई गोड़ो नगर का नाम उन्नाव रखा।

प्राचीन काल में, जिस क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव आता है, वह क्षेत्र कोशल महाजनपद (प्राचीन भारत में मौजूद 16 जनपदों में से एक) का हिस्सा था। बाद में इसे अवध में सम्मिलित कर लिया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, इस क्षेत्र पर मुगलों का शासन रहा। इसके उपरांत, वर्ष 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के पश्चात, वर्ष 1858 में महारानी की उद्घोषणा से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया है।

1.2 उन्नाव महायोजना—विकास क्षेत्र

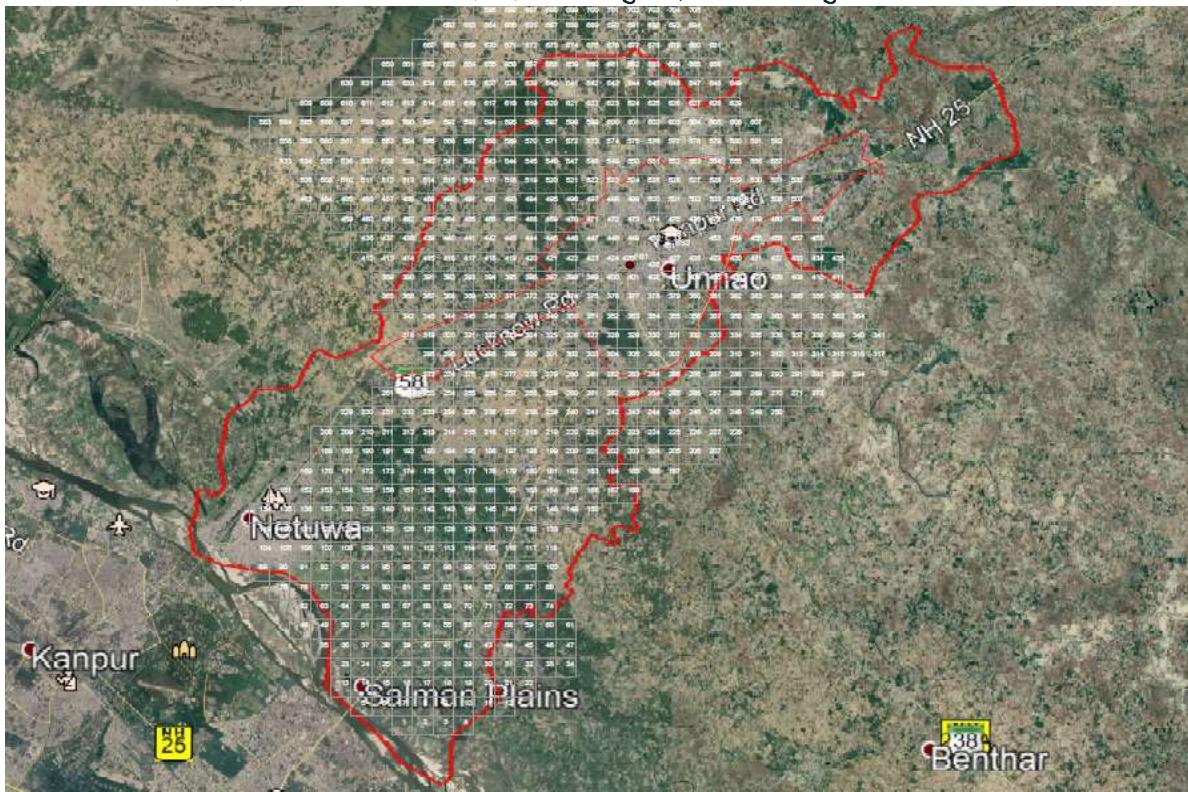
उन्नाव, उत्तर प्रदेश राज्य में जिले का जिला मुख्यालय है। उन्नाव में चमड़ा, मच्छरदानी, जरदोजी और रसायनिक उद्योग बहुतायत में होता है। उन्नाव को एक प्रमुख औद्योगिक एवं ढांचागत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए गंगा के निकट शहर (ट्रांस गंगा सिटी) उन्नाव का एक नया शहर विकसित किया जा रहा है यह क्षेत्र कानपुर—लखनऊ के समानांतर, विशेष आकर्षण का विकल्प बन सकता है।

मानचित्र 1.1: उन्नाव विकास प्राधिकरण का वर्तमान मानचित्र



उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना 2001 वर्ष 2001 के लिए तैयार की गई थी अतः महायोजना का संशोधन क्षितिज वर्ष 2031 के लिए किया जाएगा। उन्नाव के लिए प्रस्तावित अभिरुचि का क्षेत्र 161 वर्ग किमी है जिसे चित्र 1-1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.1: एनआरएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रिड पर सुपर इम्पोज उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण क्षेत्र



स्रोत: एनआरएससी

उन्नाव अभियान के क्षेत्र (एओआई) को कानपुर कलस्टर के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में दिए गए अभियान के क्षेत्र (एओआई) के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सीमाओं के अनुसार चित्रित किया गया है। जो उन्नाव विकास प्राधिकरण, अभियान के क्षेत्र (एओआई) को अंतिम रूप देगा। अभियान के क्षेत्र (एओआई) को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। राजस्व ग्रामों की सूची तालिका 1.2 में अंकित है।

अभियान के क्षेत्र (एओआई) के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत केवल 1 शहरी क्षेत्र आता है:

तालिका 1.1: अभियान के क्षेत्र (एओआई) में समिलित शहरी क्षेत्र

क्र.सं.	नगर/ग्राम	नाम	टीआरयू	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	800940	उन्नाव (नगर पालिका परिषद)	शहरी	33273	177658

स्रोत: नगर पालिका परिषद, उन्नाव, वर्ष-2021

ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 24 ग्राम विकास क्षेत्र में समिलित हैं।

तालिका 1.2: अभियान के क्षेत्र में समिलित ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	नाम
1	सैयद अब्बासपुर
2	सलेमपुर
3	चौरा
4	फतेउल्लानगर
5	लोहार खेड़ा
6	बरवट
7	अकरमपुर
8	सिंगराईसी
9	टीकरगढ़ी
10	मुर्तजानगर
11	झंझरी
12	वाजिदपुर उर्फ राजेपुर

क्र.सं.	नाम
13	गदन खेड़ा
14	गलगलहा
15	मसवासी
16	शेखपुर नरी
17	महदेवना
18	बन्थर
19	पोनी
20	कडेर पतारी
21	मझरा पीपर खेड़ा एहतमाली
22	उन्नाव ग्रामीण
23	शेखपुर
24	कटरी पीपर खेड़ा (सीटी)

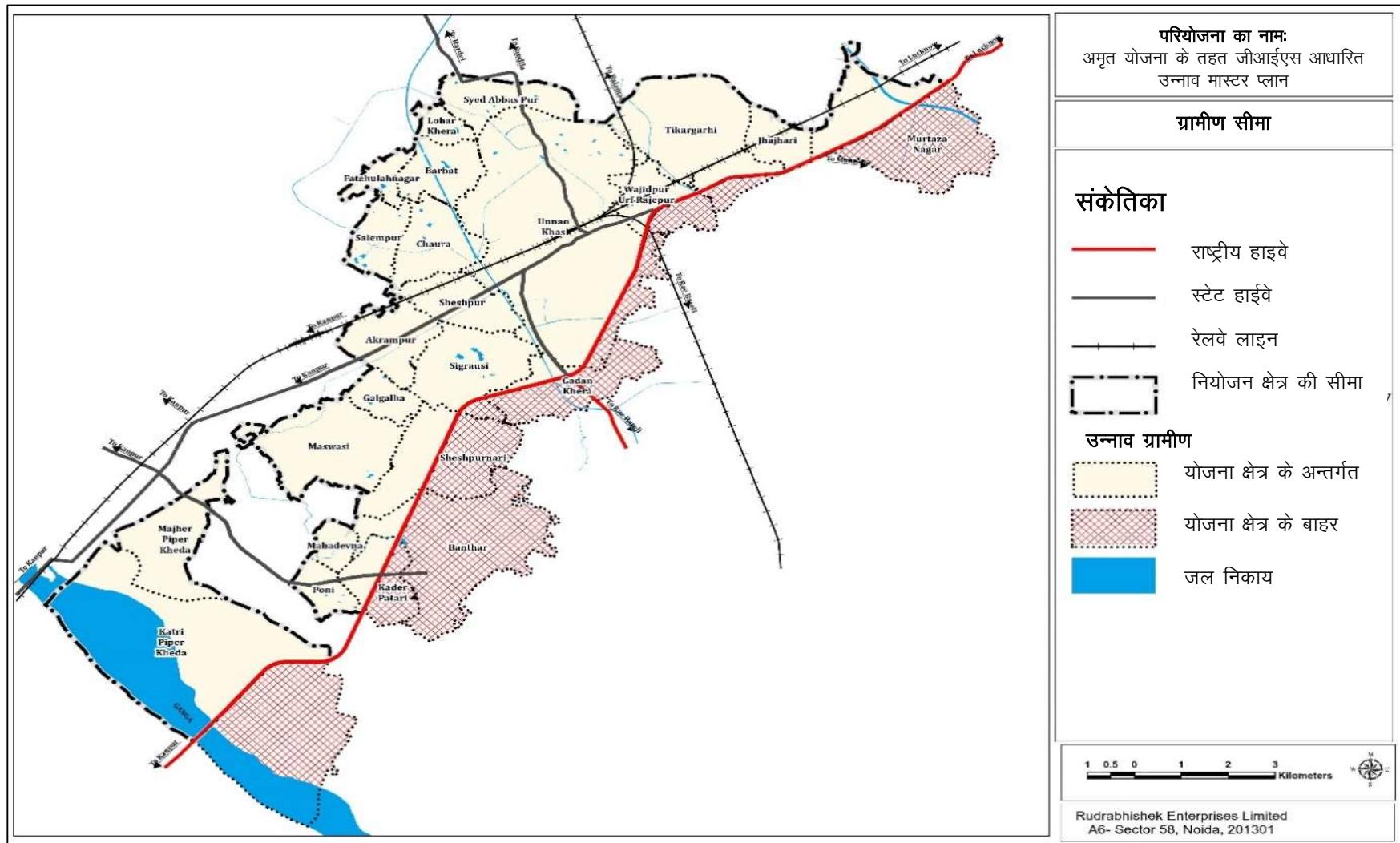
स्रोत: उन्नाव विकास प्राधिकरण, उन्नाव, वर्ष—2021

चित्र 1—2 में अंकित क्षेत्र उन ग्रामों के आंशिक भाग को दर्शाता है, जो पूर्ण रूप से विकास क्षेत्र में नहीं है। जो निम्नवत् है।

- मुर्तजानगर
- गदनखेड़ा
- उन्नाव ग्रामीण
- सिंगरौसी
- शेखपुर नरी
- बन्थर
- कडेर पतारी
- कटरी पीपर खेड़ा (सी.टी.)
- वाजिदपुर उर्फ राजेपुर
- झंझरी

महायोजना 2031 में इन राजस्व ग्रामों का पश्चिमी भाग विकास क्षेत्र में अधिसूचित है तथा पूर्वी भाग यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र में अधिसूचित है।

वित्र 1.2: विकास क्षेत्र की सीमा



स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण (संबंधित प्राधिकारी के साथ परिचर्चा के उपरांत)

1.3 उद्देश्य

इस परियोजना में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 और अन्य संगत अधिनियमों, जहां भी लागू हो, के प्राविधानों के साथ उन्नाव शहर के लिए महायोजना तैयार करना सम्मिलित है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं अन्य संगत अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार महायोजना को तैयार करना। इस योजना में यूआरडीपीएफआई दिशा निर्देशों 2014 का पालन किया गया है।
2. स्थानिक विशेषता का अपडेट करना एवं आधार मानचित्र को पुनरीक्षण करना राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) एनआरएससी से शहर का अनुबंध आधार मानचित्र उपलब्ध कराएगा। सलाहकार डिजाइन मानकों के अनुसार, स्थानिक डेटा एकत्रित एवं अपडेट करेंगे। सभी परिवर्तनों को समाविष्ट करने एवं अंतिम आधार मानचित्र का मसौदा तैयार करने के लिए डेटा पुनः एनआरएससी को भेजा जाएगा।
3. सजरा मानचित्र से वर्तमान जीआईएस भू उपयोग एवं प्रस्तावित भू उपयोग का परस्पर मिलान करना। सजरा मानचित्र विकास प्राधिकरण उपलब्ध करायेगा।
4. शहरी डाटा बेस तैयार करना। क्षेत्र-वार आंकड़े जुटाए जाएंगे। डिजाइन और मानकों में दिए गए प्रारूप का उपयोग किया जाएगा।

1.4 महायोजना में संशोधन की आवश्यकता

उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र के नियोजित विकास के संबंध में, शासन द्वारा शासनादेश संख्या 719/37-3-6 महा/86 दिनांक 03-06-1988 द्वारा महायोजना 2001 को अनुमोदित किया गया था। महायोजना 2001 का संशोधन, वर्ष 2031 के लिए प्रक्रियाधीन है।

निम्नलिखित बिंदु महायोजना के संशोधन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं:

1. वर्तमान महायोजना 2001 के लिए तैयार की गई थी जो कालातीत हो चुकी है, अतः वर्ष 2031 के लिए महायोजना में संशोधन की आवश्यकता है।
2. शहर के कुछ भागों में अव्यवस्थित विकास व पार्किंग गतिविधियों के कारण यातायात अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। अतः महायोजना में परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करने की नितांत आवश्यकता है।
3. पिछले दशक में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि की प्रवृत्ति में कमी देखने में आई है।
4. महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोग अनाधिकृत उपयोग किये गये हैं। जिनका विश्लेषण महायोजना 2031 तैयार करते समय किये जाने की अति आवश्यकता है।
5. महायोजना 2031 तैयार करते समय, भू उपयोग का विश्लेषण करना, समाविष्ट करना एवं अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।
6. इसके अतिरिक्त योजना क्षेत्र के विकास और समग्र दृष्टिकोण के उद्देश्यों के लिए इस महायोजना की परिकल्पना की गई है जिससे उन्नाव विकास क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. जनसंख्या

2.1 जनसांख्यिकीय स्वरूप

किसी भी नगर की महायोजना (भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संतुलित रूप रेखा) तैयार करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। नियोजन अवधि के अन्तर्गत जनसंख्या के आकार एवं विशिष्टताओं का सही अनुमान लगाने के लिए वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन मुख्य आधार होता है। इस अध्ययन के आधार पर ही नगरीय क्षेत्र का भावी आकार एवं विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाओं आदि की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों के दृष्टिगत उन्नाव नगर की जनसंख्या से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा योजना काल में नगर के भावी आकार एवं आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है।

तालिका 2.1: उन्नाव विकास क्षेत्र में जनसंख्या और परिवार:

क्र.सं.	क्षेत्र विवरण	परिवार	जनसंख्या
		2011	
1	उन्नाव नगर पालिका परिषद	33273	177658
2	ग्रामीण क्षेत्र	16798	84108
	कुल योग	50071	261766

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011

2.1.1 जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति

उन्नाव विकास क्षेत्र में एक नगर पालिका परिषद एवं 24 राजस्व ग्राम जिनमें से 10 राजस्व ग्रामों का आंशिक भाग सम्मिलित है। भावी जनसंख्या वृद्धि एवं नगर विकास की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र एवं भावी नगरीकरण विस्तार हेतु कुल 24 राजस्व ग्रामों को नियोजन की दृष्टि से उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना 2031 में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2011 में उन्नाव नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या 177658 एवं नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त शहरीकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उन्नाव विकास क्षेत्र की 2011 में कुल जनसंख्या 261766 है।

तालिका 2.2: उन्नाव विकास क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि (1991–2011)

क्र.सं.	क्षेत्र विवरण	जनसंख्या	वृद्धि दर %	जनसंख्या	वृद्धि दर %	जनसंख्या
		2011	2001–2011	2001	1991–2001	1991
1	उन्नाव नगर पालिका परिषद	177658	22.81 प्रतिशत	144662	34.66 प्रतिशत	107425
3	ग्रामीण क्षेत्र	84108	29.24 प्रतिशत	65080	45.42 प्रतिशत	44752
	कुल क्षेत्र	261766	24.80 प्रतिशत	209742	37.83 प्रतिशत	152177

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011, 2001 एवं 1991

उन्नाव में, वर्ष 2001–2011 के लिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 24.8 प्रतिशत एवं उन्नाव नगर पालिका की वृद्धि दर 22.81 प्रतिशत है। उन्नाव नगर पालिका परिषद वर्ष 2001 में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर पिछले 3 दशकों में 37.83 प्रतिशत हुई है।

वर्ष 1991 में उन्नाव विकास क्षेत्र की जनसंख्या 1.52 लाख थी जो क्रमशः 37.83 प्रतिशत 24.80 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के साथ वर्ष 2001 में बढ़कर 2.09 लाख और वर्ष 2011 में 2.61 लाख तक पहुंच गई है।

2.1.2 वर्तमान जनसंख्या का विवरण

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या 177658 व्यक्त (68 प्रतिशत), ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 84,108 व्यक्त (32 प्रतिशत) है। इस प्रकार विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,61,766 है।

2.1.3 आयु-लिंग संघटक

लिंगानुपात

तालिका 2.3: उन्नाव विकास क्षेत्र में लिंग संघटक और लिंगानुपात, 2011

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	पुरुष आबादी	महिला आबादी	समग्र लिंग अनुपात	पुरुष (०-६वर्ष)	महिला (०-६वर्ष)	लिंग अनुपात (०-६वर्ष)
उन्नाव							
1	शहरी क्षेत्र	93021	84637	910	10654	9326	875
2	ग्रामीण क्षेत्र	44340	39768	897	6004	5573	928
योग		137361	124405	906	16658	14899	894

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011

उन्नाव विकास क्षेत्र

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उन्नाव शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 910 है। लिंग की तुलना के संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात शहरी सीमा की तुलना में कम है। विकास क्षेत्र में कुल लिंगानुपात 906 है।

2.1.4 साक्षरता दर

तालिका 2.4: उन्नाव विकास क्षेत्र में साक्षरता दर, 2011

क्र.सं.	विवरण	जनगणना 2011			
		कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला साक्षर	कुल साक्षरता दर (प्रतिशत में)
उन्नाव विकास क्षेत्र					
1	शहरी	128833	70282	58551	73 प्रतिशत
2	ग्रामीण	47427	27727	19700	56 प्रतिशत
3	योग	176260	98009	78251	67 प्रतिशत

स्रोत: (भारत की जनगणना)–2011 और 2001

2.1.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

तालिका 2.5: उन्नाव विकास क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र.सं.	विवरण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
उन्नाव विकास क्षेत्र							
1	शहरी	24263	12432	11831	172	94	78
2	ग्रामीण	16243	8588	7655	364	196	168
3	योग	40506	21020	19486	536	290	246

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011

उन्नाव विकास क्षेत्र में कुल जनसंख्या की लगभग 15.67 प्रतिशत जनसंख्या आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र में लगभग 15.47 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, जबकि 0.2 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है।

2.2 जनसंख्या प्रक्षेपण

- उन्नाव नगरीय क्षेत्र
- विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्रामीण क्षेत्र

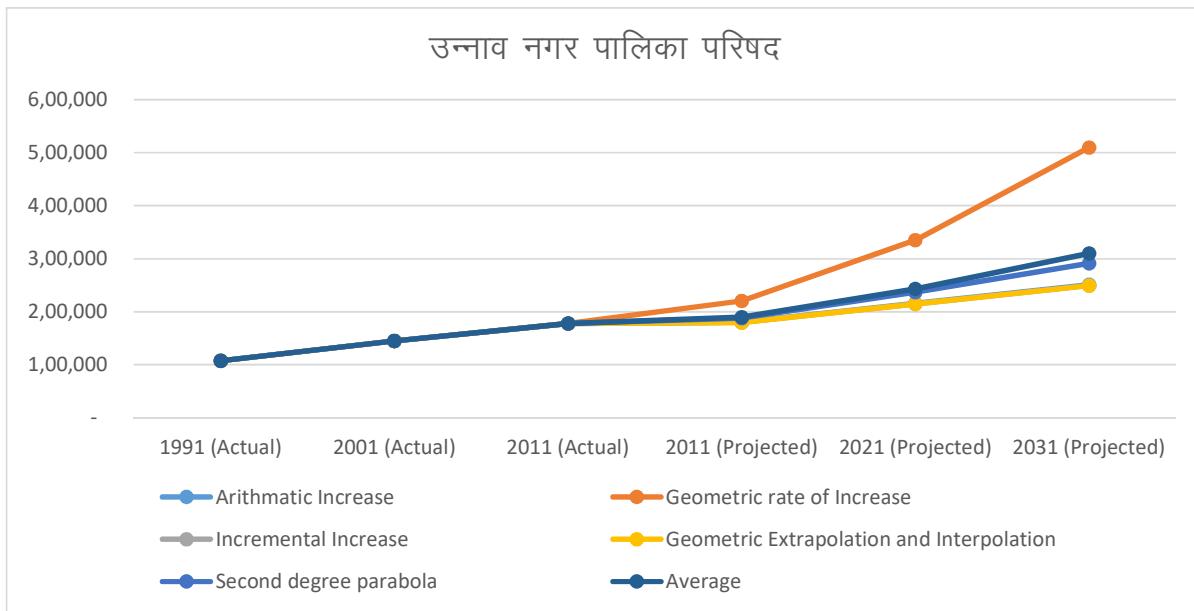
उपरोक्त के आधार पर, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग जनसंख्या प्रक्षेपण किया गया है। जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: नगरीय क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031

क्र सं	प्रक्षेपण की विधि	1981 (वास्तविक)	1991 (वास्तविक)	2001 (वास्तविक)	2011 (वास्तविक)	2011 (प्रक्षेपित)	2021 (प्रक्षेपित)	2031 (प्रक्षेपित)
1	अंकगणितीय वृद्धि (वर्ष 2001 को आधार मानते हुए)	75983	107425	144662	177658	180151	215640	251129
2	वृद्धि की ज्यामितीय दर (वर्ष 2001 को आधार मानते हुए)					220118	334931	509630
3	वृद्धिशील वृद्धि (वर्ष 2001 को आधार मानते हुए)					179876	214814	249476
4	ज्यामितीय बहिर्वेशन एवं अंतर्वेशन विधि (वर्ष 2001 को आधार मानते हुए)					179277	214361	249446
5	दूसरे धात का परवलय (सैकेप्ड डिग्री पैराबोला)					187694	236521	291143
औसत						189423	243253	310165

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1981, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

चित्र 2.1: नगरीय क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031



स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

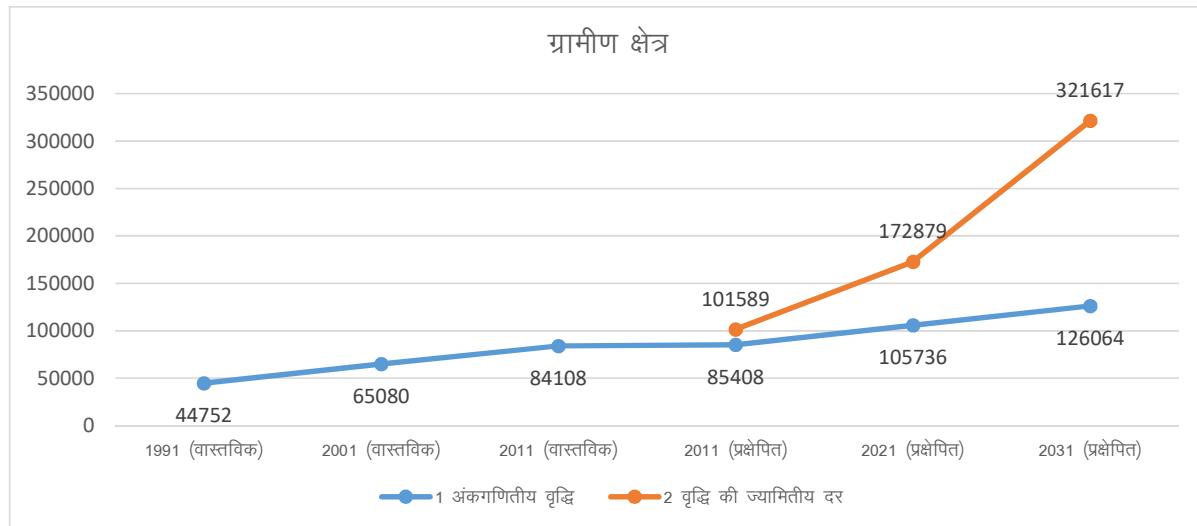
उन्नाव नगरीय क्षेत्र के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण की चयनित विधि ज्यामितीय बहिर्वेशन एवं अंतर्वेशन विधि है।

तालिका 2.7: ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031

क्र. सं.	प्रक्षेपण की विधि	1991 (वास्तविक)	2001 (वास्तविक)	2011 (वास्तविक)	2011 (प्रक्षेपित)	2021 (प्रक्षेपित)	2031 (प्रक्षेपित)
1	अंकगणितीय वृद्धि	44752	65080	84108	85408	105736	126064
2	वृद्धि की ज्यामितीय दर				101589	172879	321617

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

चित्र 2.2: ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 2031



स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

उन्नाव में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण की चयनित विधि अंकगणितीय वृद्धि विधि है।

2.3 चयनित विधि के पीछे तर्कसंगता

उन्नाव नगर पालिका परिषद की जनसंख्या का प्रक्षेपण उपरोक्त वर्णित सभी 5 विधियों का उपयोग करते हुए वर्ष 2001 को आधार वर्ष मानते हुए किया गया है। नगरीय जनसंख्या एवं ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में तुलनात्मक क्षेत्रों का प्रतिशत अधिकांशतः समान है। तथा, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या विगत 2 दशकों में समान रूप से बढ़ रही है। वर्ष 2001 को आधार वर्ष मानकर जनसंख्या प्रक्षेपित करने पर, वर्ष 2011 के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष 2011 की वास्तविक जनसंख्या (जनगणना के अनुसार) के समान है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंकगणितीय वृद्धि अपनाई गयी है। अन्य नगरीय क्षेत्र के लिए भी इस विधि और इसके पीछे की तर्कसंगता वही है। वर्ष 2011 की जनगणना से पहले कटढ़ी पीपर खेड़ा ग्रामीण क्षेत्र था।

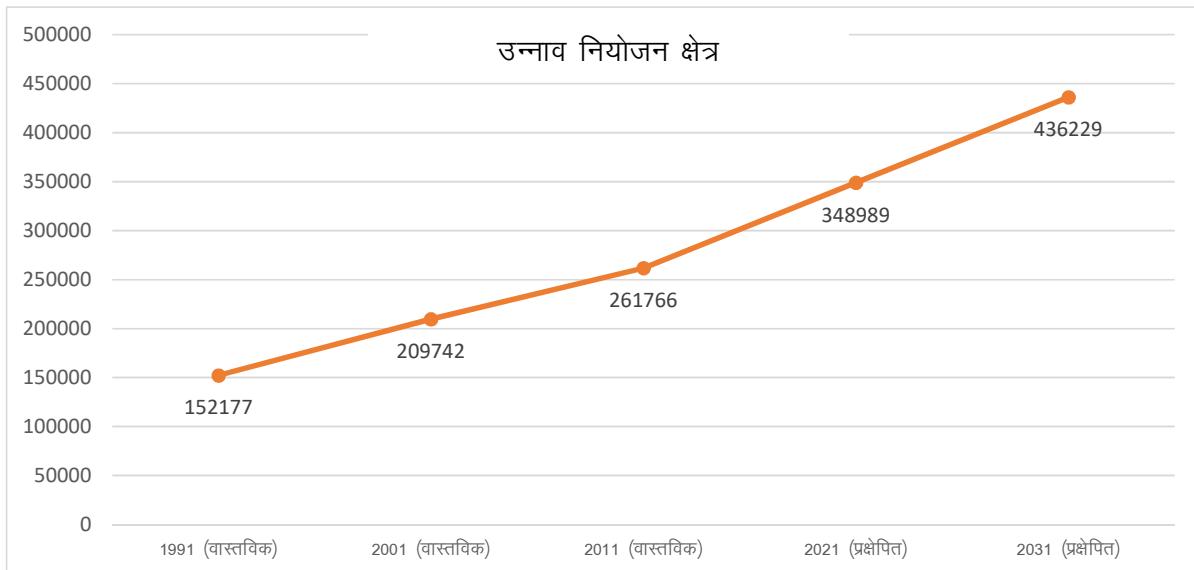
2.4 उन्नाव विकास क्षेत्र जनसंख्या प्रक्षेपण वर्ष 1991—2031

तालिका 2.8: प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्तमान जनसंख्या			प्रक्षेपित जनसंख्या		अंगीकृत विधि
		1991 (वास्तविक)	2001 (वास्तविक)	2011 (वास्तविक)	2021 (प्रक्षेपित)	2031 (प्रक्षेपित)	
1	उन्नाव नगर पालिका परिषद	107425	144662	177658	243253	310165	5 विधियों का औसत
2	ग्रामीण क्षेत्र	44752	65080	84108	105736	126064	अंकगणितीय वृद्धि
3	कुल विकास क्षेत्र	152177	209742	261766	348989	436229	अंकगणितीय वृद्धि
					परिकल्पना	440000	

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1981, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

चित्र 2.3: प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031



नगरीकरण का विस्तार:

वर्ष 2031 तक, मात्र 23.17 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का नगरीकरण होगा अतः ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या का 23.17 प्रतिशत (अर्थात् 23719) को नगरीय जनसंख्या के रूप में लिया गया है, अर्थात् 102345 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही रहेगी।

तालिका 2.9: उन्नाव विकास क्षेत्र प्रक्षेपित जनसंख्या वर्ष—2031

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष 2031 के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या
1	उन्नाव नगरीय क्षेत्र	3,10,165
2	ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र तक नगरीकरण योग्य घटक	23,719
3	उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र	10,2345
4	कुल क्षेत्र	4,36,229

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 1981, वर्ष 1991, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011

2.5 अस्थायी जनसंख्या

उन्नाव विकास क्षेत्र के संबंध में, अस्थायी जनसंख्या के प्रभाव की मात्रा को समझने के लिए नगरीय स्वच्छता योजना का उपयोग किया जा रहा है। नगरीय स्वच्छता योजना (सीएसपी) के अनुसार, वर्तमान जनसंख्या में 5 प्रतिशत अस्थायी जनसंख्या होने का अनुमान लगाया गया है। अतः वर्ष 2031 के लिए, 5 प्रतिशत के अनुमानित आंकड़े पर विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भू उपयोग को अंतिम रूप देने एवं उसे सत्यापित करने के उपरांत, अस्थायी जनसंख्या का पता लगाया जाएगा तथा विभिन्न विधियों से आगे उसकी पुष्टि की जाएगी। अतः अभी के लिए, 21,811 की अस्थायी जनसंख्या पर विचार किया जा रहा है, जिससे नगर की कुल प्रक्षेपित जनसंख्या 4,36,229 व्यक्तियों अथवा परिकल्पना 4,60,000 व्यक्तियों के बराबर होगी।

3. आर्थिक आधार

किसी भी नगर का भौतिक विकास उस नगर में होने वाली आर्थिक कियाओं पर निर्भर करता है तथा नगर का आर्थिक आधार उसकी विविध कियाओं की उत्पादन क्षमता एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र के स्वरूप आदि पर निर्भर करता है। नगर की आर्थिक कियाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, कमी या संरचना में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नगर के विकास को प्रभावित करता है। अतः किसी भी नगरीय क्षेत्र की महायोजना बनाने से पहले नगर की अर्थव्यवस्था के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। नगर जनपद मुख्यालय होने के कारण प्रशासनिक कियाओं तथा व्यावसायिक केन्द्र का भी कार्य करता है। नगरीय एवं क्षेत्रीय जनता की व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रमुख केन्द्र होने के कारण नगर का आर्थिक आधार व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं पर निर्भर करता है।

3.1 कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूएफपीआर)

उन्नाव विकास क्षेत्र

उन्नाव विकास क्षेत्र की जनगणना 2011 के अनुसार, कार्यबल सहभागिता दर 30.41 प्रतिशत है। तथा विकास क्षेत्र के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कार्यबल सहभागिता दर क्रमशः 33.09 प्रतिशत और 29.65 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, विकास क्षेत्र की कार्यरत जनसंख्या 79,596 है, जिसमें से अधिकांश 60,778 (76.3 प्रतिशत) मुख्य श्रमिक हैं।

तालिका 3.1: उन्नाव विकास क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यबल सहभागिता दर

क्र. सं.	विवरण	कुल जनसंख्या (शहरी + ग्रामीण)	शहरी जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या
1	कुल जनसंख्या	261,766	204,133	57,633
2	कुल श्रमिकों की संख्या	79,596	60,527	19,069
3	मुख्य श्रमिकों की संख्या	60,778	46,975	13,803
4	सीमांत श्रमिकों की संख्या	18,818	13,552	5,266
5	अश्रमिकों की संख्या	182,170	143,606	38,564
6	कार्यबल सहभागिता दर (प्रतिशत में)	30.41 प्रतिशत	29.65 प्रतिशत	33.09 प्रतिशत

स्रोत: जनगणना हस्तापुस्तिका, वर्ष 2011

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल 79,956 श्रमिकों के साथ कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों का प्रतिशत 30.41 प्रतिशत आता है। कुल श्रमिकों में से, 76.35 प्रतिशत मुख्य श्रमिक हैं जबकि 23.95 प्रतिशत सीमांत श्रमिक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का 69.59 प्रतिशत अश्रमिक हैं।

तालिका 3.2: विकास क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	श्रमिकों का प्रकार		व्यक्तियों की संख्या			प्रतिशत		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	मुख्य	शहरी	46,975	41,843	5,132	77 प्रतिशत	89 प्रतिशत	11 प्रतिशत
		ग्रामीण	13,803	11,719	2,084	23 प्रतिशत	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत
		योग	60,778	53,562	7,216	23 प्रतिशत	88 प्रतिशत	12 प्रतिशत
2	सीमांत	शहरी	13,552	10,502	3,050	72 प्रतिशत	77 प्रतिशत	23 प्रतिशत
		ग्रामीण	5,266	3,637	1,629	28 प्रतिशत	69 प्रतिशत	31 प्रतिशत
		योग	18,818	14,139	4,679	7 प्रतिशत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	कुल श्रमिक	योग	79,596	67,701	11,895	30 प्रतिशत	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3	अश्रमिक	शहरी	143,606	54,868	88,738	79 प्रतिशत	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत
		ग्रामीण	38,564	14,792	23,772	21 प्रतिशत	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत
		योग	182,170	69,660	112,510	70 प्रतिशत	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत
	योग		261,766	137,361	124,405	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

स्रोत: जनगणना हस्तापुस्तिका, वर्ष 2011

उन्नाव विकास क्षेत्र में, कुल कार्यबल का 85 प्रतिशत पुरुष श्रमिक हैं, जबकि 15 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। मुख्य कार्यबल में 88 प्रतिशत पुरुष श्रमिक सम्मिलित हैं और 75 प्रतिशत सीमांत कार्यबल में भी पुरुष श्रमिक ही सम्मिलित हैं, इस प्रकार, मुख्य कार्यबल एवं सीमांत कार्यबल में पुरुष श्रमिकों की प्रधानता है जबकि, अश्रमिकों में 62 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हैं।

3.1.1 व्यावसायिक संरचना

तालिका 3.3: शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	व्यावसायिक संरचना	व्यक्तियों की संख्या			प्रतिशत		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	मुख्य + सीमांत	(कुल कार्यबल)	60527	52345	8182	100 प्रतिशत	86 प्रतिशत	14 प्रतिशत
2	कृषक	कुल	1717	1532	185	3 प्रतिशत	89 प्रतिशत	11 प्रतिशत
		मुख्य	1389	1270	119	81 प्रतिशत	91 प्रतिशत	9 प्रतिशत
		सीमांत	328	262	66	19 प्रतिशत	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत
3	खेतिहर मजदूर	कुल	2610	2225	385	4 प्रतिशत	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत
		मुख्य	1622	1458	164	62 प्रतिशत	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		सीमांत	988	767	221	38 प्रतिशत	78 प्रतिशत	22 प्रतिशत
4	घरेलू औद्योगिक मजदूर	कुल	2699	2257	442	4 प्रतिशत	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
		मुख्य	2022	1795	227	75 प्रतिशत	89 प्रतिशत	11 प्रतिशत
		सीमांत	677	462	215	25 प्रतिशत	68 प्रतिशत	32 प्रतिशत
5	अन्य	कुल	53501	46331	7170	89 प्रतिशत	87 प्रतिशत	13 प्रतिशत
		मुख्य	41942	37320	4622	78 प्रतिशत	89 प्रतिशत	11 प्रतिशत
		सीमांत	11559	9011	2548	22 प्रतिशत	78 प्रतिशत	22 प्रतिशत

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011

तालिका 3.4: ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	व्यावसायिक संरचना	व्यक्तियों की संख्या			प्रतिशत		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	मुख्य + सीमांत	(कुल कार्यबल)	19069	15356	3713	100 प्रतिशत	81 प्रतिशत	19 प्रतिशत
2	कृषक	कुल	3982	3159	823	21 प्रतिशत	79 प्रतिशत	21 प्रतिशत
		मुख्य	3453	2887	566	87 प्रतिशत	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
		सीमांत	529	272	257	13 प्रतिशत	51 प्रतिशत	49 प्रतिशत
3	खेतिहर मजदूर	कुल	4981	3733	1248	26 प्रतिशत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
		मुख्य	2706	2187	519	54 प्रतिशत	81 प्रतिशत	19 प्रतिशत
		सीमांत	2275	1546	729	46 प्रतिशत	68 प्रतिशत	32 प्रतिशत
4	घरेलू औद्योगिक मजदूर	कुल	572	462	110	3 प्रतिशत	81 प्रतिशत	19 प्रतिशत
		मुख्य	366	307	59	64 प्रतिशत	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
		सीमांत	206	155	51	36 प्रतिशत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
5	अन्य	कुल	9534	8002	1532	50 प्रतिशत	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
		मुख्य	7278	6338	940	76 प्रतिशत	87 प्रतिशत	13 प्रतिशत
		सीमांत	2256	1664	592	24 प्रतिशत	74 प्रतिशत	26 प्रतिशत

स्रोत: जनगणना हस्तपुस्तिका, वर्ष 2011

कुल ग्रामीण श्रमिकों में से कुल कार्यबल का 81 प्रतिशत पुरुष श्रमिक हैं जबकि 19 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। इसके अतिरिक्त, कुल कार्यबल का लगभग 50 प्रतिशत “अन्य” क्षेत्रों से जुड़े हैं, जबकि कुल श्रमिकों का मात्र 3 प्रतिशत घरेलू औद्योगिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 21 प्रतिशत श्रमिक किसान हैं, जबकि 26 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं।

तालिका 3.5: विकास क्षेत्र में श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	श्रमिकों का विवरण	श्रमिकों की संख्या			प्रतिशत		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	मुख्य + सीमांत	(कुल कार्यबल)	79596	67701	11895	100 प्रतिशत	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	कृषक	कुल	5699	4691	1008	7 प्रतिशत	82 प्रतिशत	18 प्रतिशत
		मुख्य	4842	4157	685	85 प्रतिशत	86 प्रतिशत	14 प्रतिशत
		सीमांत	857	534	323	15 प्रतिशत	62 प्रतिशत	38 प्रतिशत
3	खेतिहर मजदूर	कुल	7591	5958	1633	10 प्रतिशत	78 प्रतिशत	22 प्रतिशत
		मुख्य	4328	3645	683	57 प्रतिशत	84 प्रतिशत	16 प्रतिशत
		सीमांत	3263	2313	950	43 प्रतिशत	71 प्रतिशत	29 प्रतिशत
4	घरेलू औद्योगिक मजदूर	कुल	3271	2719	552	4 प्रतिशत	83 प्रतिशत	17 प्रतिशत
		मुख्य	2388	2102	286	73 प्रतिशत	88 प्रतिशत	12 प्रतिशत
		सीमांत	883	617	266	27 प्रतिशत	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
5	अन्य	कुल	63035	54333	8702	79 प्रतिशत	86 प्रतिशत	14 प्रतिशत
		मुख्य	49220	43658	5562	78 प्रतिशत	89 प्रतिशत	11 प्रतिशत
		सीमांत	13815	10675	3140	22 प्रतिशत	77 प्रतिशत	23 प्रतिशत

स्रोत: जनगणना हस्तांतरिका, वर्ष 2011

उन्नाव विकास क्षेत्र में 79,596 श्रमशक्ति है, जो कुल जनसंख्या का 30.41 प्रतिशत है। कुल कार्यबल का लगभग 79 प्रतिशत "अन्य" व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि 4 प्रतिशत श्रमिकों का एक छोटा सा भाग घरेलू औद्योगिक मजदूरी से जुड़ा है। खेतिहर मजदूर में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, जो कुल कार्यबल का 22 प्रतिशत है और उसके बाद खेती है जहां उनका प्रतिशत संबंधित क्षेत्र का 18 प्रतिशत है।

3.2 उन्नाव की अर्थव्यवस्था

वर्तमान में, उन्नाव में कुल 90.72 हेक्टेयर भूमि व्यावसायिक उपयोग के अंतर्गत है जबकि 288.42 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत है। उन्नाव में दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हैं पुराना बाजार और केसरगंज। शहर की प्रमुख अर्थव्यवस्था खुदरा क्षेत्र से संबंधित है जिसमें अधिकांश खाद्य और खाद्य उत्पादों की दुकानें सम्मिलित हैं। उन्नाव की अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है क्योंकि शहर में कई विनिर्माण उद्योग एवं उनमें निर्मित होने वाले उत्पादों के वितरक हैं।

3.3 समस्याएं एवं उद्देश्य

- नगर में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कोई व्यवस्थित स्थान उपलब्ध नहीं है।
- नए उद्यमियों की कारोबार में निवेश करने एवं प्रचालन करने में कम रुचि।
- लोगों का उच्च शिक्षा एवं बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए बड़े शहरों में पलायन।

3.4 कार्यबल सहभागिता का प्रक्षेपण

विकास क्षेत्र में, वर्तमान में कार्यबल सहभागिता दर लगभग 30 प्रतिशत है। यह अनुमान है कि वर्ष 2031 तक कार्यबल सहभागिता दर में 35 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाएगी। अतः, 3,76,000 की अनुमानित जनसंख्या के साथ और लगभग 35 प्रतिशत की अनुमानित कार्यबल सहभागिता दर के आधार पर, वर्ष 2031 तक लगभग 1,31,600 व्यक्तियों का कुल कार्यबल होने का अनुमान है। कार्यबल का क्षेत्रवार प्रक्षेपण में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: क्षेत्र-वार कार्यबल प्रक्षेपण

वर्ष	कार्यरत आबादी	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
2021	112350	16853 (15 प्रतिशत)	5617 (5 प्रतिशत)	89880 (80 प्रतिशत)
2031	131600	19740 (15 प्रतिशत)	6580 (5 प्रतिशत)	105280 (80 प्रतिशत)

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण, 2020

3.5 आर्थिक विकास के लिए कार्यनीतियां एवं प्रस्ताव

पिछली प्रवृत्ति के अनुसार, विकास क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना में तृतीयक क्षेत्र का प्रभुत्व स्पष्ट दिखाई देता है एवं आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के कारण यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विकास को भारी प्रोत्साहन दे रही है।

क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियां प्रस्तावित हैं:

- खनिज आधारित मुख्य के साथ सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए स्थानीय लोगों के कौशल के उन्नयन के लिए कौशल प्रदान करने वाले संस्थान स्थापित करना।
- पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन देना।
- विकास क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने के लिए सतत कृषि आधारित व्यापार प्रथाएं स्थापना करना।
- शीत भंडार (कोल्ड स्टोरेज) एवं भंडारण जैसे व्यापार के लिए पूरक सेवाएं स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त, उन्नाव की औद्योगिक क्षमता में सुधार के लिए, राज्य औद्योगिक नीति के अनुसार, छोटे और मध्यम उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्नाव में उद्योग के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैं:

- नगर की अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- प्रमुख क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश और राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना। इसके अतिरिक्त, इसी के अनुसार अवस्थिति एवं ढांचागत लाभ का उपयोग करना।
- सेज नीति के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सीमांकन किया जाए।
- पीपीपी आधार पर आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाए।
- वर्तमान औद्योगिक सम्पदाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के उन्नयन एवं अनुरक्षण हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए।
- औद्योगिक क्षेत्र के लिए माल और सेवाओं की निरंतर और निर्बाध आवागमन प्रदान करने के लिए रोड कॉरिडोर का निर्माण किया जाए।
- उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान पर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का सीमांकन किया जाए।

4. उद्योग

वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर उन्नाव नगर में 1547 व्यक्ति तथा विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 3483 व्यक्ति उद्योगों में लगे हुए थे जिनका कुल श्रम शक्ति कमशः 16.42 तथा 10.50 है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 पर उन्नाव गंगाघाट नगर केन्द्रों का पट्टीनुमा विकास हुआ है। उन्नाव नगर क्षेत्र के उत्तर-पूर्व नगर सीमा के बाहर समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र तथा उन्नाव एवं गंगाघाट के मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय मार्ग को आधार लेकर बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है जबकि विकास क्षेत्र के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य है। उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र में 5030 (11.8%) व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत हैं।

उन्नाव नगर में वर्ष 1961–80 के मध्य औद्योगिक विकास की दर 300 प्रतिशत अंकित की गयी। वर्ष 1961 के पूर्व उन्नाव नगर में कुल 6 इकाइयां थीं जो वर्ष 1980 में बढ़कर 24 हो गयी। कुल कार्यरत व्यक्तियों की दृष्टि से चर्म, खाद्य एवं पेय तथा रासायनिक उत्पादन उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसमें कमशः 343,170 एवं 94 व्यक्ति कार्यरत हैं। जमजम चर्म उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 253 है जो नगर की किसी भी इकाई से सर्वाधिक है।

4.1 अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र

अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र एक स्वरित विकसित औद्योगिक क्षेत्र है इसके अन्तर्गत 16.06 एकड़ क्षेत्र में उद्योग विभाग के अधीन एक औद्योगिक आस्थान विकसित हुआ है, किन्तु इसके अतिरिक्त इस आस्थान के निकट एक वृहद क्षेत्र में निजी उद्योग विकसित हुए हैं। औद्योगिक आस्थान में कुल विकसित एवं आवंटित 54 भूखण्ड तथा 11 शेड हैं। इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं यथा जौहर पेन्ट, मेटाएलाय, नाथ चश्मा उद्योग, इसके मोलिया उद्योग, आदि प्रमुख हैं। शेष भूखण्ड तथा शेड निर्माणाधीन हैं। औद्योगिक आस्थान के अतिरिक्त अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें से कैम्पा कोला फैक्टरी, मिर्जा टेनरी, डुअर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं कुमार उलेन फैक्टरी प्रमुख हैं।

4.2 टीकर गढ़ी झांझरी औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष 1970–75 के मध्य 317 एकड़ का एक औद्योगिक क्षेत्र ग्राम टीकरगढ़ी, झांझरी, चांदपुर और गजौली के मध्य विकसित हुआ है जिसमें लगभग 424 भूखण्ड उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किये गये हैं।

शुक्लागंज क्षेत्र में कोई विशेष औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। केवल कुछ छोटे-छोटे गृह उद्योग, स्वयं उद्योग निजी क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं। उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादनों में मुख्यतया खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पादन, तम्बाकू रासायनिक उत्पादन, चर्म उत्पादन तथा छपाई एवं मुद्रण उद्योग सर्वाधिक हैं। यहां की अधिकांश औद्योगिक इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं।

तालिका 4.1: औद्योगिक इकाइयों विकास दर – उन्नाव एवं संबंधित क्षेत्र–1980

क्षेत्र	औद्योगिक इकाइयों की संख्या					क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)				प्रतिशत	
	1961 से पूर्व	1961–1965	1966–1970	1971–1975	1975–1980	सार्वजनिक	निजी	निजी लिलो	साझेदारी में		
उन्नाव	6	8	14	17	24	1	14	2	7	24	42.86%
अकरमपुर	–	1	2	3	7	–	–	4	3	7	12.50%
टीकर गढ़ी झांझरी क्षेत्र	–	–	–	5	23	–	5	8	10	23	41.07%
अन्य	–	1	1	1	2	–	–	–	2	2	3.57%
योग	6	10	17	26	56	1	19	14	22	56	100.00%

तालिका 4.2: औद्योगिक इकाइयों में श्रम शक्ति – 1980

क्षेत्र	वर्तमान श्रम शक्ति			वृद्धि (प्रतिशत में)
	प्रारम्भिक सं 1975	1980	वृद्धि	
उन्नाव नगर	392	909	131.89%	
अकरमपुर	14	222	1485.71%	
टीकर गढ़ी झांझरी क्षेत्र	113	367	224.78%	
अन्य	13	33	153.85%	
योग	532	1531	187.78%	

उपरोक्त तालिका संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि उन्नाव नगर, अकरमपुर एवं टीकरगढ़ी औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 1975 तक 26 औद्योगिक इकाइयां थीं जो 1980 में 56 हो गई हैं। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों की संख्या में दो गुने अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या 4.2 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1975 में संपूर्ण विकास क्षेत्र में 532 औद्योगिक श्रम शक्ति भी 1980 में 1531 हो गयी। इस प्रकार इस अवधि में श्रम शक्ति में 187.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु इसके विपरीत अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में संपूर्ण विकास क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक श्रम शक्ति में वृद्धि सर्वाधिक रही। इस अवधि में अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 1485.71 प्रतिशत थी।

5. आवास

5.1 आवास

आवास मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास की समस्या केवल नगरीय क्षेत्र में ही सीमित नहीं है परन्तु दिन-प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंभीर होती जा रही है। संख्यात्मक दृष्टि से आवासीय भवनों की कमी के साथ-साथ भवनों की गुणात्मक स्थिति भी इस समस्या का एक प्रमुख अंग है।

उन्नाव नगर भी अन्य नगरों की भाँति आवासीय समस्याओं से ग्रसित है। आवासीय भवनों का निर्माण कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग को पूरा करने में असमर्थ है। इसके साथ ही नगर में नियोजन के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों के कारण क्षेत्रों में सामाजिक सुविधा का अभाव है। मार्गों की चौड़ाई सामान्यतः कम होने के कारण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा नगरीकरण क्षेत्र के बाहर भी कृषि भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोगों में अनाधिकृत आवासीय निर्माण हो रहा है।

5.2 आवास का स्वामित्व

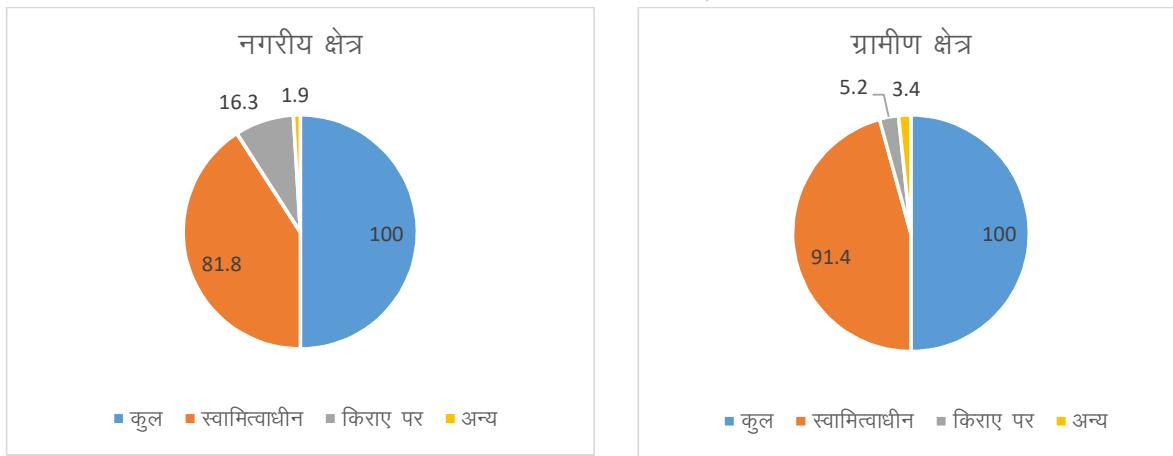
स्वामित्व के आधार पर आवास को तीन श्रेणियों अर्थात् स्वामित्व वाले आवास, किराए के आवास और स्वामित्व के किसी अन्य तरीके पर आवास में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्नाव के नगरीय क्षेत्र में, 81.8 प्रतिशत परिवारों के पास निजी आवास हैं, 16.3 प्रतिशत परिवार किराए के आवास में रह रहे हैं और 1.9 प्रतिशत परिवार अन्य स्वामित्व के आधार पर निवास कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में, 91.4 प्रतिशत परिवारों के पास निजी आवास हैं, 5.2 प्रतिशत परिवार किराए के आवास में रह रहे हैं और 3.4 प्रतिशत परिवार अन्य स्वामित्व के आधार पर निवास कर रहे हैं।

तालिका 5.1: उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011 में स्वामित्व की स्थिति

स्वामित्व की स्थिति	प्रतिशत	
	नगरीय	ग्रामीण
कुल	100	100
स्वामित्वाधीन	81.8	91.4
किराए पर	16.3	5.2
अन्य	1.9	3.4

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण एवं जनगणना, 2011

चित्र 5.1: स्वामित्व की स्थिति के आधार पर उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों का प्रतिशत



स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण और जनगणना वर्ष 2011

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण और जनगणना वर्ष 2011

5.3 आवास की स्थिति

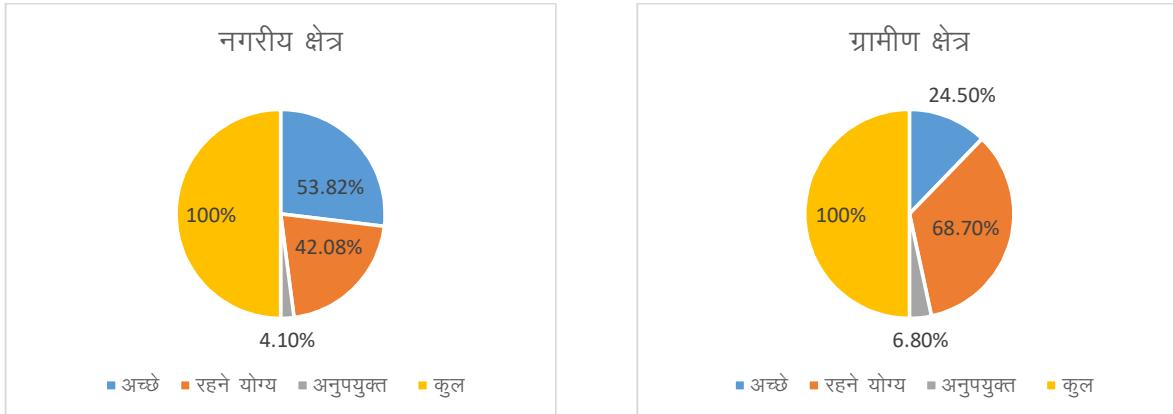
आवास को उसकी स्थिति के आधार पर अच्छा, रहने योग्य एवं अनुपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्नाव नगरीय क्षेत्र में, 53.85 प्रतिशत आवास अच्छी स्थिति में हैं, 42.1 प्रतिशत आवास रहने योग्य स्थिति में हैं और 4.10 प्रतिशत आवास अनुपयुक्त स्थिति में हैं। उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र में, 24.5 प्रतिशत आवास अच्छी स्थिति में हैं, 68.7 प्रतिशत आवास रहने योग्य स्थिति में हैं और 6.8 प्रतिशत आवास अनुपयुक्त स्थिति में हैं। नगर एवं ग्रामीणों के आवास की कमी में जर्जर अवस्था वाले आवासों की भी गणना की जाएगी।

तालिका 5.2: उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2011 में आवास की स्थिति के आधार पर परिवार

	अच्छे	रहने योग्य	अनुपयुक्त	कुल
नगरीय क्षेत्र	53.82%	42.08%	4.1%	100%
ग्रामीण क्षेत्र	24.5%	68.7%	6.8%	100%

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण और जनगणना 2011

चित्र 5.2: आवास की स्थिति के आधार पर उन्नाव नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों का प्रतिशत



स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण और जनगणना—2011

5.4 आवास और आपूर्ति

उन्नाव नगर पालिका परिषद क्षेत्र में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 40,633 आवास हैं जिनमें से लगभग 9.65 प्रतिशत रिक्त मकान की श्रेणी के अंतर्गत हैं जिन्हें आवासीय उद्देश्यों के लिए एक सुदृढ़ किराये आवास नीति तैयार करके उपयोग में लाया जा सकता है। आवासीय उपयोग के अंतर्गत कुल 75.9 प्रतिशत (केवल निवास और निवास सह अन्य उपयोग सहित) आवास है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर में आवासों की कुल संख्या 33,273 है। यह 1.10 के परिवार के आवास अनुपात को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्नाव नगर पालिका परिषद में औसत परिवार आकार 5.3 है।

तालिका 5.3: उन्नाव नगर पालिका परिषद

क्र. सं.	विवरण	2011
1	आवासों की कुल संख्या (सभी श्रेणियां जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, संरक्षण आदि सहित)	40,633
2	रिक्त आवासों की कुल संख्या (सभी श्रेणी सहित)	3,922
3	अधिकृत आवासों की कुल संख्या (सभी श्रेणी सहित)	36,711
4	आवासीय इकाइयों की कुल संख्या (आवासीय और आवासीय सह अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त)	30,849
5	कुल परिवारों की संख्या	33,273
6	कुल आवासित परिवारों की संख्या	31,042
7	बेघर परिवार	2,231

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उन्नाव नगर पालिका परिषद में कुल 9.65 प्रतिशत आवास रिक्त हैं अतः उपलब्ध रिक्त आवासीय इकाइयाँ 3,922 हैं।

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण और जनगणना—2011

5.5 आवास आकार का अनुमान

परिवार आकार के प्रक्षेपण के आधार पर, वर्ष 2031 तक मांग का प्रक्षेपण किया गया है। यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि जनसंख्या की शिक्षा की स्थिति में सुधार और जनसंख्या वृद्धि को विनियमित करने में सरकार के हस्तक्षेप के कारण, वर्ष 2022 तक नगर का परिवार आकार घटकर 4.5 हो जाएगा।

5.6 शुद्ध आवासीय प्रक्षेपण

आवास की कमी की गणना आवासों की संख्या, उपलब्ध आवास एवं वर्तमान आवासीय इकाइयों में अत्यधिक घने आवास/संकुचन एवं अप्रचलन के आधार पर की गई है। महायोजना 2031 की अवधि के लिए आवास प्रक्षेपण की गणना निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर की गई है। आवास की मांग पिछली जनगणना के आधार पर, वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या

प्रक्षेपण की गणना 4,36,229 व्यक्तियों के रूप में की गई है और परिवार के आकार का प्रक्षेपण प्रति परिवार 4.5 व्यक्तियों के रूप में किया गया है। निम्नलिखित पूर्वानुमानों के आधार पर 1,74,463 की जनसंख्या वृद्धि के लिए कुल 38,770 आवासों की आवश्यकता होगी।

क्र. सं.	विवरण	जनसंख्या वर्ष 2011	परिवारों की संख्या	उपलब्ध आवासीय इकाई	जीर्ण-शीर्ण आवासीय इकाई की संख्या	अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की संख्या
1	उन्नाव नगर पालिका परिषद	177658	33273	33273	1364	1364
2	नगरीयकरण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्राम	84108	16798	16798	1143	1143
3	कुल जनसंख्या (1+2)	261766	50071	50071	—	2507
4	प्रक्षेपित जनसंख्या उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र 2031	310165	—	—	—	—
5	नगरीयकरण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों की प्रक्षेपित जनसंख्या 2031	126064	—	—	—	—
6	कुल अनुमानित जनसंख्या 2031 (4+5)	436229	—	—	—	—
7	2031 तक अतिरिक्त जनसंख्या एवं 4.5 व्यक्ति प्रति परिवार के मानक के आधार पर परिवारों की संख्या	174463	38770	—	—	—
8	वर्ष 2031 तक कुल आवासीय इकाइयों की आवश्यकता	—	—	—	—	38770

5.7 आवास की कमी और मांग के लिए रिक्त भूमि की आवश्यकता

65,588 आवासीय इकाइयों की दर से सामूहिक आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। यूआरडीपीएफआई के अनुसार 43–48 प्रतिशत भूमि आवासीय उपयोग के लिए प्रस्तावित की जाएगी। निम्न तालिका भू उपयोग के अनुसार, भूमि की मांग की स्थिति स्पष्ट करती है।

तालिका 5.4: उन्नाव विकास क्षेत्र के लिए भूमि की मांग

भू उपयोग का वर्ग	मध्यम नगर	न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान (हेक्टेयर)	अतिरिक्त अपेक्षित (हेक्टेयर)
आवासीय	43-48	1201.63	1001.29	200.34

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण—2021

आवास इकाई के आकार के अनुसार, 65,588 आवास की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

तालिका 5.5: आवासीय इकाई का आकार

आवास इकाईयों की संख्या	औसत इकाई आकार (वर्ग फीट)	अपेक्षित क्षेत्र (वर्ग फीट)
65,588	700	4,59,11,600

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण—2021

उपरोक्त तालिका के अनुसार उन्नाव को कुल 426.53 हेक्टेयर / 4,59,11,600 वर्ग फीट के निर्मित स्थल की आवश्यकता है। हालांकि, कुछ मामलों में क्षेत्रिज वृद्धि के बजाय ऊर्ध्वाधर विकास पर विचार कर सकते हैं और तालिका 8–17 में उल्लिखित यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय स्थान को निर्धारित कर सकते हैं।

5.8 नगरीय गरीब एवं मलिन बस्तियों की रूपरेखा

उन्नाव नगर में 14893 परिवार मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। 57 मलिन बस्तियों की वर्तमान कुल जनसंख्या 80316 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर में मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या 43150 है। मलिन बस्ती में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत नगर की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 24.28 प्रतिशत है। उन्नाव नगर की सभी मलिन बस्तियां अधिसूचित नहीं हैं।

तालिका 5.6: उन्नाव में मलिन बस्ती की जनसंख्या एवं उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

नगर की जनसंख्या	वाड़ों की कुल संख्या	मलिन बस्ती की जनसंख्या	नगर की जनसंख्या में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत
177658	32	43150	24

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना — उन्नाव, 2016

तालिका 5.7: वार्ड –वार मलिन बस्ती की जनसंख्या

वार्ड सं.	मलिन बस्ती का नाम	मलीन बस्ती की जनसंख्या
1	पूरन नगर	885
1	दरियाई खेड़ा	200
12	पत्थर कटा कॉलोनी	970
17	गांधी नगर	500
-	ईदगाह रोड हरिजन आबादी	1250
8	इब्राहिमाबाद	605
4	कृष्णा देइ खेड़ा	1045
4	पीतांबर खेड़ा	750
9	शेखपुर	1885
9	कददू खेड़ा (सिंगरौरी)	175
7	जवाहर खेड़ा	340
	मुनवर खेड़ा	300
9	दरवारी खेड़ा	310
9	सुल्तान खेड़ा	350
9	अकरमपुर	1980
3	चुभना खेड़ा	200
9	कददू खेड़ा (अकरमपुर)	250
5	राजेपुर	490
8	गदन खेड़ा	1325
20	आदर्श नगर	1500
20	हिरन नगर	555
10	परिचम खेड़ा	300
10	पूरब खेड़ा	150
	केवटा तालाब	1350
19	तालिब सराय	2940
6	नूरुद्दीन नगर	750
6	राम नगर	1085
9	पुरानी बाजार	600
25	पुरानी कोतवाली	275
27	ऊंटसार	1000
15	मोती नगर (गरियान खेड़ा)	500
26	ए. बी. नगर	800
7	नरेन्द्र नगर	575
22	लोधनहार	935
22	प्रयाग नारायण खेड़ा	350
22	गंगू खेड़ा	410
18	कल्याणी हरिजन आबादी	500
7	कंकडबाग	250
28	अब्बास बाग जवाहर नगर	500
	सत्ती तालाब	1000
16	राम बख्श खेड़ा	390
16	किशोरी खेड़ा	565
28	बुधवारी	1200
23	आवास विकास कॉलोनी दुर्गा मंदिर	1000
25	बुचदान	200
25	भूरी देवी	400
25	केशरगंज	355
11	पहली खेड़ा	375
11	कासिफ अली सराय	200
11	गिरजाबाग	250
8	कासिम नगर	455
27	जेरदुस	4000
15	काजी सराय	450
24	पड़ियान टोला	900

वार्ड सं.	मलिन बस्ती का नाम	मलीन बस्ती की जनसंख्या
21	जुराखन खेड़ा	1000
4	पीतांबर खेड़ा भाग—2 (शिव नगर)	475
1	बंदुहार	800

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना—2016

मलिन बस्तियों की सूची अनुमोदित नगर स्वच्छता योजना उन्नाव को ध्यान में रखकर बनाई गयी है।

5.9 आवासीय नीतियाँ

आवासीय नीति सबके लिए आवास प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों के साथ-साथ जोनिंग विनियमों के अनुसार तैयार की गई हैं। ये नीतियाँ इस प्रकार हैं:

5.9.1 आवासीय विकास

आवासीय विकास मलिन बस्तियों में न रहने वाले नगरीय गरीबों और भावी प्रवासियों पर केन्द्रित होगा। ऐसे परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति, जब भी आवश्यकता हो, निजी क्षेत्र एवं राज्य बोर्ड द्वारा किफायती आवास द्वारा की जाएगी।

उपयुक्त नगरीय भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करना नितांत आवश्यक है, अतः भूमि को बुनियादी नागरिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे के साथ उपलब्ध कराया जाए। भू उपयोग का सर्वोत्तम उपयोग करने के प्रयास इस प्रकार हैं:

- नगर की सीमा के भीतर सरकार/नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) भूमि को किफायती आवास के लिए माना जाएगा।
- गैर-मलिन आबादी एवं मलिन आबादी में रहने वाले परिवारों की वर्तमान मांग को पीएमएवाई के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्षेत्रों में समिलित किया जाएगा। मलिन आबादी के परिवारों को आईएसएसआर और एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत माना जाएगा, जबकि गैर-मलिन आबादी के परिवारों को बीएलसी और सीएलएसएस वर्गीकरण के अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयत्न किया जाएगा।
- ट्रंक अवसंरचना उपलब्ध कराकर और उसका विस्तार करते हुए नगरपालिका की सीमा के बाहर की भूमि का विकास किया जाएगा।
- अन्य विधियों के भूमि समूह की व्यवस्था अपनाई जाएगी।
- प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास के लिए नए विन्यास में भूमि का अनिवार्य आरक्षण।

6. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं

नगरीय जीवन के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। साथ ही नगर में उक्त सुविधाओं एवं सेवाओं का समान वितरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। सार्वजनिक सुविधाओं का तात्पर्य उन सुविधाओं से होता है जो समूहगत आधार पर उपलब्ध होती हैं और नगर निवासियों के सामूहिक कल्याण, प्रगति एवं विकास के उद्देश्य से कार्यरत होती हैं। इन सुविधाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत मुख्य यथा— शैक्षिक, चिकित्सा, सामुदायिक सुविधाएं, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन आदि सेवाएँ होती हैं जो सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण नगरीय जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं।

6.1 राजकीय/अर्द्ध-राजकीय कार्यालयं

उन्नाव नगर जनपद मुख्यालय है। जहाँ पर जनपद स्तर के सभी कार्यालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय, राज्य एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय भी विद्यमान हैं। नगर के अधिकतर कार्यालय नगर के मध्य सिविल लाइन में स्थित हैं।

6.2 शैक्षिक सुविधाएं

शिक्षा किसी भी नगर के विकास पद्धतिके लिए अपरिहार्य होती है जो नगरीकरण के भाग को उसकी साक्षरता स्तरों और विभिन्न शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से प्रदर्शित करती है।

नगरीय क्षेत्र

शिक्षण सुविधाओं का विस्तार आंगनवाड़ियों/प्री प्राइमरी, प्राइमरीस्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेज तक है, जो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के साथ-साथ निजी संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

नगर में अनेक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रबंधन संस्थान विद्यमान हैं। चूंकि उन्नाव एक छोटा नगर है, अतः यहाँ के लोग उच्च शिक्षा के लिए कानपुर, लखनऊ एवं अन्य शहरों को पलायन करते हैं। उन्नाव में एवं उसके आसपास डीएसएन कॉलेज, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सेंट जूड्स इंटर कॉलेज, श्री नारायण गर्ल्स पीजी कॉलेज, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, रानी अवंती बाई इंटर कॉलेज, और घौघरी खजान सिंह महाविद्यालय, उन्नाव पॉलिटेक्निक कॉलेज, केआईएमएस पीजीडीएम कॉलेज, ग्रेट गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजीजैसे अनेक संस्थान स्थित हैं।

तालिका 6.1: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में शिक्षण सुविधाएं

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	प्रति इकाई क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान (सरकारी)	वर्तमान (निजी)	वर्तमान (कुल)	अंतर (संख्या में)
प्री प्राइमरीसे माध्यमिक शिक्षा								
प्री प्राइमरीस्कूल	2500	119	0.08	9.49	-	-	-	-
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)	5000	59	0.4	23.72	46	119	165	0
मिडिल स्कूल	7500	40	1.8	71.15	12	46	58	0
माध्यमिक स्कूल	7500	40	1.8	71.15	2	12	14	26
उच्चतरउच्च माध्यमिक	7500	40	1.8	71.15	2	24	26	14
छात्रावास सुविधा के बिना एकीकृत स्कूल (कक्षा 1 -12)	100000	3	3.5	7.00	-	-	-	-
छात्रावास सुविधा के साथ एकीकृत स्कूल (कक्षा 1 -12)	100000	3	3.9	11.56	-	-	-	-
दिव्यांगों के लिए स्कूल	45000	7	0.7	4.61	0	0	0	7
उच्च शिक्षा								
महाविद्यालय	125000	2	5	15.00	0	2	2	0

सुविधाएँ	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	प्रति इकाई क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान (सरकारी)	वर्तमान (निजी)	वर्तमान (कुल)	अंतर (संख्या में)
विश्वविद्यालय	1000000	0	10.00 to 60.00	0	0	0	0	0
तकनीकी शिक्षा								
तकनीकी शिक्षा केंद्र (क) – 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 1 पॉलिटेक्निक	1000000	0	4	0	1	0	1	0
शिक्षा केंद्र (ख) – 1 आईटीआई और 1 तकनीकी केंद्र और 1 कोचिंग केंद्र	1000000	0	4	0	-	-	-	-
व्यावसायिक शिक्षा								
इंजीनियरिंग कॉलेज	1000000	0	6	0	0	0	0	=
मेडिकल कॉलेज	1000000	0	15	0	0	0	0	=
प्रबंधन	1000000	0	2	0	0	0	0	=

स्रोत: जनगणना—2011

उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र

तालिका 6.2: ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण सुविधाएं

सुविधाएँ	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	प्रति इकाई क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान (सरकारी)	वर्तमान (निजी)
प्री प्राइमरीसे माध्यमिक शिक्षा						
प्री प्राइमरी स्कूल	2500	32	0.08	2.5	17	15
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)	5000	16	0.4	6.3	27	0
मिडिल स्कूल	7500	11	1.8	19.0	24	0
माध्यमिक स्कूल	7500	11	1.8	19.0	9	2
उच्चतर उच्च माध्यमिक	7500	11	1.8	19.0	8	3
दिव्यांगों के लिए स्कूल	45000	2	0.7	1.4	2	0
तकनीकी शिक्षा						
तकनीकी शिक्षा केंद्र (क) – 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 1 पॉलिटेक्निक	1000000	0	4	0	4	0
उच्च शिक्षा						
महाविद्यालय	125000	1	5	5.0	2	0
व्यावसायिक शिक्षा						
इंजीनियरिंग कॉलेज	1000000	0	6	0.0	4	0
मेडिकल कॉलेज	1000000	0	15	0.0	1	0
प्रबंधन	1000000	0	2	0.0	1	0

स्रोत: जनगणना—2011

6.3 स्वास्थ्य सुविधाएं

नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं

उन्नाव रायबरेली मार्ग पर गँड़ी नगर तिराहा के निकट राजकीय जिला चिकित्सालय स्थित है जो नगरीय क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नगर में उन्नाव रेलवे स्टेशन के निकट एक और राजकीय चिकित्सालय है जिसमें केवल महिलाओं का उपचार किया जाता है। नगर में एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव किया गया है। राजकीय चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव किया गया है। जिला जनगणना पुस्तिका के अनुसार विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 182 बिस्तरों की व्यवस्था है।

उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, कुछ प्रसिद्ध चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालय उन्नाव, उन्नाव मेडिकल सेंटर, जेपी निगम मेमोरियल हॉस्पिटल, स्वास्तिक आई एंड मेडिकल केयर सेंटर, उन्नाव मेडिकल सेंटर, पी 3 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल उन्नाव, शुभी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर आदि सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 6.3: चिकित्सा सुविधाएं 2019–20

उन्नाव नगर										
चिकित्सालय का प्रकार	इकाईयों की संख्या		बिस्तरों की संख्या		चिकित्सकों की संख्या		नर्सों की संख्या		पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या	
	राजकीय	निजी	राजकीय	निजी	राजकीय	निजी	राजकीय	निजी	राजकीय	निजी
ऐलोपैथिक	91	98	872	-	262		36		264	
आयुर्वेदिक	48	-	212	-	43	-	-	-	-	-
होमियोपैथिक	35	-	4	-		-	-	-	-	-
यूनानी पद्धति	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-
परिवार कल्याण केंद्र एवं प्रसूति केंद्र	363	363	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
औषधालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उन्नाव ग्रामीण										
ऐलोपैथिक	3	-	6	-	3	-	5	-	6	-
आयुर्वेदिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
होमियोपैथिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यूनानी पद्धति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राधानिक स्वास्थ्य केंद्र	37	-	74	-	67	-	-	-	36	-
नर्सिंग होम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

स्रोत: उन्नाव नगर पालिका परिषद—2020

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों और यू.आर.डी.पी.एफ.आई. के दिशानिर्देशों के आधार पर एक विश्लेषण किया गया है जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) / सुविधा	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान संख्या	अंतर (संख्या में)
स्वास्थ्य सुविधाएं						
औषधालय	15,000	20	0.1	1.98	0	
नर्सिंग होम, शिशु कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र	80,000	4	0.25	0.93	2	
पॉलीकनीनिक	100000	3	0.25	0.74	-	
माध्यमिक चिकित्सालय (वर्ग ख)	100000	3	1	2.96	-	
माध्यमिक चिकित्सालय (वर्ग क)	100000	3	3.7	10.97	-	
मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एनबीसी)	100000	3	9	26.68	-	

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)/सुविधा	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान संख्या	अंतर (संख्या में)
स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एनबीसी)	100000	3	3.7	10.97	-	
जनरल हॉस्पिटल (एनबीसी)	250000	1	6	7.11	2	
परिवार कल्याण केंद्र	50,000	6	0.065	0.39	0	
नैदानिक केंद्र	50,000	6	0.065	0.39	-	
पालतू पशुओं और जानवरों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	500000	1	0.2	0.12	1	
पालतू पशुओं और पक्षियों के लिए औषधालय	100000	3	0.03	0.09	-	
पुनर्वास केंद्र			आवश्यकतानुसार		-	

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं

तालिका 6.5: ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का आधारभूत ढांचा

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)/सुविधा	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान संख्या	अंतर (संख्या में)
स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं						
औषधालय	15,000	5	0.1	0.50	-	
नर्सिंग होम, शिशु कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र	80,000	1	0.25	0.25	-	
परिवार कल्याण केंद्र	50,000	2	0.065	0.13	-	
पशु चिकित्सालय	5,00,000	0	0.2	0.00	2	0
नैदानिक केंद्र	50,000	2	0.065	0.13	-	

स्रोत: जनगणना—2011

6.4 सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं

उन्नाव नगरीय क्षेत्र

सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान बदलती नगरीय जनसंख्या एवं कामकाजी जीवन शैली के अनुरूप होगा। उन्नाव नगर, संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण है। तेजी से बढ़ता शहर जो हालांकि तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास से प्रभावित है। नगर में मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। उन्नाव में विभिन्न सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं इस प्रकार हैं।

तालिका 6.6: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	सुविधाएं	राजकीय	निजी
1	अनाथालय	0	0
2	कार्यरत महिला छात्रावास	0	0
3	वृद्धाश्रम	0	0
4	स्टेडियम	1	0
5	सिनेमा थियेटर	0	1
6	सभागार (आडिटोरियम) / सामुदायिक हॉल	1	1
7	सार्वजनिक पुस्तकालय	1	2
8	सार्वजनिक वाचनालय	1	2

स्रोत: जनगणना—2011

सुविधाएँ	प्रति जनसंख्या पर एक	क्षेत्रफल/इकॉर्ट	अपेक्षित संख्या	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अंतर (संख्या में)
वृद्धाश्रम	500000	.	1		1
अनाथालय	1000000	1000 वर्गमी	1	0.1 हेक्टे.	1
कार्यरत महिला व पुरुष छात्रावास	1000000	1000 वर्गमी	1	0.1 हेक्टे.	1

स्रोत: जनगणना—2011

तालिका 6.7: नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएँ

सुविधाएँ	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
सार्वजनिक सुविधाएँ				
आंगनवाड़ी—आवास क्षेत्र/क्लस्टर	5,000	59	0.03	1.78
सामुदायिक कक्ष	5,000	59	0.075	4.45
कम्प्युनिटी हॉल, बारात घर/पुस्तकालय	15,000	20	0.2	3.95
संगीत, नृत्य और नाट्य केंद्र	100000	3	0.1	0.30
ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	100000	3	0.5	1.48
मनोरंजन क्लब	100000	3	1	2.96
वृद्धाश्रम	100000	3	0.1	0.30
धार्मिक सुविधाएँ				
नेबरहुड/हाउसिंग क्लस्टर स्तर पर	5,000	59	0.04	2.37
नगरीय विस्तार में उप नगर स्तर पर	1000000	0	4	1.19
अन्य सुविधाएँ				
अनाथालय/बाल केंद्र	1000000	0	0.1	0.03
शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यागों के लिए देखभाल केंद्र	1000000	0	0.1	0.03
कामकाजी महिला पुरुष छात्रावास	1000000	0	0.1	0.03
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	1000000	0	0.1	0.03
रैन बर्सेरा	1000000	0	0.1	0.03
सामाजिक—सांस्कृतिक केंद्र/प्रदर्शनी सह मेला मैदान	1000000	0	15	4.45
विज्ञान केंद्र	1000000	0	आवश्यक तानुसार	
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	1000000	0	आवश्यक तानुसार	

स्रोत: जनगणना—2011

उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र

तालिका 6.8: ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएँ

सुविधाएँ	प्रति जनसंख्या पर एक	अपेक्षित संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
सार्वजनिक सुविधाएँ				
आंगनवाड़ी—आवास क्षेत्र/क्लस्टर	5,000	16	0.03	0.47
सामुदायिक कक्ष	5,000	16	0.075	1.19
कम्प्युनिटी हॉल, बारात घर/पुस्तकालय	15,000	5	0.2	1.05
धार्मिक सुविधाएँ				
नेबरहुड/हाउसिंग क्लस्टर स्तर पर	5,000	16	0.04	0.63

स्रोत: जनगणना—2011

6.5 अग्निशमन

6.5.1 वर्तमान परिदृश्य

- विकास क्षेत्र में दोस्तीनगर, में एक अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है।
- विगत 5 वर्षों में उन्नाव में आगजनी से जुड़ी अनेक दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2015—447 मामले, वर्ष 2016—552 मामले, वर्ष 2017—775 मामले, वर्ष 2018—706 मामले एवं वर्ष 2019—651 मामले, दर्ज हैं।

तालिका 6.9: अग्निशमन केन्द्र, पूर्व

क्र.सं.	विवरण	अपेक्षित	वर्तमान	अंतर	प्रावधान
1	वाटर टैंडर टाईप बी (क्षमता 4500—5000 ली)	1	-	1	नहीं
2	वाटर टैंडर टाईप बी (क्षमता 2000—2500 ली)	1	-	1	नहीं
3	जीप टोइंग वाहन	1	1	-	नहीं
4	पंप	1	1	-	नहीं

स्रोत: अग्निशमन विभाग, 2019

तालिका 6.10: अग्निशमन केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अपेक्षित	वर्तमान	अंतर	प्रावधान
1	वाटर निविदा टाईप बी (क्षमता 4500—5000 ली)	1	1	-	नहीं
2	वाटर निविदा टाईप बी (क्षमता 2000—2500 ली)	1	1	-	नहीं
3	जीप टोइंग वाहन	1	2	-	नहीं
4	पंप	1	1	-	नहीं
5	हाइड्रोलिक्स स्लेटफार्म (42 मीटर ऊंचाई)	-	-	-	-
6	हाई प्रेशर पंप वाले वाटर टैंडर	1	-	1	-
7	फोम निविदा	1	-	1	-
8	वाटर बाउजर (क्षमता 10000—12000 ली)	1	-	1	-
9	रेस्क्यू टूल वाले बचाव निविदा	-	-	-	-
10	रेस्क्यू टूलसेट	1	-	1	-
11	जीवन रक्षक प्रणाली वाले एम्बुलेंस	1	-	1	-

स्रोत: अग्निशमन विभाग, 2019

6.6 प्रक्षेपण

सामुदायिक सुविधाओं की गणना, नगर की प्रक्षेपित जनसंख्या 4,60,000 के लिए की गई है।

तालिका 6.11: प्रक्षेपित सामुदायिक सुविधाएं—2031

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या/एक	प्रक्षेपित संख्या.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्री प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा				
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)	5,000	92	0.4	36.80
मिडिल स्कूल	7,500	61	1.8	110.40
उच्चतर उच्च माध्यमिक	7,500	61	1.8	110.40
छात्रावास सुविधा के बिना एकीकृत स्कूल (कक्षा 1—12)	100000	5	3.5	16.10

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या / एक	प्रक्षेपित संख्या.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
छात्रावास सुविधा के साथ एकीकृत स्कूल (कक्षा 1 –12)	100000	5	3.9	17.94
दिव्यांगों के लिए स्कूल	45,000	10	0.7	7.16
उच्च शिक्षा				
जनरल कॉलेज	125000	4	5	15.00
विश्वविद्यालय	1000000	0	35	0.00
तकनीकी शिक्षा				
तकनीकी शिक्षा केंद्र (क) – 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 1 पॉलिटेक्निक	1000000	0	4	0.00
शिक्षा केंद्र (ख) – 1 आईटीआई और 1 तकनीकी केंद्र और 1 कोचिंग केंद्र	1000000	0	4	0.00
व्यावसायिक शिक्षा				
इंजीनियरिंग कॉलेज	1000000	0	6	0
मेडिकल कॉलेज	1000000	0	15	0
अन्य व्यावसायिक कॉलेज	1000000	0	2	0
नर्सिंग होम	1000000	0	0.2	0
पैरामेडिकल संस्थान	1000000	0	0.2	0
पशु चिकित्सा संस्थान	500000	1		-
स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं				
औषधालय	15,000	31	0.1	3.07
नर्सिंग होम, शिशु कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र	80,000	6	0.25	1.25
पॉलीबनीनिक	100000	5	0.25	1.00
मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एनबीसी)	100000	5	9	41.40
स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एनबीसी)	100000	5	3.7	17.02
जनरल हॉस्पिटल (एनबीसी)	250000	2	6	12.00
परिवार कल्याण केंद्र	50,000	9	0.065	0.60
नैदानिक केंद्र	50,000	9	0.065	0.60
पालतू पशुओं और जानवरों के लिए पशु चिकित्सालय	500000	1	0.2	0.20
पालतू पशुओं और पक्षियों के लिए औषधालय	100000	5	0.03	0.12
पुनर्वास केंद्र			आवश्यकतानुसार	
सामुदायिक सुविधाएं				
आंगनवाड़ी—आवास क्षेत्र / क्लस्टर	5,000	92	0.03	2.76
सामुदायिक कक्ष	5,000	92	0.075	6.90
कम्युनिटी हॉल, बारात घर / पुस्तकालय	15,000	31	0.2	5.00
संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	100000	5	0.1	0.40
ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	100000	5	0.5	2.00
मनोरंजन क्लब	100000	5	1	4.00
वृद्धाश्रम	100000	5	0.1	0.40
धार्मिक सुविधाएं				
नेबरहुड / हाउसिंग क्लस्टर स्तर पर	5,000	75	0.04	3
नगरीय विस्तार में उप नगर स्तर पर	1000000	0	4	0
अन्य सुविधाएं				
अनाथालय / बाल केंद्र	1000000	0	0.1	0
शारीरिक / मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए देखभाल केंद्र	1000000	0	0.1	0
कार्यरत महिला पुरुष छात्रावास	1000000	0	0.1	0
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	1000000	0	0.1	0
रेन बसेरा	1000000	0	0.1	0

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या / एक	प्रक्षेपित संख्या.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
सामुदायिक—सांस्कृतिक केंद्र/ प्रदर्शनी सह मेला मैदान	1000000	0	15	0
विज्ञान केंद्र	1000000	0	आवश्यकतानुसार	0
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र	नगर स्तर		आवश्यकतानुसार	
खुले स्थल				
हाउसिंग एरिया पार्क	5,000	75	0.5	37.5
नेवरहुड पार्क	15,000	25	1	25
सामुदायिक पार्क	100000	4	5	20
जिला पार्क	500000	1	25	25
उप नगरपार्क	1000000	0	100	0
खेलकूद की सुविधाएं				
आवासीय इकाई क्रीड़ा क्षेत्र	5000	75	0.5	37.5
नेवरहुड क्रीड़ा क्षेत्र	15000	25	1.5	37.5
जिला खेलकूद केन्द्र	100000	4	8	32
मंडलीय खेलकूद केन्द्र	1000000	0	20	0
बहुउद्देशीय स्थल				
उप नगर स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	1000000	0	8	0
जिला स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	500000	1	4	4
सामुदायिक स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	100000	4	2	8
वाणिज्यिक केन्द्र				
मिल्क बूथ	5000	75	0.015	1.13
सुविधा शापिंग	5,000	75	0.15	11.25
सेवा केन्द्र सहित लोकल शापिंग	15,000	25	0.46	11.50
सेवा केन्द्र के साथ सामुदायिक केन्द्र	100000	4	5	20.00
जिला केन्द्र	500000	1	40	40.00
उप नगर केन्द्र	2500000	0	आवश्यकतानुसार	-
नगर केन्द्र	5000000	0	आवश्यकतानुसार	-
स्थानीय थोक बाजार/ मंडी	1000000	0	10	0.00
साप्ताहिक बाजार	100000	4	0.4	1.60
सुव्यवस्थित औपचारिक खानेपीने की जगह	100000	4	0.2	0.80
संचार सुविधाएं				
लाइन वाला टेलीफोन एक्सचेंज	400000	1	4	4.00
रेडियो/टीवी स्टेशन	500000	1	0.17	0.17
रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट	1-3 कि.मी. त्रिज्या		0.03	0.00
बिना डिलीवरी वाला पोस्ट ऑफिस काउंटर	15,000	25	0.0085	0.21
डिलीवरी वाला प्रधान डाकघर	250000	2	0.075	0.15
प्रधान डाकघर एवं प्रशासनिक कार्यालय	500000	1	0.25	0.25
एटीएम सुविधा वाले विस्तारित काउंटर वाले बैंक	15,000	25	0.0081	0.20
लॉकर एटीएम एवं अन्य सुविधा वाले वाले बैंक	100000	4	0.25	1.00
पुलिस सुविधाएं				
पुलिस पोस्ट	50000	8	0.16	1.28
पुलिस स्टेशन	90000	4	1.5	6.00
ट्रैफिक एवं पुलिस कट्रोल रूम			अपेक्षानुसार	0.00
जिला कार्यालय एवं बटालियन	1000000	0	4.8	0.00
पुलिस लाइन	2000000	0	5	0.00
जिला कारागार	1000000	0	10	0.00
सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड	1000000	0	2	0.00

सुविधाएं	प्रति जनसंख्या/एक	प्रक्षेपित संख्या.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
पुलिस प्रशिक्षण संस्थान/ कॉलेज	City Level		5	0.00
पुलिस फ्रिंज रेंज	City Level		10 तक	
केन्द्रीय पुलिस संगठन/सुरक्षा बल (केन्द्रीय सुरक्षा बल सहित) सहित पुलिस कैप			10 तक	
पुलिस बूथ (प्रमुख चौराहों पर)			10-12 वर्ग मी.	
अग्निशमन केन्द्र				
उप अग्निशमन केन्द्र/फायर पोस्ट	3-4 KM		0.6	0.00
अग्निशमन केन्द्र	200000	2	1	2.00
आपदा प्रबंधन केन्द्र			1	0.00
अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान/ कॉलेज	नगर स्तर		3	0.00
योग				743.55

स्रोत: जनगणना 2011

6.7 उद्देश्य

6.7.1 शिक्षा

- पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ 6–14 आयु वर्ग में सभी के लिए शिक्षा
- सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा
- युवाओं के लिए कौशल विकास
- उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

6.7.2 स्वास्थ्य

गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना ताकि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर), कुपोषण दर और रोग प्रसार दर (डीपीआर) में कमी लाई जा सके और गर्भनिरोधक प्रसार दर (सीपीआर) तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की जा सके।

6.8 प्रस्ताव

सामुदायिक सुविधाओं की अपेक्षानुसार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रस्ताव, महायोजना 2031 में दिए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के प्रमुख प्रस्तावों का उल्लेख बाद के खंडों में किया गया है।

6.8.1 शिक्षा

- महायोजना क्षेत्र में शिक्षण सुविधाएं पर्याप्त हैं लेकिन भविष्य में कुछ सुविधाएं प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाओं का अभाव है। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की परिणामी संभावना के साथ, शैक्षिक सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है।
- भूमि की सीमित उपलब्धता के साथ, वर्तमान सुविधाओं की नीतियों/मानदंडों के अनुसार उन्नत और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- संस्थानों के बीच उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से सामुदायिक सुविधाओं के प्राविधान में तकनीकी प्रगति।
- कार्यक्रम के स्थानिक और जनसंख्या मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन।
- नए संस्थानों के वित्तपोषण के लिए जन निजी भागीदारी (पीपीपी)।

6.8.2 स्वास्थ्य

महायोजना क्षेत्र में बिस्तरों की उपलब्धता के मामले में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं लेकिन अनुमानित आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्रों में औषधालय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण अभाव है। सीमित भूमि संसाधन के साथ, वर्तमान सुविधाओं को नीतियों/मानदंडों के अनुसार उन्नत और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

- वरिष्ठ नागरिकों और मानसिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए वृद्धाश्रम—सह—देखभाल केंद्रों के लिए विशेष/लक्षित समूहोन्मुखी सुविधाओं के माध्यम से आवश्यक प्राविधान किए जाएंगे, जिससे सामान्य विकित्सालयों पर भी कुछ हद तक दबाव कम होगा।
- यदि अपेक्षित वर्ष के लिए नई स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रस्ताव करने के लिए पीएसपी उपयोग के लिए वर्गीकृत अन्य भू खंडों को लिया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्धारित परिसर में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक विकित्सा जैसी अन्य विकित्सा धाराएं भी समिलित की जानी चाहिए जो किसी वैधानिक संहिता/निकाय द्वारा शासित हों।

अस्पतालों और सुपर स्पेशियलिटी केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों और पैरा मेडिकल सेवाओं, विशेष रूप से सहायक नर्स मिडवाइस्ट्रेनिंग सेंटर (एएनएमटीरी) जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जन निर्जी भागीदारी (पीपीपी)।

6.9 उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ

उपयोगिताएँ एवं सेवाओं से तात्पर्य जीवन के लिए आवश्यक उन सेवाओं से हैं जो पेयजल एवं विद्युत शक्ति की आपूर्ति तथा गंदे जल के निकास से संबंधित होती हैं नगर के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए इन सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक होता है इन सुविधाओं के अभाव में जीवन अत्यंत कष्ट पूर्ण होता है।

6.10 जल आपूर्ति

उन्नाव नगर में जल आपूर्ति प्रणाली, जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में भूमिगत जल के साथ पचास के दशक मध्य में आरंभ की गई थी। वर्ष 2005 में 385.09 लाख रुपये की योजना तैयार कर उसे भारत सरकार के यूआईडीएसएसटी कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित किया गया था जिसमें 2 नलकूप, 1 पंपिंग स्टेशन 970 मीटर राइजिंग मेन ओएचटी और 22.775 किमी के वितरण नेटवर्क को जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान में, उन्नाव नगर में 15 नलकूप, 07 ओएचटी और 40 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली विद्यमान है जो नगर के लोगों की जल आपूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं।

नगर की कुल जल उत्पादन क्षमता 13.87 एमएलडी है, जो कि सभी भूजल स्रोतों (पावर पंप) से की जाती है।

तालिका 6.12: उन्नाव नगर में जलापूर्ति

क्र.सं.	जल का स्रोत	संख्या
1	जलापूर्ति का कवरेज	28.32
2	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	78
3	नलकूपों की संख्या	24
4	ओवर हेड टैंकों की संख्या	9
5	हैंड पंपों की संख्या	2300
6	जल प्रशोधन संयंत्र	शून्य
7	लाइन की लंबाई	292 किमी
8	वितरण नेटवर्क की लंबाई	93 किमी

स्रोत: नगर पालिका परिषद, उन्नाव—2019

नगर में, जल आपूर्ति के लिए कुल 9424 कनेक्शन हैं, जो कुल अपेक्षित जल आपूर्ति कवरेज का मात्र 28.32 प्रतिशत है। ये सभी उपलब्ध कनेक्शन घरेलू बिना मीटर वाले हैं एवं परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उन्नाव की जनसंख्या 1.78 लाख है एवं नगर में रहने वाले परिवारों की संख्या 31,042 है जिसमें से 11,330 परिवारों के परिसरों में जल आपूर्ति लाइन बिछी हुई है और मात्र 10,011 परिवारों के ही घरों में जल की उपलब्धता हेतु नल के कनेक्शन विद्यमान हैं।

6.10.1 जल के स्रोत

नगर की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भूजल है। नगर की कुल जल उत्पादन क्षमता 13.87 एमएलडी है जिसके स्रोत नगर में विभिन्न भागों में स्थित 24 नलकूप (निस्तारण—0.75 एमएलडी—कुल—18 एमएलडी) हैं। नगर के लोग 2300 हैंडपंपों से सीधे जल लेते हैं। इन भूमिगत स्रोतों के जल का प्रशोधन क्लोरीनीकरण द्वारा किया जाता है। नगर में प्रतिदिन 18 एमएलडी जल प्रशोधन किया जाता है। कुल जल उत्पादन में से 20 प्रतिशत जल रिसाव में बर्बाद हो जाता है और नगर की जनता के लिए कठिनाई से 13.87 एमएलडी जल उपलब्ध रहता है जिससे 33273 परिवारों को आपूर्ति की जाती है।

नगर में औसत घरेलू जल आपूर्ति 78 एलपीसीडी है। इस प्रकार 135 एलपीसीडी के मानक के अनुसार, नगर में घरेलू उपयोग के लिए जल आपूर्ति की वर्तमान मांग 24 एमएलडी है, बल्कि मांग 10.13 एमएलडी है। अतः नगर में जल की वर्तमान मांग 24 एमएलडी है। नगर में जल आपूर्ति वितरण पाइप लाइन की कुल लंबाई 92.00 किमी है। यह नेटवर्क पुराना, अपर्याप्त और आकार में भी छोटा है।

6.10.2 उपलब्धता

9424 घरेलू जल आपूर्ति कनेक्शनों के माध्यम से नगर में कुल जल की खपत 61.6 एमएलडी है। शेष नगर अनधिकृत स्रोतों से अपनी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

तालिका 6.13 विभिन्न स्रोतों से जल की मात्रा

क्र.सं.	स्रोत	नलकूपों की संख्या	कुल
1	भूजल	24 नलकूप	18 एमएलडी

स्रोत: नगर पालिका परिषद, उन्नाव—2019

6.10.3 जल आपूर्ति कनेक्शनों का विवरण

जल आपूर्ति की दृष्टि से नगर को 12 जोन में विभाजित किया गया है।

तालिका 6.14: परिवारों का जोन—वार विवरण

जोन संख्या	परिवारों की कुल संख्या	जल के नल के कनेक्शन वाले परिवार	जल के बिना नल के कनेक्शन वाले परिवार
1	2035 परिवार	752 परिवार	1283 परिवार
2	3067 परिवार	889 परिवार	2178 परिवार
3	1418 परिवार	476 परिवार	942 परिवार
4	2041 परिवार	694 परिवार	1347 परिवार
5 A	3075 परिवार	1023 परिवार	2052 परिवार
5 B	3026 परिवार	832 परिवार	2194 परिवार
6	2719 परिवार	996 परिवार	1723 परिवार
7	2092 परिवार	737 परिवार	1355 परिवार
8	2006 परिवार	566 परिवार	1440 परिवार
9	2048 परिवार	601 परिवार	1447 परिवार
10	4002 परिवार	989 परिवार	3013 परिवार
11	704 परिवार	178 परिवार	526 परिवार
12	2065 परिवार	700 परिवार	1365 परिवार
योग	30298 परिवार	9433 परिवार	20865 परिवार

स्रोत: नगर पालिका परिषद, उन्नाव—2019

वर्तमान एलिवेटेड जलाशय की कुल क्षमता 9 ओएचटी (टंकियाँ)— 4725 किलोलीटर है। नगर में उपरोक्त 12 जोनों में ओएचटी (टंकियाँ) के माध्यम से आंशिक रूप से और 12 जोनों में सीधे पम्पिंग द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है।

6.10.4 जल की गुणवत्ता

जल की गुणवत्ता कमोबेश जल की वांछित गुणवत्ता के निशान तक ही है क्योंकि महीने के भीतर एकत्र किए गए 200 नमूनों में से 190 ने गुणवत्ता परीक्षण में शुद्ध पाए गए। वर्तमान में पेय जल का मुख्य स्रोत भूजल है और भूजल पलोरिड और भारी धातुओं से दूषित है जो पीने के योग्य नहीं हैं।

6.10.5 उद्देश्य

- जल आपूर्ति की आवृत्ति: नगर में जल 2 ही घंटे के लिए आता है। जल की आपूर्ति के घंटे पर्याप्त नहीं हैं। स्रोत पर जल की उपलब्धता भी अलग—अलग रहती है, इसके अतिरिक्त जल आपूर्ति भी अनियमित है, विशेष रूप से गर्मियों में।
- जल की गुणवत्ता: जल की गुणवत्ता स्वीकार्य है।
- जल पर्याप्तता: नगर के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं की जाती है। 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14 और 15 जैसे कुछ वार्डों के निवासियों को ही पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है।
- नेटवर्क का कम कवरेज और जल के कुछ ही कनेक्शन।
- मीटर लगाने की खराब प्रणाली और कम जल प्रभार संग्रहण क्षमता।
- जल स्रोतों और आधारभूत ढांचे का दयनीय रखरखाव।
- नगर के लोगों को आपूर्ति प्रति व्यक्ति जल की मात्रा कम।

6.10.6 सेवा स्तर के बैंचमार्क

तालिका 6.15: सेवा स्तर बैंचमार्किंग, जलापूर्ति

क्र.सं.	संकेतक	बैंचमार्क	स्थिति (2011–12)
1.	कवरेज	100%	28.0%
2.	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	135 एलपीसीडी	78 एलपीसीडी
3.	मीटर लगाने की सीमा	100%	0
4.	गैर-राजस्व जल की सीमा	20%	21.8%
5.	जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटे	4 घंटे
6.	जलापूर्ति की गुणवत्ता	100%	98.6%
7.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	98.2%
8.	लागत वसूली	100%	93.3%
9.	जल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90%	95.6%

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव—2019

6.10.7 सरकार द्वारा जलापूर्ति के लिए प्रयास

सरकार की योजना:

- मिशन अवधि हेतु जल आपूर्ति परियोजनाओं की महायोजना
- गंगा बैराज से उन्नाव की जल आपूर्ति

तालिका 6.16: जलापूर्ति की पहल

घटक	वर्ष 2015			वर्ष 2021	
	वर्तमान	चालू	कुल	मंग	अंतर
स्रोत संवर्धन (टीडब्ल्यू)	18 एमएलडी	18 एमएलडी	18 एमएलडी	36 एमएलडी	18 एमएलडी
प्रशोधन क्षमता	18 एमएलडी	18 एमएलडी	18 एमएलडी	36 एमएलडी	18 एमएलडी
वर्ष 2015 के अनुसार एलिवेटेड भड़ारण क्षमता	4.725 एमएलडी (9 टंकियां (ओएचटी))	शून्य	4.725 एमएलडी	12-15 एमएलडी टंकियां (ओएचटी)	7.25 एमएलडी
वितरण नेटवर्क कवरेज	92 किमी	-	92 किमी	234 किमी	142 किमी

स्रोत: उन्नाव के लिए मल कीचड़ (स्लज) प्रबंधन समाधान की डीपीआर, वर्ष—2021

6.10.8 अमृत योजना के तहत उन्नाव शुक्रलागंज जलापूर्ति योजना

भारत सरकार की अमृत मिशन के तहत उन्नाव शुक्रलागंज क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा बैराज (चरण 1) से जल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्नाव में पीने के जल की आपूर्ति के लिए चरण 1 के तहत कुल 9 ओवरहेड टैंक और 9 भूजल जलाशय प्रस्तावित हैं। हालांकि मांग 42.89 एमएलडी की है।

तालिका 6.17: उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र में जोन वार जलापूर्ति की मांग (चरण 1)

जोन सं०	वार्ड संख्या	आच्छादित जनसंख्या	जलापूर्ति की मांग (केएलडी में)	आच्छादित जनसंख्या	जलापूर्ति की मांग (केएलडी में)	आच्छादित जनसंख्या	जलापूर्ति की मांग (केएलडी में)
I	23,5,8	17185	2668	20565	3193	25350	3936
II	4,11,8,6,25	21636	3359	24208	3758	27101	4207
III	8	4580	708	5265	817	8143	954
IV	20,19,2	21802	3385	26772	4156	37695	5852
V	29,24,27,13,26,2,6	33060	5133	37266	5786	44664	6934
VI	3	10340	1805	15600	2422	18200	2826
VII	9	8977	1394	10125	1572	14625	2271
VIII	12,17,7,28,15	26803	4161	30796	4781	33353	5178
IX	1,21,14	23540	3855	28788	4469	33584	5211
X	10,18,22,16	24763	3844	31125	4832	35426	5500

स्रोत: उन्नाव जल निगम वर्ष—2021

जलापूर्ति योजना (द्वितीय चरण) का नवशा अनुलग्नक 4 में दिखाया गया है। योजना का विवरण इस प्रकार है:

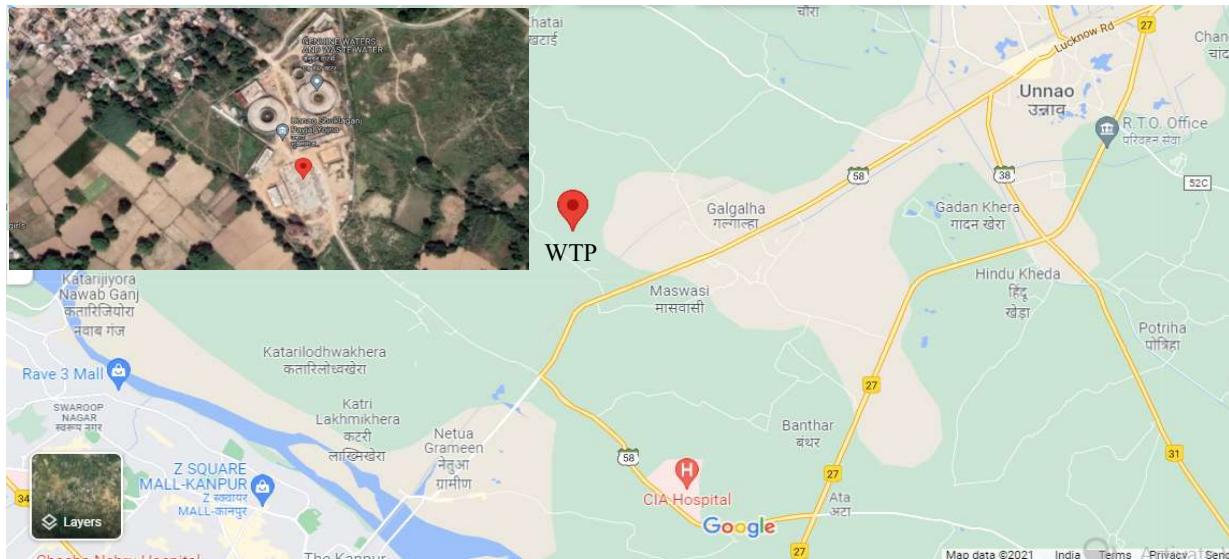
तालिका 6.18: अमृत अंतर्गत उन्नाव शुक्रलागंज में जलापूर्ति योजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण)

क्र. सं.	योजना का नाम	सुविधाएँ	विवरण	स्थल	जलापूर्ति की मांग (के एलडी में)
1	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा बैराज के माध्यम से उन्नाव शुक्रलागंज (चरण 1) पेयजल योजना	रॉ वाटर इन्टेक कम पम्प हाउस रॉ वाटर राइजिंग मेन (1000 मि0मी0 डाया डी0आई0 के0-9) वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट मेग वलीयर वाटर जलाशय सीपी टैंक	1 नग 13 कि0मी0 80 एम0एल0डी0 7000 कि0ली0 की क्षमता— 1 नग 850 कि0ली0 की क्षमता— 1 नग	गंगा बैराज, कानपुर गंगा बैराज, कानपुर देवाराकलां, उन्नाव देवाराकलां, उन्नाव देवाराकलां, उन्नाव	
	अवर जलाशय (कुल क्षमता 19300 कि0ली0) जोन नं 1 जोन नं 3 जोन नं 4 जोन नं 5 जोन नं 6 जोन नं 7 जोन नं 8 जोन नं 9 जोन नं 10	(850 कि0ली0 / 18 मी0) (350 कि0ली0 / 20 मी0) (750 कि0ली0 / 18 मी0) (1100 कि0ली0 / 18 मी0) (1000 कि0ली0 / 20 मी0) (600 कि0ली0 / 15 मी0) (1350 कि0ली0 / 18 मी0) (1900 कि0ली0 / 20 मी0) (2000 कि0ली0 / 22 मी0)	9 नग	आवास विकास कासिम नगर हिरन नगर किला शेखपुर अकरमपुर पत्थरकटा पूरन नगर सिविल लाइन	42868 के एलडी
	भूमिगत जलाशय (कुल क्षमता 7000 कि0ली0) जोन नं 1 जोन नं 3 जोन नं 4 जोन नं 5 जोन नं 6 जोन नं 7 जोन नं 8 जोन नं 9 जोन नं 10	(400 कि0ली0) (100 कि0ली0) (600 कि0ली0) (2450 कि0ली0) (300 कि0ली0) (250 कि0ली0) (550 कि0ली0) (550 कि0ली0) (550 कि0ली0)	9 नग	आवास विकास कासिम नगर हिरन नगर किला शेखपुर अकरमपुर पत्थरकटा पूरन नगर सिविल लाइन	
2	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नाव नगर पालिका परिषद पेयजल योजना (चरण 2)	वितरण प्रणाली जोन नं 1 आवास विकास जोन नं 2 बाबूगंज	418 कि0मी0 52.38 कि0मी0 38.10 कि0मी0	आवास विकास, राजेपुर एवं कासिम नगर (आंशिक) बाबूगंज, गिरजाबाग, कासिम नगर (आंशिक), पुरानी बाजार (आंशिक) एवं दुर्गापुर	

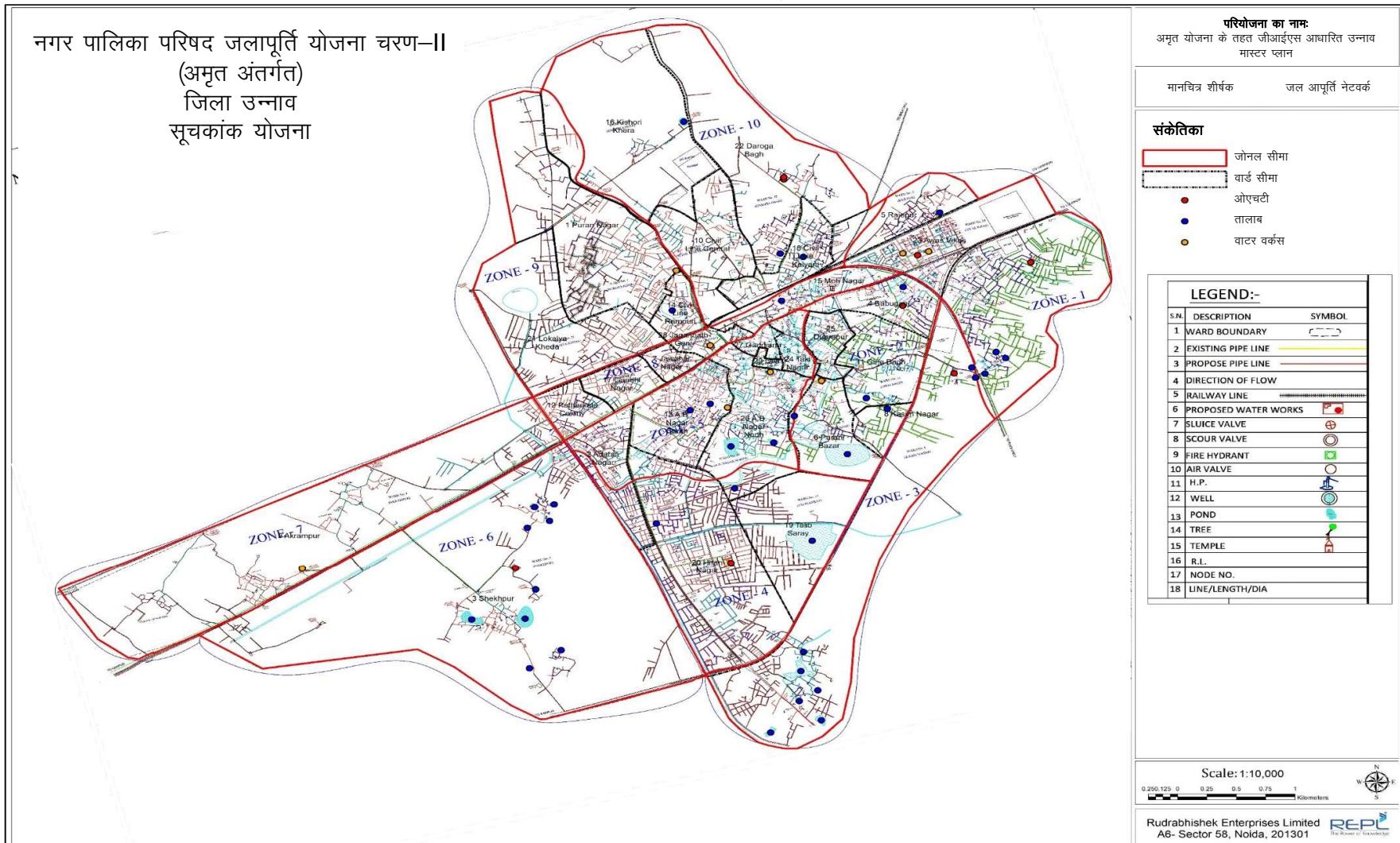
क्र. सं.	योजना का नाम	सुविधाएँ	विवरण	स्थल	जलापूर्ति की मांग (के लड़ी में)
		जोन नं 3 कासिम नगर	22.25 कि0मी0	कासिम नगर (आशिक)	
		जोन नं 4 हिरन नगर	67.01 कि0मी0	हिरन नगर, तालिब सराय, आदर्श नगर	
		जोन नं 5 किला	57.57 कि0मी0	किला, तकी नगर, गदियाना, ए0वी0 नगर दक्षिण तथा ए0वी0 नगर उत्तर, आदर्श नगर, पुरानी बाजार	
		जोन नं 6 शेखपुर	27.40 कि0मी0	शेखपुर	
		जोन नं 7 अकरमपुर	27.10 कि0मी0	अकरमपुर	
		जोन नं 8 पत्थरकटा	29.48 कि0मी0	पत्थरकटा, गांधी नगर, जवाहर नगर, जगन्नाथ गंज तथा मोती नगर	
		जोन नं 9 पूरन नगर	56.17 कि0मी0	पूरन नगर, लोक नगर (लोकईयाखेड़ा) तथा रामपुरी	
		जोन नं 10 सिविल लाइन	41.23 कि0मी0	सिविल लाइन सेंट्रल, सिविल लाइन कल्याणी देवी, दरोगाबाग तथा किशोरीखेड़ा	

स्रोत: उ0प्र0 जल निगम, उन्नाव-2021

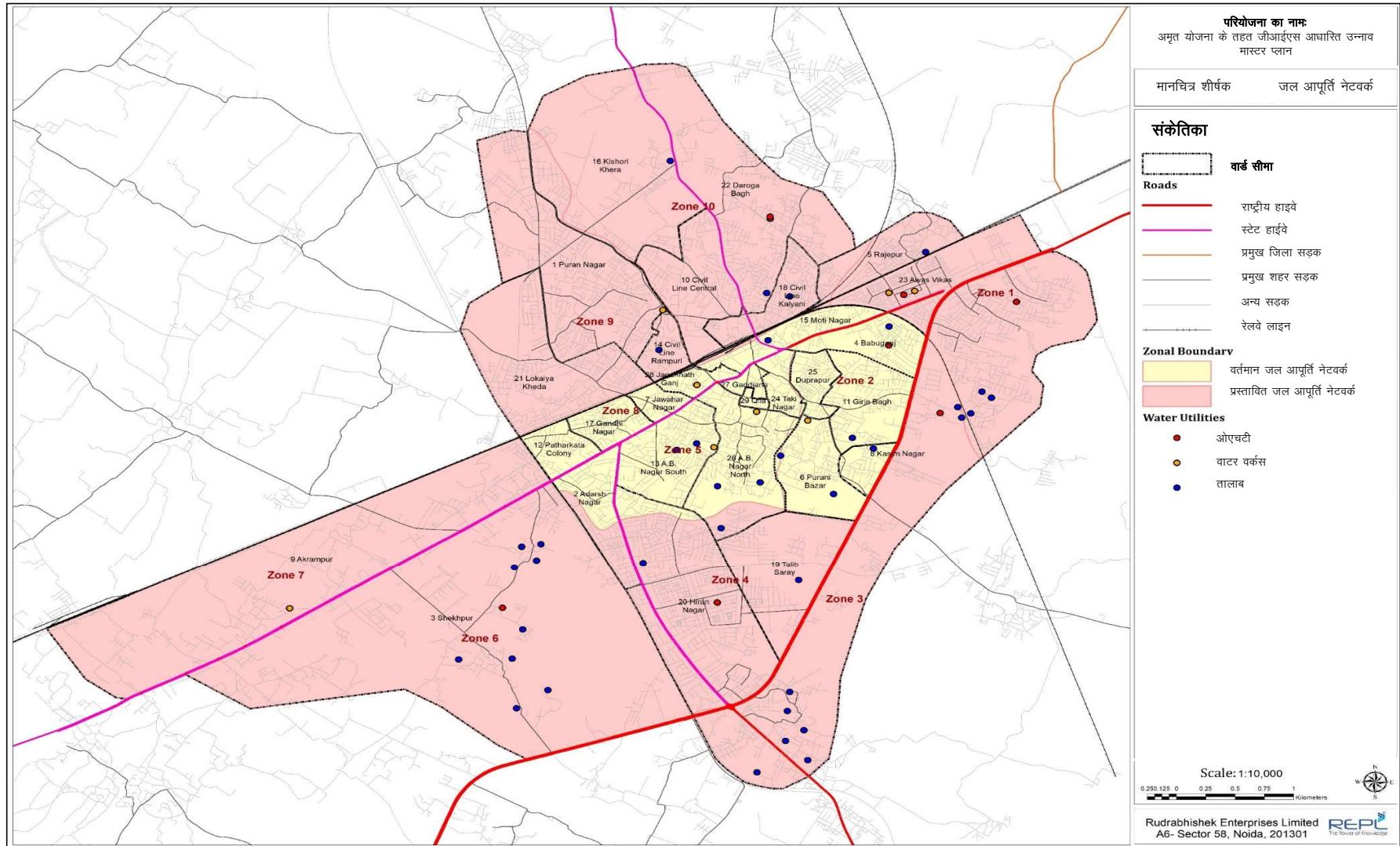
चित्र 6.1: निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट- उन्नाव



मानचित्र 6.1: नगर पालिका परिषद जलापूर्ति योजना फेस-2



मानचित्र 6.2: उन्नाव के विभिन्न जोन्स में जलापूर्ति नेटवर्क कवरेज



6.10.9 अमृत योजना अंतर्गत उन्नाव शुक्लागंज में जलापूर्ति (द्वितीय चरण)

उन्नाव नगर में द्वितीय चरण के अन्तर्गत 418 किमी वितरण नेटवर्क प्रस्तावित है। जल निगम वर्ष 2017 की तकनीकी सहायता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2048 तक 10 जोन्स के लिए जल की मांग की गणना की गई है। जनसंख्या अनुमान 30 वर्षों के लिए किया गया है— 2018, 2033 और 2044। जल की मांग और आच्छादित की गई जनसंख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6.19: अमृत योजना अंतर्गत उन्नाव शुक्लागंज में जलापूर्ति (द्वितीय चरण)

क्र.सं.	विवरण	आरंभिक चरण— 2018	मध्य चरण— 2033	अंतिम चरण— 2048
1	जनसंख्या	192665	230510	276120
2	लागत की पूँजी (लाख में)	8006.74	8006.74	8006.74
3	परियोजना की प्रति व्यक्ति लागत	4155.78	3473.49	2899.73
4	जल का वार्षिक उत्पादन (केएल)	10917603	13062137	15646685
5	वार्षिक व्यय (लाख में)	24.93	44.91	65.65
6	जल के उत्पादन की लागत प्रति किलोलीटर (रु)	0.23	0.34	0.42
7	संचालन और अनुरक्षण की प्रति व्यक्ति लागत (रु)	12.94	19.48	23.78
8	प्रक्षेपित परिवारों की संख्या	32111	38418	46020
9	कुल अनुमानित वार्षिक आय (लाख में)	256.90	394.99	595.38
10	शुद्ध लाभ हानि (लाख में)	231.96 (+)	350.08 (+)	529.74 (+)

स्रोत: अमृत की डी0पी0आर वर्ष—2021

6.10.10 अमृत मिशन

6.10.10.1 सुधार 2015–2016

- जल की 29 प्रतिशत होने वाली हानि को वर्तमान से 20 प्रतिशत की कमी करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। नगरीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा जल आपूर्ति के क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जल की हानि को 20 प्रतिशत तक कम करने की कार्य योजना संलग्न है।
- जल निगम द्वारा मल प्रशोधन संयत्र (एसटीपी) और जल प्रशोधन संयत्र (डब्ल्यूटीपी) परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और यह कार्य प्रगति पर है।

6.10.10.2 सुधार 2016–2017

- 10 नलकूपों का स्वचालन किया गया है।
- पंपों के लिए ईईएसएल द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की गई है और रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। बेहतर ऊर्जा दक्षता के लिए रिपोर्ट के सुझावों को लागू करने का काम यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
- जल निगम, उन्नाव में मल कीचड़ प्रबंधन के लिए एक परियोजना तैयार कर रहा है।

6.10.10.3 सुधार 2017–2018

- गंगा बैराज से उन्नाव—शुक्लागंज जल आपूर्ति योजना के चरण, वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत किया गया था जिसकी अनुमानित लागत 25351.53 लाख रुपये थी। 80 एमएलडी की प्रशोधन क्षमता का जल प्रशोधन संयत्र प्रस्तावित किया गया है।
- बाढ़ के दौरान गंगा नदी के जल से “नया आधुनिक नगर” को बचाने के लिए, सिंचाई विभाग द्वारा संलग्न प्रमुख योजना के अनुसार 6.9 किमी लंबाई का एक सीमांत बांध प्रस्तावित किया गया है।

6.10.11 जल आपूर्ति की मांग और अंतर

तालिका 6.20: उन्नाव विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की मांग और अंतर

क्र. सं.	नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र	प्रक्षेपित आबाद जनसंख्या (2031)	अस्थायी जनसंख्या (2031)	प्रक्षेपित कुल आबाद जनसंख्या (2031)	प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए 135 एमएलडी की दर से अपेक्षित जल	शूफार्डल्यू (15 प्रतिशत) (एमएलडी में)	भाजा 100% की दर से जल की कुल मांग (एमएलडी में)	वर्तमान जल आपूर्ति (एमएलडी)	अंतर	
1	नगरीय क्षेत्र	357,166	20,000	377,166	50.92	7.64	0.06	58.62	13.87	44.75
2	ग्रामीण क्षेत्र	79,063	3,771	82,834	11.18	1.68	0.03	12.89	-	12.90
3	योग	436,229	23,771	460,000	62.10	9.32	0.09	71.51	13.87	57.65

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण वर्ष-2021

6.11 मल निर्यास (सीवरेज)

नगर में समुचित सीवर नेटवर्क विद्यमान नहीं है। इसके अलावा नगर के लोगों में ऐसी सुविधा का उपयोग करने की इच्छाशक्ति का भी अभाव है जो स्थल के दौरां के दौरान परिलक्षित हुआ। ऐसी दशा में अपेक्षित मल निर्यास प्रशोधन संयत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) एवं वर्षा जल निकासी का अभाव इसे और भी बदतर बना देता है। मल-जल का प्रशोधन या तो सेंटिक टैंक में किया जाता है या सीधे टूटे हुए नाले या जल निकायों में छोड़ा जाता है। नगर में निर्यास प्रशोधन संयत्र विद्यमान नहीं है।

मल-जल उत्पादन की प्रवृत्ति और भावी प्रक्षेपणों की गणना 0.8 गंदा जल वापस होने के आधार पर की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत जल की आपूर्ति गंदे जल के रूप में होती है। वर्ष 2011 तक उन्नाव नगर में 177658 जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कुल अनुमानित मलजल 11 एमएलडी है जबकि नगर में कुल 13.87 एमएलडी जल की आपूर्ति की गई। वर्तमान में नगर का सात्र 11 प्रतिशत (32 किमी) क्षेत्र सीवर नेटवर्क के अंतर्गत है। नगर में अभी तक गंदे जल की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नाव में वार्ड 23 एकमात्र ऐसा वार्ड है जिसका अपना सीवर नेटवर्क है और जहां मल जल एकत्र करने के लिए संग्रहण प्रणाली विद्यमान है। इस मल-जल को एकत्रित किया जाता है और आदर्श नगर नाला नामक नाले में निस्तारण किया जाता है।

चित्र 6.2: वार्ड 23 में स्थित मल निर्यास प्रणाली



तालिका 6.21: नगर में मल निर्यास आधारभूत ढांचा

क्र.सं.	संकेतक	संख्या
1	जनसंख्या	177658
2	कुल जल आपूर्ति	13.87 एमएलडी
3	उत्पादित मल	11 एमएलडी
4	सीवर कनेक्शन की कुल संख्या	शून्य
5	सीवर प्रणाली के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र	11 % (32 किमी)
6	मलजल प्रशोधन संयत्र	शून्य

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव वर्ष-2021

6.11.1 संग्रहण

वर्तमान में, नगर में घरेलू स्तर पर, सेप्टिक टैंक कनेक्शन की प्रणाली है और नगर में कोई मल जल संग्रहण नेटवर्क विद्यमान नहीं है। सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला गंदा जल नाले में मिल जाता है और भूजल के दूषित होने की समस्या पैदा करता है।

6.11.2 प्रशोधन एवं निस्तारण

स्थलेत्तर (ऑफ साइट) – बिछाई गई मल निर्यास प्रणाली तक लोगों की पहुंच न होने के कारण जल का स्थलेत्तर प्रशोधन नहीं हो पा रहा है।

स्थल पर (ऑन साइट) – उन्नाव में कई परिवार ऐसे हैं जिनका मल-जल (शौचालय से) सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढों में जाता है। रसोईघर एवं स्नानागार का गंदा जल बिना प्रशोधन के ही खुली नालियों में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में, मल-जल के निस्तारण के लिए घरों और मलिन बस्तियों में सेप्टिक टैंक या सेप्टिक टैंक के कवरेज पर निर्भर परिवारों का पता नहीं लगाया जा सका है।

अंतर—

- वर्तमान में मात्र 11 प्रतिशत (32 किमी) क्षेत्र सीवर नेटवर्क के अंतर्गत है शेष 259 किमी (68 प्रतिशत) में सीवर नेटवर्क अपेक्षित है।
- नगर के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए सीवेज संग्रहण प्रणाली नहीं बिछाई गई है।
- वास्तव में, यह उन क्षेत्रों को भी पूरी तरह से कवर नहीं करता है जिनके लिए सीवर लाइन की शाखा और मुख्य सीवर बिछाए गए हैं।
- प्रत्येक परिवार (33273) में सीवर कनेक्शन अपेक्षित है।
- नगर में मल निर्यास प्रशोधन संयंत्र भी अपेक्षित है।

पहलें:

- नगर में मल निर्यास प्रशोधन संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम आरंभ कर दिया गया है।
- अमृत वित्तपोषण के अंतर्गत सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा और मल निर्यास प्रशोधन संयंत्र के निर्माण के लिए नमामि गंगे से धनराशि एकत्र की जाएगी।

6.11.3 उद्देश्य

- उन्नाव में एक चुनौती दर ढांचा स्थापित करना भी है जो पूंजी निवेश, संचालन, रखरखाव और नियामक अपेक्षाओं से सम्बद्ध सेवाओं की वास्तविक लागत का पर्याप्त रूप से निवारण करे।
- व्यवित्रियों की पहुंच के अभाव के कारण वर्तमान मल निर्यास प्रणाली की बाध्यताएं।
- मल जल का प्रवाह और कुछ मामलों में जल निकायों में मल जल अनियंत्रित होता जा रहा है।

6.11.4 सेवा स्तर बेंचमार्किंग

तालिका 6.22: मल निर्यास प्रणाली के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क

क्र.सं.	संकेतक	बैंचमार्क	स्थिति
1.	मल निर्यास (सीवरेज) नेटवर्क का कवरेज	100%	11 %
2.	मल निर्यास (सीवरेज) नेटवर्क की संग्रहण दक्षता	100%	0 %
3.	मल जल प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता	100%	0 %
4.	मल जल प्रशोधन की गुणवत्ता	100%	0 %
5.	मल जल के पुनरोपयोग और पुनर्वर्क्रम की सीमा	20%	0 %
6.	लागत वसूली की सीमा	100%	0 %
7.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	0 %
8.	मल जल शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%	0 %

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव वर्ष-2021

6.11.5 मांग और अंतर का मूल्यांकन

तालिका 6.23: मांग और अंतर का मूल्यांकन, 2031

क्र.सं.	प्रणाली / नदी क्षेत्र	प्रक्षेपित जनसंख्या + अस्थायी जनसंख्या (2031)	जल मांग की कुल उपलब्धि (एमएलडी में)	प्रक्षेपित जनसंख्या (अस्थायी जनसंख्या सहित) द्वारा जल आपूर्ति (एमएलडी) के 80 प्रतिशत की दर से मल जल उत्तरादान	वर्तमान मल जल प्रशोधन (एमएलडी)	अंतर (एमएलडी में)
1	नगरीय क्षेत्र	377,166	58.62	46.89	-	46.89
2	ग्रामीण क्षेत्र	82,834	12.89	10.31	-	10.31
3	योग	460,000	71.51	57.20	-	57.20

स्रोत: सीपीएचईआर्ओ और आरईपीएल का विश्लेषण वर्ष-2021

6.11.6 नगर में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

- प्रस्तावित मल निर्यास प्रशोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापित क्षमता का उपयोग करने के लिए मल निर्यास नेटवर्क बिछाना एवं परिवारों को सीधे लाइन से सम्बद्ध करना।
- पर्याप्त क्षमता वाले मल जल प्रशोधन संयंत्रों की स्थापना।
- अत्यधिक मल जल का बहन करने वाले नालों का आई एंड डी मॉडल पर निर्माण किए जाने वाले एसटीपी में निकासी और मार्ग बदलना।
- सिंचाई/बांगवानी/छिड़काव/औद्योगिक उपयोग आदि में आधारभूत ढांचे का विकास और एसटीपी के प्रशोधित जल का पुनरोपयोग सुनिश्चित करना।
- एसटीपी की रिक्त भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा बांगनों की स्थापना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नदी में बहने वाले मल जल का जैव-प्रशोधन/पादप-प्रशोधन/ऑक्सीकरण तालाब आदि द्वारा प्रशोधन करना।
- गंगा नदी के किनारे बसे समस्त ग्रामों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) क्षेत्र सुनिश्चित करना।

6.11.7 राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश (13 जुलाई 2017 का निर्णय)

प्रदूषण की सीमा, विशेष रूप से गंगा नदी के औद्योगिक प्रदूषण एवं नदी की लंबाई (2525 किमी) को ध्यान में रखते हुए, गंगा सफाई परियोजना को विभिन्न खंडों में विभाजित करना नितांत आवश्यक माना गया। इसका एक कारक, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया गया था और अधिकरण के समक्ष अभिलेख से काफी स्पष्ट था, गंगा नदी में मल जल का निस्तारण इसकी प्रकृति और सामग्री में अनन्य नहीं है। नदी में कुछ स्थानों पर मल जल का निस्तारण मल जल से होता है तो कुछ स्थानों पर औद्योगिक समूहों से होता है, लेकिन ज्यादातर निस्तारण में मल जल और औद्योगिक कचरा दोनों होते हैं। इसके आलोक में, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गंगा नदी को उसके अपने पुराने स्वरूप में लाने के लिए इसे विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

- गंगा चरण— I —खंड—ए: गोमुख से हरिद्वार
- गंगा चरण— I —खंड—बी: हरिद्वार से कानपुर
- गंगा चरण— II कानपुर सीमा से उत्तर प्रदेश सीमा
- गंगा चरण— III उत्तर प्रदेश सीमा से झारखंड सीमा तक
- गंगा चरण— IV झारखंड सीमा से बंगाल की खाड़ी (पश्चिम बंगाल) तक

गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकरण निर्देश देता है कि:

क. जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधियों से मिलकर एक विशेष समिति का गठन करें, जो पच्चीस साल के चक्र में एक बार प्रथम चरण के खंड बी में गंगा नदी के बाढ़ वाले मैदानी भागों की पहचान और सीमांकन करेगी।

ख. जब तक बाढ़ वाले मैदानी भागों की पहचान और सीमांकन पूरा नहीं हो जाता, हम निर्देश देते हैं कि नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी को चरण -1 के खंड बी यानी हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर में विकास/निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

ग. विशेष समिति विकास/निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र, विनियामक क्षेत्र एवं उन क्रियाकलापों की पहचान करेगी जो बाढ़ वाले मैदानी भागों के विनियामक क्षेत्र में चलाया जा सकता है या नहीं।

घ. नगर पालिका परिषद के कचरे (एमएसडब्ल्यू), ई—कचरा या जैव चिकित्सीय कचरे के बाढ़ वाले मैदानी भागों में या गंगा नदी चरण— I के खंड बी में पड़ने वाली उसकी सहायक नदियों में निस्तारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

छ. जैसा कि समिति को आदेश दिनांक 11 अप्रैल, 2017 में निर्देशित है, प्रत्येक भूल के लिए, दोषी, इस तरह के क्षेपण या किसी भी प्रकार के कचरे को नदी में फेंकने के लिए प्रति भूल 50,000 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

च. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) एवं उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी संबंधित प्राधिकरण इन निर्देशों के साथ—साथ हमारे आदेश दिनांक 11 अप्रैल, 2017 (सुप्रा) में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

छ. गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे से 500 मीटर के भीतर कचरा प्रसंस्करण के लिए किसी भी तकनीक के बावजूद किसी भी प्रकार के कचरे के लिए कोई क्षेपण या भू भराव स्थल बनाया जाएगा।

6.11.8 शौचालय

वर्ष 2011–12 के लिए मल निर्यास एवं स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी के अनुसार, उन्नाव में 26890 फ्लश शौचालय और 8 सामुदायिक शौचालय हैं। इस प्रकार नगर में कुल 33273 घरों में से 26890 घरों में शौचालय की सुविधा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उन्नाव की कुल जनसंख्या 177658 है और नगर में रहने वाले परिवारों की संख्या 33273 है। इनमें से 83 प्रतिशत परिवारों के पास परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और शेष 17 प्रतिशत जनसंख्या या तो खुले में शौच के लिए जाती है या सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करती है जैसे सुलभ कॉम्प्लैक्स। शौचालयों के मामले में सबसे गंभीर स्थिति वार्ड नंबर 3, 8, 9 में हैं जहां 50 प्रतिशत और इससे भी कम शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इन वार्डों के निवासी आसपास की रिक्त भूमि में खुले में शौच के लिए जाते हैं।

6.11.9 सामुदायिक शौचालय

उन्नाव नगर क्षेत्र में कुल 8 सुलभ कॉम्प्लैक्स (सार्वजनिक और सामुदायिक) विद्यमान हैं।

6.11.10 उद्देश्य

- खुले में शौच अब बहुत कम प्रचलन में है लेकिन नगर के चयनात्मक इलाकों में अभी भी प्रचलित है।
- भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों में मार्ग के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पेशाब करना आम बात है।
- नगर पालिका परिषद के उत्तरदायित्व के अंदीन सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6.11.11 सेवा स्तर बैंचमार्क

सीपीएचईओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में शौचालयों के कवरेज के लिए बैंचमार्क 100 प्रतिशत है, जबकि नगर पालिका परिषद, उन्नाव अभी भी इस मानक से दूर है। नगर में बेहतर स्वच्छता स्तर के लिए लोगों की शौचालय तक पहुंच अत्यंत आवश्यक है।

उन्नाव में प्रमुख भू उपयोग आवासीय है जिसमें कुछ प्रतिशत वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सार्वजनिक स्थान हैं। जनसंख्या घनत्व, मिलिन बस्तियों की उपस्थिति और भू उपयोग स्पष्ट रूप से मिलिन बस्तियों और आम जनता के लिए सार्वजनिक शौचालयों और सामुदायिक/भागीदारी शौचालयों की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

मल जल प्रबंधन संकेतक	बैंचमार्क	स्थिति (2011-12)
शौचालयों का कवरेज	100 %	83 %

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव, 2016

6.12 वर्षा जल निकास

नगर में वर्षा जल निकासी की प्रणाली नहीं है। वर्षा जल निकासी का गंदे जल के प्रवाह और ठोस कचरे फेंकने का दुरुपयोग किया जाता है। नगर का लगभग 34.7 कि.मी. क्षेत्र वर्षा जल निकासी के अंतर्गत है और 246 किमी क्षेत्र में वर्षा जल निकासी प्रणाली विद्यमान नहीं हैं। नगर में पक्की नालियों की कुल लंबाई 8.5 किमी है जबकि कच्ची नालियों की कुल लंबाई 15 किमी है।

तालिका 6.24: उन्नाव नगर में वर्षा जल निकासी की स्थिति

नालियों का प्रकार	लगभग लंबाई	प्रतिशत
कुल लंबाई	291	100

नालियों का प्रकार	लगभग लंबाई	प्रतिशत
वर्तमान नालियां	34.7	12%
पक्की नालियों की कुल लंबाई	8.5	3%
कच्ची नालियों की कुल लंबाई	15	5.15%
अंतर	256	79.85%

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव, 2016

नगर पालिका परिषद, उन्नाव में जल निकासी प्रणाली का कोई केंद्रीयकृत डेटाबेस या नक्शा उपलब्ध नहीं है। मानसून से पूर्व और वर्ष के किसी और समय में भी नालों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जाता है।

6.12.1 जल निकास प्रणाली के लिए चल रहे हस्तक्षेप

- नगर स्वच्छता योजना के अंतर्गत नगर में शत-प्रतिशत कवरेज और वर्षा जल नालियों में मल जल के निस्तारण की रोकथाम।
- नालियों का निर्माण और कच्ची नालियों का उन्नयन।
- वर्षा जल नालियों में जाने वाले ठोस कचरे के संग्रहण के लिए एकत्र स्थल की स्थापना।
- स्रोत नियंत्रण कार्यनीतियाँ – वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- प्राकृतिक नालों पर अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमणों को हटाना।
- जल निकासी के डिजाइन के अनुसार मार्ग किनारे नालियों का निर्माण।

6.13 ठोस कचरा प्रबंधन

ठोस कचरा प्रबंधन उन्नाव नगर पालिका परिषद का एक अनिवार्य कार्य है। स्थानीय निवासी, होटल, रेस्तरां, बाजार और सभी बाजार, चिकित्सालय और औषधालय, नगर में कचरे के उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। नगर में प्रतिदिन लगभग 65.4 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है।

नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण उन्नाव नगर में ठोस कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नगर की जनसंख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि नगर में प्रतिदिन लगभग 65.4 मीट्रिक टन और प्रतिदिन 31 किलोग्राम/व्यक्ति/दिन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। नगर पालिका, अपने उपलब्ध वाहनों और कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से केवल 40–50 प्रतिशत कचरे को साफ करने में सक्षम है।

6.13.1 ठोस कचरे का उत्पादन

प्रति एनएन नगर में उत्पन्न कुल ठोस कचरे की मात्रा 824 मीट्रिक टन प्रति दिन है, जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन 550 ग्राम है, यह नगर ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी नियमावली, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार 2000 में निर्धारित मानक/मानदंडों से अधिक है। नगर में कचरा उत्पादन का प्रमुख स्रोत घरेलू कचरा है और नगर में कचरा उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कोतवाली, नूरी गेट और लोहामंडी सम्मिलित हैं।

तालिका 6.25: उन्नाव नगर में ठोस कचरे का उत्पादन

क्र.सं.	ठोस कचरे का स्रोत	उत्पन्न होने वाला ठोस कचरा (मीट्रिक टन)	उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे कुल प्रतिशत
1	घरेलू	62.18	95.08
2	दुकान/वाणिज्यिक	0.5	0.76
3	चिकित्सालयों का कचरा	0.22	0.34
4	उद्योग	2.5	3.82
	योग	65.4	100

स्रोत: नगर पालिका उन्नाव वर्ष-2021

प्रदूषित कचरा: खतरनाक कचरे में अस्पतालों और क्लीनिकों, नर्सिंग होम, चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जैव चिकित्सीय कचरा सम्मिलित है। जैव चिकित्सीय कचरे के घटक हैं; (i) मानव के शरीर का कचरा (ऊतक, अंग, शरीर के अंग आदि), (ii) पशु कचरा (उपरोक्त के अनुसार, अनुसंधान/प्रयोग के दौरान पशु चिकित्सा चिकित्सालयों आदि से उत्पन्न), (iii) सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी कचरा, जैसे प्रयोगशाला जीवाणु, सूक्ष्म जीव, मानव और पशु कोशिका के जीवाणु, विषाक्त पदार्थ आदि, (iv) नुकीला कचरा, जैसे, हाइपोडर्मिक सुई, सीरिज, स्केलपेल, टूटे हुए कांच आदि, (v) छोड़ी गई दवाएं और साइट-टॉक्सिक दवाएं (vi) गंदा कचरा, जैसे ड्रेसिंग, पट्टियाँ, प्लास्टर कास्ट, रक्त से संदूषित सामग्री आदि, (vii) ठोस कचरा (ट्यूब, कैथेटर आदि जैसे डिस्पोजेबल सामग्री नुकीली वस्तुओं को छोड़कर), (viii) किसी भी संक्रमित क्षेत्र से उत्पन्न तरल कचरा, (ix) भस्मीकरण राख, (x) रासायनिक कचरा। वर्तमान में नगर में 0.22 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा कचरा उत्पन्न होता है। नगर में वर्तमान में 1 चिकित्सालय लगभग 5 नर्सिंग होम और 50 निजी क्लीनिक विद्यमान हैं। कचरे को स्रोत पर ही लाल (प्लास्टिक), पीला (कपास,

शरीर के अंग, रक्त), नीला (सिरिज, ब्लेड, धातु) और काला (सामान्य कचरा) डिब्बे में अलग किया जाता है। इसके लिए चिकित्सालयों से 3.20/- रुपये प्रति बेड/दिन का शुल्क लिया जाता है।

6.13.2 उपकरण का विवरण

कचरे की ढुलाई में लगे वाहनों में कुल 30 वाहन हैं और प्रत्येक वाहन अंतिम क्षेपण स्थल तक कम से कम 2 चक्रकर लगाता है। नीचे दी गई तालिका में वाहनों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 6.26: कचरा संग्रहण के लिए वाहन

क्र.सं.	वाहन	संख्या
1	भारी	8
2	मध्यम	12
3	छोटे	10

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव, 2016

तालिका 6.27: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सेवा बैंचमार्क

ठोस कचरा प्रबंधन	मापदंड	वर्तमान
ठोस कचरा प्रबंधन सेवाओं का परिवार (घरों) तक कवरेज	100%	0.0
नगर पालिका ठोस कचरा के संग्रहण की दक्षता	100%	40-50
नगर पालिका ठोस कचरा के पृथक्करण की सीमा	100%	0.0
एकत्रित नगर पालिका के ठोस कचरे की मात्रा	80%	0.0
नगर पालिका ठोस कचरा के वैज्ञानिक निस्तारण की सीमा	100%	-
ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	00
ठोस कचरा प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	100%	-
ठोस कचरा प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90%	-

स्रोत: नगर स्वच्छता योजना, उन्नाव, 2016

6.13.3 नगर ठोस कचरा प्रबंधन, संग्रहण और ढुलाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

- यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के प्रावधानों पर केंद्रित है जिसमें उन्नाव नगर पालिका परिषद में कचरा उत्पादन की स्थिति और पैटर्न और इसके उचित और कुशल संग्रहण व ढुलाई के प्रस्तावों का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में परियोजना की भूमिका, विकास क्षेत्र की पृष्ठभूमि, वर्तमान ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थिति, लागत अनुमानों के साथ प्रस्तावित नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली, उपकरण विनिर्देश और मार्ग योजना, उन्नाव में स्वच्छता भू भराव भूमि की उपलब्धता का विवरण, परिचालन और रखरखाव के पहलू और प्रस्तावित प्रणाली की लागत के अंतर्गत विभिन्न विषय सम्प्रिलित हैं।
- उन्नाव नगर में कचरा उत्पादन के संबंध में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन्नाव में कुल 125.7 टन प्रति दिन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 55.4 टन प्रति दिन कचरा बायोडिग्रेडेबल है जबकि 50 टन प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल है और 14.80 टन प्रति दिन निष्क्रिय कचरा है और 5.5 मीट्रिक टन अनिष्टकारक कचरा है। गणना से यह भी पता चलता है कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन कचरा उत्पादन लगभग 652 ग्राम/व्यक्ति/दिन है। इस प्रकार उन्नाव में उत्पन्न होने वाला अधिकांश कचरा बायो-डिग्रेडेबल है।
- डीपीआर में उन्नाव में भू भराव के लिए भूमि उपलब्धता विवरण भी सम्प्रिलित है जिसमें स्थल के मानचित्र, नगर के मध्य से दूरी, पहुंच, वर्तमान भू उपयोग और क्षेत्र सम्प्रिलित हैं। वर्ष 2014 में, जिलाधीश ने शहरी स्थानीय निकाय को हुसैन नगर गांव में 3.313 हेक्टेयर क्षेत्र भू भराव स्थल एवं ठोस कचरा प्रबंधन के उद्देश्य से निःशुल्क भूमि प्रस्तावित की थी।

चित्र 6.3: प्रस्तावित भू—भराव स्थल



स्रोत: ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए डीपीआर

- कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण की गतिविधि, उन्नाव नगर पालिका परिषद के वर्तमान कर्मचारियों द्वारा की जाएगी और नगर पालिका परिषद अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की भी पूर्ति करेगी।
- यह भी अपेक्षित है कि 100 प्रतिशत घरों से घर—घर कचरे का संग्रहण किया जाएगा।

6.13.4 मांग और अंतर का मूल्यांकन

तालिका 6.28: उन्नाव विकास क्षेत्र में ठोस कचरा की मांग अंतर का मूल्यांकन

क्र.सं.	नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्र	प्रेषित जनसंख्या + अन्यसंख्या (2031)	16 क्षेत्र लिए 0.5 नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्र लिए 0.3 किग्रा/व्यक्ति /दिन एवं आवासीय क्षेत्र के लिए 0.3 किग्रा/व्यक्ति /दिन की दर से ठोस कचरे का उत्पादन (एन प्रति दिन टीपीडी)	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान प्रशोधन	अंतर
1	नगरीय क्षेत्र	377,166	188.583	65.4	-	123.18
2	ग्रामीण क्षेत्र	82,834	24.8502	-	-	24.85
3	योग	460,000	213.4332	65.4	-	148.03

स्रोत: सीपीएचईओ— 2000, एसएलबी 2018–19 और आरईपीएल का विश्लेषण वर्ष—2021

6.14 बिजली

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमित होने के बाद, उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। उन्नाव नगर की बिजली आपूर्ति कुंदन मार्ग पावर हाउस स्थित सब—स्टेशन से की जाती है, जिसे पनकी थर्मल प्लांट, कानपुर से 220 केवी ग्रिड की बिजली मिलती है। अन्य 1220 के.वी.ए. की क्षमता का बिजली घर, ग्राम सोनिक में पूर्व दिशा की ओर स्थित है जो सरोजनी नगर लखनऊ से संबद्ध है। यह पावर हाउस निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति करता है।

तालिका 6.29: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युतीकरण की स्थिति

नगरीय क्षेत्र	विद्युतीकृत	अविद्युतीकृत	घरेलू कनेक्शन	वाणिज्यिक कनेक्शन	औद्योगिक कनेक्शन	मार्ग प्रकाश कनेक्शन
उन्नाव	64.4	35.5	32000	4477	1234	3265

स्रोत: जनगणना—2011

6.14.1 अभिप्राय

- नगर के कुछ स्थानों में मार्ग प्रकाश का अभाव जिसके कारण सुरक्षा संबंधी खतरा बढ़ जाता है।

- सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की संभावनाओं की तलाश नहीं की गई है, विशेषतया मार्ग प्रकाश के लिए।

6.14.2 आवश्यकता

तालिका 6.30: उन्नाव विकास क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन एवं उपयोग का वितरण

क्र.सं.	प्रक्षेपित जनसंख्या + अस्थायी जनसंख्या (2031)	2.74 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से विद्युत का उपयोग
1	460,000	1,260,400.00

स्रोत: आरईपीएल का विश्लेषण वर्ष-2021

7. यातायात एवं परिवहन

किसी भी नगरीय क्षेत्र की परिवहन प्रणाली उसके समुचित क्रियाकलापों के लिए रीढ़ की तरह काम करती है मार्ग नेटवर्क नगरीय क्षेत्र के कामकाज की धर्मनियों के रूप में कार्य करता है। नगर के विकास में परिवहन एक प्रमुख होता है मार्ग आवागमन एवं सामानों की दुलाई और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। किसी नगरीय क्षेत्र में पहुंच एवं परिवहन दो ऐसे घटक हैं जो नगरीय केंद्रों के समुचित ढंग से कामकाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास क्षेत्र में क्षेत्रीय संयोजकता का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके उपरांत विकास क्षेत्र में वर्तमान पारगमन सुविधाओं की संक्षिप्त चर्चा की गई है। इस प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए नेटवर्क विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। महायोजना के अध्ययन के दौरान, कुछ मार्गों पर विशेषतौर पर शहरी क्षेत्रों में पार्किंग और यातायात का बोझ प्रमुख उद्देश्यों में से एक पाया गया है। इसके निवारण पर बाद के खंडों में जांच-पड़ताल की गई है और आखिर में इसके लिए प्रस्ताव भी दिए गए हैं। उन्नाव की महायोजना का मुख्य उद्देश्य, निम्नलिखित सिद्धांतों को लक्ष्य बनाकर, सुदृढ़ बनाना है:

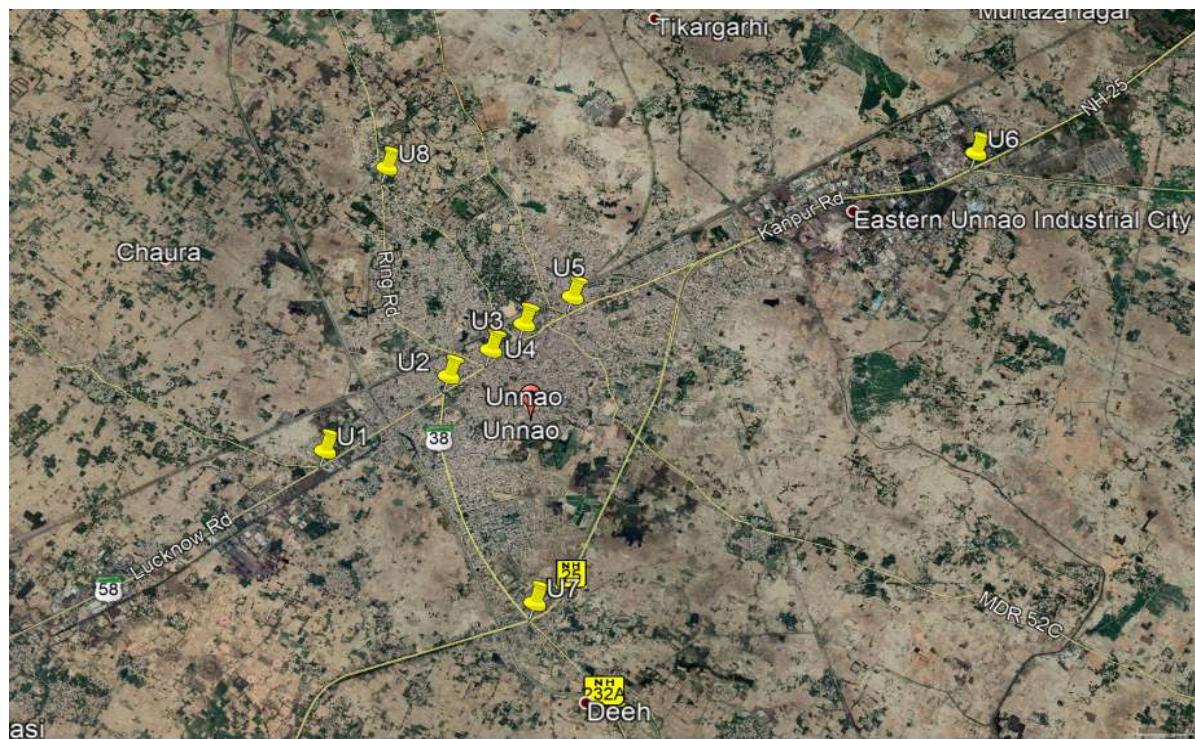
- सक्षम एवं बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली
- धीमी गति वाले वाहनों की सुरक्षित और संरक्षित गतिशीलता के लिए अधिकृत मार्ग (आरओडब्ल्यू) विकसित करना
- नगर के वाणिज्यिक केन्द्रों को विशाल आवासीय क्षेत्रों से सम्बद्ध करना।
- सभी गतिविधि वाले क्षेत्रों में पर्याप्त और अनवरत मार्ग उपलब्ध कराना
- नई क्षमता वाली प्रणालियों को बढ़ाने के साथ-साथ नवीन यातायात प्रबंधन तकनीक का कार्यान्वयन
- स्थान और समय के सापेक्ष स्थानीय और क्षेत्रीय यातायात को अलग-अलग करना
- गलियारों एवं चौराहों में निरंतरता और एकरूपता प्रदान करना
- संबंध भू उपयोग की आवश्यकता के अनुसार, बहुपयोगी क्षेत्रों के लिए अप्रयुक्त अधिकृत रास्ते (आरओडब्ल्यू) का उपयोग करना।

7.1 यातायात एवं परिवहन का अध्ययन और विश्लेषण

नगर के परिवहन हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण में प्रारंभिक कार्य (अर्थात् सर्वेक्षण के प्रारूप की तैयारी, डेटा संग्रह तकनीक, टीम बनाना आदि), प्रायोगिक सर्वेक्षण (अर्थात् प्रपत्र/डेटा संग्रह तकनीक आदि के सुधार के लिए स्थल पर प्रायोगिक सर्वेक्षण) और (संशोधित डेटा रूपों और इसके डिजिटलीकरण आदि के अनुसार) विस्तृत प्राथमिक सर्वेक्षण (डेटा संग्रह) सम्मिलित थे। प्राथमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य, यातायात एवं परिवहन संबंधी जानकारी का पता लगाना है। इस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नियमित आने जाने वाले व्यक्तियों के यात्रा की विशेषताओं का मूल्यांकन और परिमाणित करने के लिए अनेक यातायात और यात्रा सर्वेक्षण किए गए।

क. यातायात और परिवहन सर्वेक्षण

कॉर्डन प्लाइट



ख. सामाजिक—आर्थिक



7.1.1 वर्तमान परिदृश्य

परिवहन प्रणाली शहर के विकास में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण आभारभूत ढांचा है। लखनऊ—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग—27 पूर्व के दक्षिण की ओर पुराना नगरीय क्षेत्र में संकरी गलियां व मार्ग हैं। इस मार्ग के उत्तर दिशा के पश्चिमी भाग में ही अच्छेमार्ग है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास के कारण नगर में परिवहन व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मार्ग के आधारभूत ढांचे में मार्ग के मध्य से चौड़ीकरण करने में बढ़े हस्तक्षेप की आवश्यकता है लेकिन मानकों के अनुसार, मार्ग को चौड़ा करने के लिए उसके आसपास के भवनों को गिराना आवश्यक है जो किसी प्रकार से व्यावहारिक नहीं है। उन्नाव में, प्रांतीय मार्ग नगर के मध्य से निकल रहा है जो लगभग 13.10 किमी लंबा और 20.00 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा, अन्य जिला मार्गों (ओडीआर), 1 नगरीयमार्ग और 62 ग्रामीण मार्ग हैं। मार्गों का विवरण अनुबंध—2 में दिया गया है। उन्नाव में विभिन्न प्रकार के मार्गों और उनकी लंबाई को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 7.1 उन्नाव में मार्गों की लंबाई

क्र.सं.	मार्ग प्रकार	दिनांक 31.03.2019 तक मार्ग की लंबाई
1	पक्कामार्ग	167.40
2	अर्द्धपक्का मार्ग	17.73
3	कच्चामार्ग	11.70
योग		196.83

स्रोत: नगर पालिका परिषद, उन्नाव—2019

7.1.2 मुख्य मार्ग

नगर के आंतरिक यातायात के लिए प्रांतीय मार्ग—58 अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जो नगर के विभिन्न मार्गों से सम्बद्ध है। प्रांतीय मार्ग पर नगर पालिका परिषद, बस स्टेशन, प्राधिकरण कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थान भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग—27 (लखनऊ—कानपुर) मार्ग पर औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं।

उप-धमनीय मार्ग— गुरु तेग बहादुर मार्ग, वाटर वर्क्स मार्ग, धवन मार्ग, स्टेशन मार्ग, सिनेमा मार्ग, पंडित डी.एच.एन. मार्ग, कोयला मार्ग उप-धमनीयमार्ग हैं जो नगर को सम्बद्ध करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यातायात की समस्या के कारण, परिवहन में विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के वाहनों के आवागमन, शहर में पार्किंग स्थलों का अभाव, परिवहन के विभिन्न साधन, अनौपचारिक विक्रेता और मार्गों के किनारे अतिक्रमण आदि ने यातायात की समस्या को और अत्यधिक कठिन बना दिया है।

7.1.3 स्थानीय मार्ग

नगर की अन्य स्थानीय मार्ग बहुत संकीर्ण हैं, कई स्थानों पर तो इन मार्गों की चौड़ाई 3 मीटर से भी कम है। इन मार्गों में मात्र 2 वाहन और पैदल यात्री ही आवागमन कर सकते हैं।

7.1.4 रेलवे

रेलवे स्टेशन लखनऊ—कानपुर के मध्य का जंकशन है। इसके अतिरिक्त कानपुर से उन्नाव होते हुए रायबरेली एवं बालामऊ को भी रेल सुविधा उपलब्ध है।

चित्र 7.1: उन्नाव रेलवे स्टेशन



7.1.5 ट्रक टर्मिनल

ट्रक टर्मिनल— उन्नाव महायोजना 2001 के अंतर्गत रायबरेली मार्ग और लखनऊ—कानपुर मार्ग पर 10.23 हेक्टेयर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है ताकि नगर के भीतर यातायात के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो।

बस स्टैंड— सार्वजनिक परिवहन के कुशल प्रबंधन के लिए महायोजना 2001 के अंतर्गत दो बस स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे। एक रायबरेली मार्ग के पूर्व में 7.6 हेक्टेयर में और दूसरा पुराने सफीपुर मार्ग के पश्चिम में 5.59 हेक्टेयर में।

7.1.6 पार्किंग

नगर में उन्नाव—कानपुर राजमार्ग पर पार्किंग की विकास समस्या है। नगर में उचित ऑटो व रिक्शा स्टैंड हेतु पार्किंग सुविधा न होने के कारण नगर में नो पार्किंग जोन पर ऑटो रिक्शा, टैम्पो व प्राइवेट बसों अव्यवरित स्थिति में मार्ग पर खड़े होने के कारण यातायात अत्यधिक बाधित होता है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के पास, गाँधी नगर तिराहे से कानपुर जाने वाले मार्ग पर तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास नगर पालिका मार्ग पर पार्किंग स्थल उपलब्ध न होने के कारण नगर में जाम की समस्या अत्यधिक भयावह है।

चित्र 7.2: उन्नाव में मार्ग एवं मार्गत्तर पार्किंग



7.1.7 उन्नाव में परिवहन की स्थिति में सुधार के प्रस्ताव

- महायोजना—2001 में भीड़भाड़ वाले मार्ग के यातायात को नए प्रस्तावित मार्गों की ओर स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव है।
- ऐसे प्रमुख भवनों को स्थानांतरित करना जहां ज्यादा यातयात के आवागमन की संभावना रहती है।
- बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, रायबरेली मार्ग तिराहा का पुनर्विकास।
- गंगाधाट और गंगा पुल पर रेलवे लेवल क्रासिंग का पुनर्विकास।

7.1.8 सार्वजनिक परिवहन

उन्नाव में, शेयरिंग ऑटो का उपयोग सार्वजनिक परिवहन के इंट्रासिटी मोड के रूप में किया जाता है। बसों का उपयोग इंटरसिटी परिवहन मोड के रूप में किया जाता है।



उन्नाव में, नगर के भीतर शेयरिंग ऑटो का उपयोग सार्वजनिक परिवहन के अंतर नगरी परिवहन माध्यम के रूप में किया जाता है। बसों का उपयोग अंतर नगरीय परिवहन माध्यम के रूप में किया जाता है।

7.1.9 उन्नाव में पंजीकृत वाहन

उन्नाव में वाहनों के प्रकार का विवरण इस प्रकार है, सहायक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), उन्नाव के अनुसार, उन्नाव में 3,720 भारी वाहन और 4,19,354 हल्के वाहन हैं।

TRANSPORTATION		
Type of Vehicles	No. of Vehicles	
Heavy Vehicles	Trucks Public Private Buses Public private	2905 815
	Two Wheeler Car Jeep Three wheeler, Omni buses Taxis/cabs	411580 6370 1394
Light Vehicles	Cycle rickshaws Tonga/Bullock carts Others	—
Non-motorized		

स्रोत: आरटीओ कार्यालय उन्नाव—2019

7.1.10 अत्यधिक दुर्घटनापूर्ण स्थल एवं दुर्घटना संबंधी आंकड़े

पुलिस विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन्नाव में घटित दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 7.2: उन्नाव में मार्ग दुर्घटनाएं, 2017– 2019

वर्ष	मार्ग दुर्घटनाएं	मृत्यु	घायल
2017	956	556	601
2018	956	541	708
2019	1009	577	744

स्रोत: इसपरी कार्यालय उन्नाव, 2019

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष दर वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं का कारण मुख्य रूप से तेज गति, यातायात प्रबंधन की कमी, वाहन चलाते समय असावधानी आदि हो सकते हैं।

उन्नाव पुलिस और यातायात विभाग द्वारा चिह्नित 32 स्थल अत्यधिक दुर्घटना संभावित स्थल हैं। हालांकि संबंधित विभाग ने स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई की थी। इन कार्रवाईयों में साइन बोर्ड, रम्बलिंग पट्टी, रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग इत्यादि सम्मिलित था। दुर्घटना संभावित स्थानों के नाम हैं मगरवारा, गदन खेड़ा चौराहा, पी.डी. नगर तिराहा, आई.बी.पी. चौराहा, हुसैन नगर, मुर्तजा नगर, लखनऊ बाईपास, दही चौकी पुरवा मोड़, हरदोई ओवर ब्रिज आदि। नगर के अधिकांश दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग-27, प्रांतीय मार्ग-58 जिला मार्ग सम्मिलित हैं।

7.1.11 पार्किंग की मांग

यह उल्लेखनीय है कि कई स्थानों पर पार्किंग की मांग बहुत अधिक है और पार्किंग की मांग, पार्किंग की आपूर्ति से अधिक हो गई है। कई स्थानों पर मार्ग पर पार्किंग के प्राविधान हैं लेकिन इसके कारण प्रभावी मार्ग की चौड़ाई कम हो गई है जिससे यातायात का सुचारू रूप से आवागमन प्रभावित होता है। नगर में 4 ऐसे मुख्य स्थान हैं जहां नए पार्किंग के प्राविधानों की अत्यंत आवश्यकता है।

- सब्जी मंडी क्षेत्र
- बड़ा चौराहा जंक्शन और फ्लाईओवर
- जिलाधिकारी कार्यालय और कचहरी क्षेत्र।
- जिलाचिकित्सालय के पास से टैम्पो स्टैण्ड स्थानांतरित करने की आवश्यकता।

7.1.12 जंक्शनों का उन्नयन संबंधी सर्वेक्षण

अध्ययन से औसत कार्यदिवस पर विभिन्न चौराहों पर दिशा-वार वर्गीकृत यातायात के वाहनों की संख्या का सर्वेक्षण किया गया ताकि विभिन्न मार्गों में आवागमन करने वाले यातायात की संख्या और पूरे दिन यातायात के प्रवाह की तीव्रता का आकलन किया जा सके। इस सर्वेक्षण में यह देखा गया कि 5 जंक्शनों पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जंक्शन हैं:

- बड़ा चौराहा जंक्शन

- गांधी नगर तिराहा
- बदरका चौराहा
- गदन खेड़ा बाई पास चौराहा
- मरहला चौराहा
- पुरवा मोड (दही चौकी)

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यह सुझाव दिया गया था एवं हमारा विश्लेषण कहता है कि बदरका चौराहा और गदन खेड़ा जंक्शन पर फलाईओवर प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है।

7.2 यातायात एवं परिवहन से संबंधित उद्देश्य/समस्याएं

- नगर के भीतर वर्तमान मार्ग नेटवर्क मार्गों पर चलने वाले वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है।
- वाहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है चूंकि मार्ग नेटवर्क बहुत संकरा है और मार्गों के किनारे अतिक्रमण के कारण बड़ी संख्या में जाम की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में, नगर का मार्ग नेटवर्क, नगर के भीतर यातायात संचालन की सुरक्षा, दक्षता और मितव्ययिता को प्रभावित करने वाली बदतर स्तर की सेवा प्रदान करता है।
- पिछले कुछ वर्षों में निजी साधनों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की भागीदारी में गिरावट आई है। उन्नाव में सार्वजनिक बसों के संचालन के लिए वर्तमान अधिकृत रास्ते को भी सुधारने की आवश्यकता है।
- प्रमुख मार्गों के किनारे फुटपाथ जैसी पदयात्री सुविधाओं के अभाव के परिणामस्वरूप उन्नाव यातायात में अव्यवस्था का एक प्रमुख कारण भीड़भाड़ और अधिकृत रास्ते का संकरा होना है।
- मार्ग में पार्किंग होने के कारण मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है जिससे यातायात के सुचारू आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होती है।
- बस स्टॉप, लाइटिंग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव।

यातायात एवं परिवहन के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों का विवरण अनुबंध 3 में दिया गया है।

7.3 पिछले अध्ययनों के पिछले प्रस्ताव

उन्नाव नगर के पिछले अध्ययनों से नगर में परिवहन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सर्वोत्तम परिवहन माध्यम और बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों की कार्यनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

7.3.1 उन्नाव महायोजना — 2001

- बाई-पास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कॉरिडोर के आसपास मार्ग का विस्तार।
- मार्ग के अतिक्रमित भागों को अतिक्रमण मुक्त कर विस्तार करना।
- गांधी नगर तिराहा पर 10.23 हेक्टेयर ट्रक टर्मिनस प्रस्तावित किया गया है।
- मधम गोदाम, माल चढ़ाने और उतारने की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 1 बस स्टैंड सीमा के बाहर और 2 विकास क्षेत्र की सीमा के भीतर प्रस्तावित किया गया है। इन्हें रायबरेली मार्ग और पुराने सफीपुर मार्ग के आसपास प्रस्तावित किया जाएगा।
- उन्नयन के लिए चुने गए तीन जंक्शन
 - प्रांतीय मार्ग 58, धवन मार्ग एवं स्टेशन मार्ग के मिलने वाले स्थान पर बड़ा चौराहा जंक्शन को विस्तृत रूप से विकसित किया जाना है।
 - गांधी नगर तिराहा
 - छोटा चौराहा जंक्शन
- लेवल क्रासिंग और ओवरहेड ब्रिज का भी प्रस्ताव किया गया है।

7.4 संबंधित विभाग के प्रस्ताव

लोक निर्माण विभाग के अनुसार, निम्नलिखित प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं जिन पर महायोजना में विचार किया गया है। प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

- शहजनी (शंकरपुर सराय रोड) का चौड़ीकरण।
- आरआईडीएफ के तहत ग्रामों के मार्ग का निर्माण

7.4.1 प्रस्तावित मार्ग

विकास क्षेत्र के दूरदराज के किनारों तक पहुंच और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए विकास क्षेत्र में नए मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित मार्गों को वर्तमान मार्गों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है जो न केवल यातायात की अव्यवस्थित आवागमन का निवारण करती है तथा इससे सम्बद्धि भू उपयोगों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करना है और इस प्रकार इससे सम्बद्धि क्षेत्रों के लिए विकास के रास्ते उपलब्ध होते हैं। विकास क्षेत्र में प्रस्तावित नये मार्गों को इस अध्याय के अंत में परिवहन मानचित्र में दर्शाया गया है।

A. प्रस्तावित मार्ग नेटवर्क:

उन्नाव योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग नेटवर्क को प्रस्तावित भू उपयोग पद्धति के साथ सम्बद्ध विकसित किया गया है जैसा कि योजना में दिखाया गया है। नगर की मार्गों को भारमुक्त करने और वर्तमान मार्गों तथा भविष्य में यातायात की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए रिंग रेडियल रोड पैटर्न की अवधारणा का पालन किया गया है। वर्तमान मार्गों को रेडियल मार्गों के रूप में अपनाया गया है। जहां भी उपलब्ध हो वर्तमान मार्गों का पालन करने का प्रयास किया गया है।

B. वर्तमान मार्ग:

वर्तमान महायोजना में मार्गों को यथावत रखा गया है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि क्षेत्रीय योजना तैयार करते समय, इस पदानुक्रम की मार्गों को भी बनाया जा सकता है। प्रस्तावित जोनों की जोनिंग योजनाएँ तैयार करते समय 60' से नीचे के पदानुक्रम के मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

C. नगरीय मार्गों के लिए प्रस्ताव:

वर्तमान मार्ग नेटवर्क के अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान मार्गों में से अधिकांश यातायात अधिक नहीं होता है चूंकि इनमें इनकी क्षमता से कम यातायात होता है। हालांकि, भविष्य में, इनमें से कुछ मार्गों में यातायात की कात्रा बढ़ने के कारण भीड़भाड़ हो सकती है। नगर के घने क्षेत्रों में से कुछ मार्गों के अधिकृत रास्ते के चौड़ीकरण की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इन मार्गों की क्षमता में सुधार के लिए मैदानी क्षेत्रों में नगरीय मार्गों की क्षमता वृद्धि के दिशा-निर्देशों के अनुसार रोड इंजीनियरिंग के कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा सकता है, निम्नवत हैं:

- वाहनों की मार्ग पर पार्किंग निषिद्ध करना और साथ ही साथ मार्गतर पार्किंग सुविधा विकसित करना;
- जहां भी संभव हो, केंद्रीय सीमा/माध्यिका निर्धारित करते हुए द्वि-दिशात्मक यातायात आवागमन अलग करना;
- धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां, रिक्षा/तांगा आदि को अलग करने का प्राविधान;
- चयनित अवधियों, विशेष रूप से व्यस्त समय में इन मार्गों पर पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले/अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों, या भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवागमन पर प्रतिबंध लगाना;
- मार्ग से मिले हुए भू उपयोग और मार्ग के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण करते हुए मार्ग के किनारे भीड़-भाड़ में कमी लाना;
- जहां भी संभव हो पद यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्राविधान;
- प्रमुख चौराहों पर विशेष रूप से व्यस्त समय में कुछ परस्पर विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना;
- मीडिया में अंतराल को विनियमित करके क्रॉस ट्रैफिक और साइड-स्ट्रीट ट्रैफिक को नियंत्रित करना;
- उचित मार्ग चिह्नों, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से यातायात अनुशासन में सुधार करना जैसे लेन का उचित उपयोग और उचित ओवर टेकिंग।

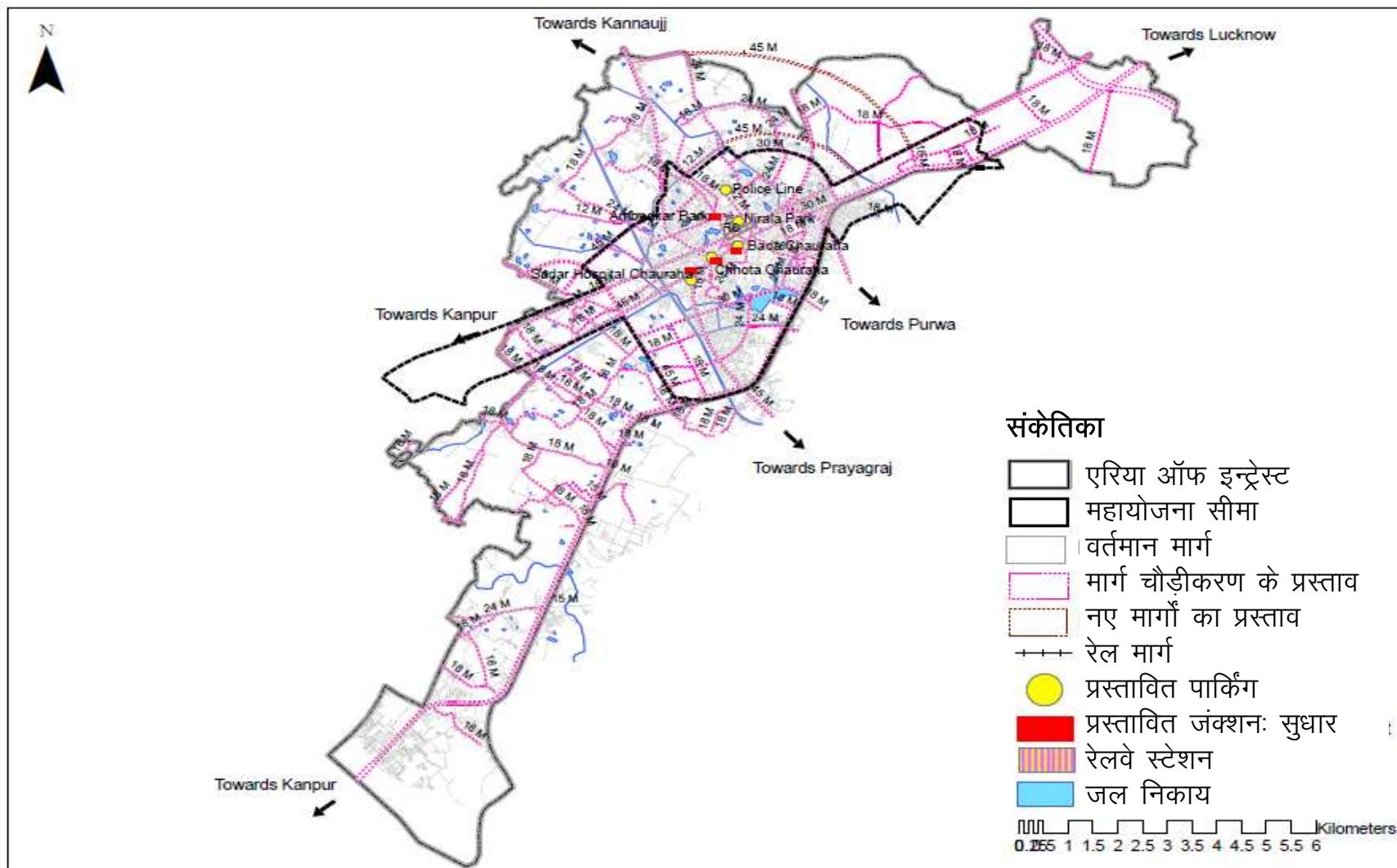
7.4.2 यातायात प्रबंधन तकनीक

यातायात प्रबंधन तकनीक किसी भी क्षेत्र में यातायात की सुचारू आवागमन के रूप में कार्य करती है और कस्बों के सभी पदानुक्रम के अनुसार लागू की जाती है। तथा इन तकनीकों को प्रभावी कैरिजरे सुधार तकनीकों और व्यवहार सुधार तकनीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यातायात प्रबंधन तकनीकों के रूप में सुझाए गए सामान्य समाधान निम्नलिखित हैं:

- वाहनों की मार्ग पर पार्किंग निषिद्ध करना और साथ ही साथ मार्गतर पार्किंग सुविधा विकसित करना
- यातायात की सुचारू आवागमन और पदयात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी पार्क के किनारे मार्ग पर पार्किंग को हटाना।

- यातायात अनुशासन में सुधार जैसे लेन का उचित उपयोग और साइनेज, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से उचित ओवरट्रेकिंग।
- मार्ग से मिले हुए भू—उपयोग और मार्ग के किनारे वाणिज्यिक गतिविधि को नियंत्रित करते हुए मार्ग के किनारों के टूटने में कमी लाना।
- पद यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्राविधान।
- प्रमुख चौराहों पर विशेष रूप से व्यस्त समय में कुछ परस्पर विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना।
- धीमी गति से चलने वाले और तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए पृथक मार्ग का प्राविधान
- चयनित अवधियों, विशेष रूप से व्यस्त समय में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाना।

मानचित्र 7.1: यातायात मानचित्र, उन्नाव 2031



8. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

8.1 भूमिका

औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं वैश्वीकरण आदि की प्रक्रिया ने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, खतरनाक कचरा, धुंध, जैव-विविधता में क्षय तथा भूमि का मरुस्थल में बदलना सहित निरंतर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है जो सतत विकास के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा करती हैं। उन्नाव की जनसंख्या 2.62 लाख है एवं बढ़ती जनसंख्या धीरे-धीरे पर्यावरण से सम्बद्ध समस्याओं का सामना कर रही है जिसके लिए सरकार, सार्वजनिक व निजी संगठनों तथा लोगों को वर्तमान नगरीय परिवेश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह अध्याय विभिन्न घटकों की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति पर प्रकाश डालता है और इसमें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों और कारणों की पहचान करने के लिए, आरईपीएल ने संसाधनों, पर्यावरण की गुणवत्ता और सेवाओं के संबंध में एकत्रित आधारभूत जानकारी तैयार करने का प्रयास किया है।

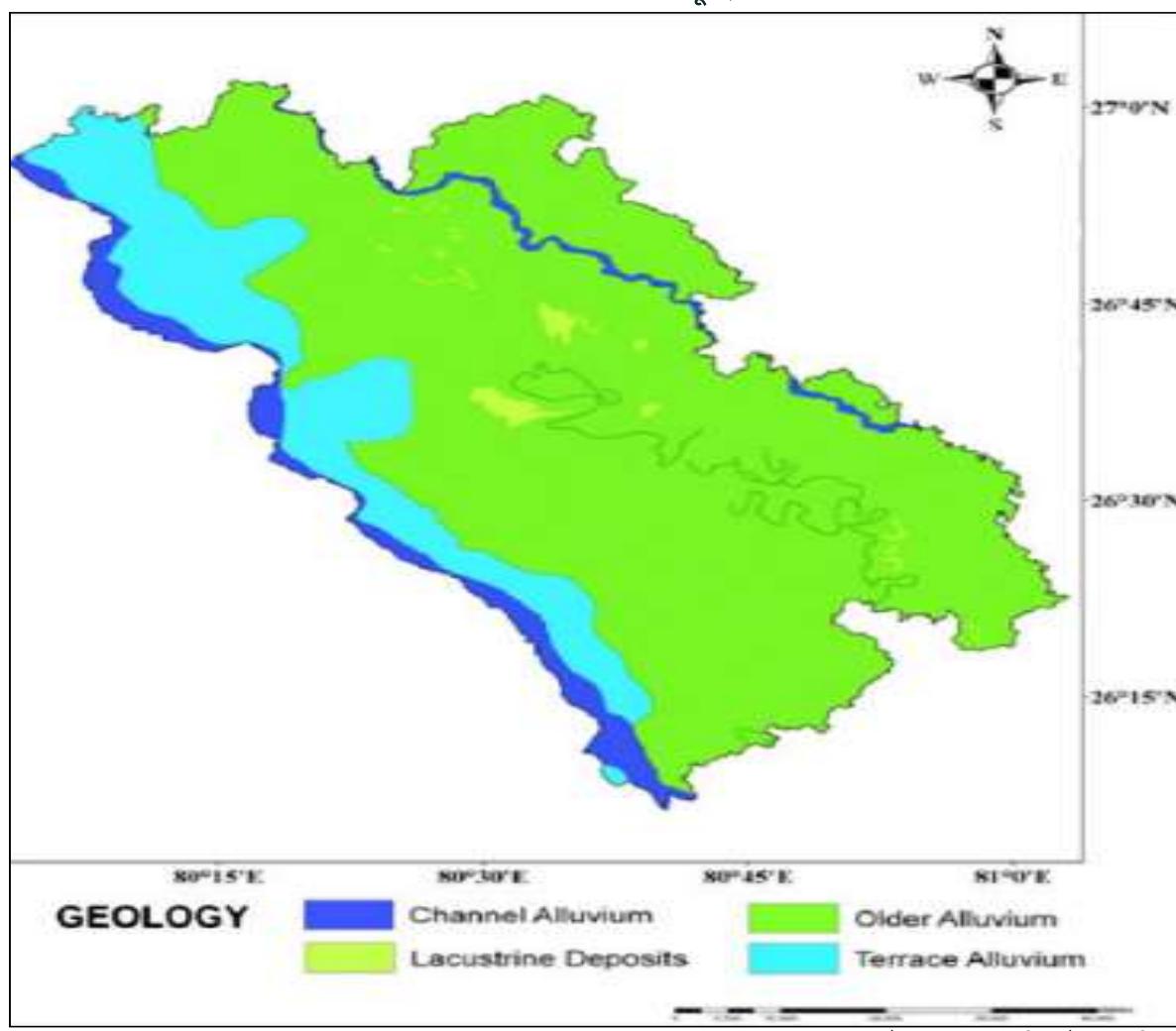
8.2 प्राकृतिक आधारभूत पर्यावरण

8.2.1 भौतिक विशेषताएँ

उन्नाव गंगा के विशाल मैदान में स्थित है इसलिए यहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। यहां की मिट्टी अधिकांशतया जलोढ़ है। इसके अतिरिक्त गंगा उन्नाव को कानपुर जिले से अलग करती है। यह जिला पश्चिम में गंगा नदी और पूर्व में सर्झ नदी से धिरा हुआ है।

8.2.2 भूविज्ञान

चित्र 8.1: उन्नाव जिले का भूविज्ञान



स्रोत: भूजल संभावित क्षेत्र का चित्रण

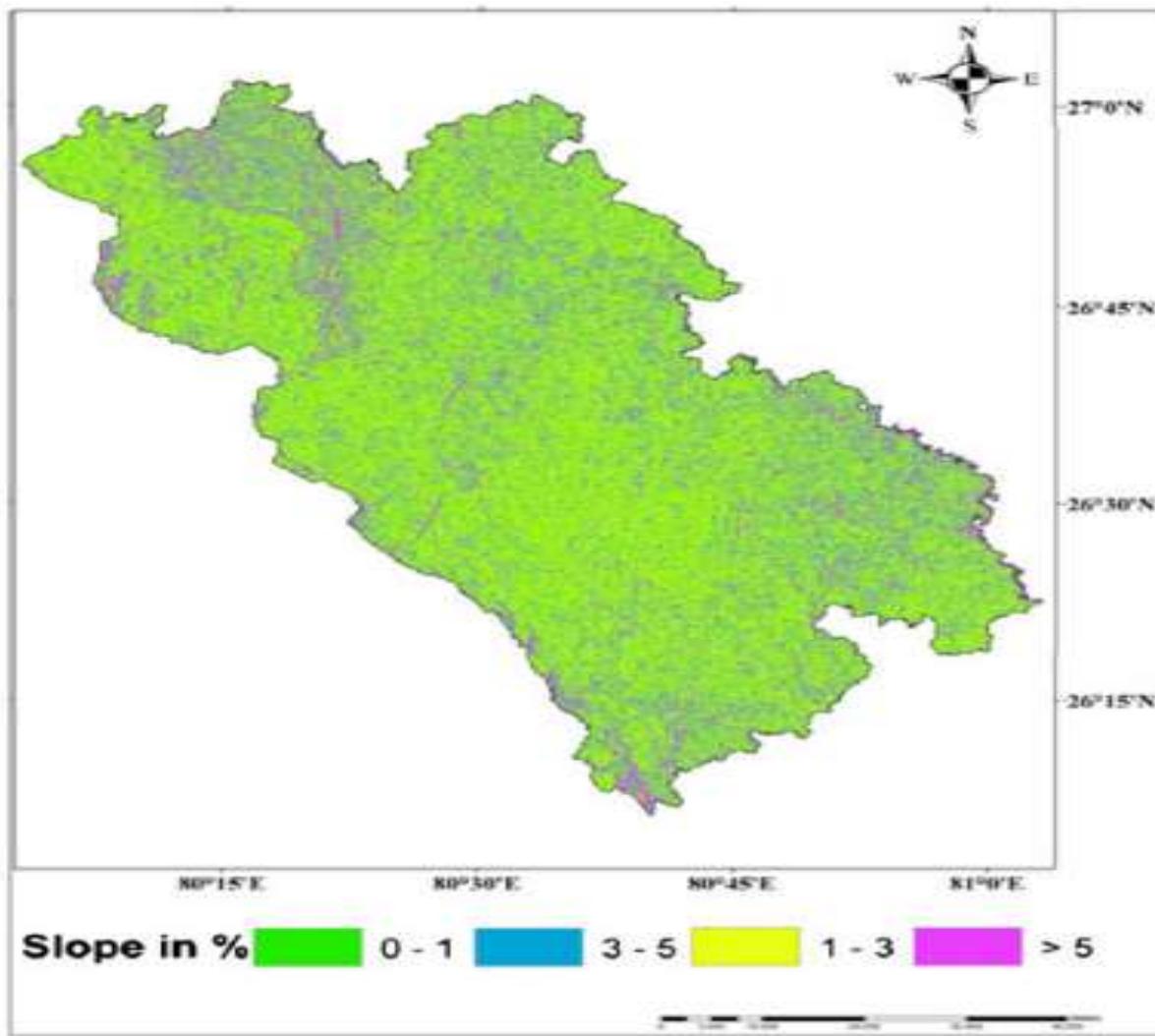
उन्नाव जिला मध्य गंगा कछार मैदानी भाग का अंश है जो मुख्य रूप से चतुर्धातुक काल की मिट्टी, गाद, रेत, बजरी और कंकड़ की तलछट से बना है। क्षेत्र के ये कछार भंडार तलछटी की संरचना, भंडारात्मक एवं विकासात्मक भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर, नई और पुरानी लिथो-इकाइयों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं। क्षेत्र के अधिकांश भागों में मुख्य रूप से यही लिथो-इकाई दिखाई पड़ती है।

जिले में सामान्य रूप से तीन प्रमुख उप-सतह कणनुमा क्षेत्र हैं। सबसे ऊपरी उप-सतह कणनुमा क्षेत्र 90 एमबीजीएल, दूसरी उप सतह 100 से 250 एमबीजीएल गहराई तक फैली हुई है। जबकि तीसरी उप सतह 250 से 455 एमबीजीएल की गहराई तक फैली हुई है। जिले में निचले कणनुमा क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर विस्तार का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन क्षेत्रिज रूप से यह क्षेत्रीय रूप से बहुत गहराई तक प्रतीत होता है।

8.2.3 स्थलाकृति

उन्नाव जिले की स्थलाकृति लगभग समतल, कछार मैदान की है जिसका मुख्य ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर है। इसकी दो विशिष्ट स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। नीची भूमि और ऊँची भूमि। नीची भूमि या नया जलोढ़ मैदान, पश्चिम में गंगा नदी के किनारे और उत्तर-पूर्व में सई नदी के किनारे स्थित है। ऊँची भूमि या पुराने जलोढ़ मैदान, उपरोक्त दोनों नदियों के दो ऊंचे किनारों के बीच उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में झीलें और तालाब भी विद्यमान हैं।

चित्र 8.2: उन्नाव जिले की स्थलाकृति



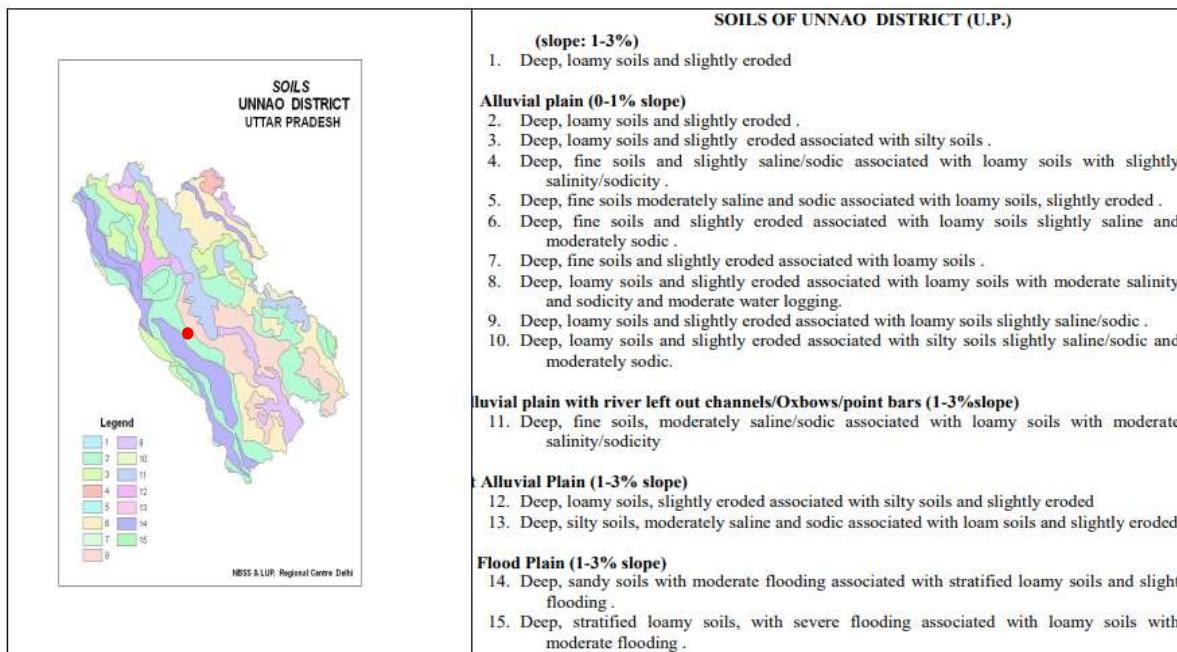
स्रोत: भूजल संभावित क्षेत्र का वित्रण

गंगा और सई नदी जिले की जल निकासी प्रणाली में उपयोग आने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कल्याणी, तिनई, लोनी और मोराही हैं। ये नदियाँ बारहमासी हैं और पूर्णतया समानांतर प्रकार के जल निकासी के उपयोग में आती हैं।

8.2.4 मृदा

जिले की मुख्य मिट्टी भूर या रेतीली मिट्टी, मटियार या चिकनी मिट्टी और दुमट या दोमट मिट्टी हैं। दोमट या दुमट मिट्टी मैदानी इलाकों में, भूरी टीलों पर और मटियार ढलान वाली जगहों में पाई जाती है। 'रेह' या उसर-मिट्टी वाली मिट्टी के भूभाग अक्सर मटियार या चिकनी मिट्टी की अधिकता वाले भागों में पाई जाती है।

चित्र 8.3: उन्नाव जिले का मृदा मानचित्र



स्रोत: जिले की कृषि आक्रियकता योजना: उन्नाव, 2014

8.2.5 वन संसाधन

चांदशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल हरे भरे भूभाग में स्थित है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में उन्नाव नगर से 29 किमी दूरी पर नवाबगंज पर स्थित है। यह अभयारण्य सर्दियों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों जैसे गार्गनी टील, मल्लर्ड, पर्पल मूरहेन, लिटिल ग्रीबे, स्पूनबिल डक, रेड वॉटल्ड लैपविंग, विगॉन और कई अन्य पक्षियों के लिए जीवंत आश्रय स्थल बन जाता है।

चित्र 8.4: पक्षी अभयारण्य



नवाबगंज पक्षी अभयारण्य

वन क्षेत्र में जल निकाय

विकास क्षेत्र के कुल 24 राजस्व ग्रामों में से 4 गाँव अर्थात् झंझरी, मुर्तजा नगर, सैयद अब्बासपुर और टीकरगढ़ी में वन क्षेत्र विद्यमान हैं। विकास क्षेत्र की कुल 581.78 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

तालिका 8.1 विकास क्षेत्र में सम्मिलित 04 ग्रामों का वन क्षेत्र

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	झाङरी	57.09
2	मुर्तजा नगर	154.66
3	सैयद अब्बासपुर	36.43
4	टीकरगढ़ी	333.60
योग		581.78

स्रोत: वन विभाग, उन्नाव, 2020

उन्नाव 2031 की प्रस्तावित महायोजना में वन क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यथावत रहेगा।

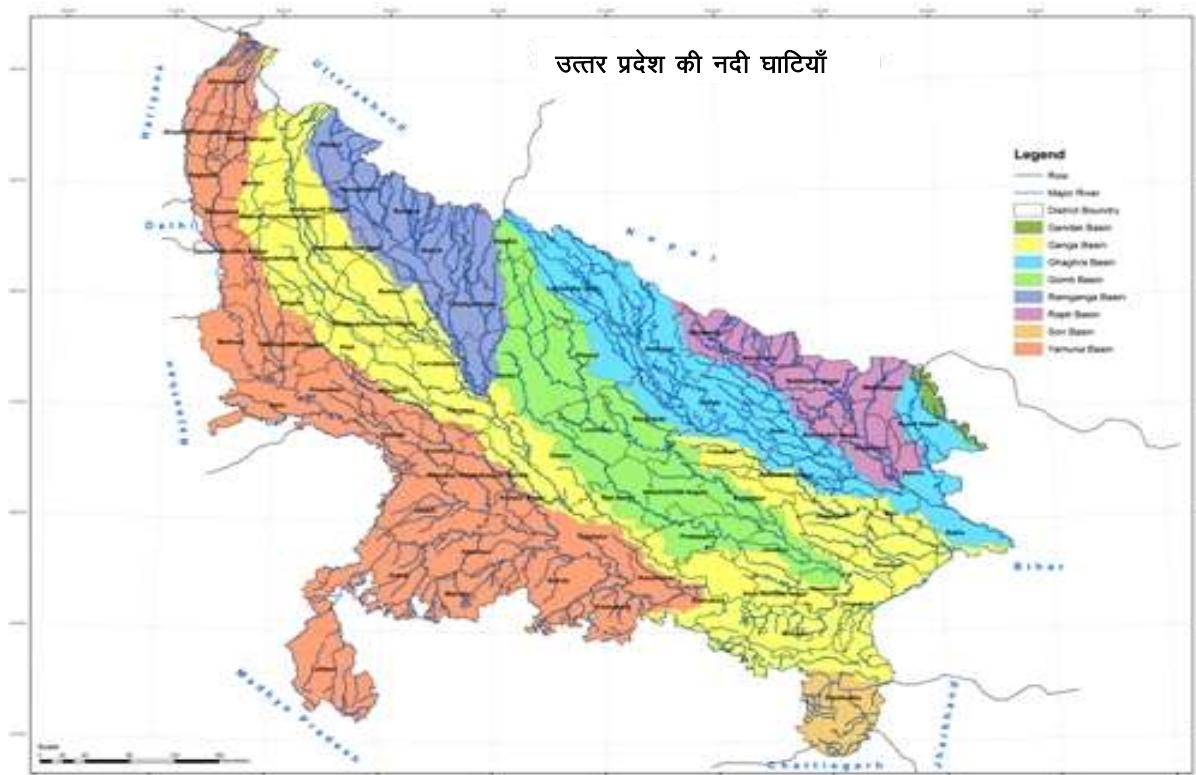
8.2.6 जल संसाधन

8.2.6.1 सतही जल निकाय

उन्नाव जिले में गंगा, कल्याणी और सई जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। शारदा नहर भी उन्नाव से होकर गुजरती है। जिले की अन्य मुख्य नदियों में कल्याणी, तानई, लोनी और मोराही (नौरही) सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन बरसात में अधिकांश समय इनमें जल रहता है और सिंचाई के लिए उपयोग में आती है। नगर में तालाब बहुतायत में हैं। क्षेत्र में अनियोजित विकास के कारण इनमें से अधिकांश तालाबों में अतिक्रमण हो गया है।

इस क्षेत्र में विशेष रूप से जिले के दक्षिणी और पूर्वी भागों में बड़ी संख्या में दलदल भूमि व विशाल झीलें हैं। इलोटर के निकट कुंद्रा समुंदर, नवलगंज के निकट की झील, कांथा के निकट जल का विशाल क्षेत्र और परगना मौरनवन में अनेक झीलें साल भर जल से भरी रहती हैं।

चित्र 8.5: उत्तर प्रदेश में जल निकाय और नदी घाटियाँ



स्रोत: राज्य जल संसाधन एजेंसी (एसडब्ल्यूएआरए), 2019

8.2.6.2 भू-जल संसाधन

जिले में जलभूत स्तर (एक्वीफर्स) मुख्य रूप से विभिन्न वर्ग के जलोढ़ रेत, बजरी और कंकड़ तलछट से बने हैं। ये छिद्रनुमा और पारगम्यनुमा तलछट, दानेदार करनुमा-क्षेत्रों के रूप में होते हैं जो पूरी तरह से भूजल में डूबे रहते हैं।

जिले में सामान्य रूप से तीन प्रमुख जलभूत प्रणालियाँ विद्यमान हैं जैसे:

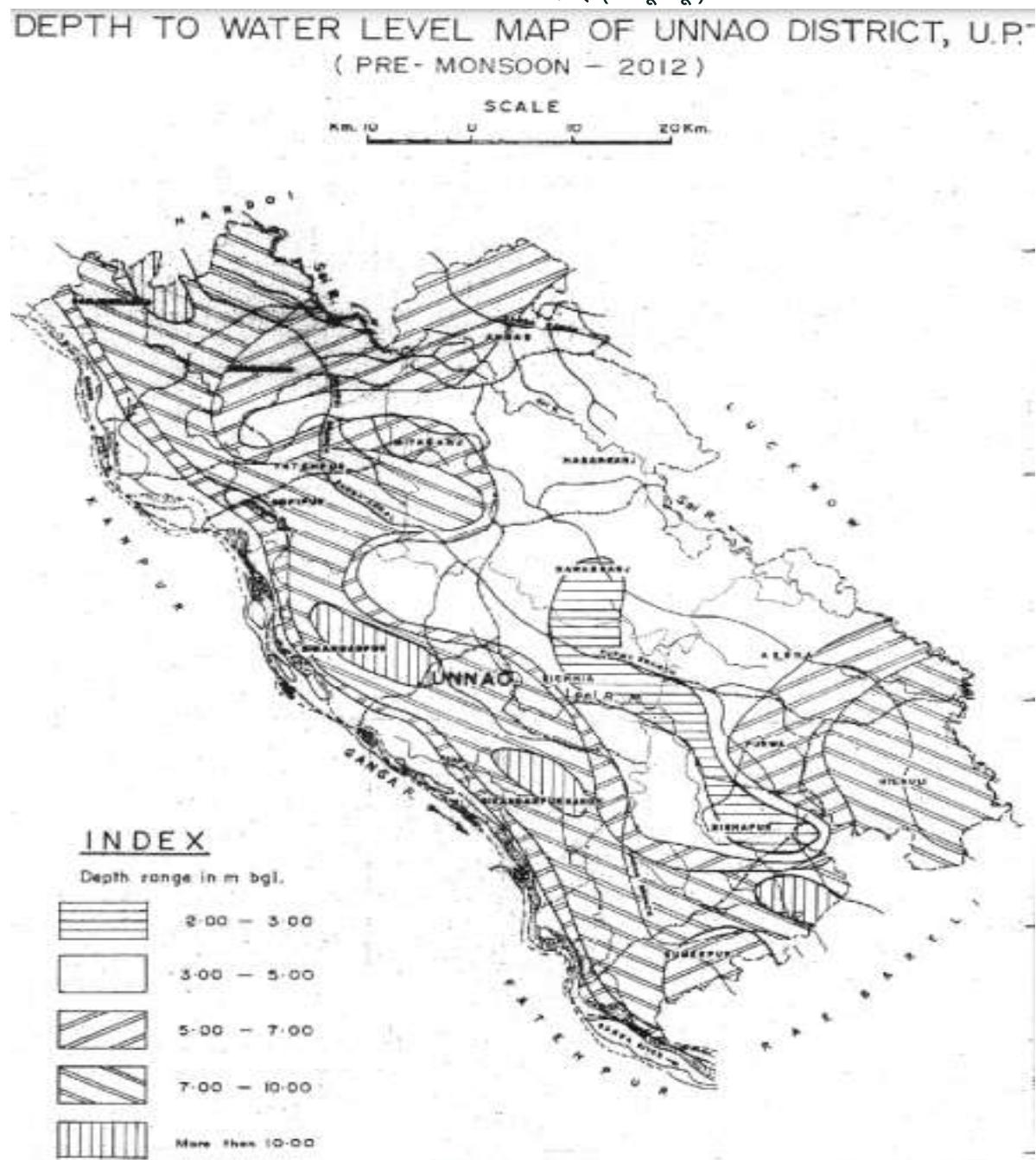
- (i) ऊपरी या उपसतह जलवाही प्रणाली
- (ii) मध्यम जलवाही प्रणाली
- (iii) निचली जलवाही प्रणाली

जल स्तर की गहराई-

मानसून पूर्व अवधि (प्लेट- III) के लिए वर्ष 2012 के दौरान, सबसे ऊपरी जलवाही प्रणाली में जल स्तर की गहराई का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अजगैन, बिछिया, मलौना खंड के निकट सारदा नहर का नहर नेटवर्क उथले जल स्तर (0 से 3.00 एमबीजीएल) क्षेत्र मुख्य रूप से पॉकेट के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, जल स्तर की सबसे अधिक गहराई (10.39 से 14.13 एमबीजीएल) मुख्य रूप से गंज मुरादाबाद, सिकंदरपुर, सिकंदरपुर सरोसी और सुमेरपुर खंड में दिखाई पड़ती है, जहां ये पॉकेट उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक फैले हुए हैं।

वर्ष 2012 के लिए निगरानी कुओं (एनएचएस) के जल स्तर में उत्तर-चढ़ाव के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जिले के प्रमुख क्षेत्रों में मानसून के बाद जल स्तर में सामान्य वृद्धि दिखाई देती है जिनमें 0.40 से 3.50 मीटर तक भिन्नता दिखाई देती है। हालांकि, जिले का अधिकतम भूभाग 0.50 से 1.00 मीटर के बीच सामान्य वृद्धि दर्शाता है। मानसून के बाद की अवधि में, जिले के कुछ क्षेत्रों में जल स्तर में 0.10 से 0.50 मीटर के बीच गिरावट देखी गई है जिसका कारण भूमिगत जल का अधिक दौहन अथवा स्थानीय रूप से खराब मानसून वर्षा पुनर्भरण हो सकता है। जिले में औसत जल स्तर में 1.50 मीटर तक का उत्तर-चढ़ाव देखा गया है।

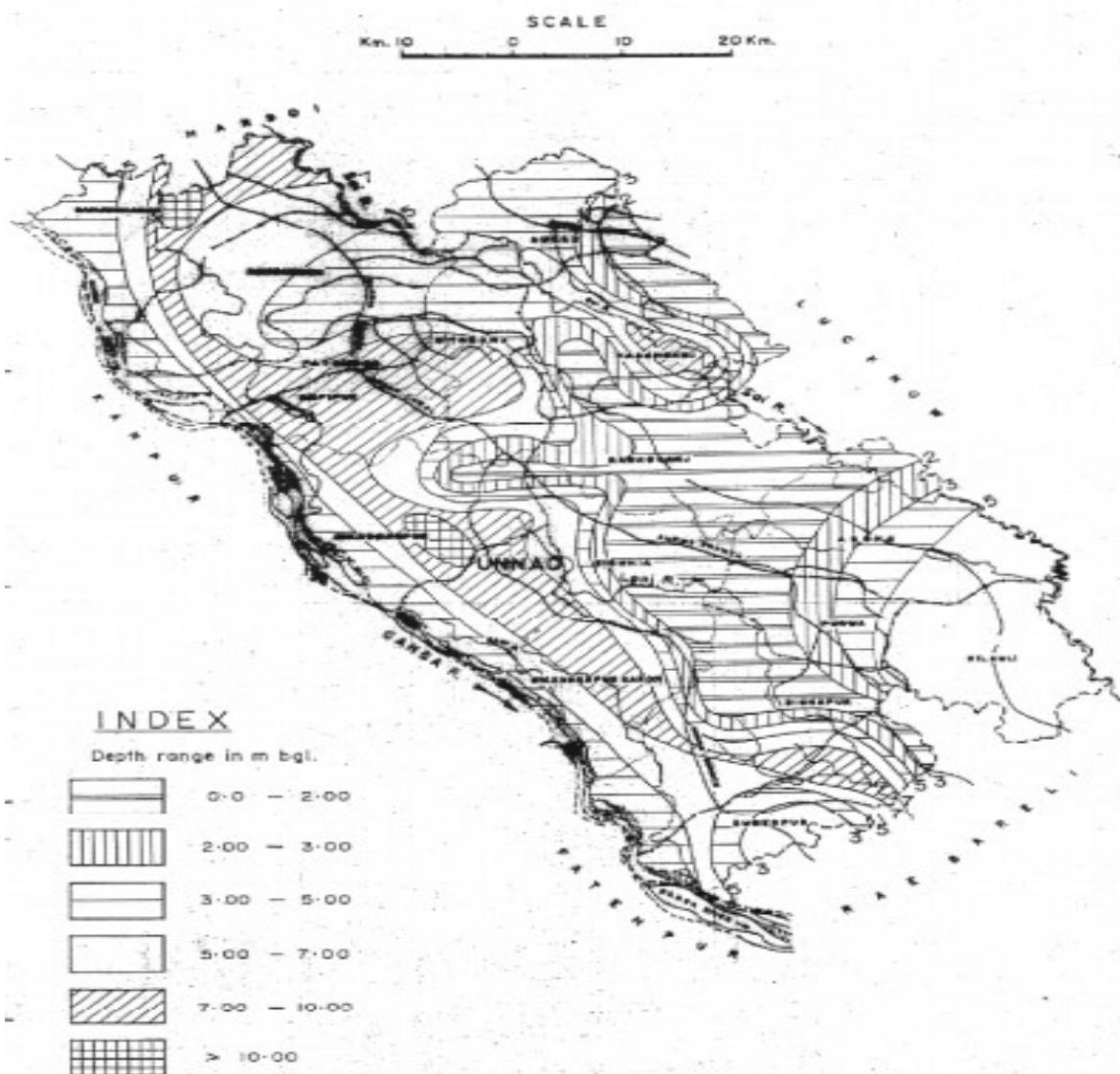
चित्र 8.6: जल स्तर की गहराई (मानसून पूर्व)



स्रोत: सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट, 2012

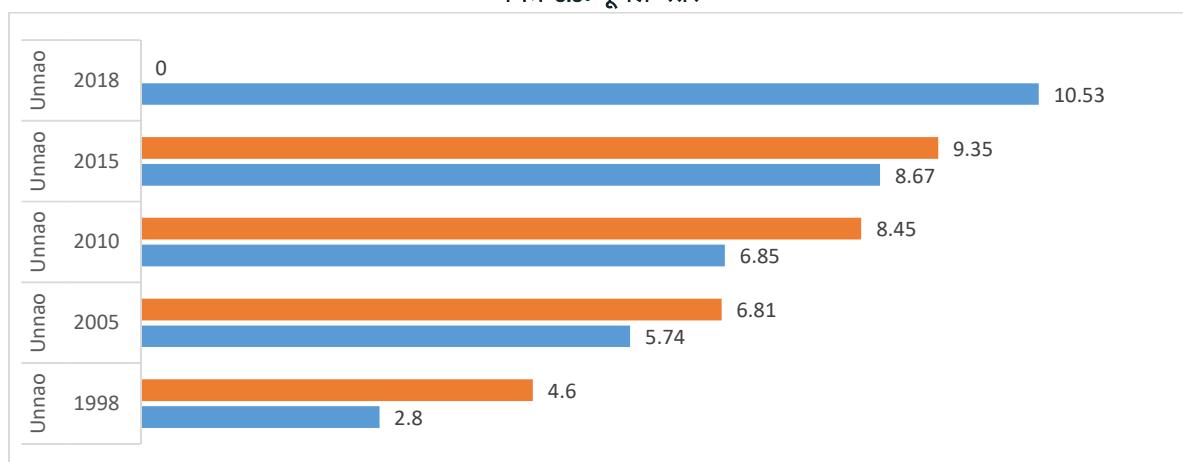
चित्र 8.7: उन्नाव के जल स्तर की गहराई (मानसून के उपरांत)

**DEPTH TO WATER LEVEL MAP OF UNNAO DISTRICT, U.P.
(POST MONSOON - 2012)**



स्रोत: सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट, 2012

चित्र 8.8: भूजल स्तर



तालिका 8.2: भूजल स्तर

साइट का नाम	वर्ष _ओबीएस	पीओएमआरबी	प्रीमोन
उन्नाव	1998	2.8	4.6
उन्नाव	2005	5.74	6.81
उन्नाव	2010	6.85	8.45
उन्नाव	2015	8.67	9.35
उन्नाव	2018	10.53	NA

स्रोत: सीजीडब्ल्यूबी, 2020

8.3 नगरीय पर्यावरण की गुणवत्ता

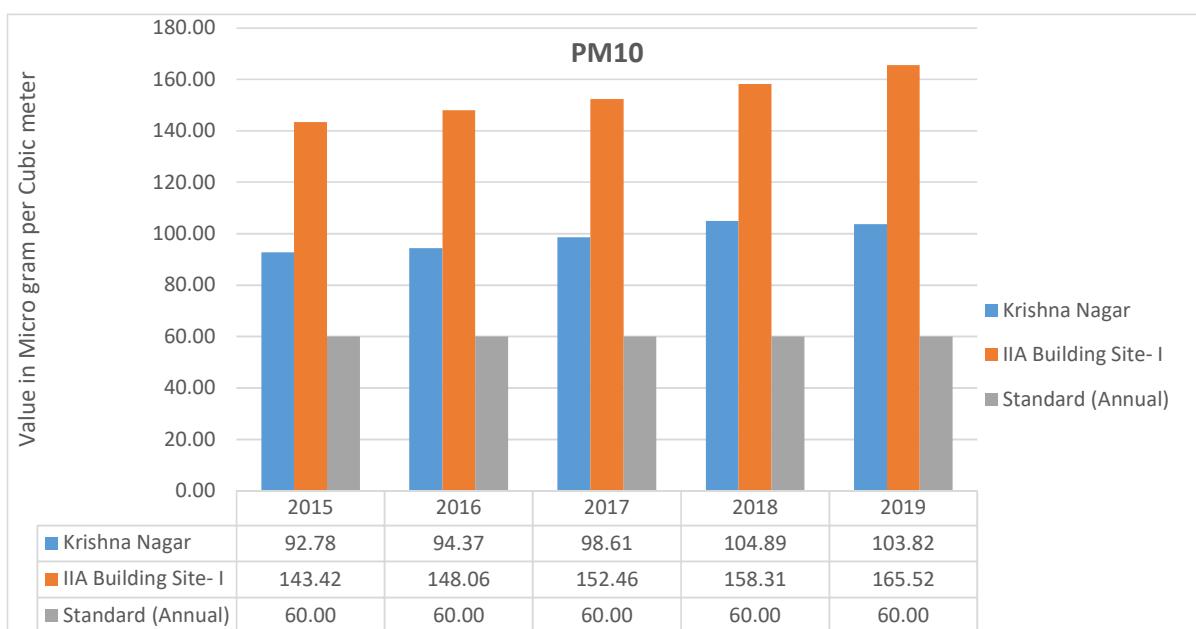
8.3.1 वायु की गुणवत्ता/वायु प्रदूषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्रसुप्त कणिका तत्त्व, रेस्पिरेबल कणिका, सल्फर-डाय-ऑक्साइड और नाइट्रोजन-डाइ-ऑक्साइड की निगरानी के लिए उन्नाव में निर्दिष्ट चार स्थानों पर वायु निगरानी स्टेशनों की स्थापना के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (एएक्यूएम) आरंभ की थी। वर्षों से प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2015 से 2018 तक के आंकड़ों को लिया गया है।

8.3.2 कणिका तत्त्व (पीएम10)

परिवेशी वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि में परिवहन, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख योगदान देने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। पीएम10 (पार्टिकुलेट मैटर) का प्रमुख स्रोत नगर में वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या है। एएक्यू मानक 2009 के अनुसार 60μग्रा/घनमी की अनुमेय सीमा के संबंध में सभी बिंदुओं पर पीएम की सांद्रता काफी अधिक दिखाई देती है और वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक है। कृष्णा नगर में पीएम संकेन्द्रण कम है जबकि आईआईए, उन्नाव क्षेत्र में सबसे अधिक है जिसका प्रमुख कारण इसके आसपास के क्षेत्र में उद्योगों का होना है। पीएम10 का स्तर वर्षों से निरंतर बढ़ता जा रहा है।

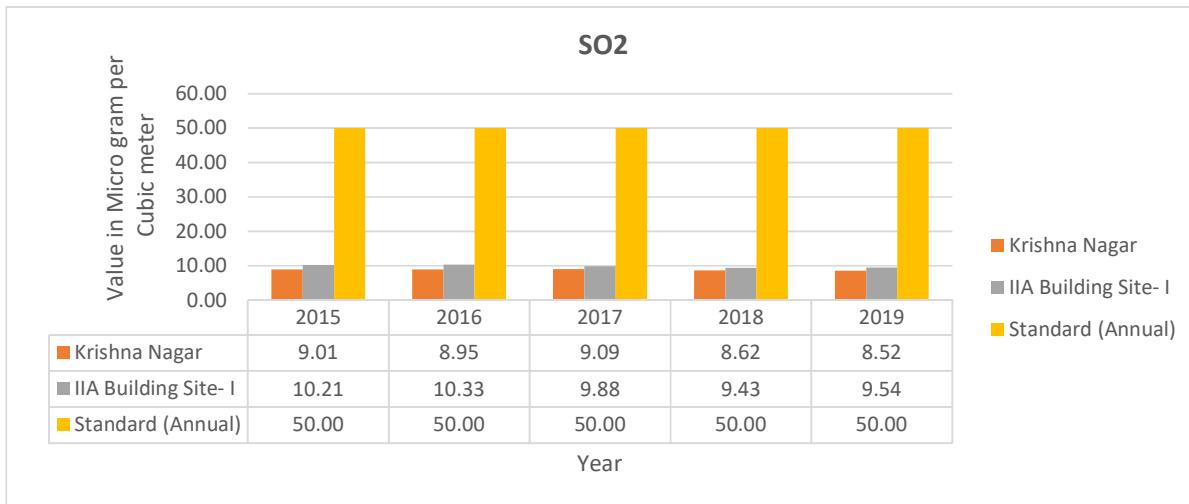
चित्र 8.9: उन्नाव में पी10 मान



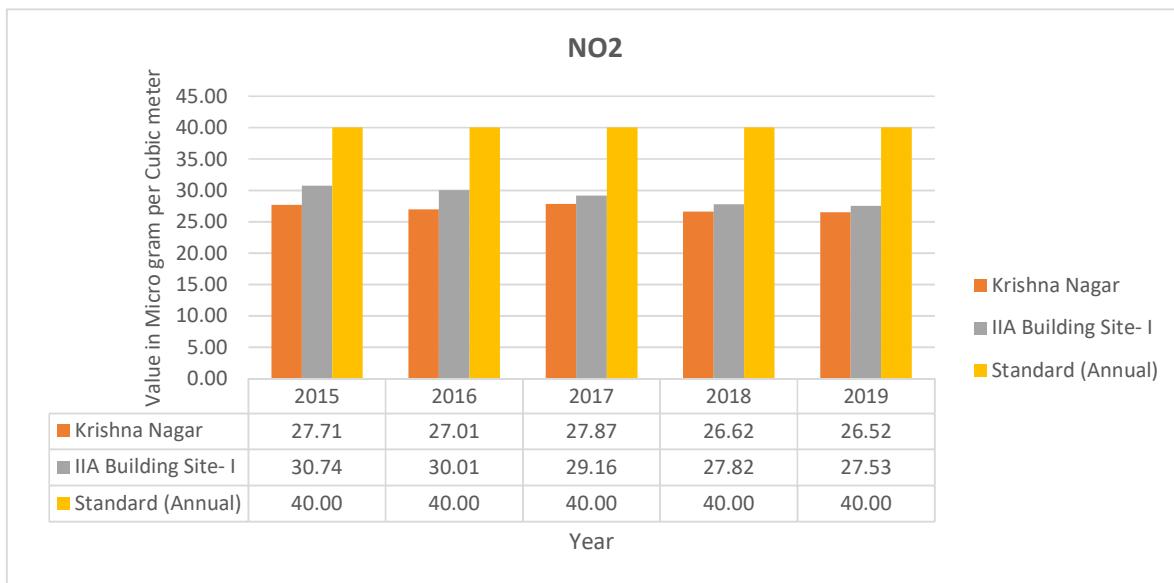
स्रोत: यूपीपीसीबी और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, सीपीसीबी, 2020

8.3.3 SO₂ एवं NO₂

सभी दो स्थानों पर SO₂ और NO₂ का स्तर, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर रहा है (अर्थात् SO₂ वार्षिक औसत मानक औद्योगिक, आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50μग्र/घनमी और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 20μग्र/घनमी है; NO₂ वार्षिक औसत मानक औद्योगिक, आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40μग्र/घनमी और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 30μग्र/घनमी है)।

चित्र 8.10: उन्नाव में SO₂ का मान

स्रोत: यूपीपीसीबी और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, सीपीसीबी, 2020

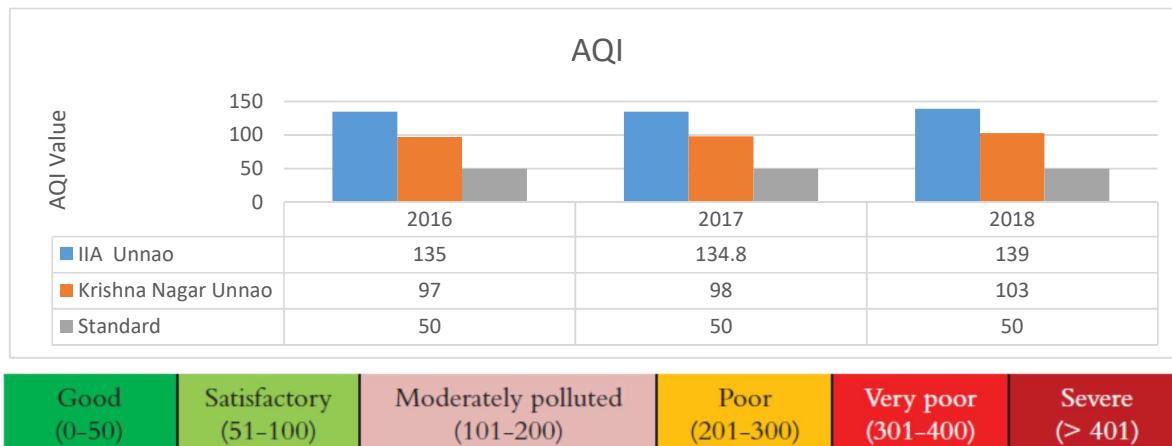
चित्र 8.11: उन्नाव में NO₂ का मान

स्रोत: यूपीपीसीबी और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, सीपीसीबी, 2020

8.3.4 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की निगरानी में स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) के अंतर्गत 17 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का शुभारंभ किया गया था। अक्टूबर 2016 से, उन्नाव के लिए दो स्थानों आईआईए और कृष्णा नगर उन्नाव का एआईक्यू डेटा संकलित किया गया है। दोनों क्षेत्र उन्नाव के उच्चतम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों के निकट हैं। दोनों जगहों पर आईआईए, उन्नाव में एआईक्यू मानक प्रदूषित, मध्यम प्रदूषित श्रेणी और कृष्णा नगर में संतोषजनक श्रेणी में पाए गए।

चित्र 8.12: उन्नाव में एक्यूआई का मान



स्रोत: यूपीपीसीबी और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, सीपीसीबी, 2019

8.3.5 उद्देश्य

- औद्योगिक स्रोत

- उन्नाव में लाल श्रेणी के प्रमुख वायु प्रदूषण उद्योगों (78 इकाइयों) में दिनांक 01.02.2020 तक चर्मशोधनशाला, कसाईखाना, कपड़ा, रसायन, डिस्टिलरी, डाई, गोंद, लुगदी और कागज उद्योग समिलित हैं। इन सभी वायु प्रदूषण इकाइयों में उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (एपीसीएस) स्थापित की गई है और अधिकांश उद्योगों में स्वीकृति प्रदान की गई है।
- उन्नाव में लाल श्रेणी के उद्योगों के अलावा 01.02.2020 को 118 नारंगी और हरे रंग के उद्योग समिलित हैं। इन उद्योगों की श्रेणी/क्षेत्र जैविक खाद, चमड़ा बोर्ड, प्लाई बोर्ड, खाद्य उत्पाद, मिल बोर्ड, मुर्गी पालन आदि हैं। इन उद्योगों में एपीसीएस स्थापित हैं।

8.3.6 जल की गुणवत्ता/जल प्रदूषण

8.3.6.1 सतही जल प्रदूषण और स्तर

नगर के जल संसाधनों में सई नदी, गंगा नदी, शारदा नहर और कई अन्य तालाब सम्मिलित हैं। सई नदी नगर से 35 किमी की दूरी पर जबकि गंगा नदी नगर से 16 किमी की दूरी पर है। नगर, नदी के प्रदूषण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालता है। नगर में उचित मल निस्तारण प्रणाली, जल निकास प्रणाली और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली विद्यमान नहीं है अतः नगर में स्थित अधिकांश तालाब अत्यंत प्रदूषित हैं।

चित्र 8.13: उन्नाव में सतही जल की गुणवत्ता



तालिब नगर क्षेत्र में स्थित तालाब

शारदा नहर

उन्नाव में कई गंभीर प्रदूषणकारी उद्योग हैं जिनके कचरे का निस्तारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में होता है।

तालिका 8.3: उन्नाव में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की विश्लेषण रिपोर्ट का सारांश चार्ट, 2015–2019

क्र.सं.	वर्ष	गंगा नदी															
		U/s शुक्लगंज, उन्नाव		D/s शुक्लगंज, उन्नाव		U/s मझरा पीपर खेड़ा, उन्नाव		D/s मझरा पीपर खेड़ा, उन्नाव									
5	4	3	2	1	2015	रंग (हैंजन)	pH	D.O (mg/L)	B.O.D (mg/L)	रंग (हैंजन)	pH	D.O (mg/L)	B.O.D (mg/L)	रंग (हैंजन)	pH	D.O (mg/L)	B.O.D (mg/L)
2019	2018	2017	201	2015													
15	20	15	15	20													
8.32	8.15	8.13	8.11	8.13													
8.2	8.3	8	8.2	8.6													
3.08	3.86	3.39	3.09	2.89													
15	20	15	15	20													
8.24	8.04	8.01	8	7.29													
7.9	8	7.6	7.8	8.2													
3.33	4.15	3.64	3.24	3.08													
15	20	15	15	20													
8.18	8.15	7.99	7.89	8.02													
7.74	7.5	6.94	7.29	7.61													
3.81	4.63	4.1	4	3.89													
15	20	15	15	20													
8.15	8.05	7.89	7.78	7.9													
7.5	7.2	6.7	7	7.3													
4.04	4.79	4.32	4.27	4.09													

स्रोत: यूपीपीसीबी, 2019

मानक								
क्र.सं	निर्दिष्ट —सर्वश्रेष्ठ—उपयोग	पणिका र्ग्लास	कुल कोलीफॉर्म (एमपीएन / 100)	pH	D.O (mg/1)	M.O.D (mg/1)	एन (mg/1) के रूप में निशुल्क सुविधाएं	
1	पारंपरिक प्रशोधन के बिना लेकिन कीटाणुशोधन के बाद पेयजल के स्रोत	A	50 अथवा 50 से कम	6.5- 8.5	6 अथवा उससे अधिक	2 or less		
2	आउटडोर स्नान (सुव्यवस्थित)	B	500 अथवा 500 से कम	6.5- 8.5	5 अथवा उससे अधिक	3 or less		
3	पारंपरिक प्रशोधन और कीटाणुशोधन के बाद पेयजल स्रोत	C	5000 अथवा 5000 से कम	6.0- 9.0	4 अथवा उससे अधिक	3 or less		
4	वन्य जीवन और मत्स्य पालन का फैलाव	D		6.5- 8.5	4 अथवा उससे अधिक		1.2 of less	
5	सिंचाई, औद्योगिक शीतलन नियंत्रित कचरा निस्तारण	E	1. p.H:- 6.5-8.5, 2, Conductivity:- Max.2250 μ mhos/cm, 3. SAR, 26-Max, 4- boron-2 mg/L					

स्रोत: यूपीपीसीबी, 2019

8.3.6.2 भूजल प्रदूषण और स्तर

उथले या भूमिगत जलवाही में भूजल सामान्य रूप से अनुमन्य वर्ग के हैं, कुछ पॉकेट्स को छोड़कर जहां फ्लोराइड की सांद्रता (1.5मिलीग्राम / ली से अधिक) अधिक है। गहरी जलवाहियों के भूजल में भी फ्लोराइड की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक है। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक में भूजल की गुणवत्ता अनुमन्य सीमा के भीतर है।

तालिका 8.4: भूजल की गुणवत्ता

ब्लॉक	PH	EC	Cl	F	NO3	Ca
सिकंदरपुर सरोसी	7.98	510	11	0.7	3	28
मानक	6.5-8.5	500	250 मिलीग्राम / ली	0.6-1.5	45 मिलीग्राम / ली	75

तालिका 8.5: विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर भू जल डेटा (2017 से 2019)

क्र.सं.	वह स्थल जहां से नमूना लिया गया	नमूना लेने की तिथि	रंग (हेजान)	गंध	pH	टीईएस (मिलीग्रा/ली)	कुल खारपन (मिलीग्रा/ली)	क्लोराइड (मिलीग्रा/ली)	फ्लोराइड (मिलीग्रा/ली)	बोरेन (मिलीग्रा/ली)	कुल क्रोमियम (मिलीग्रा/ली)	कैल्सियम की सघनता (मिलीग्रा/ली)	मैग्नेशियम की सघनता (मिलीग्रा/ली)	गंदलापन (एनटीयू)	अमोनिया (मिलीग्रा/ली)	सल्फेट (मिलीग्रा/ली)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आईएम-2 ओरिएंटल पैलेस, मगरवारा उन्नाव के निकट हैंडपंप	10.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.53	444.00	359.00	15.00	0.57 5			127.00	232.00	1.20	0.127	31.3 1
		16.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.44	480.00	408.00	52.00	1.10 0	ND	0.0172	120.00	288.00	1.40	ND	14.5
		24.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.40	390.00	434.00	32.00	1.19 0	ND	0.0116	216.00	218.00	4.30	ND	26.0 0
2	आईएम-2 बुडबर्न कैमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया साइट-1, उन्नाव के निकट हैंडपंप	10.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.60	490.00	364.00	28.00	0.22 0			120.00	224.00	0.30	0.22	1.58
		16.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.45	536.00	440.00	31.00	1.06 0	ND	0.0270	177.00	263.00	1.20	ND	15.2
		24.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.30	460.00	440.00	188.00	1.90 0	ND	ND	198.00	242.00	3.60	ND	28
3	आईएम-2 मैसर्स जगदंबा मैटल्स इंडस्ट्रियल एरिया साइट-2,	10.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.28	1105.0 0	600.00	286.00	1.66 0			318.00	282.00	1.10	0.46	11.6
		16.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.24	954.00	610.00	232.00	1.08 0	ND	0.0256	208.00	402.00	1.50	ND	11.4
		24.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.30	964.00	462.00	38.00	1.14 0	ND	ND	232.00	230.00	4.60	ND	21.5

क्र.सं.	वह खण्ड जहां से नमूना लिया गया	नमूना लेने की तिथि	रंग (हेजान)	गंध	pH	टीजीएस (मिलीग्रा/ली)	कुल खारपन (मिली ग्रा./ली)	कलोराइड (मिलीग्रा/ली)	फ्लोराइड (मिलीग्रा/ली)	बोरेन (मिलीग्रा/ली)	कुल क्रोमियम (मिलीग्रा/ली)	कैलिस्यम की सघनता (मिलीग्रा/ली)	मैग्नेशियम की सघनता (मिलीग्रा/ली)	गंदलापन (एनटीयू)	अमोनिया (मिलीग्रा/ली)	सलफेट (मिलीग्रा/ली)
	उन्नाव के निकट हैंडपंप															
4	आईएम-2 रोडवेज बस स्टैण्ड, उन्नाव के निकट हैंडपंप	10.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.39	1280.00	569.00	200.00	0.077			81.40	487.60	1.44	0.229	292
		16.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.25	1490.00	1036.00	291.00	1.020	ND	0.0224	312.00	724.00	1.10	ND	13.4
		24.04.2017	रंगहीन	गंधहीन	7.60	296.00	454.00	192.00	1.100	ND	ND	190.00	264.00	3.20	ND	24
	मानक (अपेक्षित वांछनीय सीमाएं)	5	स्वीकार्य	6.5-8.5	500	300.00	250.00	1.000	0.50	0.05				1.00	0.5	200
	मानक (परिवर्तनशील स्रोत के अभाव में स्वीकार्य सीमा)	25		कोई रियायत नहीं	2000	600.00	1000.00	1.5	1	कोई रियायत नहीं			5.00	कोई रियायत नहीं	400	

स्रोत: जल विभाग, 2019

8.3.7 ध्वनि प्रदूषण

नगर में ध्वनि प्रदूषण के सबसे प्रमुख कारकों में जनरेटर, लाउड स्पीकर, ऑटोमोबाइल हॉर्न और आतिशबाजी/पटाखे जैसे कारक सबसे प्रमुख हैं। इन सब कारकों का अंधाधुंध उपयोग तनाव, मनोवैज्ञानिक समस्याओं और सुनने में कमी जैसी कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। ध्वनि (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के लागू होने के बावजूद, अधिकारियों ने यह पाया कि ध्वनि स्तर को अनुमन्य सीमा के भीतर लाना अत्यंत कठिन कार्य है। व्यावसायिक क्षेत्रों में तेज ध्वनि का स्तर दिन के समय में 73 डीबी तक और आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर 49 डीबी था, जबकि रात के समय में 45 डीबी की अनुमन्य सीमा के अंदर थी। साइलेंस जोन में दिन के साथ—साथ रात के समय भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर अधिक है। नगर में भारी संख्या में चलने वाले टेम्पो खराब रखरखाव के कारण ध्वनि प्रदूषण में बहुत योगदान देते हैं।

तालिका 8.6: ध्वनि प्रदूषण का स्तर डीबी (ए)

वर्ष	आवासीय		औद्योगिक		वाणिज्यिक		साइलेंस जोन	
	दिन (प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	रात्रि (रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक)	दिन (प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	रात्रि (रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक)	दिन (प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	रात्रि (रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक)	दिन (प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	रात्रि (रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक)
2017	49.12	-	55.72	-	70.32	-	49.65	-
2018	45.58	49	48.23	46.42	73	53.8	52.78	42.6
2019	51.8	42.23	52.09	41.66	71.65	53.7	54.98	51.23
मानक	55	45	75	70	65	55	50	40

स्रोत: यूपीपीसीबी उन्नाव, 2020

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में दिन और रात दोनों समय में उन संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर उच्च स्तर पर है, जिनकी निगरानी की गई थी, जबकि आवासीय और औद्योगिक स्थल में ध्वनि का स्तर लगभग रिश्ते है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि का स्तर अधिक है जबकि रात के समय यह रिश्ते है।

8.4 वर्तमान पर्यावरण विनियमन

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सांविधिक संगठन है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र में पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने का दायित्व दिया गया है। उन्नाव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सरकार 5 के अंतर्गत आता है।

बोर्ड के क्रियाकलाप:

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उन्नाव जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन प्रदत्त कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए किए जा रहे प्रमुख क्रियाकलापों में निम्नलिखित समिलित हैं:

- पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण से स्थल की पर्याप्तता सहित पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के प्राविधानों के तहत सहमति जारी करना।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के प्राविधानों के तहत सहमति जारी करना।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्राविधान के अंतर्गत जल उपकर का निर्धारण और संग्रह।
- औद्योगिक और नगरपालिका प्रदूषण स्रोतों की पहचान और मूल्यांकन और तत्संबंधी नियंत्रण।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता का आकलन।
- अंतर्देशीय सतही जल की गुणवत्ता का आकलन।
- जन जागरूकता कार्यक्रम।
- बहिःसाव और उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों का विकास।
- बकाएदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ करना।
- खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम, 1989 के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करना।
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अंतर्गत पृथक भंडारण, ऑफ साइट संकट प्रबंधन योजनाओं आदि की पहचान।

- जैवचिकित्सीय कचरा नियम, 1998 का कार्यान्वयन।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार द्वारा किया गया एक ऐसा ही उपाय है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू) खंड 8 के अनुसार, सभी नगर निगमों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना और पारिशैक्षिक पहलुओं को प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। इस प्रकार नगरों के विकास के लिए एक नियामक और नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में, नगर निगमों को इस परिदृश्य में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक पर्यावरण कानूनों को क्रियान्वित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं:
 - जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
 - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
 - जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
 - पर्यावरण प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण
 - पर्यावरण प्रभाव आकलन नियम 1994
- कचरा प्रबंधन को नियन्त्रित करने वाले अन्य प्रमुख नियम:
 - नगरपालिका ठोस कचरा नियम, 2005
 - जैव चिकित्सीय (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1998
 - खतरनाक कचरा (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2000

8.5 प्रस्तावित पर्यावरण और आपदा प्रबंधन योजना

- 1) वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता (सतही और भूजल), ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए डेटाबेस अपर्याप्त है। बेहतर डेटाबेस तैयार करने के लिए और अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है। वायु और जल की गुणवत्ता के निगरानी केंद्र के स्थानों की संस्तुति करने, नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपायों की संस्तुति करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को समिति का गठन करना चाहिए। इसके साथ—साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी नियमित मापदंडों की निगरानी करनी चाहिए।
- 2) इन आवश्यकताओं के संबंध में नगर के अलग—अलग भागों के निष्पादन की जांच करने के लिए डेटा इनपुट बनाए जाएं और नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाए।
- 3) प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों/संपदाओं को नियन्त्रित यातावरण के साथ और वहन क्षमता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निर्मित संयुक्त बहिःसाव प्रशोधन संयंत्र (सीईटीपी) के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। क्षेत्र में खतरनाक कचरा उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए, संयुक्त प्रशोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा (टीएसडीएफ) के लिए उचित रूप से भूमि का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।
- 4) नदियों, नालों, तालाबों और अन्य स्थानों पर ठोस कचरा को फेंकने से रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, वन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ करना भी अत्यंत आवश्यक है।
- 5) ध्वनि के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी स्तरों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यातायात प्रवाह में संशोधन के माध्यम से और सतत यातायात प्रबंधन द्वारा मार्ग यातायात की ध्वनि को कम करने के लिए प्रशासन को सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 6) घने पत्तेदार वृक्षों के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि वे ध्वनिक शोर को अवशोषित करने में अत्यधिक प्रभावी पाए गए और ध्वनि के स्तर को कम करने में बहुत अच्छे आवरण के रूप में कार्य करते हैं।
- 7) मेलों/त्योहारों के दौरान प्रबंधन को निम्नलिखित ध्यान में रखना होगा:
 - मेलों/त्योहारों के समय अतिरिक्त पंपों के माध्यम से नदी से जलापूर्ति का उन्नयन
 - त्यौहारों के समय तीरथ्यात्रियों के अधिक प्रवेश पर शौचालय की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्थानों का प्रस्ताव। यह अवधारणा, प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाये बिना स्वास्थ्यकर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने और उच्च प्रौद्योगिकी इनपुट के बिना कचरे के प्राकृतिक प्रशोधन करने को प्रेरित करेगी।
 - मेला मैदानों और देवी देवताओं के जुलूस मार्गों के पास पर्याप्त कूड़ेदान की व्यवस्था।
 - जितना हो सके वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधे मिट्टी को जकड़े रखते हैं और वायु आदि के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य करेंगे।

9. पार्क एवं खुले स्थल, कीड़ा स्थल

9.1 मनोरंजन सुविधाएँ: पार्क एवं खुले स्थल, थीम आधारित पार्क

उन्नाव में पार्कों और उद्यानों के निर्माण और रखरखाव के लिए उन्नाव नगर पालिका प्रमुख प्राधिकरण है। उन्नाव अधिक भीड़भाड़ वाला नगर है अतः इसके कारण नगर में पर्याप्त हरे भरे स्थान नहीं हैं। उन्नाव में कुछ प्रमुख पार्कों एवं खुले स्थानों में फ्रेंड्स पार्क, रामलीला मैदान, निराला पार्क, मनोरंजन पार्क, राजकीय स्टेडियम सम्मिलित हैं।

विकास क्षेत्र में उन्नाव से लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। इसका नाम चन्द्र शेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है, यह एक झील और आसपास के वातावरण से मिलकर बना है। यह अभ्यारण्य अधिकांशतया सीआईएस (या पूर्व यूएसएसआर) देशों से प्रवासी पक्षियों की 250 प्रजातियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन प्रवासी पक्षियों की संख्या में वर्ष 1990 के दशक से निरंतर गिरावट आ रही है, जिनमें से अधिकांश पक्षी हिमाचल और राजस्थान जैसे नए क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गये हैं।

चित्र 9.1: उन्नाव में पार्क एवं हरित क्षेत्र



चन्द्र शेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव



निराला पार्क, उन्नाव



मनोरंजन पार्क, उन्नाव



टाट लाट



राजकीय स्टेडियम उन्नाव

तालिका 9.1: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में सुव्यवस्थित खुले स्थान

क्र.सं.	वर्ग	प्रति यूनिट सेवित जनसंख्या	अपेक्षित संख्या	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	हाउसिंग एरिया पार्क	5000	60	0.5	29.5
2	नेबरहुड पार्क	15000	20	1	20.0
3	सामुदायिक पार्क	1,00,000	3	5	15.0
4	जिला पार्क	5,00,000	0	25	0.0
5	उप नगरपार्क	10,00,000	0	100	0.0

स्रोत: जनगणना 2011

तालिका 9.2: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में खेलकूद की सुविधाएं

क्र.सं.	वर्ग	प्रति यूनिट सेवित जनसंख्या	अपेक्षित संख्या	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	आवासीय इकाई क्रीड़ा क्षेत्र	5000	60	0.5	29.5
2	नेबरहुड क्रीड़ा क्षेत्र	15000	20	1.5	30
3	जिला खेलकूद केन्द्र	100000	3	8	24
4	मंडलीय खेलकूद केन्द्र	1000000	0	20	0

स्रोत: जनगणना 2011

तालिका 9.3: उन्नाव नगरीय क्षेत्र में बहुउद्देशीय स्थल

क्र.सं.	वर्ग	प्रति यूनिट सेवित जनसंख्या	अपेक्षित संख्या	अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल अपेक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	उप नगर स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	10,00,000	0	8	0
2	जिला स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	5,00,000	0	4	0
3	सामुदायिक स्तरीय बहुउद्देशीय स्थल	1,00,000	3	2	6

स्रोत: जनगणना 2011

9.1.1 नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पार्कों का विवरण

S.No	Parks Name	Area (In Sqr Mtr)	Condition	Facilities	Gren Area	Pathways	Gate	Lights	Sitting or Resting Features	Lands caping	Play set/Structure (for Children)	Play Area (for Adolescent)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	श्री एस०आई०जी० के आदास के सामने पार्क	978	Undeveloped	Boundry Wall Damage	No	No	No	No	No	No	No	No
2	ए-403 के सामने पार्क	510	Undeveloped	Boundry Wall Damage	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No
3	ए-176 के सामने पार्क	247	Undeveloped	Boundry Wall Damage	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No
4	ए-102 के सामने के पार्क	465	Undeveloped	Boundry Wall Damage	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No
5	ए-038 के सामने पार्क	375	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
6	ए-229 के सामने पार्क	182	Undeveloped	Boundry Wall	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No
7	ए-251 के सामने पार्क	326	Undeveloped	Boundry Wall Damage	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No
8	ए-070 के सामने पार्क	100	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9	ए-540 के सामने पार्क	324	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
10	ए-562 के सामने पार्क	466	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
11	ए-625 के सामने पार्क	407	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
12	ए-616 के सामने पार्क	402	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
13	1045 एल०आई०जी० के सामने पार्क	2570	Undeveloped	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No
14	0987 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	358	Undeveloped	Boundry Wall Damage	No	No	No	No	No	No	No	No
15	0959 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	271	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
16	0931 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	240	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
17	0997 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	439	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
18	0871 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	202	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
19	0725 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	358	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	No	No	No	No	No	No
20	0897 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	286	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	No	No	No	No	No	No
21	0593 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	288	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
22	0565 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	247	Undeveloped	Boundry Wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
23	0537 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	279	Undeveloped	Boundry Wall	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No
24	0287 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	200	Undeveloped	Boundry Wall	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No
25	0299 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	251	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
26	0365 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	258	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
27	0209 ई०डब्लू०एस० के सामने पार्क	59	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
28	0043 एल०आई०जी० के सामने पार्क	1050	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No
29	0220 श्री मेराज अठमद के आदास के सामने पार्क	440	Undeveloped	No	No	No	No	No	No	No	No	No

30	224/ 6 श्री सुभाष चौपडा के आवास के सामने	800	Developed	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No
31	0284 एल0आई0जी0 के सामने पार्क	972	Undeveloped	Boundary wall	No	No						
32	0300 एल0आई0जी0 के सामने पार्क	318	Undeveloped	Boundary wall	No	No	No	No	Yes	No	No	No
33	276/ 4 एल0आई0जी0 के सामने पार्क	706	Developed	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
34	108 एल0आई0जी0 के सामने पार्क (झन्स शेखर आजाद पार्क)	3460	Undeveloped	Boundary Wall Damage	No	Yes	No	No	No	No	No	No
35	सी- 12 के सामने पार्क (द्यूपेल)	703	Developed	Boundary wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
36	पूर्व सांखद श्री दीपक कुमार के आवास सं0 66 के सामने पार्क	1756	Developed	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
37	सी-143 के सामने पार्क	1090	Undeveloped	Boundary wall	No	No	No	No	Yes	No	No	No
38	सी-151 के सामने पार्क	497	Undeveloped	Boundary wall	No	No	No	No	Yes	No	No	No
39	नंदल विलेज पार्क (डॉ अन्वेदकर पार्क) सिलां	663	Developed	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
40	पन्नालाल पार्क शाठगंज	4200	Developed	Boundary wall	Yes	No						
41	अब्बास पार्क, जयाडर नगर	665	Undeveloped	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No
42	गाम्भी नगर इंद्रगांठ पार्क	339	Undeveloped	Boundary wall	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
43	चत्प्रतोटर आजाद पार्क, बापूजी (व्यद)	1198	Undeveloped	Boundary wall	No	No						
44	तकी नगर (ठिरिजन गुरुद्वारा के पास) पार्क	184	Undeveloped	Boundary wall	No	No						
45	शिंय घून पार्क, सिविल लाइन	1090	Undeveloped	Boundary wall	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No
46	नगर पालिका कम्पाउण्ड स्थित पार्क	73	Developed	Boundary wall	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	No
47	नारेंद्र नगर स्थित अर्जुन पार्क	547	Undeveloped	Boundary wall	No	No						
48	नाडल विहार कालानी स्थित पार्क	578	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No						
Situated in P.D.Nagar												
49	नारेंजन पार्क	5211	Developed	Boundary wall	Yes	No						
50	सेलटर-ए स्थित गोपेश्वर पार्क	3024	Undeveloped	Boundary wall	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No
51	सेलटर-ए स्थित बराहा पार्क	735	Undeveloped	Boundary wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
52	सेलटर-ए 96 स्थित लूणा पार्क	1100	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No	Yes	No	No	No	No	No
53	सेलटर-ए 65 स्थित निर्मल पार्क	3428	Undeveloped	Boundary wall	No	No	Yes	No	No	No	No	No
54	सेलटर-सी (384) स्थित शिलोनिया पार्क	2480	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No	Yes	No	No	No	No	No
55	सेलटर-सी स्थित नारेंद्र नारीया टापर के पीछे बाला पार्क	3000	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No						
56	सेलटर-सी 306 के सामने स्थित तिकोना पार्क	1050	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No						
57	सेलटर-सी स्थित आदर्श पार्क	2110	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No	Yes	No	No	No	No	No
58	सेलटर-सी स्थित बाबा विश्वनाथ मन्दिर पासी की टकी बाला पार्क	2805	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No						
59	सेलटर-ए स्थित कच्छा पार्क	1975	Undeveloped	Boundary wall Damage	No	No						
60	सेलटर-डी एलआईजी 25 के सामने स्थित चौपडा पार्क	1915	Undeveloped	Boundary wall	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
	कुल	61250										

स्रोत: उन्नाव नगर पालिका परिषद 2019

नगर पालिका परिषद उन्नाव
अनुत योजना के अन्तर्गत विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य

(इनराशि लाख रुपये)

संख्या	पार्क का नाम	पार्क का एरिया (घन मीटर)	स्वीकृति इनराशि
1	2	3	4
1	अनुत योजनान्तर्गत उन्ना लाल पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	4200	31.90.
2	अनुत योजनान्तर्गत एमोआईओ 1045 को स्थापने पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	2570	50.77
3	अनुत योजनान्तर्गत ई०डलू०एस० 593 को स्थापने पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	288	17.82
4	अनुत योजनान्तर्गत चन्द शेखर आजाद पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	3460	46.07
5	अनुत योजनान्तर्गत अर्जुन पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	547	23.22
6	अनुत योजनान्तर्गत अब्दाल पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	665	19.92
7	अनुत योजनान्तर्गत चन्द शेखर आजाद पार्क (वाडूगंज प्रधान) का सौन्दर्यीकरण कार्य।	1198	14.20
8	अनुत योजनान्तर्गत मौडल घिरार कालोनी रियात पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	578	13.00.

स्रोत: उन्नाव नगर पालिका परिषद 2019

10. वर्तमान भू-उपयोग

10.1 भूमिका

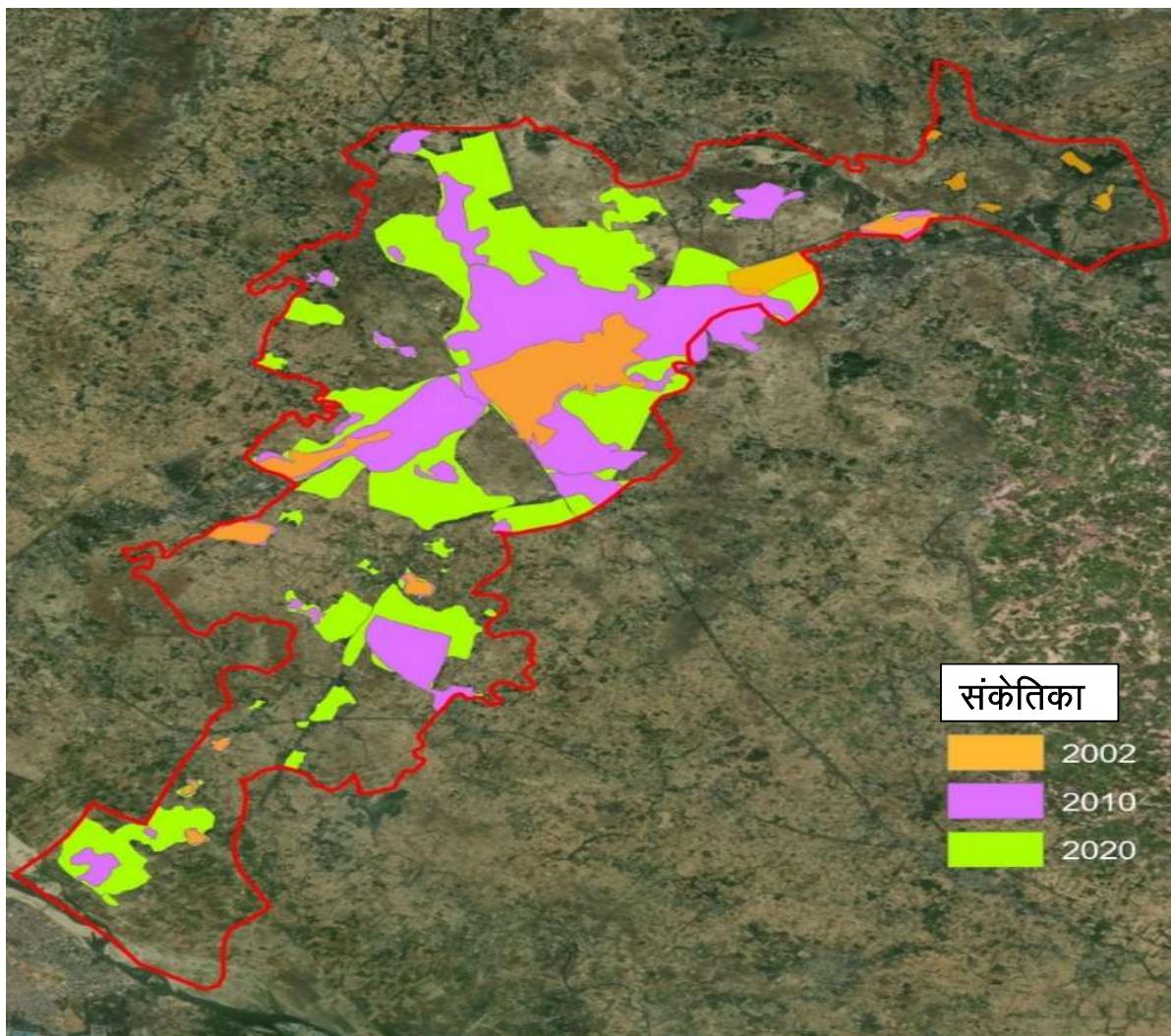
वर्तमान भू उपयोग एनआरएससी के आंकड़ों की भूमि सच्चाई एवं उसका सत्यापन करके तैयार किया गया है। उन्नाव विकास क्षेत्र हेतु जीआईएस समर्थित आधार मानचित्र तैयार करने की पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित क्षेत्रों के लिए आधार मानचित्र तैयार करने के लिए एनआरएससी के साथ करार किया था। एनआरएससी द्वारा तैयार किए गए आधार मानचित्र का उपयोग निर्दिष्ट कार्य के लिए आधार के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त एनआरएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार मानचित्र का व्यापक अध्ययन एवं गहन विश्लेषण किया गया है तथा भावी स्थानिक प्रस्तावों की रूपरेखा बनाने में वर्तमान उपयोग पर हुए व्यतिक्रमों को ध्यान में रखकर अंतिम आधार मानचित्र तैयार किया गया।

10.2 वर्तमान विकास की प्रवृत्ति

महायोजना 2001 के अनुसार नगर के मध्य भाग में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रांतीय मार्ग के किनारे विकास के लिए भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये थे लेकिन समय के साथ, यह देखने में आया है कि निर्मित क्षेत्र, शहर के अन्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में भी फैला हुआ है।

वर्ष 2010 तक शहर का विकास शहर के मध्य भाग तक सीमित था, लेकिन समय के साथ, विकास लखनऊ—कानपुर राष्ट्रीय मार्ग एवं राजमार्ग विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के साथ शुरू हुआ तथा अन्य प्रमुख विकास मार्ग हरदोई रोड और रायबरेली रोड पर तीव्रता से हो रहा है।

मानचित्र 10.1: विकास क्षेत्र में शहरी विकास



स्रोत: आरईपीएल द्वारा ईएलयू 2020

10.3 उन्नाव विकास क्षेत्र का वर्तमान भू-उपयोग

उन्नाव विकास क्षेत्र 8176.73 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से विकसित क्षेत्र मात्र 2377.39 हेक्टेयर है जबकि शेष क्षेत्र के अंतर्गत जल निकाय, कृषि, बंजर भूमि या दलदली भूमि है। विकास क्षेत्र के भू उपयोगों का वर्गीकरण यूआरडीपीएफआई एवं अमृत के दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। विकास क्षेत्र के अभिरुचि के क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग विश्लेषण नीचे दिया गया है।

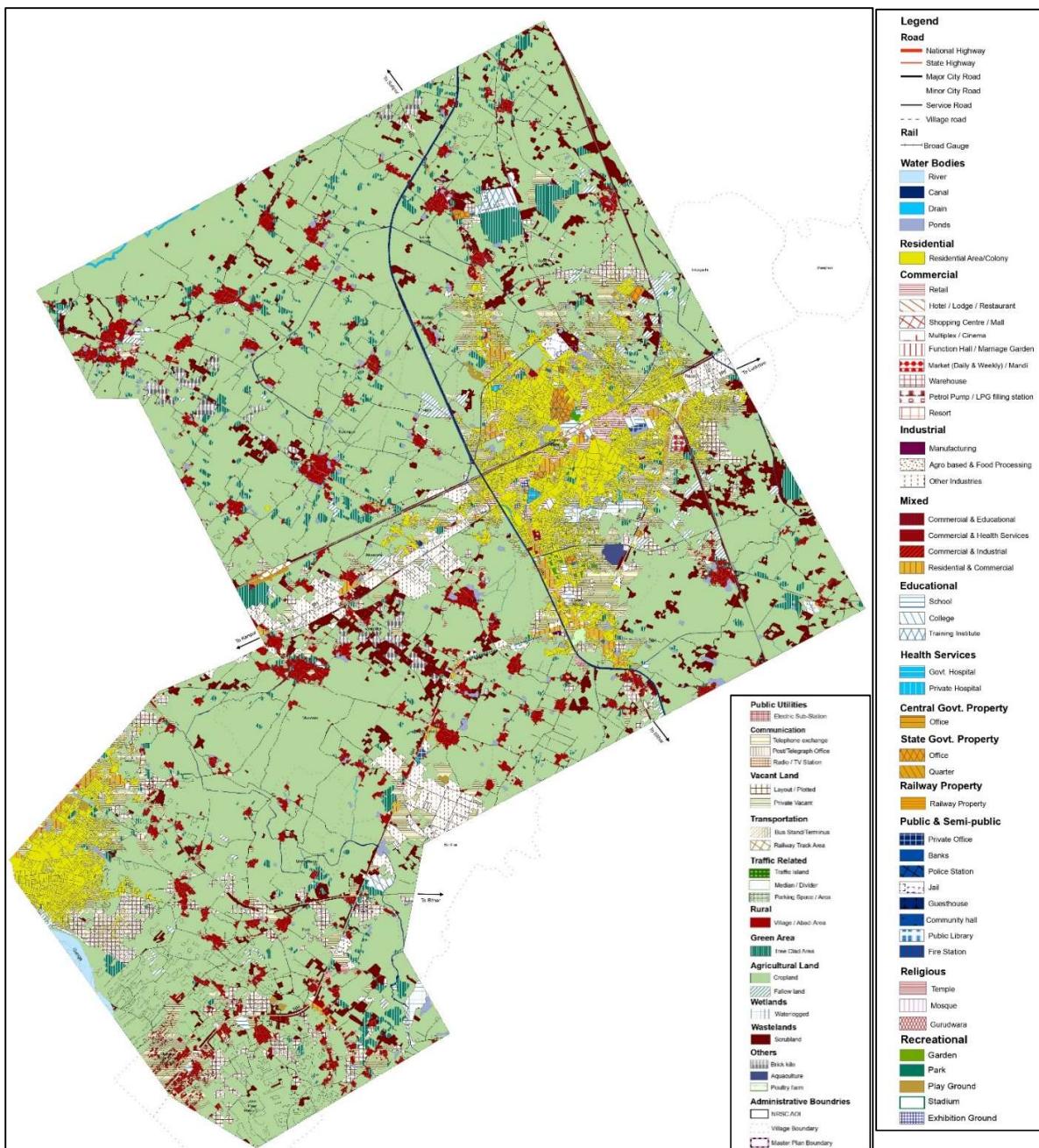
भू-उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 2020 के अनुसार उन्नाव नगर की विकसित भूमि, अविकसित भूमि, वर्तमान भू-उपयोगों का विवरण तालिका 10.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1: वर्तमान भू उपयोग—2020

भू उपयोग के प्रमाणीकरण के उपरांत भू उपयोग का वर्गीकरण				
क्र.सं.	भू उपयोग का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल क्षेत्र का प्रतिशत	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	1368.80	16.74%	57.58%
2	वाणिज्यिक	82.58	1.01%	3.47%
3	औद्योगिक	292.47	3.58%	12.30%
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	115.61	1.41%	4.86%
5	पार्क एवं खुले स्थल	117.30	1.43%	4.93%
6	यातायात एवं परिवहन	340.99	4.17%	14.34%
7	मनोरंजन	3.14	0.04%	0.13%
8	अन्य	56.50	0.69%	2.38%
विकसित क्षेत्र (क)		2377.39	29.08%	
9	कृषि	4053.13	49.57%	69.89%
10	जल निकाय	735.55	9.00%	12.68%
11	बंजर भूमि	262.96	3.22%	4.53%
12	वनस्पति/वन भूमि	80.66	0.99%	1.39%
13	रेलवे की भूमि	3.20	0.04%	0.06%
14	रिक्त भूमि	663.85	8.12%	11.45%
अविकसित क्षेत्र (ख)		5799.35	70.92%	
महानगर योजना का कुल क्षेत्र (क + ख)		8176.73	100.00%	

स्रोत: आरईपीएल द्वारा ईएलयू 2020

मानचित्र 10.2: वर्तमान भू उपयोग -2020



10.4 वर्तमान महायोजना – 2001 का मूल्यांकन

शहर के सुनियोजित विकास के लिए, सरकार ने उन्नाव शुक्लागंज नगरीय क्षेत्र एवं निकटवर्ती 44 ग्रामों को समिलित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 के अधीन, उ.प्र. शासन की अधिसूचना संख्या 4347 / 32—2—97—डी.ए.81 लखनऊ दिनांक 07.12.1983 द्वारा उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र घोषित किया गया था। उन्नाव—शुक्लागंज प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 ने महायोजना—2001 तैयार किया था। इसके उपरांत शासन ने महायोजना—2001 को शासनादेश संख्या 719 / 37—3—6 महा / 86 दिनांक 03 जून 1988 को स्वीकृती प्रदान की गयी।

विकास के प्रमुख कारणों में औद्योगिक विकास एवं नगर का नगरीय फैलाव सम्मिलित हैं लेकिन इस अवधि में, नगर का असमान और अनियोजित विकास हुआ है। इस अनियोजित विकास के कारण, नगरीय आधारभूत सुविधाओं पर नगर की जनसंख्या के अनुपात में अधिक बोझ पड़ता है। कानपुर शहर से सटे होने के कारण शुक्लागंज क्षेत्र में भी आधारभूत ढांचे की यही स्थिति है। नियोजित विकास के प्रवर्तन में कमी के कारण, ये स्थितियां वर्तमान हैं एवं इसका निवारण केवल नियोजित विकास से ही किया जा सकता है।

उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के गठन के उपरांत, महायोजना के अनुसार नियोजित विकास होने की अपेक्षा की गई थी लेकिन आरंभिक वर्षों में कोई योजना आरंभ नहीं हो सकी। 90 के दशक में निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की कल्पना की गई थी।

- प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना।
- मोतीनगर आवासीय और वाणिज्यिक योजना।
- ऑटोमोबाइल योजना।
- गदनखेड़ा योजना।
- पूरन नगर आवासीय योजना।
- निराला नगर आवासीय योजना।

10.5 उन्नाव महायोजना 2001 में प्रस्तावित जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष 1961—1971 की अवधि में प्रक्षेपित जनसंख्या के साथ, वर्ष 2001 के लिए 4 लाख की जनसंख्या प्रक्षेपित थी, उन्नाव विकास क्षेत्र में 34.83 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। वर्ष 1971—1911 के लिए यह वृद्धि दर 58.18 प्रतिशत थी। वर्णित योजना क्षेत्र में, उन्नाव क्षेत्र में 1951—1961 की कालावधि में 17.99 प्रतिशत, 1961—1971 में 28.26 प्रतिशत एवं 1971—1981 के दौरान 98.93 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। इन प्रवृत्तियों के आधार पर, वर्ष 2001 के लिए 2,18,400 की जनसंख्या प्रक्षेपित थी। जनसंख्या का प्रक्षेपण निम्नलिखित वृद्धि कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया था:

- तीव्र औद्योगिकीकरण
- उद्योगों का कानपुर से उन्नाव में स्थानांतरण
- कानपुर के आस—पास के क्षेत्रों से जनसंख्या का उन्नाव—शुक्लागंज की ओर पलायन।
- उत्तर भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निर्मित समान उत्पादों की बिक्री।

तालिका 10.2: उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2001 की वर्तमान और प्रक्षेपित जनसंख्या (1981—2001)

क्षेत्र	जनसंख्या			वृद्धि दर का प्रतिशत
	1981	1991	2001	
उन्नाव	75983	33100	218400	75.17
गंगाघाट	26050	54000	88000	107.22
ग्रामीण	54248	67900	93600	25.17
कुल विकास क्षेत्र	156281	255000	400000	63.16
स्रोत: उन्नाव महायोजना—2001				

10.5.1 वर्तमान स्थिति

उन्नाव नगर के लिए वर्ष 2001 में 2.18 लाख की जनसंख्या प्रक्षेपित थी, हालांकि यह देखा गया है कि वर्ष 2001 में वास्तविक जनसंख्या 1.45 लाख थी जो प्रक्षेपित जनसंख्या से 73 हजार कम है।

10.6 आवास

वर्ष 2001 के लिए, यह अनुमान लगाया गया था कि उन्नाव में 2,18,400 व्यक्तियों की प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए कुल 45,533 आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय घनत्व निम्नानुसार प्रस्तावित किए गए थे:

- उच्च घनत्व—275 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर।
- मध्यम घनत्व— 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर।
- निम्न घनत्व— 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर।

वर्ष 2001 की महायोजना में यह परिकल्पना की गई थी कि आवासीय उद्देश्य के लिए 1523.99 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें सकल घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा।

10.6.1 वर्तमान स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार, विकास क्षेत्र में 24,587 आवासों की कमी है। उन्नाव में सकल घनत्व बहुत अधिक है जो 441.65 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

10.7 महायोजना 2001 में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन

महायोजना में कुल 454.12 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन के लिए आरक्षित थी जो कुल प्रस्तावित भू उपयोग क्षेत्र का 14.73 प्रतिशत है। जो निम्नलिखित है:

- मार्ग का चौड़ीकरण,
- विभिन्न स्थानों पर समापार और ऊपर गामी सेतु,
- तीन मुख्य स्थानों पर (क) बड़ा चौराहा, (ख) छोटा चौराहा (ग) रायबरेली रोड टी-जंक्शन चौराहों का उन्नयन
- 2 नए बस स्टैंड,
- ट्रक टर्मिनस

10.7.1 वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, 40.35 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत है। वर्तमान भू उपयोग में मार्ग, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पार्किंग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 1.79 हेक्टेयर भूमि रेलवे संपत्ति के अंतर्गत है।

10.8 महायोजना 2001 में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल

तीव्र वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार की खुली सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया। जो निम्न है:-

- कुल लॉट (प्रत्येक 500 लोगों के लिए 1 लॉट)
- सेक्टर पार्क (प्रत्येक 10,000 से 15,000 व्यक्तियों के लिए 1 पार्क)
- जिला पार्क (कुल 7 जिला पार्क)
- नगर पार्क
- स्टेडियम (वर्तमान स्टेडियम का उन्नयन)

सभी वन, पार्क और खुले स्थान को अवैध कब्जे और अतिक्रमण से बचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक स्वस्थ और टिकाऊ यातावरण उपलब्ध कराने के लिए, महायोजना में खुले और साथ ही अन्य हरित स्थानों का सीमांकन किया गया था।

10.8.1 वर्तमान स्थिति

वर्तमान में 23.70 हेक्टेयर भूमि पार्क एवं खुले स्थल भू उपयोग के अंतर्गत हैं।

10.9 उन्नाव महायोजना—2001 प्रस्तावित नियोजन खण्ड

उन्नाव गंगा घाट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र को तीन विकास क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क्योंकि विकास योग्य क्षेत्र छितरा हुआ और चौड़ाई में है अतः दो और विकास क्षेत्र बनाए गए हैं।

लखनऊ—कानपुर रेलवे लाइन के उत्तर में रायबरेली एवं बालामऊ रेलवे लाइन के मध्य से दक्षिणी किनारे तक प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी मार्ग एवं पूर्व में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन जोन—1 प्रस्तावित था। इस क्षेत्र का सर्वाधिक भू उपयोग औद्योगिक है।

लखनऊ—कानपुर रेलवे लाइन के उत्तर से दक्षिण में राजबहाल जेल में तथा बालामऊ रेलवे लाइन के पूर्व में रायबरेली रेलवे लाइन तथा पश्चिम में 45 मीटर चौड़ी प्रस्तावित मार्ग में नियोजन जोन-2 प्रस्तावित था। इस क्षेत्र का सर्वाधिक भू उपयोग आवासीय है।

उत्तर में लखनऊ—कानपुर रेलवे लाइन के दक्षिण में तथा बाईपास व रायबरेली रेलवे लाइन के पूर्व में नियोजन जोन-3 प्रस्तावित था। इस क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल, मंडी और बस स्टेशन के साथ सर्वाधिक भू उपयोग आवासीय है।

लखनऊ रेलवे लाइन के उत्तर में, दक्षिण में नाला तक, पूर्व में 45 मीटर प्रस्तावित मार्ग और पश्चिम में औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन जोन-4 प्रस्तावित था। इस क्षेत्र का सर्वाधिक भू उपयोग औद्योगिक है।

नियोजन जोन-5 में अधिकांश गंगा घाट और शुक्लागंज क्षेत्र सम्मिलित है। यह क्षेत्र उत्तर में प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग से 30 मीटर दूर और पूर्व में बदरका मार्ग तक प्रस्तावित था। इस क्षेत्र का सर्वाधिक भू उपयोग आवासीय के साथ—साथ औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत है जो नगर का प्रमुख आर्थिक आधार भी है।

तालिका 10.3: महायोजना 2001 प्रस्तावित विकास क्षेत्र

नियोजन जोन संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	457.32
2	647.82
3	1053.33
4	439.79
5	484.00
योग	3082.26

स्रोत: उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2001

तालिका 10.4: महायोजना 2001 प्रस्तावित भू उपयोग

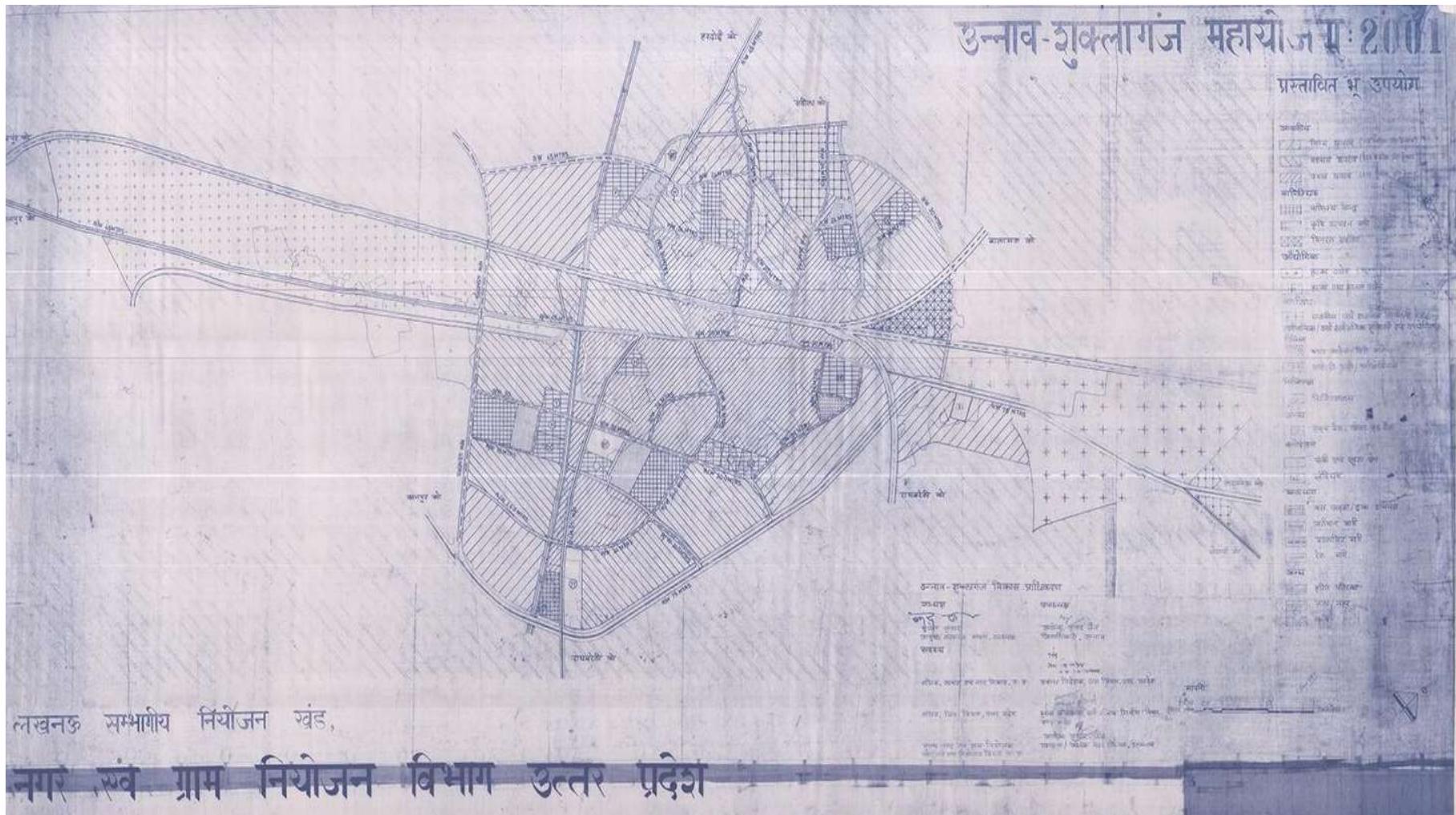
क्र.सं.	भू उपयोग	उन्नाव नगरीय क्षेत्र	गंगाघाट नगरीय क्षेत्र	कुल	%
1	आवास	1223.99	300	1523.99	49.44
2	वाणिज्यिक	82.2	40	122.2	3.97
3	औद्योगिक	635.41	-	635.41	20.62
4	राजकीय एवं अद्व्यु राजकीय कार्यालय	74.92	-	74.92	2.43
5	सार्वजनिक एवं अद्व्यु राजकीय कार्यालय	137.76	34	171.76	5.57
5.1	शिक्षा	52.78	12.5	65.28	
5.2	स्वास्थ्य सुविधा	23.59	6	29.59	
5.3	अन्य सुविधाएं	18.16	3	21.16	
5.4	पार्क	39.15	12.5	51.65	
5.5	स्टेडियम	4.08	-	4.08	
6	परिवहन	344.12	110	454.12	14.73
7	अन्य	99.86	-	99.86	3.24
	योग	2598.26	484	3082.26	100.00

स्रोत: उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2001

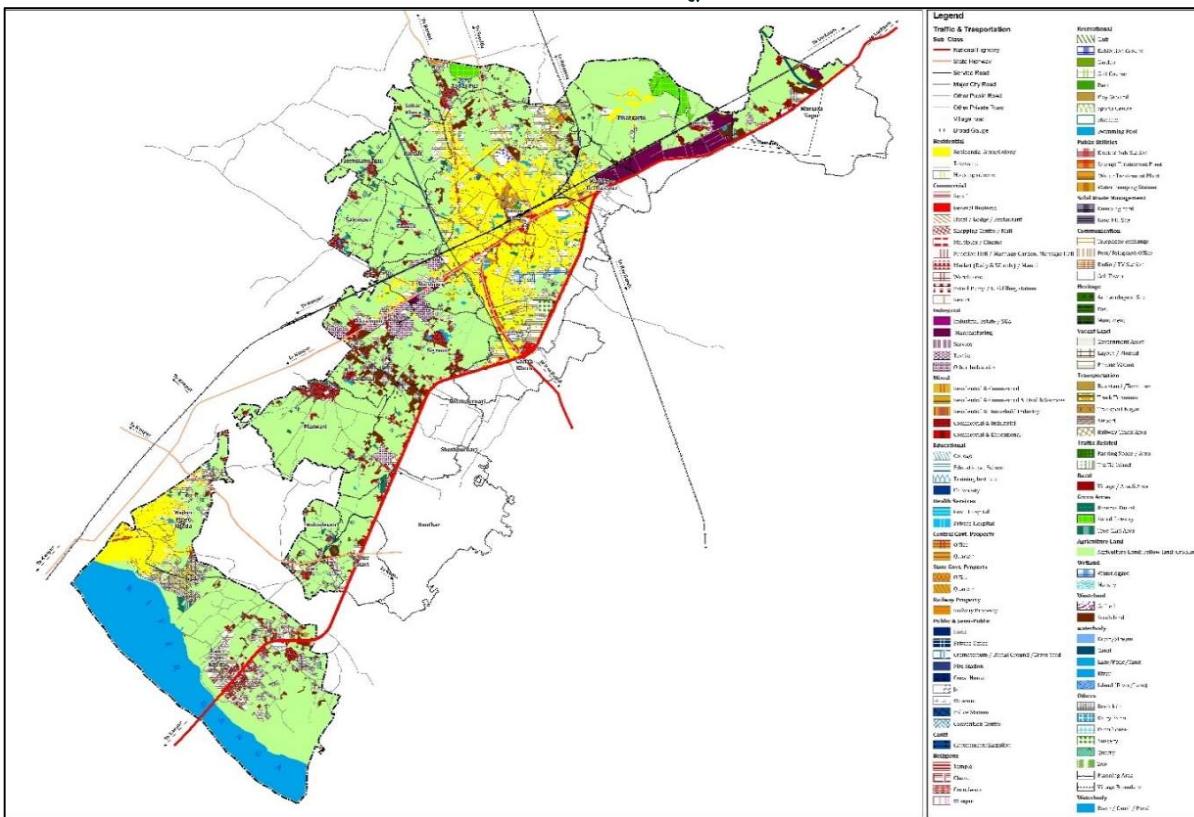
10.10 प्रस्तावित महायोजना 2001 में विचलन

वर्तमान भू—उपयोग 2020 एवं उन्नाव—शुक्लागंज महायोजना—2001 के विचलन का अध्ययन किया गया है, जिसका विवरण तालिका एवं मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है। जो निम्नवत हैं:-

मानचित्र 10.3: प्रस्तावित महायोजना 2001



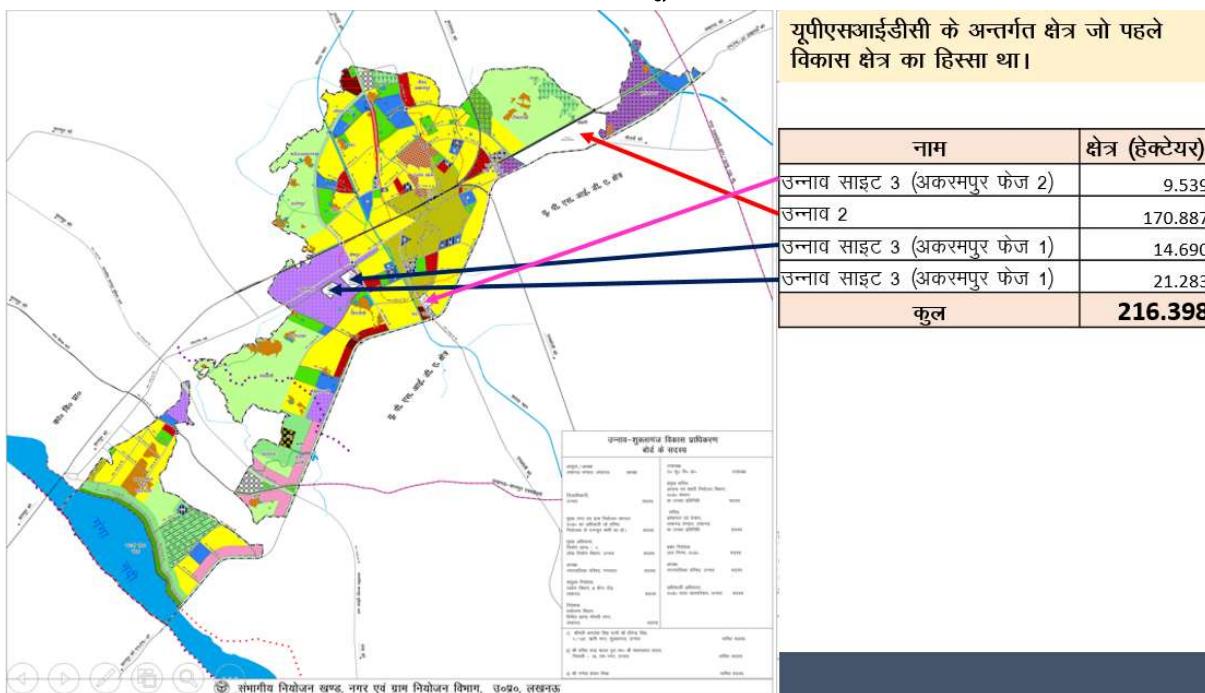
मानचित्र 10.4: उन्नाव का वर्तमान भू उपयोग—2020



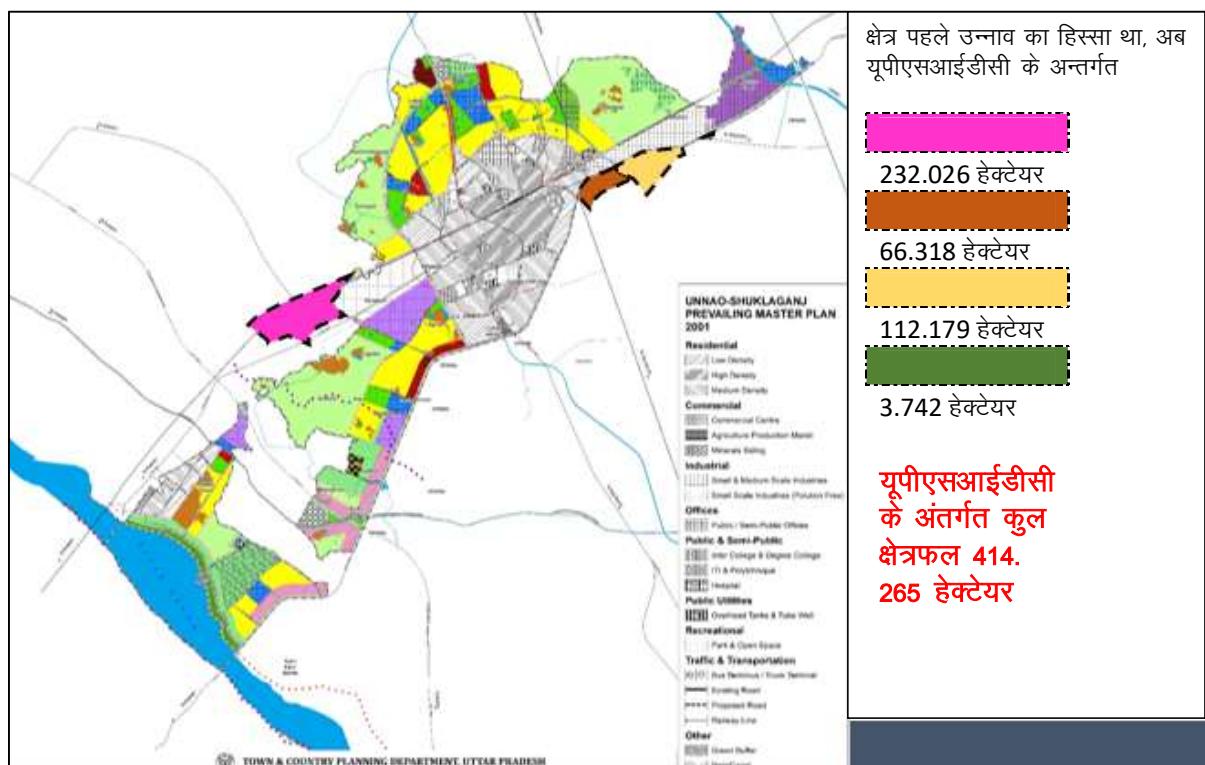
तालिका 10.5: विचलन तालिका

क्रमांक	महायोजना 2001 का प्रस्तावित भूमि उपयोग	जीआईएस के अनुसार प्रचलित महायोजना का क्षेत्रफल	महायोजना 2001 के अनुसार प्रस्तावित महायोजना का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग क्षेत्र												महायोजना 2001 से कुल विचलन (डिवेटर में)	प्रतिशत	
				आवासीय	व्यावसायिक	कार्यालय	सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं, सेवाएं और उपयोगिताएं	औद्योगिक	यातायात और परिवहन	पार्क और खुले स्थल	अन्य	कृषि भूमि	खाली जमीन	बंजरभूमि	वेटलैंड्स	जल निकाय		
1	आवासीय	1376.82	1223.99	610.6	36.41	16.96	24.62	16.12	105.42	24.93	9.77	256.48	233.85	6.14	18.57	16.93	16.12	1.17%
2	व्यावसायिक	90.9	82.2	38.19	1.34	0.19	0.24	0.01	3.56			15.64	15.27	1.04	1.96	0.15	38.19	42.01%
3	कार्यालय	84.25	74.92	18.85	0.19	11.09	14.63	7.21	2.74	0.13		12.23	8.4	6.02		2.75	18.85	30.93%
4	सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं, सेवाएं और उपयोगिताएं	106.96	94.53	27.6	1.73	2.04	11.62	0.28	4.26	0.1		29.73	22.98	0.42	0.35	5.85	27.6	25.80%
5	औद्योगिक	387.87	635.41	42.5	3.11		4.79	155.96	12.56	2.24		136.45	34.75	6.37	0.17	3.26		
6	यातायात और परिवहन	300.42	344.12	61.16	21.22	3.21	8.1	12.76	67.41	4.36	0.76	65.34	40.3	6.1	6.86	2.84	82.38	27.42%
7	पार्क और खुले स्थल	93.14	43.23	30.44	3.23	0.1	0.47	3.02	8.08	0.79	0.73	18.04	23.05	2.31	0.22	2.66	38.52	41.36%
8	अन्य	21.79	99.86	0.43					0.41			0.4	0.14	0		20.4		
	कुल योग	2462.15	2598.26	829.78	67.24	33.6	64.46	195.35	204.45	32.56	11.26	534.31	378.7	28.41	28.13	54.85		

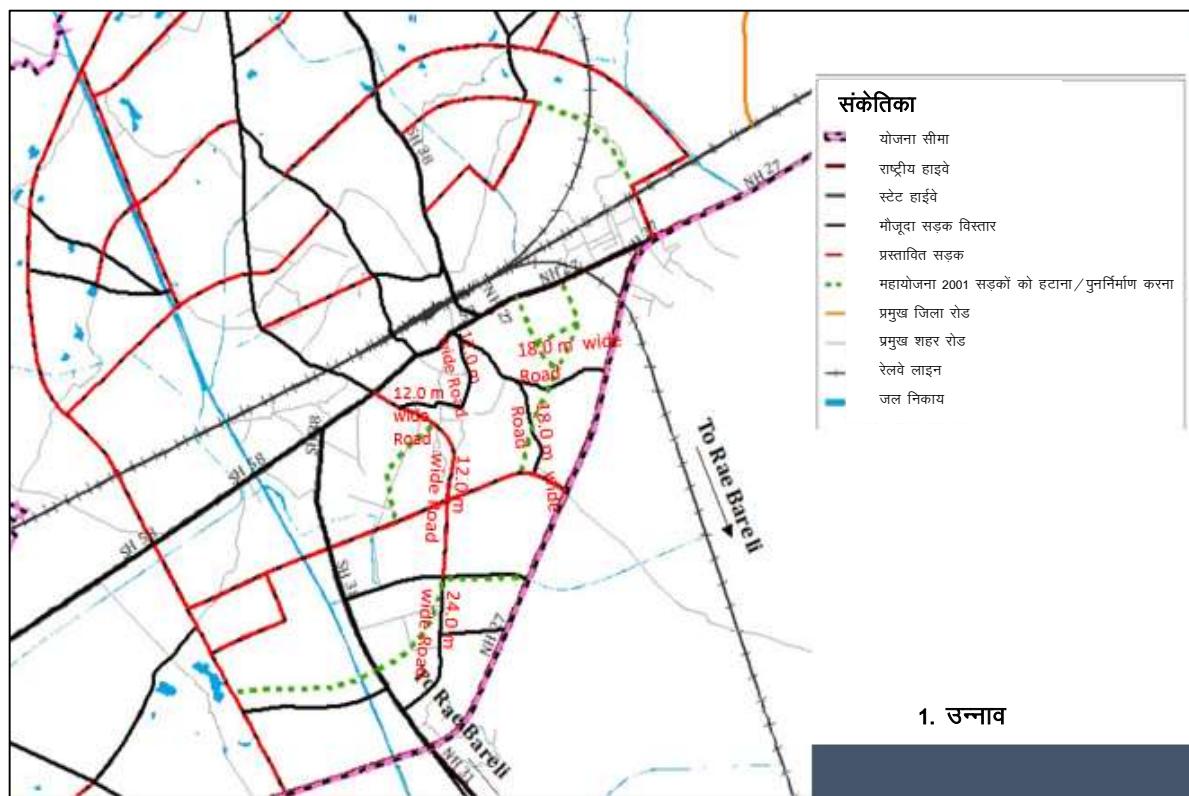
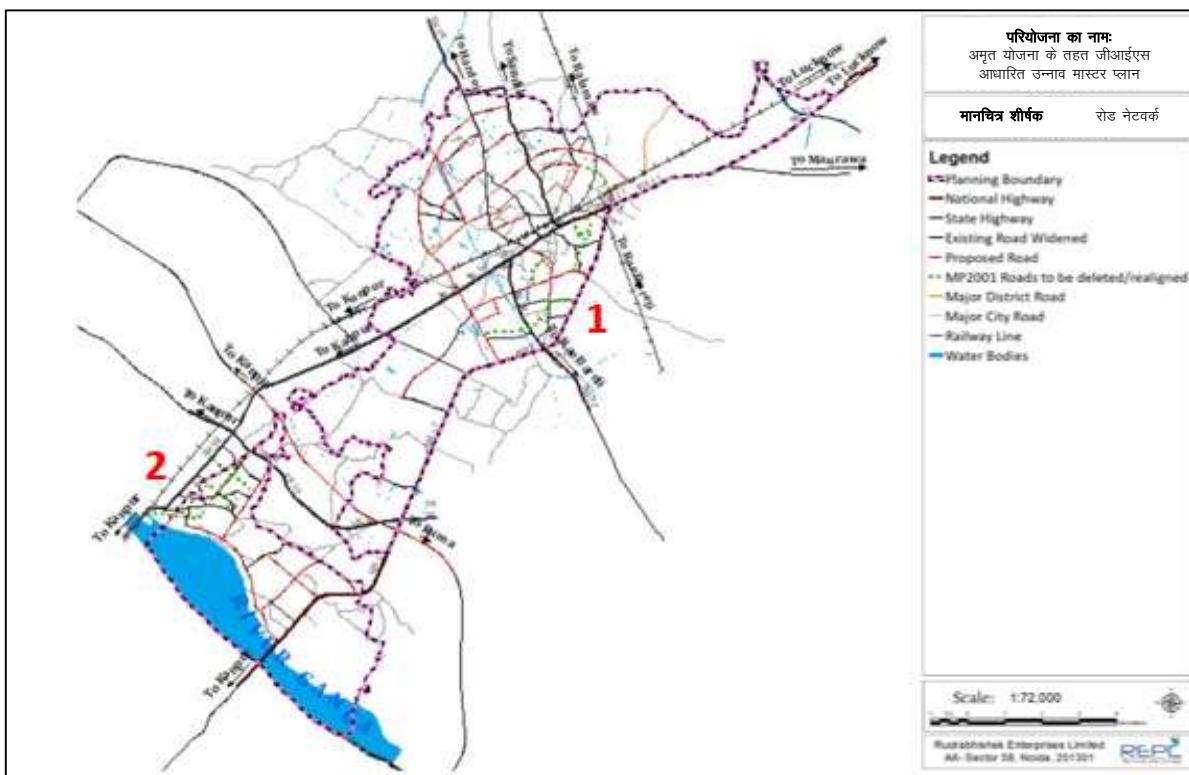
मानचित्र 10.5: योजना सीमा के अंतर्गत यूपीएसआईडीसी के अंतर्गत क्षेत्र



मानचित्र 10.6: योजना सीमा के बाहर यूपीएसआईडीसी के अंतर्गत क्षेत्र

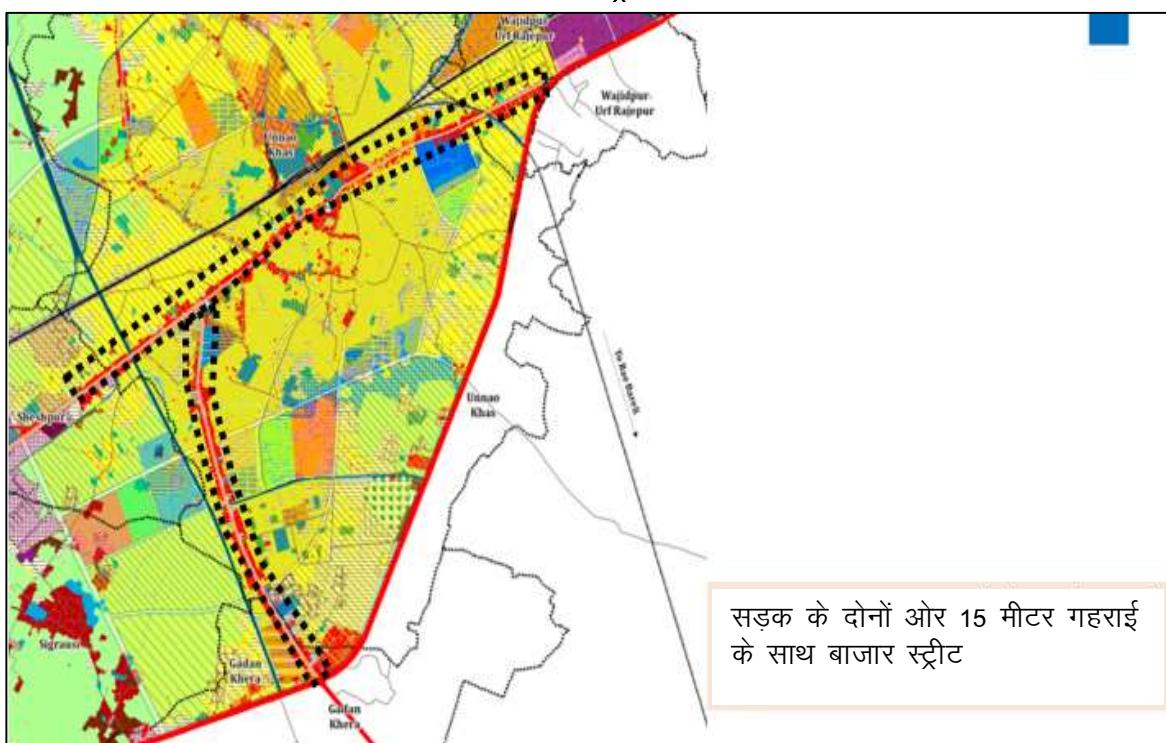


मानचित्र 10.7: मार्गों में प्रस्तावित परिवर्तन

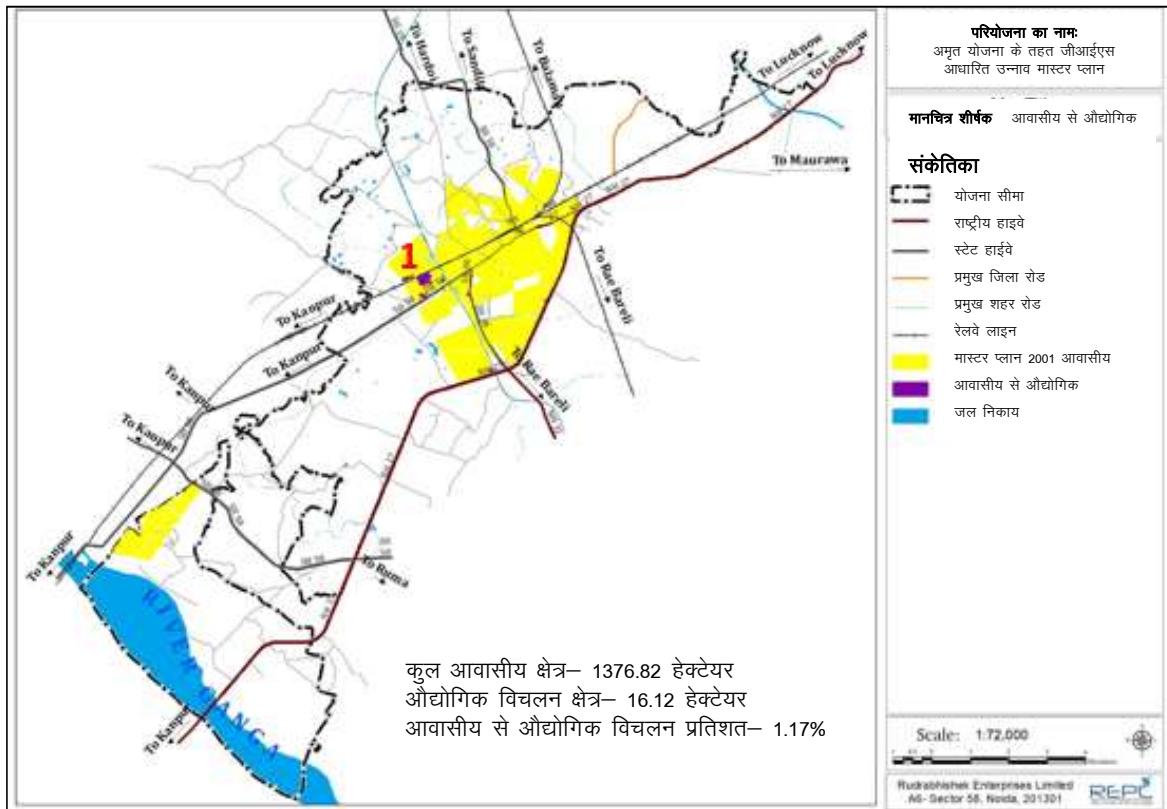




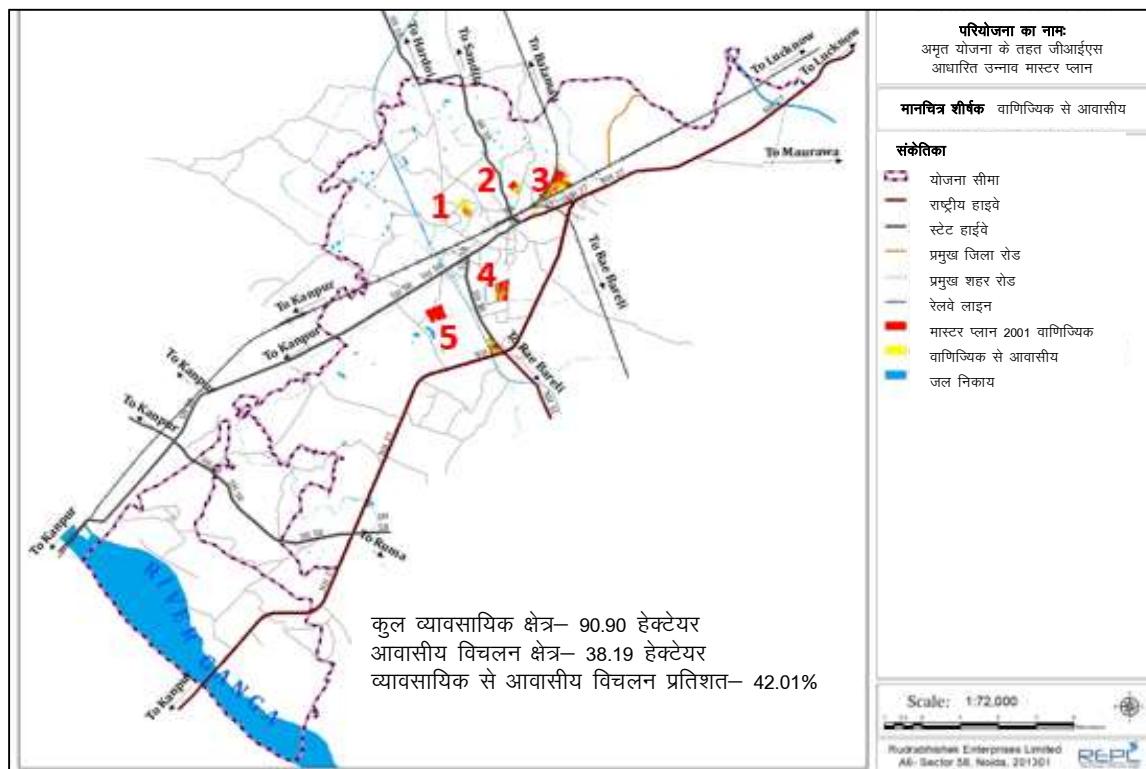
बाजार स्ट्रीट



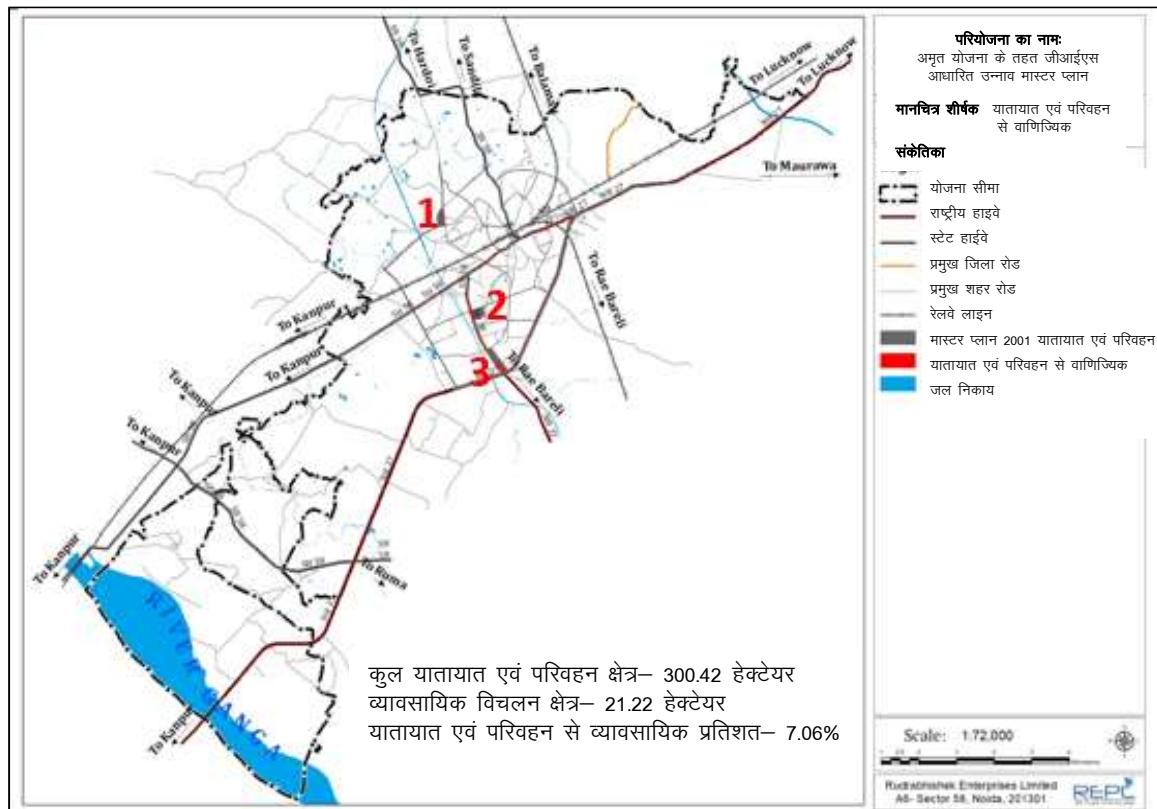
आवासीय से औद्योगिक



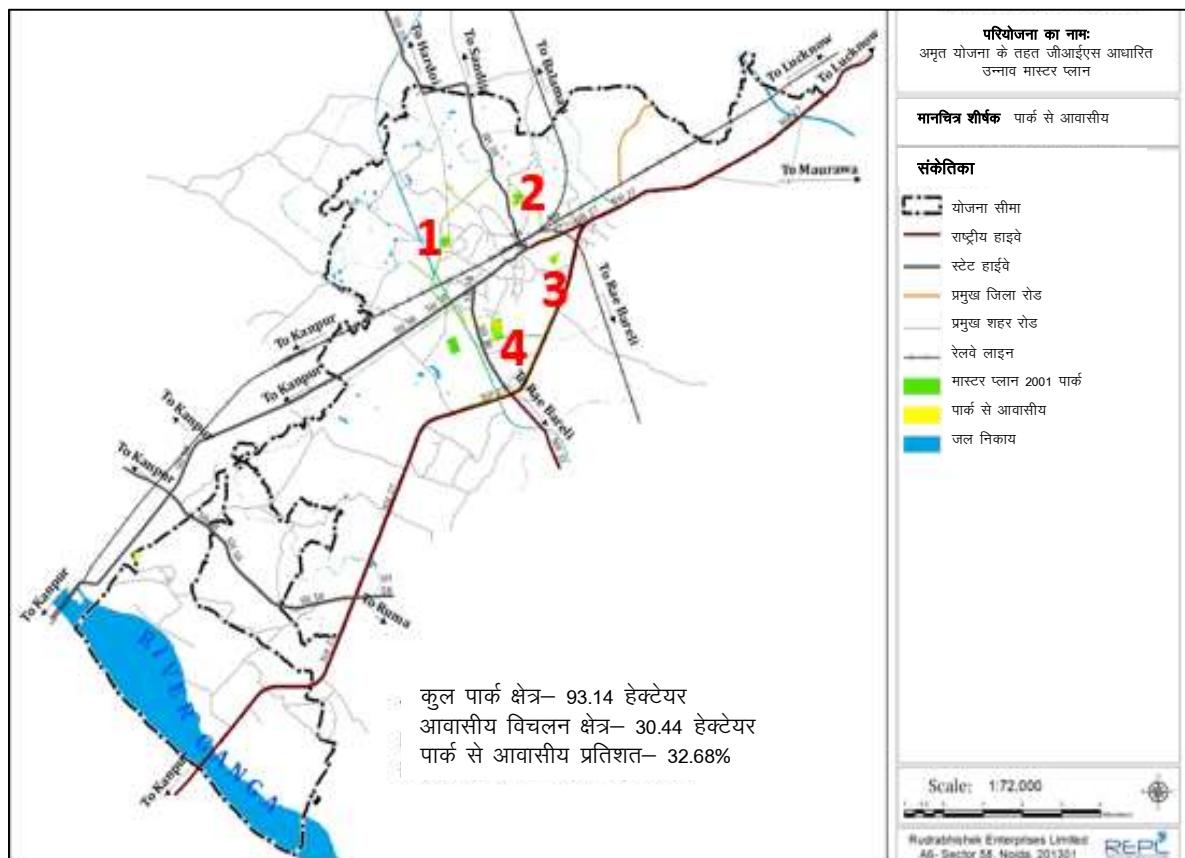
वाणिज्यिक से आवासीय



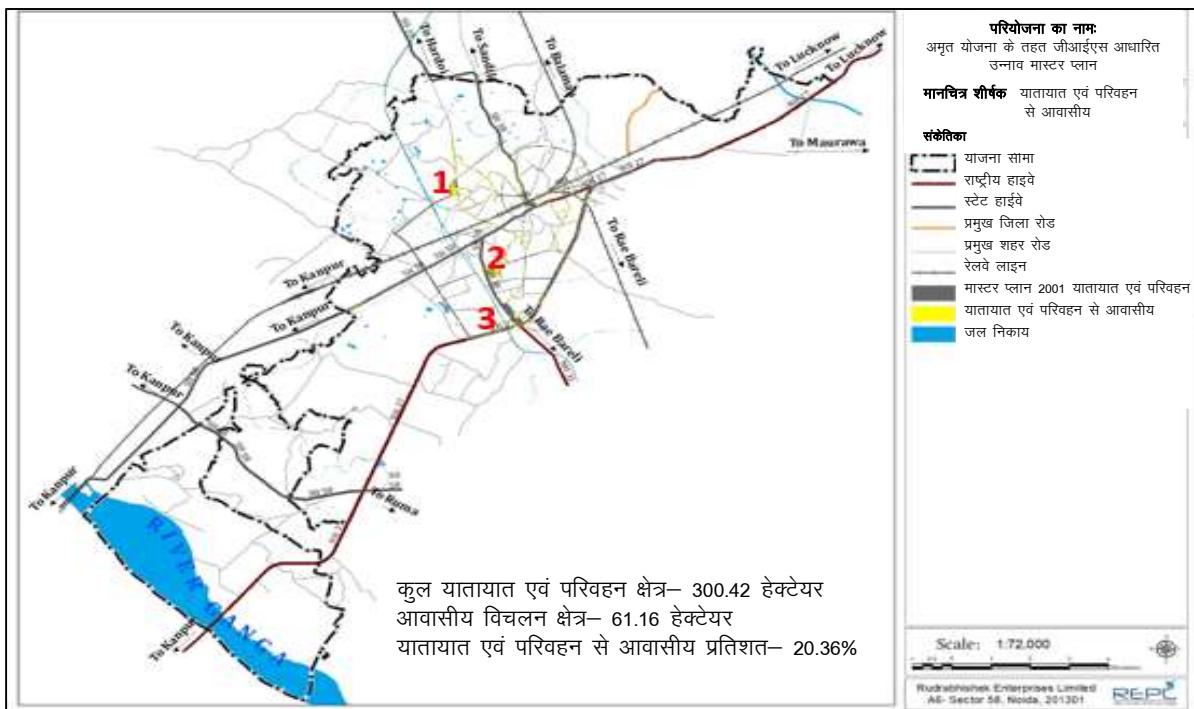
यातायात एवं परिवहन से वाणिज्यिक



पार्क से आवासीय



यातायात एवं परिवहन से आवासीय



11. कृषि

अन्य भू—उपयोग के अन्तर्गत राजमार्ग सुविधा एवं संस्थागत उपयोग क्षेत्र जल निकाय जैसे नदी एवं बाढ़ के मैदान, बाग, शमशान/कब्रिस्तान, पीएसी, हरित पट्टी, बाढ़ प्रवण क्षेत्र एवं अपरिभाषित क्षेत्र महायोजना में दर्शाये जाते हैं। उन्नाव 2031 की प्रस्तावित महायोजना में वन क्षेत्र और तालाब, नदी एवं नाला राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही रहेंगी। इस उपयोग का क्षेत्रफल 1513.99 हेक्टेयर है।

11.1.1 कृषि

उन्नाव में कानपुर—लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग—27 के किनारे कानपुर—रायबरेली रेलवे लाइन अण्डर पास के निकट नगर के सीमावर्ती क्षेत्र में कृषि बाजार (कृषि मंडी) विद्यमान है। उन्नाव में 1867.56 हेक्टेयर भूमि कृषि उपयोग क्षेत्र में है, जो बढ़ते विकास के साथ कम हो रही है। 250 गांवों से घिरी इसके रणनीतिक अवस्थिति के कारण एवं कृषि हेतु अपेक्षित जल की प्रचुरता के कारण उन्नाव एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। इन सभी गांवों की कृषि भूमि शारदा नहर के जल से सिंचित है तथा ग्रामों के निवासी मिर्च, चना, चावल—मक्का/ज्वार पतेदार सब्जियाँ और हल्दी जैसी नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं।

तालिका 11.1 जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें

क्र.सं.	उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें 2010–11	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	धान	122000	46.9 प्रतिशत
2	मक्का	74000	28.5 प्रतिशत
3	चना	64000	24.6 प्रतिशत
योग		260000	100 प्रतिशत

स्रोत: डीएसएमई, उन्नाव 2011

12. प्रस्तावित भू उपयोग – 2031

12.1 प्रस्तावित भू उपयोग – 2031

एक सुदृढ़ भू उपयोग योजना बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। महायोजना का कार्यक्षेत्र मात्र आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, सार्वजनिक अर्ध-राजकीय आदि जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की व्यापक योजना और प्रस्ताव तक ही सीमित नहीं है, यह नगर के आर्थिक विकास के लिए भू उपयोग योजना, सुरक्षित और बेहतर यातायात परिचालन प्रणाली के लिए परिवहन सुविधाओं की योजना, प्राकृतिक संसाधनों और विरासत जैसे जल निकाय, वन आदि संरक्षण का प्रस्ताव भी करता है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित विकास के लिये क्षेत्रीयकरण विनियम (जोनिंग रेगुलेशन) भी सम्मिलित हैं। अतः समय के साथ नगर के विकास को विनियमित करने एवं मार्गदर्शन करने और नियोजित विकास में योगदान देने के लिए महायोजना महत्वपूर्ण अभिलेख है। उन्नाव महायोजना में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:

- प्रस्तावित भू उपयोग
- जोनिंग रेगुलेशन

12.1.1 भूमि की आवश्यकता

भूमि बहुत दुर्लभ संसाधनों में से एक है, जिस पर संपूर्ण आधारभूत संरचना और मानव वस्ती का निर्माण होता है। भू उपयोग योजना तैयार करने से पूर्व मानदंडों और मानकों के आधार पर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए।

भावी विकास के लिए भूमि की मांग, विभिन्न उपयोगों के लिए भावी मांग के विप्लवण के आधार पर तैयार की गई है और यह यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के साथ-साथ आरएफपी में सुझाए गए घनत्व के अनुरूप है। एक मध्यम शहर के लिए, अधिमान्य घनत्व 100–150 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। उन्नाव के लिए सबसे कम श्रेणी पर विचार किया है इस प्रकार, वर्ष 2031 तक 4,60,000 की जनसंख्या को देखते हुए कुल 6440.061 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है।

तालिका 12.1: प्रस्तावित भू-उपयोग—2031

क्र० सं०	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	2730.297	42.40%
1.1	ग्रामीण आबादी	142.903	
1.2	निर्मित क्षेत्र	427.165	
1.3	आवासीय	2160.228	
2	व्यवसायिक	241.926	3.76%
2.1	प्रमुख वाणिज्यिक	132.939	
2.2	जोनल वाणिज्यिक	42.949	
2.3	बाजार स्ट्रीट	0.705	
2.4	थोक / भण्डारण	37.875	
2.5	खनिज साइडिंग	27.457	
3	कार्यालय	84.315	1.31%
4	सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधायें, सेवाएं और उपयोगितायें (क+ख+ग)	321.613	4.99%
4.1	सार्वजनिक सुविधायें उपयोगितायें (क)	73.973	
4.1.1	तकनीकी संस्थान/उच्च स्तरीय संस्थान (डिग्री/पोस्ट डिग्री/विश्वविद्यालय)	53.189	
4.1.2	स्वारक्ष्य	20.784	
4.2	सार्वजनिक सेवाएं (ख)	28.926	
4.2.1	एसटीपी / वाटरवर्क्स	9.363	
4.2.2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	19.563	
4.3	प्रस्तावित सार्वजनिक / सामुदायिक सुविधायें, सेवाएं और उपयोगितायें (ग)	218.714	
5	औद्योगिक	664.872	10.32%
5.1	लघु उद्योग (प्रदूषण मुक्त)	451.201	
5.2	लघु एवं मध्यम उद्योग	213.671	
6	यातायात एवं परिवहन	585.432	9.09%
6.1	ट्रक टर्मिनस/ट्रान्सपोर्ट नगर	48.721	

क्र० सं०	भू—उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
6.2	बस टर्मिनल	25.890	
6.3	रेल ट्रैक	78.155	
6.4	मार्ग	432.666	
7	पार्क एवं खुले स्थल	1011.659	15.71%
7.1	पार्क	345.421	
7.2	हरित पट्टी	444.972	
7.3	मनोरजन पार्क	89.355	
7.4	जोनल पार्क	52.066	
7.5	मनोरंजन	15.292	
7.6	नदी के सामने विकास	64.553	
8	अन्य	799.946	12.42%
8.1	जलाशय / तालाब	26.918	
8.2	नदी / नाले / नहर	655.568	
8.3	वन	90.740	
8.4	कोई निर्माण नहीं	3.084	
8.5	बन्धा	23.636	
प्रस्तावित शहरी क्षेत्र (अ)		6440.061	100.00%
9	कृषि	1520.274	
9.1	कृषि	1305.501	
9.2	राजमार्ग सुविधाएं क्षेत्र	214.773	
अविकसित क्षेत्र (ब)		1520.274	
कुल योजना क्षेत्र (अ+ब)		7960.335	

वर्तमान परिस्थितियों, भावी संभावनाओं, पिछली महायोजना और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के उपरांत, नगर के लिए कुल 6440 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है।

नोट:

- राजस्व अभिलेखों के अनुसार सभी प्राकृतिक जल निकायों, नालों, तालाबों और नदियों को संरक्षित किया जाएगा और उन भूमि का भू—उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार होगा।
- एनजीटी के निर्देश पर सिंचाई विभाग द्वारा चिह्नित नो कंस्ट्रक्शन जोन की सीमा के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विनियमित क्षेत्र में केवल उन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शासन की अधिसूचना संख्या 04 सितंबर 2020 को 164/2020/2031/20-27-सिं0-4-07 (एनजीटी) / 16टीसी को जारी किया गया था।
- महायोजना—2021 के ऐसे भू उपयोग जो कि अब उच्च भू—उपयोग में आ रहे हैं उन्हें नियमानुसार लैंडयूज कन्वर्जन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- एच0टी0 लाइनों को जमीनी स्थिति के अनुसार माना जाएगा।
- योजना क्षेत्र के भीतर विकसित (यूपीएसआईडीए) क्षेत्र को भूमि उपयोग गणना में नहीं माना जाता है।

12.1.2 कार्यनीतियाँ / नीतियाँ

महायोजना की अवधारणा पिछली महायोजना, वर्तमान भू उपयोग और विकास की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। नीचे कुछ ऐसी कार्यनीतियाँ दी गई हैं जिन पर योजना तैयार करते समय विचार किया गया है और जिनका उपयोग प्रस्तावित भू उपयोग की तैयारी के लिए किया जाएगा।

- भूमि एक दुर्लभ संसाधनों में से एक है इसलिए इसका उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- भूमि के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए सुसंबद्ध नियोजित विकास, महायोजना 2031 में नए भू उपयोग प्रस्तावों की मूल विशेषता होगी।
- उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियों को प्रेरित करना जहां यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

- जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं।
- बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाए।
- यातायात एवं परिवहन की समस्याओं का निवारण करने में सहायता करने के लिए योजना में परिवहन और परिचालन प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाए।
- वनों और जल निकायों के आसपास के क्षेत्रों को प्राकृतिक संरक्षण/निर्माण गतिविधि रहित क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया जाए।
- नियोजन प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाए।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां इंटरनेट संरचना काफी हद तक बाधित न हो, वहां विकास क्षेत्र के बाहरी भागों या क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करके दबाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

शहर का नियोजन करते समय, प्राकृतिक विकास प्रवृत्तियों के साथ-साथ प्रेरित विकास की संभावना पर विचार किया जाए।

12.1.3 आवासीय उपयोग:

वर्तमान निर्मित क्षेत्र से मिले हुए क्षेत्र जो अर्द्ध-विकसित अवस्था में हैं तथा नगर के ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का दबाव पर्याप्त क्षेत्र से कम है, को आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 2730.297 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल महायोजना क्षेत्र का 42.40 प्रतिशत है।

12.1.4 व्यावसायिक उपयोग:

मध्यम नगर संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्नाव जैसे नगर के लिए 4-6 प्रतिशत के बीच की श्रेणी ली जा सकती है।

व्यावसायिक भू उपयोग के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 241.926 हेक्टेयर है जो विकसित क्षेत्र का मात्र 3.76 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त मिश्रित उपयोग वाणिज्यिक का घटक है जिससे यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक के प्रतिशत से इसके प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है।

तालिका 12.2: वाणिज्यिक केंद्रों का क्षेत्रफल

क्र.सं.	वर्ग	क्षेत्रफल प्रति 1000 व्यक्ति (वर्गमी)	दुकानों की संख्या
1	सुखद खरीदारी	220	110 व्यक्तियों के लिए 1
2	सेवा केंद्र सहित स्थानीय खरीदारी	300	200 व्यक्तियों के लिए 1
3	सेवा केंद्र के साथ सामुदायिक केंद्र	500	200 व्यक्तियों के लिए 1
4	जिला केंद्र	880	300 व्यक्तियों के लिए 1
	योग	9000	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल 9000 वर्ग मीटर भूमि को प्रस्तावित किया गया है इस प्रकार, विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रति व्यक्ति 1.9 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः उन्नाव विकास क्षेत्र के लिए प्रक्षेपित 4.6 लाख जनसंख्या हेतु, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक कुल क्षेत्रफल की गणना नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 12.3: उन्नाव के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	शहर	प्रक्षेपित जनसंख्या	1.9 वर्गमी/व्यक्ति की दर से अपेक्षित वाणिज्यिक क्षेत्र
1	नगरीय योजना	4.6 लाख	87.4 हेक्टेयर

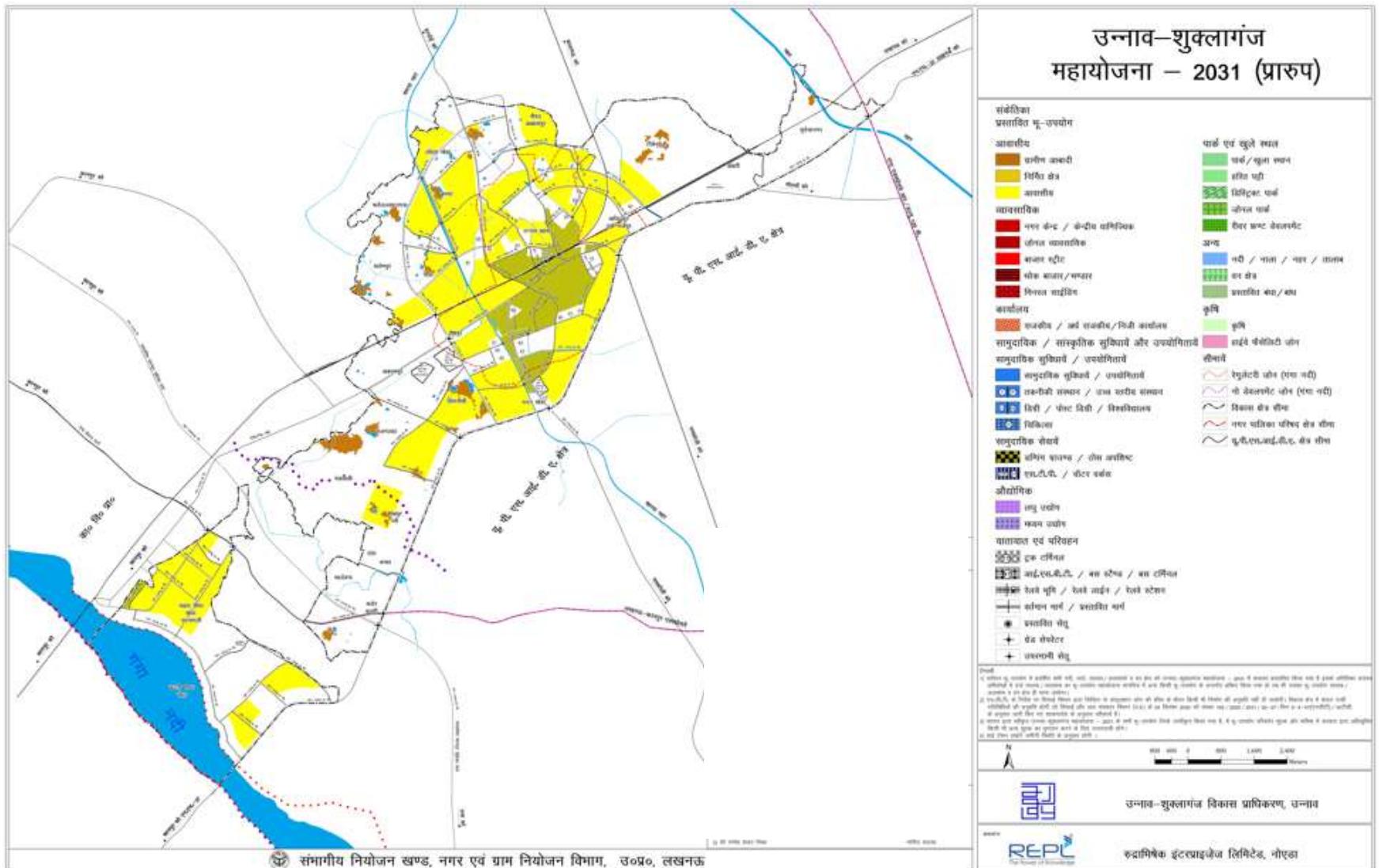
12.1.4.1 बाजार स्ट्रीट

वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में आने वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित / विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के वृद्धिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित की गयी है।

- अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित / विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित है कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण / चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।

- प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य होती कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई, जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य होगा।
- प्राधिकरण की योजनाओं/ स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट आने की दशा में नियमानुसार ले—आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।
- बाजार स्ट्रीट जोनिंग रेगुलेशन्स के अध्याय में दर्शाये गये हैं।

मानचित्र 12.1: प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

12.1.5 कार्यालय

नगरीय विकास हेतु 84.315 हेक्टेयर क्षेत्र कार्यालय के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। जो नगर के निवासियों की आवशकताओं की पूर्ति करता है।

12.1.6 सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं

सामुदायिक सुविधाओं का संबंध नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकता से होता है। नगरीय विकास हेतु सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालयों एवं संस्थानों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक गतिविधि, अग्निशमन, पुलिस सुरक्षा, श्मशान और कब्रिस्तान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम जैसी वितरण सेवाओं और अन्य सुविधाओं के लिए कुल 321.613 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो नगर के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

12.1.7 पार्क एवं खुले स्थल

लगभग 1011.659 हेक्टेयर हरित क्षेत्र (कुल योजना क्षेत्र का 15.70 प्रतिशत) सुव्यवस्थित हरित स्थलों के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

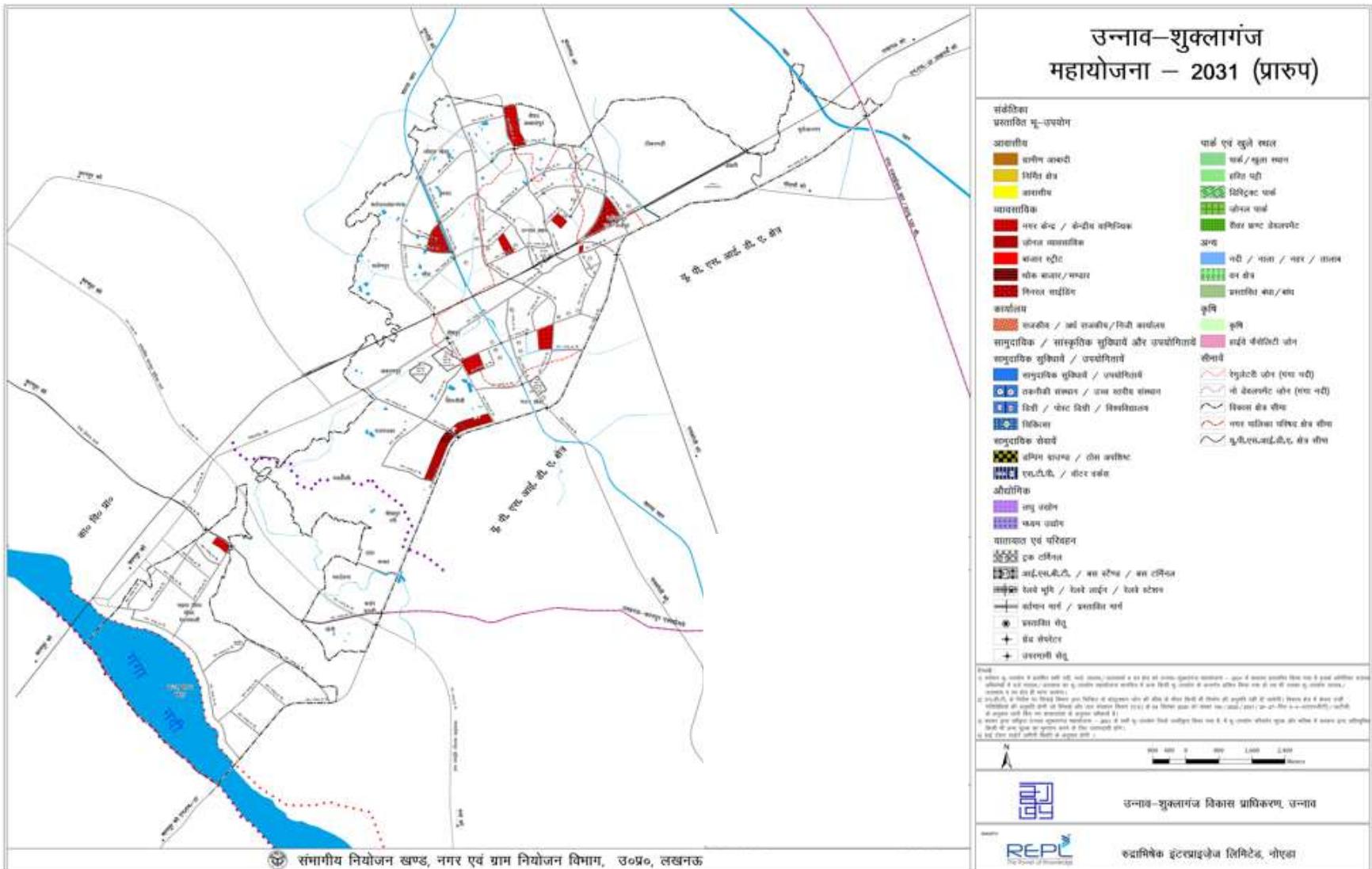
विभिन्न स्तरों पर मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो निम्नवत हैः—

- I. आवास समूह स्तर पर टॉट लॉट
- II. सेक्टर स्तर पर पार्क और क्रीड़ास्थल
- III. मनोरंजन क्लब खेलकूल केंद्र, और सामुदायिक स्तर पर प्रमुख हरित स्थल।

खुले स्थलों के लिए अपेक्षित क्षेत्र की गणना मैदानी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित खुले स्थलों के लिए यूआरडीपीएफआई मानदंडों से की गई है जिसे तालिका में दर्शाया गया है।

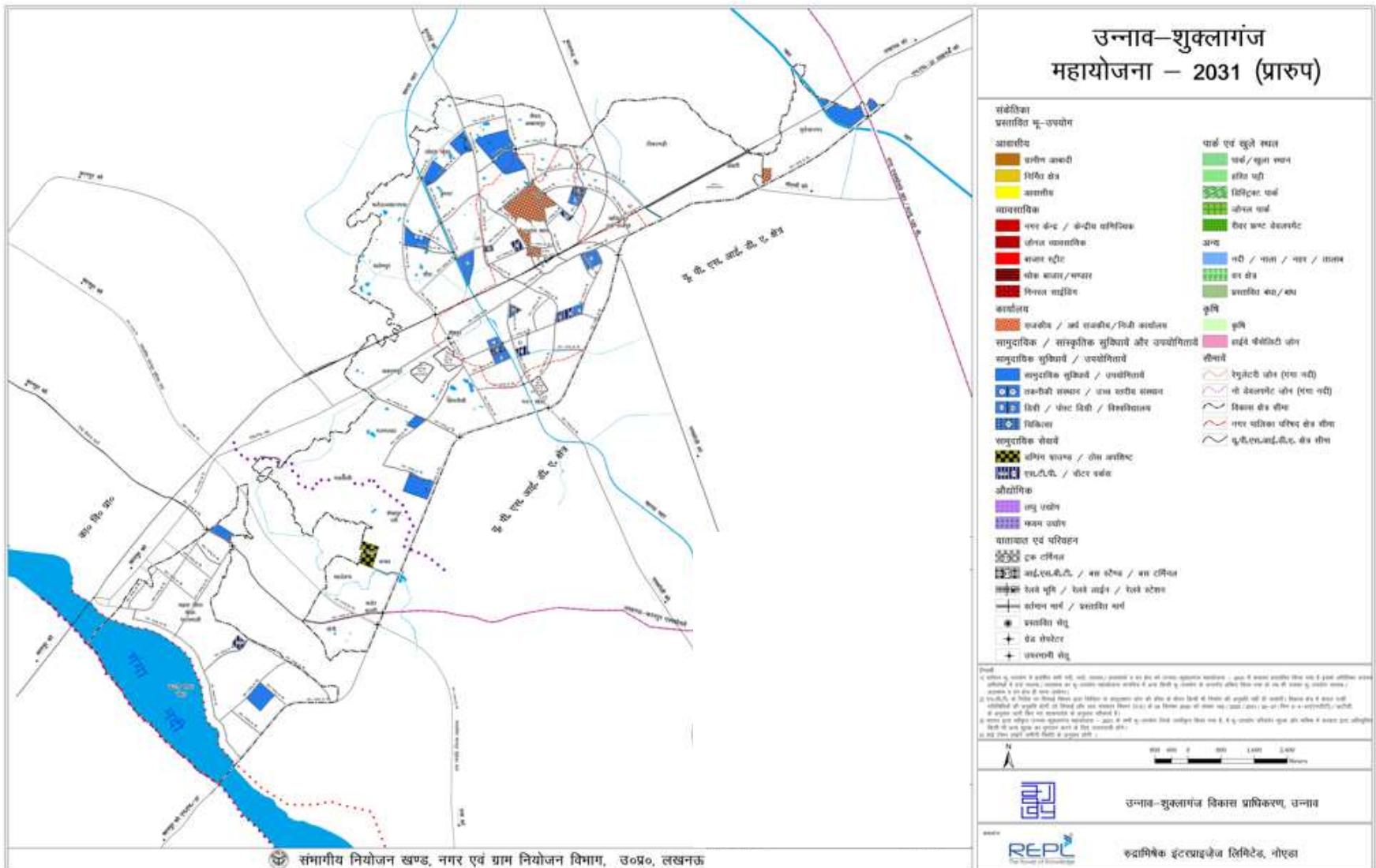
अतः उन्नाव विकास क्षेत्र के लिए प्रक्षेपित 4.6 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, खुले स्थल के लिए कुल 228.47 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि की प्रस्तावित की गयी है।

मानचित्र 12.2: प्रस्तावित व्यावसायिक भू-उपयोग



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

मानचित्र 12.3: प्रस्तावित सार्वजनिक / सामुदायिक सेवायें एवं उपयोगिताएँ



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

नोट: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश (अनुच्छेद 11.7.2.1) के अनुसार, गंगा नदी के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा विकास रहित क्षेत्र और नियामक क्षेत्र चिह्नित की गई है। उनके निर्णयानुसार, नियामक क्षेत्र में गतिविधियाँ की जा सकती हैं/नहीं की जा सकती हैं। शासनादेश 04 सितंबर, 2020 को क्रमांक 164 / 2020 / 2031 / 20-27-एसआईएन0-4-07 (एनजीटी) / 16टीसी के माध्यम से जारी किया गया था। उक्त शासनादेश संदर्भार्थ अनुलग्नक 1 में संलग्न है।

12.1.8 हरित पट्टी

महत्वपूर्ण परिवहन कॉरिडोरों के दोनों ओर नगरीय विकास को नियंत्रित करने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और बाईं-पास के साथ परिवहन कॉरिडोरों के दोनों ओर 30 मीटर चौड़े हरित बफर का प्रस्ताव किया गया है।

नालों के दोनों ओर 6 मीटर ग्रीन बफर और गंगा नदी के किनारे 200 मीटर ग्रीन बफर प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान महायोजना को एनएच के साथ हरा-भरा रखा गया है और जलाशयों को यथावत रखा गया है।

12.1.9 औद्योगिक

दिशानिर्देश के अनुसार, मध्यम आकार के शहर के लिए 30–35 प्रतिशत के बीच की सीमा ली जा सकती है लेकिन उन्नाव नगर के संदर्भ और औद्योगिक उपयोग के लिए मांग के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए कुल 664.872 हेक्टेयर (विकसित क्षेत्र का 10.32 प्रतिशत) औद्योगिक भू उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक क्षेत्र, सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं, हरेभरे और मनोरंजन क्षेत्रों आदि के प्रावधान के साथ सुविधा प्रदान की जाए। उद्योगों के लिए सीईटीपी, ठोस कचरा पृथक्करण/प्रशोधन संयंत्र इत्यादि उपलब्ध कराये जाएं ताकि जल प्रदूषण में कमी लाई जा सके। उपर्युक्त आवश्यकताओं के लिए भूमि वितरण नीचे दिए गए मापदंडों के अनुरूप होगा;

तालिका 12.4: औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण के लिए मापदंड

क्र.सं.	परिसर का उपयोग	प्रतिशत
1	औद्योगिक भूखंड	70–75
2	हरित और मनोरंजन (पार्क, जल निकाय, हरित पट्टी आदि)	5–7
3	वाणिज्यिक क्षेत्र (शॉपिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, अतिथि गृह, सेवाएं और मरम्मत की दुकानें आदि)	2–3
4	सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं (अग्निशमन केन्द्र, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, रैन बसेरा, दिन देखभाल केन्द्र आदि) जनोपयोगी सेवाएं (विद्युत उपकेन्द्र, सीईटीपी, पंपिंग स्टेशन, जल जलाशय आदि)	5–7
5	परिवहन (परिचालन, माल की लदाई/उत्तराई क्षेत्र, पार्किंग सुविधाएं आदि)	10–15
	योग	100

स्रोत: यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश

12.1.10 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 585.432 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकसित क्षेत्र का 9.09 प्रतिशत है। इस भू उपयोग के अन्तर्गत मार्ग, ट्रक टर्मिनल, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और नगर में परिवहन में सहायक अन्य सुविधाएं सम्मिलित हैं।

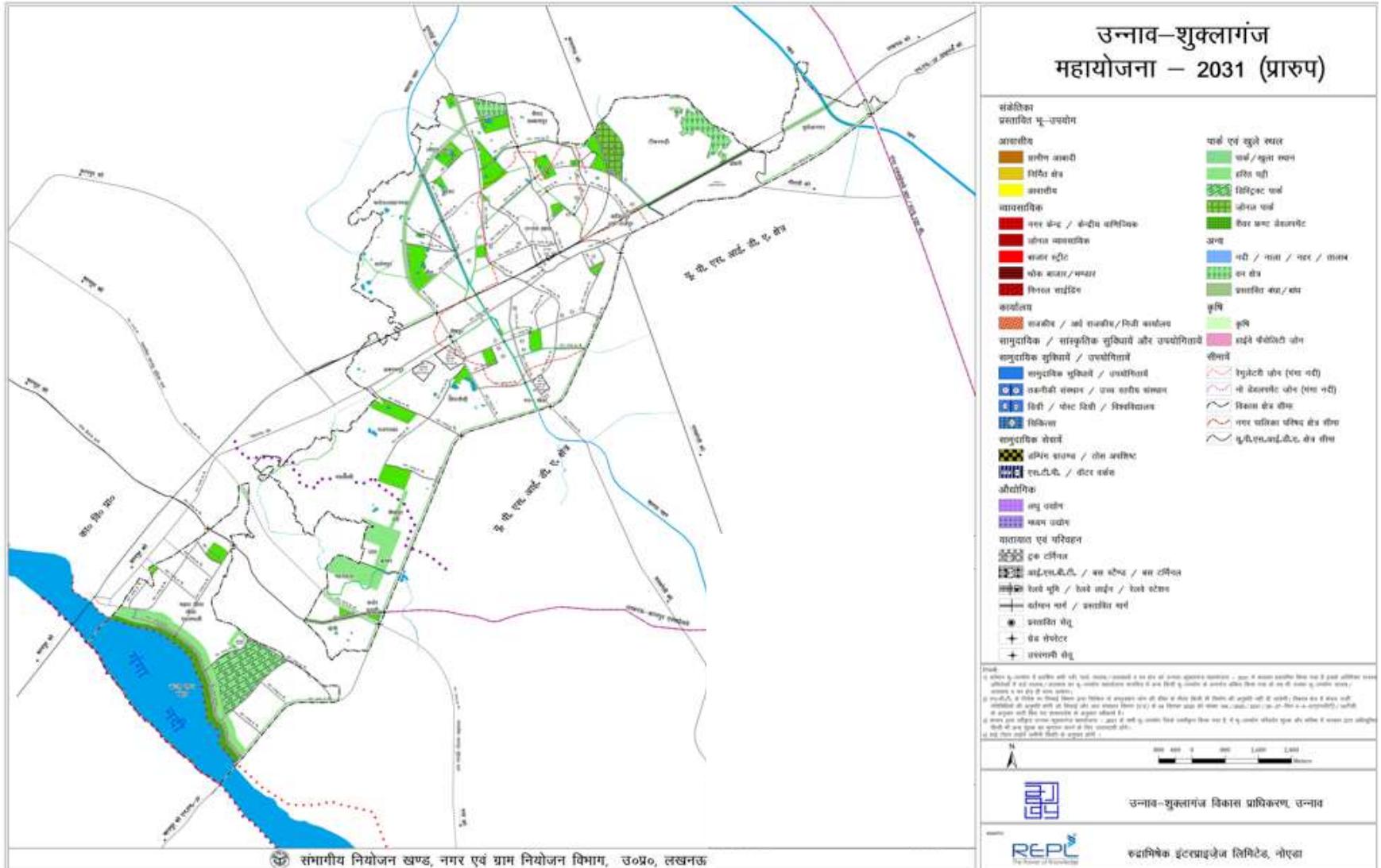
प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग वितरण इस प्रकार किया गया है, जिससे यातायात एवं परिवहन को कम से कम दबाव का सामना करना पड़े। प्रस्तावित भू-उपयोग की आपसी दूरियाँ इस प्रकार रखी गयी हैं ताकि कम से कम व्यक्तिगत यातायात एवं परिवहन का उपयोग करना पड़े। प्रस्तावित महायोजना मार्गों पर साइकिल चालकों तथा पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए समर्पित फुटपाथ एवं साइकिल मार्गों को प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित महायोजना में प्रदूषण रहित गैर मोटर संचालित परिवहन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इससे भविष्य में बढ़ते वायु प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस इफैक्ट पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

12.1.11 अन्य

विभिन्न गतितिथियाँ/क्षेत्र जैसे जल निकाय, वन, गंगा नदी के किनारे कोई निर्माण क्षेत्र, गंगा नदी के साथ नियामक क्षेत्र, अपरिभासित क्षेत्र, धार्मिक स्थल, पर्यटन और विरासत स्थल, मवेशी कॉलोनियाँ और कब्रिस्तान/श्मशान भूमि अन्य श्रेणी में आते हैं।

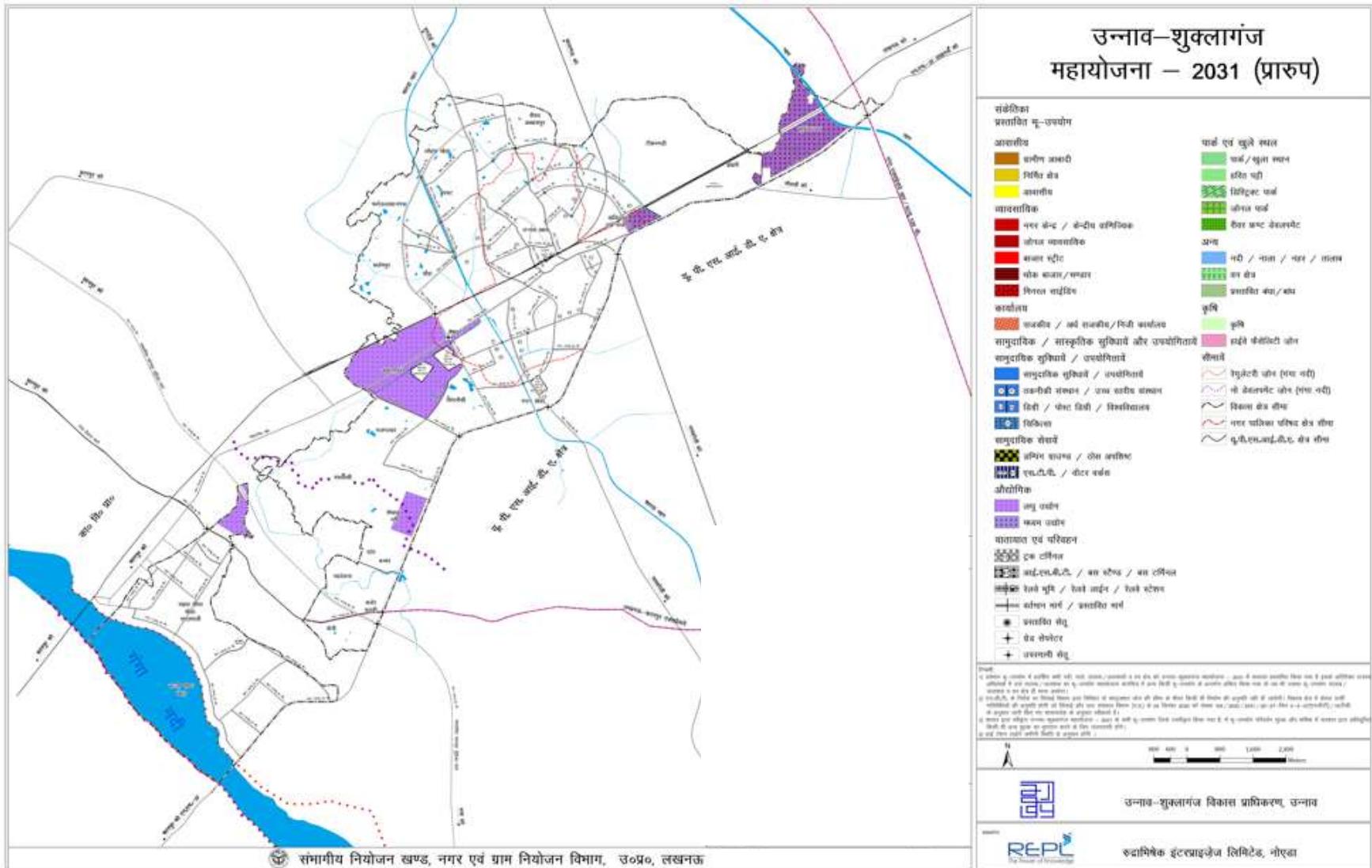
उन्नाव 2031 के प्रस्तावित महायोजना में वन क्षेत्र और तालाब, नदी, नाला राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही रहेंगी। इस उपयोग का क्षेत्रफल 799.946 हेक्टेयर है।

मानचित्र 12.4: प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल भू-उपयोग



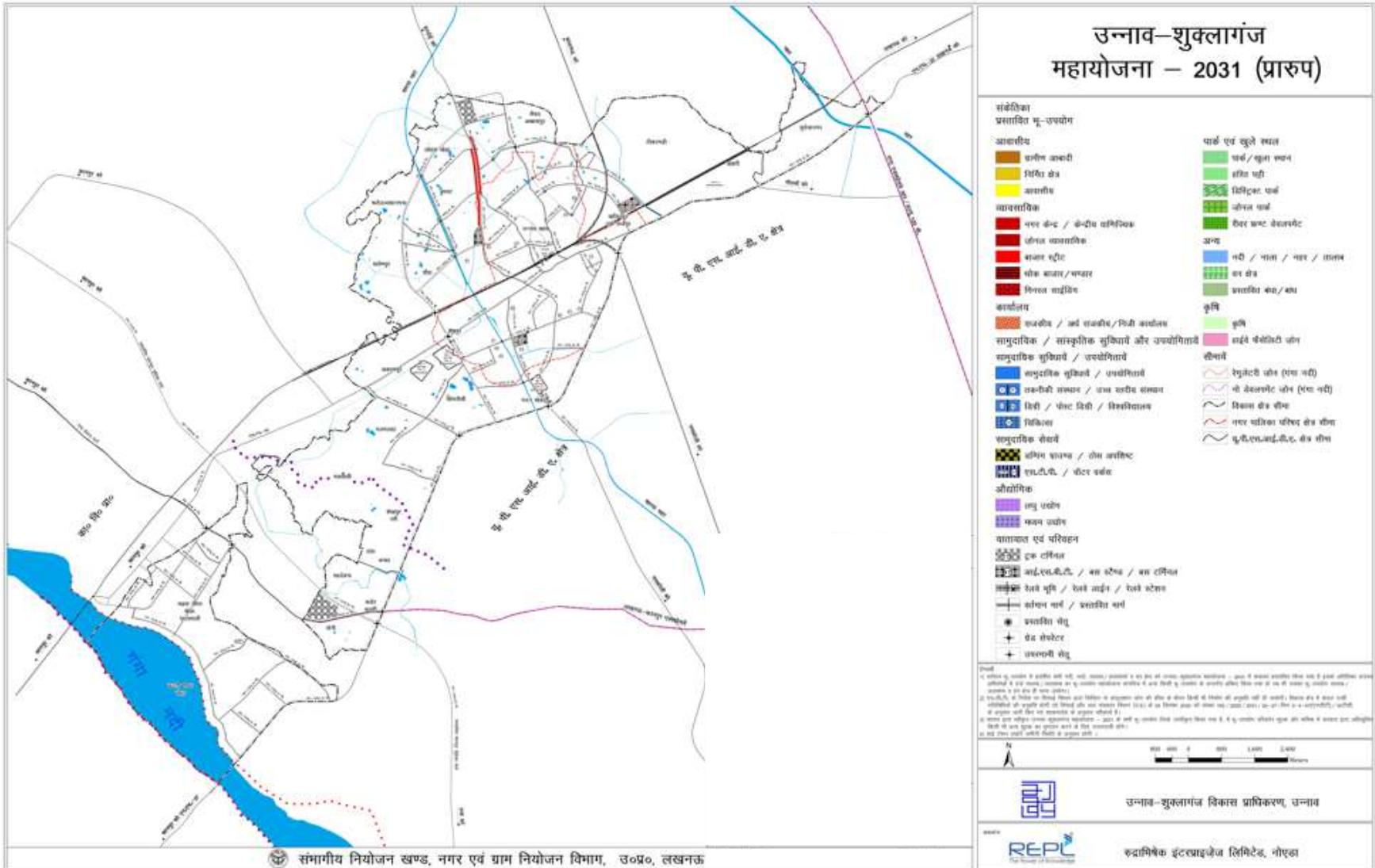
स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

मानवित्र 12.5: प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

मानचित्र 12.6: प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार

12.1.12 कृषि क्षेत्र

12.1.13 कृषि

कृषि भू—उपयोग के अन्तर्गत 1305.501 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

12.1.14 हाइवे फैसिलिटी जोन

जहां भी संभव हो ऐसे गलियारों के साथ अनियमित रिबन विकास को रोकने के लिए विकास प्राधिकरण क्षेत्र से गुजरने वाले वर्तमान /निर्माणाधीन /प्रस्तावित एनएच, एसएच और बाय-पास के दोनों ओर 300 मीटर की गहराई तक हाइवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया गया है।

जोनिंग रेगुलेशन्स चैप्टर में ड्राफ्ट जोनिंग रेगुलेशन्स प्रस्तावित किया जा रहा है जिसे जनता की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

उपरोक्त जोनिंग विनियमों के अनुसार, हाइवे फैसिलिटी जोन के अन्तर्गत वर्तमान भवनों पर प्रस्तावित गतिविधियों का अधिकतम भूमि कवर, एफएआर कृषि उपयोग के अनुसार होगा।

हाइवे फैसिलिटी जोन भू—उपयोग के अन्तर्गत 214.773 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

ध्यान दें:

(ए) हाइवे फैसिलिटी जोन की गहराई राजमार्ग से 300 मीटर है, यदि इसके पास की संपत्ति की गहराई 350 मीटर है तो अनुमेय उपयोग पूरे 350 मीटर की गहराई पर होगा।

(बी) हाइवे फैसिलिटी जोन की गहराई राजमार्ग से 300 मीटर है यदि इसके पास की संपत्ति की गहराई 150 मीटर है तो अनुमेय उपयोग केवल 150 मीटर की गहराई तक होगा और इस संपत्ति के पीछे उपयोग किया जाएगा कृषि के रूप में माना जाता है।

12.2 जोन निर्धारण

उन्नाव नगरीकरण योग्य क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास के उद्देश्य से इसे 7 जोनों में विभाजित किया गया है। जोनों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक जोन का विशिष्ट चरित्र हो और हर जोन अपने आप में परिपूर्ण हो। साथ ही 2001 के महायोजना में चिह्नित क्षेत्रों को यथासंभव रखा गया है (मानचित्र देखें)। 7 जोनों का विवरण नीचे दिया गया है:

जोन-1: यह जोन रेलवे लाइन और लखनऊ रोड के बीच पूर्व दिशा में चिह्नित है। क्षेत्र का भूमि उपयोग मुख्यतः औद्योगिक है।

जोन-2: इस जोन को योजना क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। इसकी सीमा दक्षिण में 30 मीटर लखनऊ—कानपुर मार्ग और पूर्व में 30 मीटर मार्ग, उत्तर में 18 मीटर एवं 45 मीटर मार्ग और पश्चिम में 45 मीटर मार्ग है।

जोन-3: जोन को योजना क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। जोन की सीमा दक्षिण में एन.एच. 27, उत्तर में 30 मीटर लखनऊ—कानपुर मार्ग और पश्चिम में 45 मीटर मार्ग है।

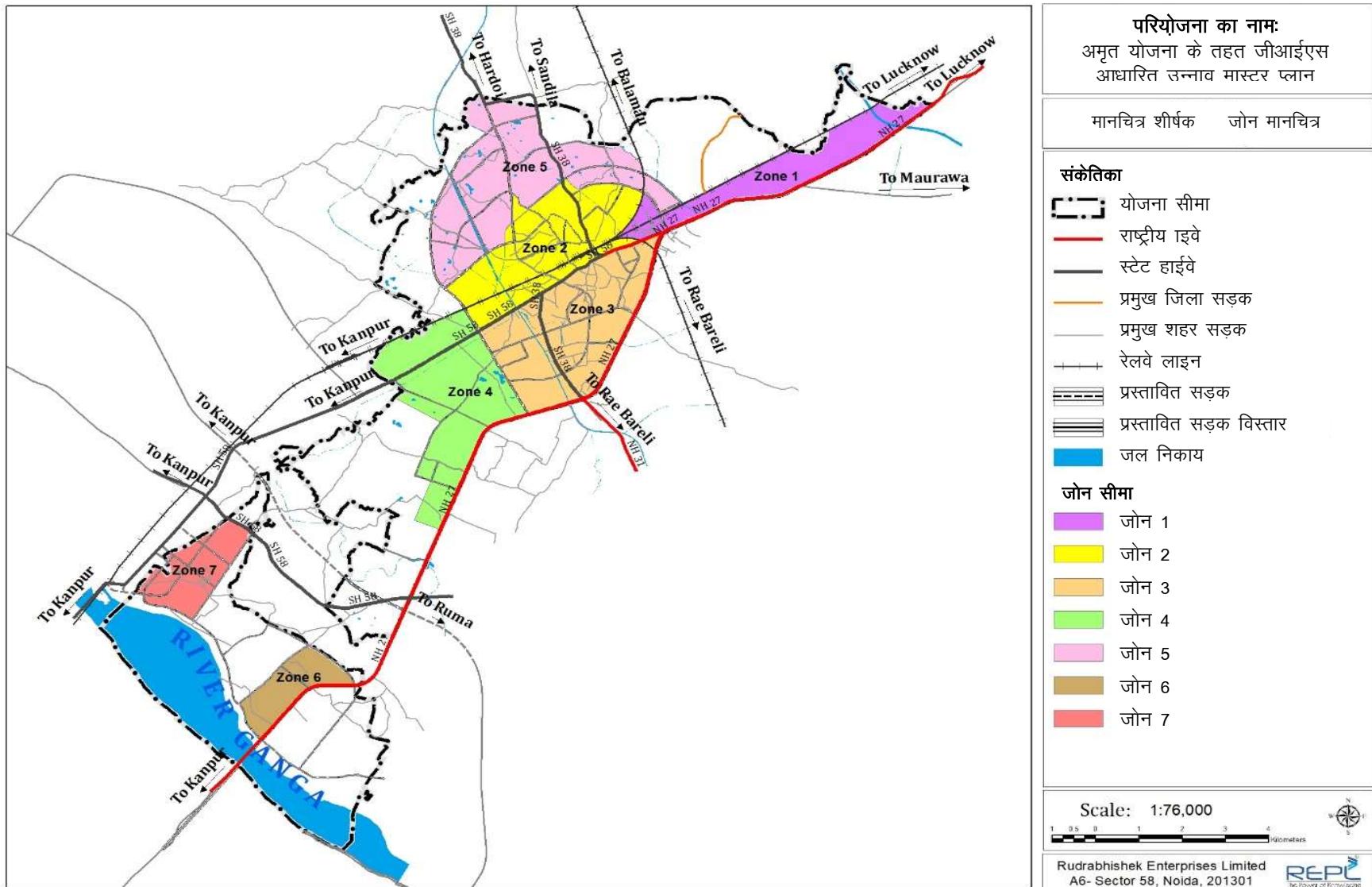
जोन-4: जोन को योजना क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। इसकी दक्षिण में एनएच 27, उत्तर में रेलवे ट्रैक, पूर्व में 45 मीटर मार्ग और पश्चिम में 18 मीटर मार्ग है।

जोन-5: जोन को योजना क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। इसकी सीमा दक्षिण में 18 मीटर चौड़ी, 30 मीटर चौड़ी और 45 मीटर चौड़ी मार्ग, उत्तर और पश्चिम में 45 मीटर मार्ग, पूर्व में 24 मीटर मार्ग है।

जोन-6: जोन को योजना क्षेत्र के पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। इसकी सीमा दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास विकसित क्षेत्र में प्रस्तावित है।

जोन-7: जोन को योजना क्षेत्र के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। इसकी सीमा उत्तर में शुक्लागंज क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

मानचित्र 12.7: उन्नाव महायोजना क्षेत्र में जोन का निर्धारण



स्रोत: बोर्ड बैठक दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत के अनुसार विश्लेषण

13. महायोजना प्रस्तावों हेतु नीति निर्धारण

13.1 नियोजन संबंधी प्रमुख समस्याएँ

उन्नाव नगर भी अन्य नगरों की भाँति आवासीय समस्याओं से ग्रसित है। आवासीय भवनों का निर्माण कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग को पूरा करने में असमर्थ है। इसके साथ ही नगर में नियोजन के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों के कारण क्षेत्रों में सामाजिक सुविधा का अभाव है। मार्गों की चौड़ाई सामान्यतः कम होने के कारण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा नगरीकरण क्षेत्र के बाहर भी कृषि भू—उपयोग के अतिरिक्त अन्य भू—उपयोगों में अनाधिकृत आवासीय निर्माण हुआ है। नगर के प्राचीन भाग की समस्याएँ तो जटिल हैं, साथ ही नये विकसित होने वाले क्षेत्रों की अपनी नई प्रकार की समस्याएँ पृथक हैं। नगर की समस्याएँ निम्नवत हैं—

- खराब मल निस्तारण व्यवस्था, जल निकासी और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली नगर को प्रदूषित करती है और नागरिकों के जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है।
- नगर में उपलब्ध बहुत कम हरे भरे स्थान नगर को अधिक भीड़भाड़ वाले बना देते हैं और नगर के समग्र वातावरण को प्रभावित करते हैं।
- नागरिकों को संयोजित करने के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों का अभाव।
- उच्च एनआरडब्ल्यू (40 प्रतिशत) और प्रति व्यक्ति कम जल आपूर्ति (91 एलपीसीडी) जल प्रबंधन प्रणाली की दयनीय स्थिति प्रस्तुत करती है।
- स्वास्थ्यकर वातावरण और स्वच्छता की बदहाल स्थिति
 - घर—घर कचरा संग्रह का अभाव। नगर पालिका द्वारा कचरे को सामुदायिक—डिब्बों से एकत्र किया जाता है और भू भराव स्थल में उसका निस्तारण किया जाता है।
 - नगर में सीवरेज कनेक्शन और सेटिक टैंक की उपलब्धता नहीं है।
 - दलदली भूमि पर विकास के कारण जल जमाव की समस्या।
- चलने योग्य फुटपाथों और अन्य पदयात्री आधारभूत ढांचे का अभाव।
- मुख्य मार्ग, उप—मार्ग एवं अन्य मार्गों की चौड़ाई बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप जाम की अत्यधिक समस्या से जूझना पड़ता है। पार्किंग की जगह न होने से समस्या और भी विकराल हो जाती है क्योंकि नगर का अधिकांश बाजार इन्हीं मार्गों के किनारे स्थित है।
- सार्वजनिक परिवहन की कम हिस्सेदारी।
- नगर में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी बदहाल है, लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाते हैं।
- ठोस कचरे के क्षेपण और औद्योगिक एवं घरेलू मल—जल के निस्तारण के कारण नहरें बहुत प्रदूषित हैं।
- रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट।

13.2 विकास के अवरोध

उन्नाव नगर के निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समस्याओं एवं नगरपालिका क्षेत्र के बाहर अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास की प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त नगर के विकास में कुछ भौतिक अवरोध भी बाधक है, जो नगर के चतुर्दिक नियोजित विकास की सम्भावनाओं को सीमित करते हैं। नगर के विकास में निम्न बाधाएँ हैं—

- कम हरे भरे स्थान, नगर के भीतर घना विकास, संकरी मार्ग और यातायात की भीड़ पर्यावरण की समस्याओं को बढ़ा सकती है।
- जीवन की खराब गुणवत्ता, रहन—सहन की स्थिति और कम रोजगार के अवसर, बढ़ता पलायन और घटती जनसंख्या वृद्धि दर।
- रिक्त भूमि न होने के कारण नगर के भीतर आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- नगर में मार्गों के चौड़ीकरण का कार्यान्वयन बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि मार्गों की चौड़ाई कम है और इसके लिए निर्मित ढांचों को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है।
- जल निकासी व्यवस्था की योजना बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नगर में ऐसे अनेक तालाब हैं जो अनियोजित विकास से अतिक्रमित हैं और जल भराव और अस्वास्थ्यकर वातावरण की समस्या पैदा कर रहे हैं।

13.3 प्रस्तावित विकास के प्रतिकूल विकास एवं नीति निर्धारण

उन्नाव नगर में महायोजना की अवधारणा पिछली महायोजना, वर्तमान भू उपयोग और विकास की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। नीचे कुछ ऐसी कार्यनीतियाँ दी गई हैं जिन पर संकल्पनात्मक योजना तैयार करते समय विचार किया गया है और जिनका उपयोग प्रृष्टावित भू उपयोग की तैयारी के लिए किया जाएगा।

नीति निर्धारण

- भूमि एक दुर्लभ संसाधनों में से एक है इसलिए इसका उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- भूमि के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए सुसंबद्ध नियोजित विकास, महायोजना 2031 में नए भू उपयोग प्रस्तावों की मूल विशेषता होगी।
- उन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियों को प्रेरित करना जहां यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
- जल, वायु एवं धनि प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं।
- बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाए।
- यातायात एवं परिवहन की समस्याओं का निवारण करने में सहायता करने के लिए योजना में परिवहन और परिचालन प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाए।
- बनों और जल निकायों के आसपास के क्षेत्रों को प्राकृतिक संरक्षण/निर्माण गतिविधि रहित क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया जाए।
- नियोजन प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाए।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां इंटरनेट संरचना काफी हद तक बाधित न हो, वहां विकास क्षेत्र के बाहरी हिस्से में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करके दबाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- नगर का नियोजन करते समय, प्राकृतिक विकास प्रवृत्तियों के साथ-साथ प्रेरित विकास की संभावना पर विचार किया जाए।

13.4 महायोजना भू उपयोग हेतु नीति निर्धारण

13.4.1 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973।

- इस खंड में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए या तो रिक्त या पहले से ही निर्मित स्थलों के रूप में या किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि का विन्यास करना अथवा पुनर्विन्यास करना।
- गलियों, मार्गों और संचार सुविधाओं का निर्माण, मार्ग परिवर्तन, विस्तार, मिश्रण, उन्नयन या बंद करना।
- भवन, पुलों और अन्य संरचनाओं का निर्माण, मिश्रण, हटाना (या) ध्वस्त।
- योजना से जुड़े क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि (या अन्य अचल संपत्ति) की खरीद, विनिमय अन्यथा, अधिग्रहण, चाहे तत्काल आवश्यक हो या तत्काल आवश्यक न हो।
- योजना से जुड़ी संपत्ति के मालिकों से संबंधित सीमाओं का पुनर्वितरण और भूखंडों का पुनर्गठन।
- परिषद द्वारा अधिग्रहीत या स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, विनिमय, पट्टे द्वारा निस्तारण।
- परिवहन सुविधाएं।
- जलापूर्ति।
- प्रकाश।
- जल निकासी जिसमें मल निर्यास और सतही जल निकासी और मल जल निस्तारण सम्मिलित है।
- गलियों, मार्गों, चौराहों, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भवनों, खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन के मैदानों, स्कूलों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, अस्पतालों, औषधालयों, राजकीय और नगर पालिका भवनों और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन या आरक्षण।
- निलंबन की वस्तुओं और भवनों का संरक्षण, (प्रतिबंध या संशोधन) जहां तक अन्य संबंधित अधिनियमों या योजनाओं से योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।
- ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के ऐसे उद्देश्यों जो भी विहित हो से असंगत न हों।

13.4.2 आवास नीति— 2014

उत्तर प्रदेश राज्य में आवास की स्थिति में सुधार करने और विभिन्न आय समूहों के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए, राज्य नगरीय आवास नीति 1995 में पेश की गई थी। वर्ष 2007 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति पेश की है और प्रत्येक राज्य को केंद्र आवास नीति के प्राविधानों के अनुसार, नई आवास नीति तैयार करनी है। अतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा 2014 में नई आवास नीति बनाई गयी थी। जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक आय वर्ग के लिए विशेष रूप से नगरीय गरीबों के लिए किफायती और गुणात्मक आवास प्रदान करना है।

13.4.3 हाई-टेक टाउनशिप और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी

उपर्युक्त उद्देश्य को हासिल करने के लिए, राज्य सरकार की वर्ष 2003 में हाई-टेक टाउनशिप नीति के उपरांत, उत्तर प्रदेश में कई टाउनशिप का शुभारंभ हो रहा है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले टाउनशिप के विकास, कामकाजी और मनोरंजन सुविधाओं की बेहतर गुणवत्ता वाले विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे आकर प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि ये सामान्य पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और आई.टी. हब, को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक हैं जहां उच्च स्तर की गुणवत्ता वाले रहन-सहन की स्थितियां उपलब्ध हों। यह प्रस्तावित किया गया है कि निजी क्षेत्र में ऐसी टाउनशिप के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए न्यूनतम 750 करोड़ रुपये का निवेश (पांच साल की समय सीमा के दौरान) और न्यूनतम 1500 एकड़ की भूमि समिलित हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विकासक (डेवलपर) कंपनियों को रस्तों के चयन के संबंध में लचीलापन दिखाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि विकासक कंपनी, जो इन हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए निवेश करने जा रही है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपनी पसंद का स्थान चुन सकती है। प्रारंभ में 10 हाई-टेक टाउनशिप प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, जिनमें से 5 उत्तर प्रदेश के उप अंचलों में हैं। आवास और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने मई 2007 में ऐसी विभिन्न आकार के टाउनशिप के विकास के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक ओपन-एंडेड हाई-टेक टाउनशिप नीति की घोषणा की।

13.4.4 वर्षा जल संचयन नीति

उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपनियम –2008: उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उप-नियमों के अनुसार वर्षा जल के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर, जहां पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है, 300 वर्गमीटर के अन्य क्षेत्रों में या इससे बड़े भूखंडों एवं समस्त सामूहिक आवास योजनाओं में, छत एवं खुले स्थान से वर्षा जल को पुनर्भरण संरचना के माध्यम से ले जाने हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर पुनर्भरणकरने का प्राविधान किया जायेगा।

13.4.5 ऊर्जा नीति

ऊर्जा नीति 2009, उत्तर प्रदेश: कुशल और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास की कुंजी है। बढ़ती आबादी और मांग के साथ, यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य के बिजली परिदृश्य में उचित और समयबद्ध सुधार के लिए भली भांति परिभाषित योजनाएं और नीतियां निर्धारित की जाएं। उत्तर प्रदेश बिजली नीति, 2009 को उपभोक्ताओं के साथ केंद्र बिंदु के रूप में बनाया गया है और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच की समग्र आवश्यकता को पूरा करना और विश्वसनीय, गुणवत्ता और सस्ती बिजली प्रदान करना है। यह सक्रिय निजी भागीदारी के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों के साथ बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण पर नए सिरे से जोर देता है।

13.4.6 आपदा प्रबंधन नीति

आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति 2009: विभिन्न स्तरों पर कार्यनीतिक साझेदारी विकसित करने पर जोर देते हुए आपदा प्रबंधन की दिशा में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और लचीलेपन की संस्कृति को प्रोत्साहन देना।
- प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित शमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
- विकास योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना।
- एक सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालन व्यवस्था बनाने के लिए संस्थागत और तकनीकी कानूनी ढांचे की स्थापना करना।
- आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ उत्तरदायी और असफल-सुरक्षित संचार द्वारा समर्थित समकालीन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- समाज के कमज़ोर वर्गों की जरूरतों के प्रति देखभाल के दृष्टिकोण के साथ कुशल प्रतिक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।

- सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं और आवास के निर्माण के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण का कार्य करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: यह सभी प्रारंभिक और आपदा के बाद के उपायों और प्रतिक्रियाओं को कानूनी समर्थन प्रदान करता है यह सभी हितधारकों को प्रमुख जिम्मेदारियां आवंटित करता है। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है और आपदा प्रबंधन से संबंधित उपायों की योजना और कार्यान्वयन की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया के लिए राजकीय एजेंसियों और सार्वजनिक/निजी निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है:

- आपदाओं के जोखिम का शमन करना या कम करना
- आपदाओं की गंभीरता का शमन करना।
- क्षमता निर्माण
- आपातकालीन तैयारियां
- राहत और बचाव कार्य
- आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण

13.4.7 औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति

उत्तर प्रदेश औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति – 2004: नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

- 50 करोड़ रुपयेरुपये के बजटीय प्रावधान के साथ औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कोष (आईआईडीएफ) का निर्माण। अगले चार वर्षों में भी 50 करोड़ बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। यह कोषआधारभूतढांचे के निर्माण में पहल को वित्त और सब्सिडी देगा।
- आईआईडीएफ के प्रबंधन के लिए औद्योगिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण की स्थापना। आईआईडीए एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के अधीन काम करेगा, जो अपने प्रबंधन में पेशेवर व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। आईआईडीए को उपयोगकर्ता-शुल्क एकत्र करने का अधिकार और पूँजी जुटाने और पेशेवर परियोजना योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेगा।
- निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण। ट्रांस-शिपमेंट केंद्र, एकीकृत परिवहन और व्यापार केंद्र, प्रदर्शनी हॉल, व्यापार केंद्र, कंटेनर डिपो, वे-साइड सुविधाएं, प्रदर्शन केंद्र आदि जैसी सुविधाएं।
- उद्यमियों की सहकारी समिति द्वारा औद्योगिक संपदा का रखरखाव। सोसायटी को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए करों का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा और जब भी अपेक्षित हो आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

13.4.8 सूचना प्रौद्योगिकी नीति

उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति – 2004: राज्य में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवा उद्योग का विकास क्षमता के अनुरूप नहीं रहा है। इस प्रकार आईटी उद्योग/विनिर्माण को समर्थन/प्रोत्साहित करने में नीति के उद्देश्य इस प्रकार होंगे:

- आईटी को जन-जन तक पहुंचाना
- स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना
- सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं की घरेलू मांग को प्रोत्साहन देना
- सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर और आईटीएस/आईटीईएस क्षेत्र बनाना
- विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और इस परिणामस्वरूप निर्यात आय में वृद्धि
- वैशिष्ट्य बाजारों को संबोधित करने के लिए उद्योग को सुविधा प्रदान करना
- उद्योग के विकास के लिए मूल्यवर्धन के ढांचे को सुगम बनाना
- व्यवसायों को धन सृजित करने में पूरी क्षमता को साकार रूप देकर कारोबार में सहायता करना।

13.4.9 पर्यटन नीति

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 1998: उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति दिसंबर 1998 में लागू की गई थी। नीति के कुछ प्रमुख पहलू जो परियोजनाओं और निवेशों को आकर्षित करेंगे, उनमें सम्मिलित हैं कि 1000 रुपये से कम प्रति कमरा चार्ज करने वाले आवासों को विलासिता कर से छूट मिलेगी, जबकि अन्य नई होटल परियोजनाओं को पहले पांच वर्षों के लिए विलासिता कर से छूट दी जाएगी। होटलों को मनोरंजन कर से भी छूट दी जाएगी, जबकि नई पर्यटन इकाइयों में रेस्तरां पर व्यापार कर को भी

पांच वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया जाएगा। निवेशकों को हैरिटेज होटल श्रेणी में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कम महंगे आवास को प्रोत्साहन देने के महेनजर पेइंग गेस्ट योजना आरंभ की।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र में अपार अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने के लिए, राज्य सरकार अब एक नई पर्यटन नीति की दिशा में काम कर रही है। इस नीति से निजी निवेश को छूट मिलने और इस क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहन देने की उम्मीद है।

13.4.10 फिल्म नीति उत्तर प्रदेश—2015

- उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना।
- राज्य के अद्भुत, रमणीय और दर्शनीय पर्यटन स्थलों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करना और पर्यटकों को आकर्षित करना।
- राज्य की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं को देश के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों में प्रचारित करना।
- अभिनय और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना।
- राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना।
- देश और राज्य के लोगों को स्वस्थ और स्सते मनोरंजन उपलब्ध कराना।

13.4.11 राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति

राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। नीति की रूपरेखा है कि प्रत्येक राज्य नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी विशिष्ट रणनीति विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश ने नगरों को शत-प्रतिशत स्वच्छ, स्वस्थ और रहने योग्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय स्वच्छता नीति तैयार की है। वर्तमान में, उन्नाव में कोई भूमिगत सीधर नेटवर्क नहीं है। अतः राज्य स्तरीय रणनीतियों के ढांचे के भीतर मॉडल नगर स्वच्छता योजना तैयार की जा सकती है और इसका उपयोग अन्य नगरों द्वारा अपनी-अपनी स्वच्छता योजना बनाते समय किया जा सकता है।

14. जोनिंग रेगुलेशन्स

परिचय

14.1 जोनिंग के उददेश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों यथा, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएँ जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

14.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उददेश्य से समुचित प्राविधान किए गए हैं। जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं –

- परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सर्वग्राही एवं यूजर फ्रेण्डली (User-friendly) बनाया गया है।
- विद्यमान महायोजनाओं में अपनायी गई परम्परागत “Regimented” भू-उपयोग पद्धति के स्थान पर “Flexible” एवं “मिश्रित भू उपयोग” कॉस्टेट को अपनाया गया है जो नगरों के गतिशील विकास में प्रोत्साहनस्वरूप होगा।
- मिश्रित उपयोगों की अनुमन्यता उनकी अनुषांगिकता तथा मापदंडों पर आधारित की गयी है। ताकि परस्पर आश्रित भू-उपयोगों की ऑपरेशनल एवं आर्थिक कार्यक्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।
- जोनिंग रेगुलेशन के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
- नियोजित कालोनियों में अविवेकपूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन को नियंत्रित रखने हेतु “शुद्ध आवासीय” तथा “मिश्रित आवासीय” जोन्स के चिन्हकरण की व्यवस्था की गयी है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार महायोजना/ जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/लै—आठट प्लान में चिह्नित किया जा सकता है।
- जोनिंग रेगुलेशन्स में “फ्लोटिंग” भू-उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है। जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण—अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।
- प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है।

14.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो संबंधित प्रमुख भू-उपयोगों के आनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

i. सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध भाग—13.11 में दिये गये हैं।

ii. सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग, जो आवेदन किये जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात् गुण दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएँ भाग 13.12 में दी गयी हैं।

iii. निषिद्ध उपयोग

वह क्रियायें/उपयोग, जो सम्बन्धित प्रमुख भू—उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियायें तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के आनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (i) (ii) अथवा (iii) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में कठिपय क्रियायें/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जाते हैं, जो समय की माँग के अनुसार व्यावहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिवर्तित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक बाजार काम्पलैक्स, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें यथा विद्युत सब—स्टेशन, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किये जाने हेतु कई बार अधिनियम के अंतर्गत भू—उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु “फ्लोटिंग उपयोग” (**Flotaing use**) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

“फ्लोटिंग उपयोग” / क्रियाओं के लिए महायोजना में अलग से “जोन” आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे उपयोग की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (**Performance Standard**) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू—उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाये। “फ्लोटिंग उपयोग” कान्सेप्ट अपनाये जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में **Flexibility** रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू—उपयोग जोन में नॉन—कान्फर्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त “फ्लोटिंग” उपयोग के फलस्वरूप किसी भू—उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (**Dominant Character**) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले हास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण—अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

14.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू—उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र / हेरिटेज जोन निर्धारित किए जा सकते हैं। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला, आदि), अथवा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनके स्वरूप को विकृत होने से बचाया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र चूँकि समस्त नगरों में विद्यमान नहीं हैं, अतः जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों / हेरिटेज जोन हेतु अलग से भू—उपयोग जोन की श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि नगर विशेष की महायोजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक विनिहित किया जाए और उनके अन्तर्गत अनुमन्य उपयोगों/क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु उस भू—उपयोग के स्वरूप तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधान किए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्र महायोजना में पहले से ही चिह्नित हैं, तो उनके प्रस्तावों को इन जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है।

14.6 रेन वाटर हारवेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू—उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत् अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा, भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू—उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले—आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे।

14.7 प्रभाव शुल्क

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार आनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कठिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू—उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा “प्रभाव शुल्क” (**Impact Fee**) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास विकास

परिषद के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अधीन भू—उपयोग परिवर्तन निहित, में ये भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू—उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या – 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सर्वान्तर अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू—उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू—उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—06 में दी गयी है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-

- (1) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य एवं सर्वान्तर अनुमन्य अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
- (2) शुद्ध/मिश्रित आवासीय भू—उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध—शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु।
- (3) विभिन्न प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु।
- (4) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार तक के होटल तथा पॉच के वी. ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयाँ/सूचना प्रौद्योगिक पार्क।

14.8 अनुज्ञा की प्रक्रिया

1. प्रमुख भू—उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सर्वान्तर अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन—पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू—उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे।
 - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
 - विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
 - अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य।
3. विनियमित क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा।
4. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

14.9 अन्य अपेक्षाएँ :

- महायोजना में चिह्नित प्रमुख भू—उपयोग जोन्स के अंतर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी आनुषांगिक क्रियायें ही अनुमन्य होंगी।
- महायोजना में प्रस्तावित किसी भू—उपयोग जोन के अंतर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ास्थल तथा मार्ग आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू—उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।
- यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले आउट प्लान सक्षम अधिकारी स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू—उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग के अनुसार ही होगा।

- प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अतंगर्त सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनमुच्य, सशर्त अनमुच्य विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

14.10 परिभाषाएँ :

- ‘मिश्रित आवासीय’ तथा ‘शुद्ध आवासीय’ का तात्पर्य महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/लै-आउट प्लान में उक्त प्रयोजन हेतु दर्शित आवासीय भू-उपयोग से है। इन रेगुलेशन्स के प्रयोजनार्थ विद्यमान महायोजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध आवासीय तथा मिश्रित आवासीय क्षेत्र का चिन्हीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।
- इन रेगुलेशन्स हेतु “सक्षम प्राधिकारी” का तात्पर्य उम्मीद प्रयोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड, उ.प्र. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र की स्थिति में नियन्त्रक प्राधिकारिणी से है।
- “निर्मित क्षेत्र” का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है, जिन नगरों की महायोजनाएं नहीं बनी हैं अथवा ‘निर्मित क्षेत्र’ परिभाषित नहीं है, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जाएगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को ‘निर्मित क्षेत्र’ परिभाषित किया जाएगा, जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यवसायिक, औद्योगिक अथवा निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें आवश्यक सुविधाओं यथा सड़कों, जल सम्पर्क, मल-प्रवाहण, विद्युत-आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गई हो।
- “विकासशील/अविकसित क्षेत्र” का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

तालिका 14.1: भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएँ

क्र.सं.	व्याख्या
1	आवासीय
1.1	शुद्ध आवासीय क्षेत्र : महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/लै-आउट प्लान में चिह्नित ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ सामान्य अनुमन्य तथा सशर्त अनुमन्य भू-उपयोगों के अतिरिक्त विशेष अनुमति से कोई अन्य उपयोग अथवा भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य न हो।
1.2	भूखण्डीय आवास : वह परिसर जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईया (भूखण्डीय आवास) हों।
1.3	समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) : वह परिसर जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा व प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
1.4	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास : वह परिसर जिसमें अनुषांगिक उप-उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।
1.5	मिश्रित आवासीय क्षेत्र : महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/लै-आउट प्लान में चिह्नित ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ सशर्त अनुमति से अनुमन्य भू-उपयोगों के अतिरिक्त अनुषांगिकता एवं कार्यपूर्ति के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन भी अनुमन्य हो।
1.6	आनुषांगिक कर्मचारी : वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय ईकाईयों का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
2	व्यावसायिक
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार) : वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ताओं को की जाती हो।
2.2	साताहिक बाजार : एक क्षेत्र जो सप्ताह में एक बार किसी समूह द्वारा बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकानों की स्थापना हेतु प्रयोग किया जाता है। यह बाजार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सप्ताह के विभिन्न दिनों में स्थानान्तरित किए जाते हैं।
2.3	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक) : वह परिसर जहाँ बेकरी एवं कन्फेक्शनरी समान उपभोक्ताओं को भण्डारण हेतु विक्रय किया जाता है।
2.4	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक-1के अनुसार) : वह परिसर जो फुटकर दुकानों के समतुल्य है एवं जहाँ निजी प्रकार की सेवाएं जैसे कपड़ों की सिलाई, बाल कटिंग आदि कार्य किए जाते हैं।
2.5	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त) : वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.6	मोटर वाहनों के शोरूम : वह परिसर जिसमें वाहन का क्रय-विक्रय, वाहनों का शो-रूम, आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
2.7	मोटर वाहनों के स्पे. पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकानें : यह सामान्य आकार की दुकानें हैं जहाँ मोटर वाहनों के रिपेयर कार्यों हेतु (कार श्रृंगार उपकरणों को छोड़कर) पार्ट्स की बिक्री की जाती है, ऐसी दुकानों के सामने पार्किंग अनिवार्य है परन्तु इस प्रकार की पार्किंग में रिपेयर कार्य पूर्णतया निषिद्ध है।

2.8	थोक मण्डी/थोक व्यापार : वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
2.9	नीलामी बाजार : ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती हैं। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
2.10	कोयला एवं लकड़ी के टाल : वह परिसर जहाँ कोयला एवं लकड़ी तथा फुटकर रूप से एवं उपभोक्ताओं को भण्डारण एवं विक्रय किया जाता है।
2.11	कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र : वह स्थान जहाँ सामग्री फूटकर विकेताओं को विकी हेतु बेची जाती है। इसमें भण्डारण, गोदाम, लोडिंग तथा अन्लोडिंग आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं।
2.12	शीत गृह : वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
2.13	रिसार्ट : प्राकृतिक अथवा कृतिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प/लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती हैं।
2.14	होटल : वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित शुल्क अदायगी करने पर किया जाता है।
2.15	मोटल, वे-साईट रेस्टरां (ढाबा) : वह परिसर, जो नगरीय सीमाओं के बाहर मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
2.16	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन : वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने हेतु उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान बन्द अथवा खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
2.17	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स : वह परिसर जिसमें दरशकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा आनुषांगिक व्यावसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
2.18	सेल्यूलर मोबाइल सर्विस/पी.सी.ओ. : वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राजीय, देश-विदेश इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
2.19	पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन : उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ऑटो मोबाइल की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
2.20	भण्डारण, गोदाम वे-हाउस, संग्रहण केन्द्र, जक्यार्ड कबाड. : वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।
2.21	गैस गोदाम/ज्वलन, नाश, एवं आपात वस्तुओं का भण्डारण : वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध-आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता है।
2.22	सर्विस अपॉर्टमेण्ट : सर्विस अपार्टमेण्ट्स पूर्णतय: सूसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्ट्स होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोई-घर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।
2.23	आटा चक्की : वह परिसर जहाँ गेहूँ मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
3	औद्योगिक
3.1	सेवा/कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योग एक औद्योगिक इकाई जहाँ कारखानों के बजाए घरेलू आधारित उत्पादों का निर्माण किया जाता है। एवं सेवा उद्योग जिसमें कम्पनीज सम्मिलित हो तथा जो मुख्य रूप से उत्पादों और सेवाओं के उपलब्ध कराने के द्वारा राजस्व की आय बढ़ाता हो। सेवा उद्योग की कम्पनीज में फूटकर, परिवहन, वितरण, खाद्य सेवाओं एवं अन्य सेवा व्यावसायों का प्रभुत्व सम्मिलित हो।
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क : वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साप्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साप्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
3.3	लघु उद्योग (संलग्नक सूची अनुसार) : लघु उद्योगों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
3.4	मध्यम उद्योग, शुगर मिल, राइस सेलर, फ्लोर मिल : मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
3.5	संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक उद्योग : संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक पैमाने के उद्योगों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
3.6	खनन ईंट/चूने का भटठा, केशर : वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोदकर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
3.7	तेल डिपो/एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट : वह स्थान जहाँ उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम पदार्थ बेचने का परिसर जिसमें ऑटो मोबाइल का परिसर भी सम्मिलित हैं एवं जहाँ थोक आधार पर एल.पी.जी. सुविधा प्रदान की जाती है।
3.8	पाश्चराईजिंग प्लांट/दुध संग्रहण केन्द्र : वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
3.9	विद्युत उत्पादन संयंत्र/सोलर पावर प्लान्ट : वह परिसर जहाँ विद्युत उत्पादन के लिए एक औद्योगिक सुविधा है।

3.10	लॉजिस्टिक पार्क/वेयर हाउसिंग : एक परिसर जहाँ वस्तुओं के परिवहन, लॉजिस्टिक एवं वितरण आदि राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय दोनों प्रकार से व्यावसायिक आधार पर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित किए जाते हों एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधयां जैसे वेयर हाउस, वितरण केन्द्र, भण्डारण केन्द्र, कार्यालय, ट्रक सर्विस आदि तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध हों। वेयर हाउसिंग वह परिसर जिसे गैर जोखिम / जोखिम वस्तुओं की आवश्यकतानुसार उनके भण्डारण हेतु उपयोग किया जाता है। ऐसे परिसर में माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधा सम्मिलित होती है।
4	कार्यालय
4.1	राजकीय, अर्द्ध राजकीय, तथा निकाय कार्यालय : एक परिसर जो केन्द्र एवं राज्य सरकार, अर्द्ध राजकीय संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों एवं स्थानीय निकाय कार्यालयों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
4.2	निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय : वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाइनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रैवल एजेन्ट इत्यादि।
4.3	बैंक : वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
4.4	वाणिज्यिक/व्यावसायिक : वह परिसर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र : वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
4.6	पी.ए.सी./पुलिस लाइन : वह परिसर जहाँ पशेष परिस्थितियों में उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पी.ए.सी. को तैनात किया जाता है।
4.7	साइबर कैफे : वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है।
4.8	बायोटेक पार्क : ऐसा औद्योगिक पार्क जहाँ पूर्ण रूप से जैव-प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास संबंधी कियाएँ की जाती हैं।
4.9	बिजनेस पार्क : नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यावसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते हैं।
4.10	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर : ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना (डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन साफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
4.11	कॉल सेन्टर : ऐसा केन्द्र जहाँ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई-कम्प्यूटरेशन के माध्यम से किया जाता है।
4.12	बी.पी.ओ. : वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु कन्सलेंसी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो।
4.13	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र : वह परिसर जहाँ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
4.14	मौसम अनुसंधान केन्द्र : वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
4.15	माईक्रोवेव तथा वायरलैस केन्द्र : वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।
5	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें
5.1	अतिथि गृह/निरीक्षण गृह : वह परिसर जहाँ सरकारी/अर्द्ध राजकीय उपकरण, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि हेतु ठहराया जाता है।
5.2	धर्मसाला, रैन बसेरा लाइंग/बोडिंग हाउस : वह परिसर जिसके कमरे अवासीय सुविधा हेतु होटल की अपेक्षा अधिक दीर्घ अवधि के लिए दिए जाते हैं। लॉजिंग हाउस वह परिसर जो कम से कम 50 व्यक्तियों के ठहरने हेतु प्रयोग किया जाता है।
5.3	छात्रावास : वह परिसर जिसके कमरे शैक्षिक संस्थानों अथवा इसी प्रकार की सम्बन्धित संस्थाओं से जुड़े होते हैं तथा छात्रों, प्रशिक्षितों एवं श्रमिकों द्वारा एक लम्ही अवधि हेतु प्रयोग किए जाते हैं।
5.4	अनाथालय, सुधारालय : वह परिसर जहाँ अनाथ बच्चों को रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध अथवा नहीं भी हो सकती है। बाल सुधार कारावास जहाँ अपराधियों को रखने एवं सुधार करने की व्यवस्था हो।
5.5	कारागार : वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.6	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस : वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यावसायिक अथवा गैर-व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
5.7	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र : वह परिसर जहाँ दिवस के समय शिशुओं की सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र : वह परिसर जहाँ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य,

	खान—पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
5.9	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान : वह परिसर जहाँ विद्यार्थियों हेतु ५वीं वर्ग तक शैक्षिक तथा खेलने की सुविधाएँ होती हैं।
5.10.	उच्च माध्यमिक/इण्टर विद्यालय : वह परिसर जहाँ १०वीं/१२वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल—कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.11	महाविद्यालय : वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल—कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.12	विश्वविद्यालय : यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त वह परिसर जहाँ शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय से संयुक्त हुआ बिना भी मौजूद हो सकता है परन्तु यह सम्बद्ध महाविद्यालयों का संयोजन है।
5.13	पॉलीटैक्निक/इंजी./मेडिकल/डेण्टल कॉलेज : वह परिसर जहाँ उद्यम एवं व्यापार वर्ग में अभ्यास एवं रोजगार सृजन हेतु लघु अवधि पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।
5.14	प्रबन्ध संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान : वह परिसर जहाँ प्रबंधन एवं विशिष्ट शिक्षा वर्ग में पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।
5.15	डाकघर, तारघर : वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.16	पुलिस स्टेशन/चौकी/अग्निशमन केन्द्र : वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय/अग्निशमन सुविधाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो एवं जहाँ अस्थाई प्रकृति के रूप में पुलिस स्टेशन की तुलना में छोटे पैमाने पर स्थानीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
5.17	पुस्तकालय/वाचनालय : वह परिसर जहाँ आम जनता एवं विशिष्ट वर्ग के पढ़ने हेतु अत्यधिक संख्या में पुस्तकें उपलब्ध होती हैं।
5.18	स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र/डिस्पेन्सरी : वह परिसर जहाँ ३० शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर—व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
5.19	अस्पताल : वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बाह्य रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.20.	नर्सिंग होम : वह परिसर जहाँ ३० शैय्याओं तक अन्तरंग और बाह्य रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यावसायिक आधार पर किसी डॉक्टर या डाक्टरों के समूह द्वारा किया जाता हो।
5.21	नैदानिक प्रयोगशाला : वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जाँच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.22	हेल्थ क्लब/जिमनेशियम : वह परिसर जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
5.23	विद्युत शवदाह गृह, श्मशान, कब्रिस्तान : श्मशान एक परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने हेतु सुविधाओं की व्यवस्था होती है। कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होती है। शवदाह गृह वह परिसर होता है जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.24	संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र : वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य—कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
5.25	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि : वह परिसर जहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण देने व सिखाने की व्यवस्था हो।
5.26	ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर : वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
5.27	योग, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन : वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.28	धार्मिक भवन : वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
5.29	सामुदायिक केन्द्र/सांस्कृतिक केन्द्र : वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर—व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक—सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.30.	बारात घर, बैंकेट हॉल : वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
5.31	कान्फेन्स/मीटिंग हॉल : वह परिसर जहाँ बैठक, संगोष्ठी, सेमीनार हेतु सभी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं एवं विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा भाग लिया जाता है।
5.32	अजायवघर : वह परिसर जो प्राचीन, ऐतिहासिक, कला आदि वस्तुओं के संग्रहण एवं प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सभागार में दर्शकों के बैठने की सुविधा के साथ विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, नाटक, गायन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
5.33	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र : वह परिसर जहाँ चित्राकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

5.34	टेलीफोन रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र : वह स्थान जहां सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन, रेडियो एवं टेलीविजन पद्धति के प्रयोगलन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.35	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र : वह परिसर जहां किसी विशेष क्षेत्र हेतु अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
5.36	समाज कल्याण केन्द्र : वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
5.37	कूड़ा डिपिंग ग्राउण्ड : वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
5.38	ट्यूब बेल, ओवर हेड रिजर्वार विद्युत केन्द्र/सब-स्टेशन, सोलर पावर : वह परिसर जहां यांत्रिक साधनों का प्रयोग कर भूमिगत स्रोतों से जल निकाला जाता है। इसके संचालन एवं रखरखाव हेतु एक कमरे की आवश्यकता हो अथवा नहीं भी हो सकती है एवं विद्युत सब-स्टेशन वह परिसर जहां विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर स्थापित होते हैं।
5.39	वाटर वर्क्स : वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजर्वार्य, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
5.40	माइक्रोवेव केन्द्र : वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
5.41	कम्पोस्ट प्लाण्ट : वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल किया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
5.42	सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट : वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रसायनिक किया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
5.43	डस्टबिन/कूड़ा एकत्रीकरण स्थल : वह स्थल जहाँ पर घरेलू कूड़ा/कचरा अल्प अवधि के लिए एकत्र किया जाता है।
5.44	सामुदायिक शौचालय : वह शौचालय जो जनसाधारण के प्रयोगार्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
5.45	ए.टी.एम. : वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैंकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जाता है।
5.46	जन सुविधा केन्द्र : वह केन्द्र जहाँ जनसाधारण अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह कर सकें तथा विभिन्न राजकीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही कर सकते हैं।
5.47	नॉलेज पार्क : वह परिसर जहाँ ज्ञान या अन्य ऐसी गतिविधियों पर आधारित गतिविधियां होंगी जो बिल्कुल गैर-प्रदूषकारी, गैर खतरनाक, पर्यावरण के अनुकूल, शोर और कंपन से मुक्त होंगी।
5.48	पशुवधाशाला : ऐसा स्थान जहाँ केवल मांसाहारी भोजन के उपयोगार्थ पशुओं का वध किया जाता है।
5.49	रिसाईकिलिंग ऑफवेस्ट : वह परिसर जहाँ ठोस कचरा एकत्रित कर संयंत्र/विद्युत द्वारा पुनः उपयोग हेतु उपचारित किया जाता है।
5.50	धर्मसाला : वह परिसर, जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
5.51	रैन-बैसरो : वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से सात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
5.52	पॉलीटेक्निक : वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
5.53	मेडिकल/डेंटल कालेज : वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार डेंटल, आपरेशन, इत्यादि तथा शिक्षण एवं शोध कार्य किया जाता हो।
5.54	उच्च तकनीकी संस्थान : वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.55	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण : वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं टेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
5.56	सामान्य शैक्षिक संस्थान : वह परिसर जहाँ गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
5.57	क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक : वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
5.58	डिस्पेन्सरी : वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
5.59	पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला : वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जाँच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.60	सभा भवन, सामुदायिक भवन : वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
5.61	सांस्कृतिक केन्द्र : वह परिसर जहाँ किसी संरथा, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.62	खुली नाट्यशाला : वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
5.63	थिएटर/नाट्यशाला : वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

5.63	वाचनालय : वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
5.64	सूचना केन्द्र : वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.65	अभिनश्मन केन्द्र : वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5.66	मेला स्थल : वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
6	यातायात एवं परिवहन
6.1	पार्किंग स्थल : वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
6.2	टैक्सी टैम्पो, रिक्षा आदि के स्टैण्ड : वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
6.3	ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपो : वह परिसर जहाँ कम व अधिक समय के लिए ट्रकों एवं बसों आदि वाहनों की पार्किंग, रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु सार्वजनिक परिवहन ऐजण्सी या इसी प्रकार की किसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें ऐजेन्सी कार्यालय, कार्यशाला, ढाबा, गोदाम, स्पेयर पार्ट्स दुकानें, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस, होटल आदि सुविधाएं भी हो सकती हैं।
6.5	बस स्टॉप : वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन ऐजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
6.6	बस टर्मिनल : वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि समिलित हैं।
6.7	मोटर गैराज, सर्विस गैराज, तथा वर्क शॉप : वह परिसर जिसमें आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।
6.8	मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र : वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
6.9	लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाएं : वह परिसर जो कानून व्यवस्था बनाये रखने सरकार द्वारा सुविधायें दी जाती है।
6.10	रेलवे गोदाम, रेलवे मार्ग/साइलिंग/टर्मिनल : वह परिसर जहाँ पर माल गाड़ी से सामान उतारा या चढ़ाया जाता है, रेलगाड़ी चलने ट्रेक बनाया जाता है एवं टर्मिनल का मतलब ऐसे स्टेशन से है जहाँ से ट्रेनों के आगे जाने के लिए ट्रेक न हो, यानी ट्रेनें वहाँ आती तो लेकिन आगे एक ही दिशा में जाना जा सकती हों, रेलवे सरकार द्वारा ऐसे मार्गों का निर्माण किया गया है।
6.11	धर्मकांटा : वह परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन मापा जाता हो।
6.12	एयरपोर्ट : वह स्थान जहाँ यात्री हवाई जहाज द्वारा लैन्डिंग व टेक-आफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।
7	पार्क, कीड़ा/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक— वह परिसर या स्थान जो खुला तथा अनिर्मित हो या जिसका विन्यास एवं विकास सार्वजनिक पार्क या उद्यान के रूप में किया गया हो जहाँ मनोरंजन हेतु सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
7.1	पार्क : वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुला स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल : वह खुला परिसर जोकि विभिन्न अस्थायी कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है।
7.3	गोल्फ/रेसकोर्स : गोल्फ खेलने/रेस हेतु निर्धारित क्षेत्र जिसमें अधिकांश क्षेत्र खुला तथा निर्मित क्षेत्र न्यूनतम हो जो केवल खेल हेतु अनिवार्य हो।
7.4	स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र/कीड़ा स्थल/खेल का मैदान : वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के लिए मंडप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो एवं आउटडोर तथा इनडोर खेलों आदि के प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध हो।
7.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल : पर्यटक और या / मनोरंजन केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजन या अवकाश उद्देश्य हेतु थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिए किया जाता है।
7.6	ट्रैफिक पार्क : पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
7.7	मनोरंजन पार्क : वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हो।
7.8	क्लब, स्वीमिंग पूल : वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणों सहित एक कमरा अथवा भवन जहाँ इनडोर खेल एवं जिम सुविधा तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग रूम शौचालय आदि की व्यवस्था हो।

7.9	चिड़िया, जल—जीवशाला, वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल : वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव—जन्तुओं और पक्षियों के परिष्करण और पालन—पोषण के लिए उद्यान/पार्क / जल—जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
7.10.	फ्लाइंग क्लब/हैली पैड : वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन—राइडिंग के लिए किया जाता हो।
7.11	शूटिंग रेन्ज : वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रैक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
7.12	क्लब : सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लागों के समूह द्वारा किया जाता हो।
7.13	कीड़ा—स्थल/खेल का मैदान : आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
8	कृषि
8.1	बागबानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनीकल गार्डन : वह परिसर जहाँ फलों की बागबानी की जाती है। इसमें फलों के पेड़ के साथ बगीचा भी सम्मिलित हो सकता है। नर्सरी परिसर में पौधों की बिक्री हेतु पौधों को तैयार किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्राकृतिक वनस्पतियों एवं अन्य वनस्पतियों को तैयार किया जाता है।
8.2	फार्म हाउस : वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म) कैटिल कॉलोनी : वह परिसर जहाँ डेयरी—उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडों के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।
8.4	धोबीघाट : वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
8.5	सुअर/मत्स्यय/कुककुट/मधुमक्खी पालन, पशु संबंधन केन्द्र : वह परिसर जहाँ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अप्णे, मांस आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो इसमें पक्षियों का शैड हो सकता है।
8.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशॉप : वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
9	फ्लॉटिंग उपयोग : वह उपयोग जिसके लिए महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले—आउट प्लान में अलग से क्षेत्र आरक्षित नहीं है, परन्तु जो विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन किए जाने पर निर्धारित होगा।
9.1	सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं : वह परिसर जहाँ भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं जो सभी के लिए उपलब्ध होती है जैसे अस्पताल मंदिर मस्जिद इत्यादि।
9.2	थोक व्यवसायिक : वह स्थान जहाँ सामग्री फुटकर विक्रेताओं को विक्री हेतु बेची जाती है। इसमें भंडारण, गोदाम, लोडिंग तथा अन्लोडिंग आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं।
9.3	यातायात एवं परिवहन : एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना और जिन साधनों के द्वारा यातायात की जाती है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल गाड़ी, हवाई जहाज, जल जहाज, बस, मोटर साइकिल, आदि।
9.4	सेवा/कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योग एक औद्योगिक इकाई जहाँ कारखानों के बजाए घरेलू आधारित उत्पादों का निर्माण किया जाता है एवं सेवा उद्योग जिसमें कम्पनीज सम्मिलित हो तथा जो मुख्य रूप से उत्पादों और सेवाओं के उपलब्ध कराने के द्वारा राजस्व की आय बढ़ाता हो। सेवा उद्योग की कम्पनीज में फुटकर, परिवहन, वितरण, खाद्य सेवाओं एवं अन्य सेवा व्यावसायों का प्रभुत्व सम्मिलित हो।
9.5	विशेष उद्योग (संकरपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक) : संकरपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक पैमाने के उद्योगों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
10	अस्थाई क्रियाएं
10.1	साप्ताहिक बाजार : एक क्षेत्र जो सप्ताह में एक बार किसी समूह द्वारा बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकानों की स्थापना हेतु प्रयोग किया जाता है। यह बाजार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सप्ताह के विभिन्न दिनों में स्थानान्तरित किए जाते हैं।
10.2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल : वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल आदि के लिए दिया जाता है।
10.3	वेन्डिंग जोन : वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थों के विक्रय सामग्री व्यावसायिक गतिविधियों वेन्डर द्वारा की जाती हैं।
11	अन्य परिसर
11.1	वन : वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़—पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
11.2	स्मारक : दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
12	हेरिटेज जोन/विशिष्ट क्षेत्र : महायोजना/जोनल प्लान के अन्तर्गत वह परिसर जो ऐतिहासिक वास्तुकलात्मक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक महत्व, प्राकृतिक सौन्दर्य (Scenic Beauty) अथवा नगर विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिकोण विशिष्ट प्रयोजन हेतु पृथक भू—उपयोग जोन के रूप में निर्धारित हो।

14.11 प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में सर्वांगीन कियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 के अन्तर्गत प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सर्वांगीन कियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्य कियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:—

कोड सं.	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास।
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास।
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू—विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिह्नित थोक वाणिजिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक—2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक 2 के अनुसार)
16	राइट—ऑफ—वे के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संकामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल 3 स्टार तक
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक 3 के अनुसार)
26	द्वितीय तल एवं उसके ऊपरी तलों पर
27	तलपट मानचित्र के अनुसार एवं भूखण्ड पर अनुमन्य अधिकतम आच्छादन का 10 प्रतिशत
28	भू—खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
29	केवल सम्बन्धित सुविधा के उपयोगार्थ एवं परिसर के अन्दर भू—आच्छादन का अधिकतम 01 प्रतिशत
30	स्थल के कुल 5 प्रतिशत क्षेत्र तक
31	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
32	मुख्य/क्षेत्रीय मार्गों के अधिकतम 5 प्रतिशत भू आच्छादन के साथ जो प्रश्नगत भूखण्ड के पार्श्व भाग में निर्मित किया जा सकेगा।
33	केवल परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत बस अड्डों में।
34	भू—खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
35	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर एवं केवल भूतल पर।
36	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
37	नगर प्रस्तावित मुख्य मार्गों, ग्रामीण आबादी एवं नगरीय सीमाओं से न्यूनतम 300 मी0 की दूरी पर

- निर्मित क्षेत्र में व्यवसायिक कियाओं/उपयोगों की अनुमति आस—पास के विद्यमान प्रधान भू—उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।

14.12 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जायेगी :—

1. विकास क्षेत्र / विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुमति प्रदान की जाएगी—

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर-प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी :—

(अ) प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें।

(ब) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

(स) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुँआ/दुर्गम्भ इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

(द) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर, मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।

(प) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का अधिकतम एफ०ए०आर०० एवं ऊंचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नियन्त्रक प्राधिकारिणी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर स्वयं निर्णय लिया जाएगा।

2. किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सेट बैंक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

3. महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिह्नित हैरिटेज जोन में खान-पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट, फोटोग्राफर, रेल/वायु/ट्रैक्सी इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गार्ड वार्डलिय, पर्टीटन से सम्बन्धित कार्यालय तथा अन्य आवश्यक क्रियाएं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

4. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक (काम्पैटिबल) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी :

(1) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट-बैंक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं हैं, के सम्बन्ध में किया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

(2) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकेगा।

14.13 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर							संकेत	
नि० क्षे०	निर्मित क्षेत्र	ल.उ.	लघु उद्योग	पा.खु.	पार्क / खुले स्थल (जोनल पार्क एवं सेक्टर पार्क)			
आ.	आवासीय	बृ.उ.	बृहद् उद्योग	ग्रा.आ.	ग्रामीण आबादी	अनुमन्य उपयोग		
व्य.-१	नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक / जोनल व्यावसायिक	कार्या.	कार्यालय	ह.प.	हरित पट्टी	सर्शत अनुमन्य उपयोग		
व्य.-२	बाजार मार्ग	सुवि०	सार्वजनिक सुविधायें / उपयोगिताएं एवं सेवाएं	कृ.-१	कृषि	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग		
व्य.-३	थोक बाजार / भण्डार / मिनरल साइडिंग	या.ए.परि.	यातायात एवं परिवहन (टी.टी., बी.टी.)	कृ.-२	हाई-वे फैसलिटी जोन	निपिछ्व उपयोग		

क्र.सं.	क्रियाएं एवं उपयोग	भू-उपयोग जोन्स															
		नि० क्षे०	विकासशील / अविकसित क्षेत्र														
			आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए.परि.	पा.खु.	ह.प.	ग्रा.आ.	कृ.१	कृ.२	
1	आवासीय	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	16	15	17	18
1.1	भूखण्डीय आवास							5		27							
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	6	6		26		27	5	27	27							
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास			2			1	1	5	27	1						
2	व्यावसायिक																
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)	6	31					27	27		29	28		6			
2.2	साप्ताहिक बाजार																
2.3	बेकरी एवं कानैकैषणी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)																
2.4	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक-1क के अनुसार)	8	35														
2.5	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)	7	36					27	27								
2.6	मोटर वाहनों के शोरूम			8	8												
2.7	मोटर वाहनों के स्पे. पार्ट्स की बिकी हेतु दुकानें			8													
2.8	थोक मण्डी / थोक व्यापार																
2.9	नीलामी बाजार					7											

कियाएं एवं उपयोग		भू-उपयोग जोन्स विकासशील / अविकसित क्षेत्र															
		निःशे 0	आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
क्र.सं.	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.10.	कोयला एवं लकड़ी के टाल	7	7											6			
2.11	कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र																
2.12	शीत गृह																
2.13	रिसार्ट																
2.14	होटल	7	7	7	8		7		7	7	7						
2.15	मोटल, वे-साईट रेस्टरां (ढाबा)																
2.16	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, केन्टीन	6	7								29	29	27	21			
2.17	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	8	8	8	8		8			8	33						
2.18	सैल्यूलर मोबाइल सर्विस / पी.सी.ओ.																
2.19	पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन	7	8	8						8	7			7			
2.20.	भण्डार, गोदाम बे-हाउस, संग्रह केन्द्र, जकयार्ड कबाड़.			13				13							37		
2.21	गैस गोदाम / ज्वलन, नाशवान, एवं आपात वस्तुओं का भण्डारण														37		
2.22	सर्विस अपॉर्टमेण्ट																
3	औद्योगिक																
3.1	सेवा / कुटीर उद्योग	17	7	17													
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क	7															
3.3	लघु उद्योग (संलग्नक सूची के अनुसार)			25													
3.4	बृहद उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, पलोर मिल																
3.5	संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक उद्योग																
3.6	खनन इंटर / चूने का भट्ठा, केशर																
3.7	तेल डिपो / एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट																

क्र.सं.	क्रियाएं एवं उपयोग	भू-उपयोग जोन्स															
		निर्देशक 0	आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
1		2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	16	15	17	18	
3.8	पाश्चराईजिंग प्लाट/दुम्ध संग्रहण केन्द्र																
3.9	विद्युत उत्पादन संयंत्र / सोलर पावर प्लान्ट																
3.10.	लॉजिस्टिक पार्क/वेयर हाउसिंग																
4	कार्यालय																
4.1	राज, अर्द्ध राजकीय, स्था निकाय कार्यालय	7	7						20	20		20	20				
4.2	निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय	7	35									20	20				
4.3	बैंक	7	7														
4.4	वाणिज्यिक /व्यापारिक कार्यालय	7															
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र	7															
4.6	पी.ए.सी./पुलिस लाइन																
4.7	साइबर कैफे	6	7														
4.8	बायोटेक पार्क			4													
4.9	बिजनेस पार्क																
4.10.	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर	7															
4.11	कॉल सेन्टर																
4.12	बी.पी.ओ.																
4.13	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र				10		20										
4.14	मौसम अनुसंधान केन्द्र																
5	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें																
5.1	अतिथि गृह/निरीक्षण गृह													6			
5.2	धर्मशाला, रैन बसेरा लाइंग/बोर्डिंग हाउस	7	7											6			

कियाएं एवं उपयोग		भू-उपयोग जोन्स विकासशील / अविकसित क्षेत्र															
		निःशे 0	आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
क्र.सं.	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.3	छात्रावास	7	7										6				
5.4	अनाथालय, सुधारालय																
5.5	वारागार																
5.6	हैण्डीकौप्ड चिल्ड्रेन हाउस	7	7										6				
5.7	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र		6														
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																
5.9	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6	7												6		
5.10.	उच्च माध्यमिक / इंटर विद्यालय	7	7			10											
5.11	महाविद्यालय	8	24														
5.12	विश्वविद्यालय																
5.13	पॉलीटेक्निक / इन्जी. / मेडिकल / डेण्टल कॉलेज																
5.14	प्रबन्ध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																
5.15	डाकघर, तारघर																
5.16	पुलिस स्टेशन / चौकी / अग्निशमन केन्द्र		8														
5.17	पुस्तकालय / वाचनालय	7	7														
5.18	स्वास्थ्य केन्द्र परिवार कल्याण केन्द्र डिस्पेन्सरी	9	9														
5.19	अस्पताल	10	10					10	10	10					10	22	
5.20.	नर्सिंग होम	10	9					10	10	10					9		
5.21	नैदानिक प्रयोगशाला		7												24		
5.22	हेल्थ क्लब / जिमनेजियम	7	8														

क्र.सं.	कियाएं एवं उपयोग	भू-उपयोग जोन्स														
		निःशे 0	आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.								
क्र.सं.	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.23	विद्युत शवदाह गृह, श्मशान, कब्रिस्तान									14						
5.24	संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	7	7	8										6		
5.25	सिलाई, बुनाई, कढाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि	7	8		8											
5.26	ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर				8		8									21
5.27	योग, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	7	8		8											21
5.28	धार्मिक भवन	7	7	8												
5.29	सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	7	8	7										6		
5.30.	बारात घर, बैंकेट हॉल		24	8												
5.31	कान्फ्रेन्स / मीटिंग हॉल	7	24													
5.32	अज्ञायवघर															
5.33	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21						21					21			
5.34	टेलीफोन रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र															
5.35	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र						20									
5.36	समाज कल्याण, केन्द्र															
5.37	कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड														14	
5.38	ट्यूब बेल, औवर हेड रिंजर्वर्यर विद्युत केन्द्र / सब-स्टेशन, सॉलर पावर											30				
5.39	वाटर वर्क्स						1									
5.40.	माइक्रोवेव केन्द्र												30			
5.41	कम्पोस्ट प्लाण्ट															
5.42	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट		8													

कियाएं एवं उपयोग		भू-उपयोग जोन्स															
		निःशे 0	आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
क्र.सं.	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	16	15	17	18	
5.43	डस्टबिन/ कूड़ा एकत्रीकरण स्थल																
5.44	सामुदायिक शौचालय																
5.45	ए.टी.एम.																
5.46	जन सुविधा केन्द्र																
5.47	नॉलेज पार्क																
5.48	सामुदायिक मार्ग निदेशन केन्द्र													32			
5.49	पशुवधशाला															14	
5.50	रिसाईकिलंग ऑफवेस्ट																
6	यातायात एवं परिवहन																
6.1	पार्किंग स्थल												21				
6.2	टैक्सी टैम्पो, रिक्षा आदि के स्टैण्ड												21				
6.3	ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपो																
6.5	बस स्टॉप	7	7	8				7	7					7			
6.6	बस टर्मिनल				24												
6.7	मोटर गैराज, सर्विस गैराज, तथा वर्क शॉप	8	8	8										7			
6.8	मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र																
6.9	लोडिंग—अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाएं																
6.10.	रेलवे गोदाम, रेलवे मार्ग / साइडिंग / टार्मिनल																
6.11	धर्मकांटा				8				7						7		
6.12	एयरपोर्ट																
7	पार्क, कीड़ा/खुले स्थल/ मनोरंजनात्मक																

कियाएं एवं उपयोग		निःशे 0	भू-उपयोग जोन्स विकासशील / अविकसित क्षेत्र														
			आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ.2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
क्र.सं.	1	2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.1	पार्क																
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7											7			
7.3	गोल्फ / रेसकोर्स																
7.4	स्टेडियम / खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र / कीड़ा स्थल / खेल का मैदान												30				
7.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल												21			21	
7.6	ट्रैफिक पार्क																
7.7	मनोरंजन पार्क	7	7										21		7		
7.8	कलब, स्वीमिंग पूल	7	7											7			
7.9	चिड़िया, जल-जीवशाला, वन्य जीव / पक्षी शरण स्थल																
7.10.	फ्लाइंग कलब / हैली पैड											21					
7.11	शूटिंग रेन्ज																
8	कृषि																
8.1	बागबानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनीकल गार्डन																
8.2	फार्म हाउस																
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म) कैटिल कॉलोनी														14		
8.4	धोबीघाट																
8.5	सुअर / मत्स्य / कुककुट / मधुमक्खी पालन, पशु संवर्धन केन्द्र																
8.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत / सर्विसिंग वर्कशॉप													32	6		
9	फ्लोटिंग उपयोग																
9.1	सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं																
9.2	थोक व्यवसायिक																

क्र.सं.	क्रियाएं एवं उपयोग	नि०धे ०	भू-उपयोग जोन्स विकासशील / अविकसित क्षेत्र														
			आ.	व्यवसायिक क्षेत्र			औद्योगिक क्षेत्र		कार्य	सुवि.	या.ए. परि.	पा. खु.	ह.प.	ग्रा. आ.	कृ.1	कृ..2	
				व्य.-1	व्य.-2	व्य.-3	ल.उ.	बृ.उ.									
1		2	3	4	7	6	9	10	11	12	13	14	16	15	17	18	
9.3	यातायात एवं परिवहन																
9.4	सेवा / कुटीर उद्योग																
9.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/ खतरनाक/ प्रदूषणकारक)																
10	अस्थाई क्रियाएं																
10.1	साप्ताहिक बाजार																
10.2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल	7	8	8				8	8		8		3				
10.3	वेल्डिंग जोन	7	8										21				

टिप्पणी:

- इस Matrix की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक-4 का संदर्भ लें।
- सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-13.11 का संदर्भ लें।
- 'हरित पट्टी' भू-उपयोग में 'पेट्रोल/डीजल/सीएनजी रिटेल आउटलेट' किया की 'विशेष अनुमति' से अनुमन्यता मात्र मुख्य मार्गों पर स्थित 'हरित पट्टी' भू-उपयोग में ही देय होगी।
- विभिन्न भू-उपयोग होटल किया की अनुमन्यता निर्धारित शर्तों के अधीन देय होगी।
- * ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास नीति से आच्छादित न हों।
- ** ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास नीति से आच्छादित हों।
- शासकीय समिति की बैठक दिनांक-02.12.2021 के कार्यवृत्त, पत्र संख्या-139/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/ स०नि०(के०)/2021-22 दिनांक-18.12.2021 के सुझाव/निर्देश के बिन्दु संख्या-1.5 के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत ले-आउट/ तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

तालिका 14.2: भू—उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च कम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट						संकेत			
गैर—व्यावसायिक एवं चैरिटेबल कियाएं/उपयोग		①				प्रभाव शुल्क लागू नहीं			
सेवा एवं कृषी उद्योग		②				प्रभाव शुल्क देय नहीं			
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास		③				प्रभाव शुल्क देय			
क्रियाएं (Activities) / उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च कम में)		भू—उपयोग जोन्स							
		निर्मित क्षेत्र	विकासशील / अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च कम में)						
			कृषि, ह.पट्टी, सार्वजनिक सुविधाएं	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय		
		1	2	3	4	5	6		
1.	कृषि, हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क, कीड़ास्थल								
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाएं	0.25 ①				0.25 ①			
3.	यातायात एवं परिवहन	0.30	0.10						
4.	औद्योगिक	0.40 ②	0.25 ②	0.25 ②					
5.	आवासीय	0.50	0.40	0.40	0.25 ③				
6.	कार्यालय	1.00	0.75	0.75	0.50				
7.	व्यवसायिक	1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50		
<p>टिप्पणी: 1. विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित “प्रभाव शुल्क गुणांक” की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय हैं।</p> <p>2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सर्वानुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आकलन सम्बन्धित भू—उपयोग जोन हेतु निर्धारित “गुणांक” की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:-</p> <p>2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सर्वानुमन्य क्रियाओं हेतु— भूखण्ड का क्षेत्रफल \times सर्किल रेट \times “गुणांक” \times 0.25</p> <p>विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु— भूखण्ड का क्षेत्रफल \times सर्किल रेट \times “गुणांक” \times 0.50</p> <p>3. प्रभाव शुल्क का आकलन विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू—उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।</p>									
प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण									
उदाहरण—1		उदाहरण—2							
मिश्रित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु:		कृषि भू—उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु:							
भूखण्ड का क्षेत्रफल — 350 वर्ग मीटर		भूखण्ड का क्षेत्रफल — 500 वर्ग मीटर							
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर — ₹ 2000 प्रति वर्ग मीटर		कृषि भूमि का सर्किल रेट — ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर							
देय प्रभाव शुल्क — भूखण्ड का क्षेत्रफल \times सेक्टर रेट \times ‘प्रभाव शुल्क गुणांक’ \times 0.25		देय प्रभाव शुल्क — भूखण्ड का क्षेत्रफल \times सेक्टर रेट \times ‘प्रभाव शुल्क गुणांक’ \times 0.25							
अथवा $350 \times 2000 \times 0.25 \times 0.25 = ₹ 43750/-$		देय प्रभाव शुल्क — 500 \times 200 \times 1.5 \times 0.5 — ₹ 75000/-							

अनुलग्नक-1

दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाईपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार आदि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी0सी0ओ0
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई—बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी.वी. संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपड़े इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगितायों की अन्य दुकानें

मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी.वी., रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुर्घट उत्पाद, धो, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चॉदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्मे की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शवित तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक-3

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चॉदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज—सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो, टीवी बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्मे की मरम्मत
22. सर्जिकल पटिट्यॉ
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियॉ बनाना
25. दरियॉ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरलाइज्ड वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू—विलप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्मे के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक-4

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) / उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत किया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकता कि प्रश्नगत निर्माण उस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षेत्रिज रेखा (X-Axis) पर कालम-2 से 14 में महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य कियाएं / उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी किया / उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षेत्रिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस किया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू-उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो Coloured तथा Black & White दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है:

(i)		अनुमन्य उपयोग : जो सामान्यतः अनुमन्य है।
(ii)	7	सशर्त अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.11 में कोड संख्या-1 से 37 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य है।
(iii)		विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.12 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। “सक्षम प्राधिकारी” की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.3 में कमांक-iii पर दी गई है।
(iv)		निषिद्ध उपयोग : जो अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं / उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं:-

उदाहरण-1: कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि “नर्सिंग होम” व्यवसायिक भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.13 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर कियाएं के नीचे कमांक- 5.20 पर नर्सिंग होम के सम्मुख X-Axis पर व्यवसायिक भू-उपयोग जोन के कालम में संकेत (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू-उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण-2: निर्मित क्षेत्र में “शोरूम” अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.13 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर कियाएं के नीचे कमांक-2.5 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर ‘निर्मित क्षेत्र’ के कालम में संकेत (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.11 में निर्दिष्ट कोड संख्या-7 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण-3: कृषि भू-उपयोग जोन में ‘रिजॉर्ट’ अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.13 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर कियाएं के नीचे कमांक -2.13 पर रिजॉर्ट के सम्मुख X-Axis पर ‘कृषि’ के कालम में संकेत (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् कृषि भू-उपयोग जोन में रिजॉर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण-4: ग्रीनबेल्ट जोन में ‘बारातघर’ अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.13 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर कियाएं के नीचे कमांक 5.30 पर बारातघर के सम्मुख X-Axis पर ‘ग्रीन बेल्ट’ के कालम में संकेत (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात् ग्रीन बेल्ट में बारातघर अनुमन्य नहीं है।

टिप्पणी: 1. विभिन्न कियाओं / उपयोग परिसरों की परिभाषाएं जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-13.10 में दी गई हैं।

अधिसूचना संख्या: 164 / 2020 / 2031 / 20-27-सि०-४-०७ (एन०जी०टी०) / 16टी०सी०

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-४

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.०७.२०१७ के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फल घ्यें जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.०७.२०१७ एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-३ उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्रांक-114९/१८-२७-सि०-३-५२एल/१८, दिनांक 17 अक्टूबर २०१८ का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद विजनाएर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी० तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त खेत्र को “नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन” अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के पत्र सं०-२३२/प्र०अ०/मु०अ०ज०स००, दिनांक 06 अगस्त, २०२० द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.०७.२०१७ के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फल घ्यें जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेंट जोन/रेस्यूलेटरी जोन के लांगीच्यूड/लैटिच्यूड एवं नो डेवलपमेंट जोन/रेस्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.०७.२०१७ एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-३ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-114९/१८-२७-सि०-३-५२एल/१८, दिनांक 17 अक्टूबर २०१८ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.०७.२०१७ को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद विजनाएर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी० तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त खेत्र को “नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन” अधिसूचित किया गया हैं।

(2)

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक १३.०७.२०१७ को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी के जेज-१ (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से १०० मी० तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ०प्र० एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

४. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० सं०-२००/२०१४ एम०सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फलड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद विजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, काशीराम नगर, फरुखाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीक्यूड एवं लैटिक्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

५. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीक्यूड एवं लैटिक्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	लांगीक्यूड एवं लैटिक्यूड
१.	विजनौर	संलग्नक-१ (क) एवं १ (ख)
२.	अमरोहा	संलग्नक-२ (क) एवं २ (ख)
३.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-३ (क) एवं ३ (ख)
४.	मेरठ	संलग्नक-४ (क) एवं ४ (ख)
५.	हापुड़	संलग्नक-५ (क) एवं ५ (ख)
६.	बुलंदशहर	संलग्नक-६ (क) एवं ६ (ख)
७.	अलीगढ़	संलग्नक-७ (क) एवं ७ (ख)
८.	काशीराम नगर	संलग्नक-८ (क) एवं ८ (ख)
९.	फरुखाबाद	संलग्नक-९ (क) एवं ९ (ख)
१०.	कन्नौज	संलग्नक-१० (क) एवं १० (ख)
११.	सम्भल	संलग्नक-११ (क) एवं ११ (ख)
१२.	बदायूँ	संलग्नक-१२ (क) एवं १२ (ख)
१३.	शाहजहांपुर	संलग्नक-१३ (क) एवं १३ (ख)
१४.	हरदोई	संलग्नक-१४ (क) एवं १४ (ख)
१५.	उन्नाव	संलग्नक-१५ (क) एवं १५ (ख)
१६.	कानपुर	संलग्नक-१६ (क) एवं १६ (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीक्यूड एवं लैटिक्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीक्यूड एवं लैटिक्यूड दर्शाये गये हैं।

६. जनपद के सिंचाई विभाग उ०प्र० के सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिकारी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिकारी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

(3)

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेपित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजॉन में निम्न प्रकार की गतिविधियाँ ही अनुमन्य होंगी:-

- (i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ यंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त ईंविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।
- (ii) एम०ओ०इ०एक० एण्ड सी०सी० की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।
- (iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।
- (iv) जैविक खेती।
- (v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।
- (vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर बाटर वे की डिसिलिंग।
- (vii) अतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।
- (viii) नदी की नारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कञ्चे रास्तों का निर्माण।
- (ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियाँ।
- (x) नदी जल के भण्डारण, डायर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।
- (xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/आद्योपिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ यंगा मिशन के द्वारा स्थलीय नियंत्रण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-६ (३) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं यंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं०-एस०ओ०-३१८७ (इ), दिनांक ५ अक्टूबर २०१६ (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लॉड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेपित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्यूलेटरी जोन में निम्न गतिविधियाँ अनुमन्य होंगी।

- (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।
- (ii) उनर प्रदृश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लानिंग लेविल फ्लॉड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।
- (iii) नदी जल के भण्डारण, डायर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।
- (iv) प्रदूषण सुकृत घरेलू उद्योग।
- (v) पुनरो, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।
- (vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।
- (vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।
- (viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियाँ।
- (ix) स्टोन क्रसिंग प्लाट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(5)

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-तिं-0-4 तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
 7. सदस्य सचिव, प्रूपण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
 8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
 9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
 11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
 12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
 13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
 14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
 15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्र प्राधिकारी, उ0प्र0।
 16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
 17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्झौत विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का काल्पनिक करने।
 18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
 19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
 20. गाई फाई।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

अनुलग्नक-6

उन्नाव में नगरीय, ग्रामीण मार्गों का विवरण (नाम, चौड़ाई, लंबाई) एवं पदानुक्रम की स्थिति

FORMULATION OF GIS BASED MASTER PLANS

DEPARTMENT - PWD

1 Description (Name, Width, Length) and status of hierarchy of urban, rural roads and bridges in Unnao

S.no	Road Type	Road Name	Width	Length	Status
1	State Highway	उन्नाव कानपुर मार्ग	20.000	13.100	
2	Major Dist. Road	NIL			
3	Other Dist Road	बद्रका सुपासी सम्पर्क मार्ग	3.000	2.000	
	Other Dist Road	अचलगंज गंगाघाट मार्ग।	7.000	9.400	
	Other Dist Road	अचलगंज हड्हा मार्ग	3.750	2.650	
	Other Dist Road	गंगासेतु का पहुंच मार्ग	3.750	0.600	
	Other Dist Road	उन्नाव सिरोसी सिकन्दरपुर परियर मार्ग	7.000	21.730	
	Other Dist Road	उन्नाव ब्रांच कैनाल परी मार्ग	3/3.75	6.740	
	Other Dist Road	कानपुर गंगा बेराज के उन्नाव की सीमा शुक्लागंज उन्नाव मार्ग तक निर्माण कार्य	7.000	6.700	
	Other Dist Road	सहजबी शंकरपुर सराय मार्ग	3.000	15.780	Sanctioned for widening upto 7.00 mtr width
	Other Dist Road	भीमेश्वर सिकन्दरपुर मार्ग	3.000	14.600	
	Total of 09 Roads:-			80.200	
4	City Roads	बी0य०ए० मार्ग से कार्यालय संपर्क मार्ग	3.750	0.800	
5	Village Roads	हैवतपुर से चेतखेड़ा सम्पर्क मार्ग	3.000	2.250	
	Village Roads	अचलगंज गंगाघाट मार्ग से से हैवतपुर	3.000	2.000	
	Village Roads	मझरा पीपरखेड़ा गैरअहतमाली	3.000	1.000	
	Village Roads	मझरा पीपरखेड़ा एहतमाली	3.000	0.600	
	Village Roads	गजिया खेड़ा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.450	
	Village Roads	ए०ज००ज० से निहाल खेड़ा होते हुए शुक्लागंज सम्पर्क मार्ग	3.000	3.600	
	Village Roads	करमी विजलामऊ से बन्दीपुरवा मार्ग	3.000	4.000	
	Village Roads	करमी विजलामऊ से बन्दीपुरवा मार्ग से रमचरामऊ मार्ग	3.000	0.800	
	Village Roads	करमी विजलामऊ बन्दीपुरवा मार्ग से बद्रका तुकिया	3.000	0.600	
	Village Roads	करमी विजलामऊ बन्दीपुरवा मार्ग से लोचनखेड़ा सम्पर्क मार्ग	3.000	0.800	
	Village Roads	बद्रका सुपासी से कंचनखेड़ा मार्ग	3.000	0.700	
	Village Roads	बद्रका सुपासी से रघुनाथ खेड़ा मार्ग	3.000	1.600	
	Village Roads	बद्रका सुपासी से पिपरहा खेड़ा मार्ग	3.000	2.000	
	Village Roads	सुपासी से जीवाखेड़ा मार्ग	3.000	1.000	
	Village Roads	सुपासी से गडसर मार्ग	3.000	2.000	
	Village Roads	बद्रका सुपासी से टिकरी गोलेश वलिया खेड़ा मार्ग	3.000	4.000	
	Village Roads	एनएच-25 से बन्धर (वैधरी खजान सिंह मार्ग)	3.000	5.250	
	Village Roads	खेपुर नरी सम्पर्क मार्ग नावाड 12	3.000	1.000	
	Village Roads	अटल विहारी खेड़ा सम्पर्क मार्ग	3.000	0.350	
	Village Roads	एनएच-25 से धोंधो रत्नापुर सम्पर्क मार्ग	3.000	3.100	
	Village Roads	मगरवारा मसवासी मार्ग	3.000	2.000	

Village Roads	उन्नाव कानपुर सम्पर्क मार्ग से गोकुल बावा से गलगलहा मार्ग।	3.000	1.400	
Village Roads	शेऊली खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.800	
Village Roads	कोटरा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.720	
Village Roads	लेवाजगंज सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.440	
Village Roads	उन्नाव रायबरेली मार्ग से जवाहर खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.400	
Village Roads	उन्नाव रायबरेली मार्ग से गनेश खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.300	
Village Roads	डीह पोरिसा मार्ग से पहली खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.650	
Village Roads	नंदौली सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.220	
Village Roads	हसैननगर जमुका मार्ग से दुवा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.700	
Village Roads	हुसैननगर जमुका पड़ोरी मार्ग से सुधा होते हुए गुरुवक्ष खेडा होते हुए	3.000	1.100	
Village Roads	बकस खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.400	
Village Roads	अजरैल खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.500	
Village Roads	माठ कांशीराम आयासीय योजना हेतु पहच मार्ग।	7.000	4.000	
Village Roads	कल्पाणी देवी मन्दिर से लोधनहार से उम्मीदों का शहर सम्पर्क मार्ग।	3.000	2.000	
Village Roads	उन्नाव सफोपुर मार्ग से पूरा निस्पक्षसारी से राम सिंह खेडा भतावा सम्पर्क मार्ग।	3.000	4.000	
Village Roads	शना से मङ्ग सम्पर्क मार्ग।	3.000	2.000	
Village Roads	जनपद उन्नाव में विकास खण्ड सिरोसी के ग्राम अमलौना के बीच सम्पर्क मार्ग।	3.750	6.000	
Village Roads	पटकापुर सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.500	
Village Roads	बरवट पुल से राजेपुर पतारी सम्पर्क मार्ग।	3.750	3.000	
Village Roads	बिलगाम उन्नाव इलाहाबाद से लोहारखेडा	3.000	1.600	
Village Roads	बरबटपुर सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.900	
Village Roads	लोक नगर तिराहे से चैरा मार्ग।	3.000	1.500	
Village Roads	पतारी से फटेउल्ला सम्पर्क मार्ग।	3.000	5.000	
Village Roads	झैनीखेडा से चैरा मार्ग।	3.000	2.000	
Village Roads	भवानीदीन खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.950	
Village Roads	सुतिया चैराहा से कन्जौरा चैराहे मार्ग तक। (गया बाबू मोड तक)	3.750	0.750	
Village Roads	सिकन्दरपुर से हफिजायाद से होते हुए पासिन खेडा तक सम्पर्क मार्ग।	3.750	0.800	
Village Roads	बावा से दमगढ़ी सम्पर्क मार्ग।	3.750	0.700	
Village Roads	पाठक पुर सम्पर्क मार्ग।	3.000	2.000	
Village Roads	उन्नाव सिरोसी परियर मार्ग से हफिजायाद सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.000	
Village Roads	पिण्डाया सम्पर्क मार्ग।	3.000	3.000	
Village Roads	सहजनी शंकरपुर मार्ग से कन्हवापुर सम्पर्क मार्ग।	3.750	2.000	
Village Roads	सरोसी से वेहटा मार्ग।	3.000	3.000	
Village Roads	कंजौरा सम्पर्क मार्ग।	3.000	0.500	
Village Roads	पृथ्वी खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.300	
Village Roads	बावा खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.500	
Village Roads	मुरत खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.200	
Village Roads	चिलौला से वेहटा मार्ग का शेष भाग।	3.750	0.500	
Village Roads	वेहटा सम्पर्क मार्ग।	3.750	3.000	
Village Roads	करोवन से अवस्थी खेडा सम्पर्क मार्ग।	3.000	1.100	
Total of 62 Roads:-			109.530	

**Construction, Improvement, strengthening and maintenance
of roads and bridges / flyover**

3 The Widening and repair work done of Urban roads in Unnao

**Widthening of Saigni
sankarpur sarai is
sanctioned**

Nil

4 Road beautification Proposals

As Above

5 Road Inventory

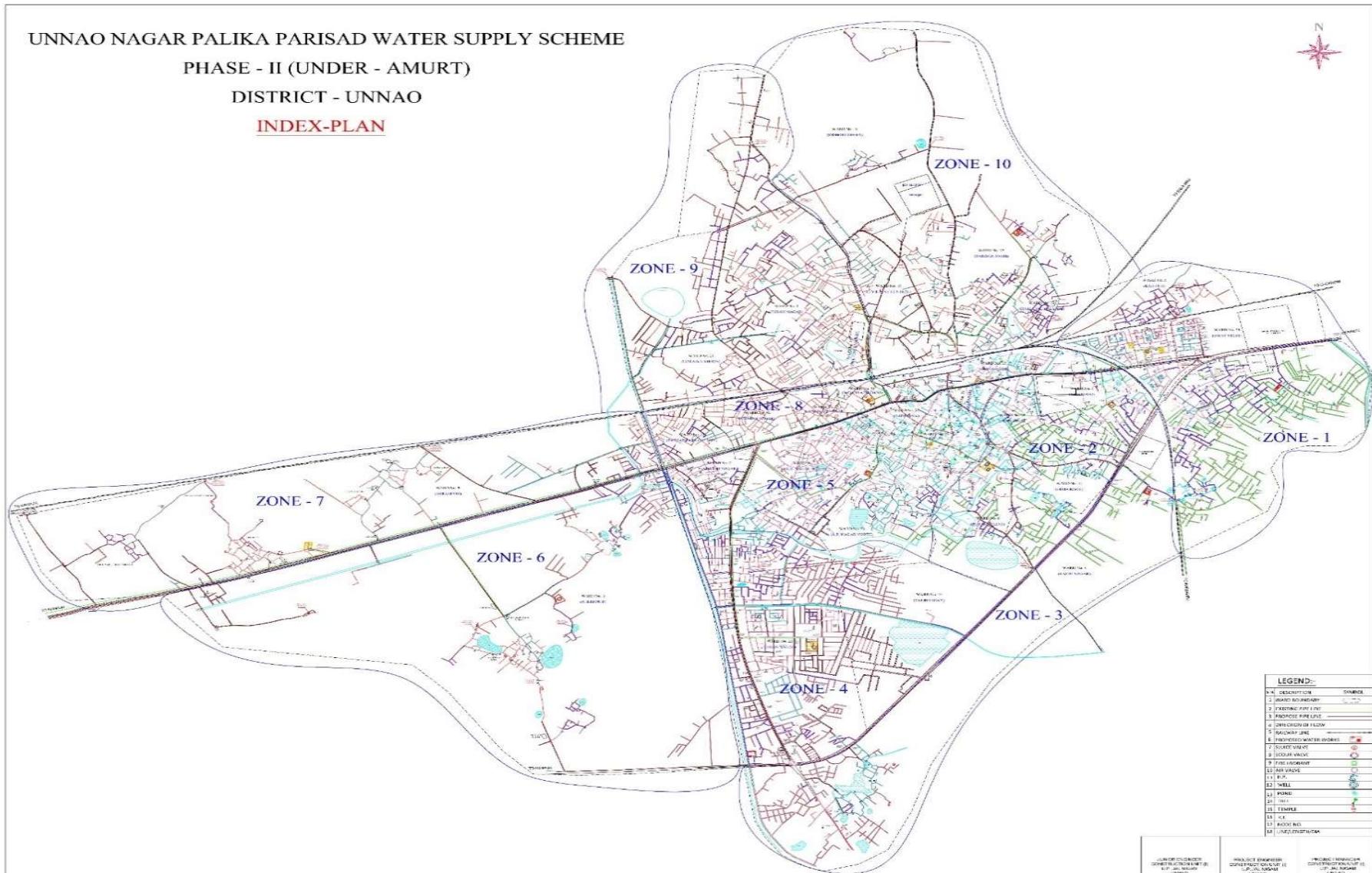
1	Area Under Roads	Length	Condition
3	Roads Maintained by other Department (KM)		
a	Other District Roads (ODR)	80.200	Good
b	SH and Other City Roads	13.900	
c	PWD Roads	109.530	
4	Road Width		
	20	13.100	
	7	37.83	
	3.75	0.800	
	3	109.530	

6 Upcoming road construction and flyover proposal / ongoing.

**Village Road
Construction Under RIDF**

अग्री
अधिशासी अभियन्ता
पासीय खण्ड, लोहनिंदिए
उन्नाव

अनुलग्नक-7 अमृत मिशन के तहत उन्नाव एनपीपी के लिए जलापूर्ति योजना (द्वितीय चरण)



अनुलग्नक-8

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-2

संख्या 4347 / 32-2-97 डी ए-81

लखनऊ 7 दिसम्बर 1983

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में उन्नाव जिले के निम्नलिखित उन्नाव-शुक्लागंज क्षेत्र का सुनियोजित रूप में विकास करना आवश्यक है।

अतएव, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम), 1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 (द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1873) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र घोषित करते हैं:-

क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और नौ सेना, रथल सेना और वायु सेना प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन उसके द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गयी भूमि को छोड़कर नगरपालिका बोर्ड, उन्नाव की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और उसके चारों ओर स्थित उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव के निम्नलिखित 44 ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	क्र०सं०	ग्राम का नाम	क्र०सं०	ग्राम का नाम
1	मुर्तजानगर	16	कडेरपतारी	31	खैरहा एहतमाली
2	तुर्कमानपुर	17	कर्मी विझलामऊ	32	खैरहा गैर एहतमाली
3	गंजौली	18	रजनाखेड़ा	33	सरैया
4	चाँदपुर	19	कटरी पीपर खेड़ा	34	देवारा खुर्द
5	इब्राहीमाबाद	20	मझरी पीपर खेड़ा एहतमाली	35	रव्वाजगीपुर
6	गदनखेड़ा	21	मझरी पीपर खेड़ा गैर एहतमाली	36	सलेमपुर
7	उन्नाव (ग्रामीण)	22	पोनी	37	चौरा
8	शेखपुर	23	महदेवना	38	फतेहपुर
9	सिंगरौसी	24	घोंघी रौतापुर	39	बरवट
10	अकरमपुर	25	हैबतपुर	40	लोहार खेड़ा
11	गलगलहा	26	सहिजनी	41	सैयद अब्बासपुर
12	मगरवारा	27	फतेहपुर	42	वाजिदपुर उर्फ राजेपुर
13	मसवासी	28	कटहादल नरायनपुर	43	टीकरगढ़ी
14	शेखपुर नरी	29	शुक्लागंज	44	झांझरी
15	बन्धर	30	गंगाघाट		

आज्ञा से,